(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-2] नवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तृतीय दिवस [संख्या-3

गुरुवार

दिनांक 28 जून, 1990

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। माननीय श्री सालिगराम, माननीय श्री गोविन्दसिंह जी।

हानिकारक औषधियां

36. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ हानिकारक दवाइया जो विदेशों में बन्द कर दी गई हैं राज्य में अभी तक उनका प्रचलन बन्द नहीं हुआ है ? यदि हां, तो, मय कारण, ऐसी दवाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही का इरादा रखती है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (चिकित्सा मंत्री) [1] राज्य सरकार को अधिकृत रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) ड्रग एवं कोस्मेटिक अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार केवल भारत सरकार को है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है माननीय मंत्री महोदय को कोई अधिकृत जानकारी न हो, लेकिन जो मलटी नेशनल कम्पनी हैं विकासशील देशों की जब उनके यहां पर दवाओं का प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है तो विकासशील देशों में अपनी दवाओं का प्रचलन किसी दूसरे नाम से या उसी नाम से जारी रखते हैं। अब मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में भी कोई न कोई व्यवस्था मंत्री महोदय के पास होनी चाहिये, जो दवायें विदेशों में प्रतिबन्धित हैं उनकी सूचना विभाग को जरूर होनी चाहिये, और उन दवाओं का प्रचलन हमारे यहां पर नहीं हो। अगर केन्द्र सरकार इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है और हम समझते हैं कि वह हानिकारक है तो हमें केन्द्र को या जो ड्रग कण्ट्रोलर है या जो एक्ट आपने बताया है कोस्मेटिक और ड्रग्स का एक्ट है उसके तहत

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

मूव करना चाहिये कि इनको बन्द किया जाय। पहला सवाल तो मेरा यह है।

दूसरा, मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई लिस्ट भारत सरकार की तरफ से आई होगी जिसमें उन दवाओं की सूची होगी जिनको भारत सरकार ने इस कानून के तहत प्रतिबन्धित किया है। अगर वह सूची आपके पास है, मैं कुछ दवाओं के नाम आपको पढ़कर सुनाता हूं जो मेरी जानकारी के मुताबिक मरीजों के लिए घातक हैं, नुकसान दायक हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले इनसे जानकारी ले लें। यह तो आप सैकण्ड क्वेश्चन में दे देना, अपनी जानकारी पहले सरकार से ले लीजिये आप जानकारी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैने प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत सरकार ड्रग एवं कोस्मेटिक अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत, उस नियम को मैं उद्धरित कर रहा हूं जिसमें केवल उन्हीं को यह अधिकार है, वह नियम है....

श्री अध्यक्ष : वह चैलेन्ज नहीं कर रहे हैं इसको। यह तो उन्होंने मान लिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस नियम के अन्तर्गत समय-समय पर भारत सरकार की जो कमेटीज बनी हैं वह निर्णय लेती हैं और राज्य सरकार को कनवे करती है। मेरे पास 27 कोम्बीनेशन की ऐसी सूची है जो अगर आप चाहें तो आपके माध्यम से सदन में रख दूं। यह 27 कोम्बीनेशन के विषय में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को सूचित किया है कि इस प्रकार के कोम्बीनेशन्स की दवाओं को अब प्रचलित नहीं किया जाय, बन्द कर दिया जाय। इमीड्रोफाइविन इसके बारे में रिसर्च हुई है, हानिकारक कहा और इस कानून के तहत इस अधिनियम के तहत हमको बन्द करने के लिए बात कही।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है। देखिये देखिये, मेन सवाल जो है, उनका पूछना है कि इस सूची के अन्तर्गत यह दवायें राजस्थान में नहीं चलें, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यह बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस के लिए सारा प्रबन्ध कर रखा है। इन 27 कोम्बीनेशन्स में कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो राजस्थान में प्रचलित है। अगर कोई चोरी-छिपे लाने की कोशिश करता है तो हमारे यहां ड्रग इन्सपेक्टर्स हैं जो इस पर चैक रखते हैं और चालान करते हैं और जो इस प्रकार की प्रवृत्ति करती है। आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य महोदय के मन में शायद इस प्रकार की बातें हैं कि कुछ ऐसी दवायें भी हैं जो कुछ देशों में तो बन्द कर रखी हैं और कुछ देशों में चालू कर रखी हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की रिसर्च हुई है। उस प्रकार का एक सवाल राज्य सभा में किया गया था 1985 में। श्रीमती मेमोना सुल्ताना के प्रश्न में राज्य सभा में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, भारत ने एक प्रत्युत्तर दिया था जो मेरे पास है जिसमें से 6 कोम्बीनेशन्स ऐसे उन्होंने कहे जिनकी पूरी सूची मेरे पास

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है, चाहे तो पढ़ दूं। इन 6 कोम्बीनेशन्स का कुछ देशों में प्रचलन है, कुछ देशों में यह बन्द कर दी गई है विभिन्न रिसर्च के अनुसार हुई हैं। हमारे यहां की जो केन्द्रीय कमेटी है, वह भी इन पर सारा कार्य कर रही है, जब कभी इन पर पूरा कार्य करके वह हमें दिशा-निर्देश देगी निश्चित रूप से उन दवाओं को राजस्थान में हम उनकी आज्ञा के अनुसार बन्द कर देंगे और प्रचलन नहीं होने देंगे। अगर कहीं अवरोध पैदा हुआ तो उसकी जांच करके इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ औषधियों के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मन्त्री महोदय ने जो 27 औषधियां बताई है जो प्रतिबन्धित है मेरी जानकारी में एक है आक्सफेनाबूटाजोल जो सूजन और मस्क्यूलर पेन में काम आती है, वह हानिकारक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अच्छा होगा कि इस लिस्ट में से आप इनके कोम्बीनेशन्स को देखकर अपनी मिला लें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे तो पांच ही हैं। मैं पांच ही पढ़ देता हूं। आप तो काफी अध्ययन करते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मन्त्री महोदय ने भी जनरल शोध पढ़ी होगी। सबसे विवादास्पद दवा है जो आज भी प्रचलित है और वह है एनालजिन, नवलजिन, बेरालगन। यह ऐसी दवा है जो हृदय के ऊपर आघात करती है। अगर इसका सेवन बराबर किया जाय। आज ही मार्केट से मैं सुबह लेकर भी आया हूं। आप चाहें तो आप ले सकते हैं। ये घर-घर काम में आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिबन्धित है कि नहीं, बस इतना ही पूछ लीजिये उनसे। यह बात साफ हो गई कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इनको प्रतिबन्धित करती है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तो उसको आप करें।

श्री अध्यक्ष : फिर उसमें भी कुछ है जो कुछ देशों में प्रचलित है, कुछ में नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने उसमें शायद कोई डिसीजन नहीं लिया हो वह लेने की प्रक्रिया में है, तो उनमें से आप देख लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो कुछ स्पेशिफिक दवाओं के नाम बता रहा हूं। अगर वह प्रतिबन्धित सूची में हैं और बिक रही है जैसा कि आप कह रहे थे उनको नहीं बिकने देंगे तो उसको भी आप पकड़िये। दूसरी उसमें एल्ट्रोक्योलोन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्यमंत्री) अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन माननीय सदस्य से है कि आप प्रतिबन्धित दवा को लेकर आये क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं लेकर आया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों आये लेकर ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोई सदस्य उसको अगर लेना चाहे तो मेरे पास यह रखी है।

Page No. 4

(4)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई सदस्य ले, जब आप जानते थे....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे पास मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, आप दिखाओ मत।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसको अन्दर नहीं लिया है, इनहेल नहीं किया है शरीर के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो कहां रखा है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे पास बटुए में रखी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने बटुए में रखी है, सब कुछ रखा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आपको दिखाने के लिए यह लाये हैं माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी एनालजिन लेकर आये हैं या नहीं यह उनसे पूछा जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय जब इन्होंने कहा तो मुझे चिन्ता हो गई क्योंकि एक घंटे पहले ही मैंने ली है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रतिबंधित है तो आपने दवाई लेकर यह सुसाइडल स्टेप क्यों उठाया ?

श्री अध्यक्ष : आपको दिखाने के लिए लाये हैं हाऊस में, कि बिक रही है। आपको दिखाने का काम था जो निभा दिया, अब मंत्री जी जवाब दे दें। माननीय मंत्री जी। आप बाद में पूछ लीजिये। जवाब आ जाय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक है मंत्री महोदय, फिनाइल बूटाजोन, यह पांच दवाएं तो मेरे पास हैं जिनकी मेरे को जानकारी है। और भी ऐसी दवाएं हो सकती हैं। मेरा निवेदन है कि अगर कोई दवा प्रतिबंधित है और चल रही है तो आप इफैक्टिवली बन्द करावें और अगर प्रतिबंधित नहीं है तो केन्द्र सरकार को लिखकर जांच करावें, आपके पास लेबोरेट्री है। मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, डिस्प्यूटेड भी हो सकती है। अगर किसी दवा के बारे में संदेह है कि कुछ देश प्रतिबंधित कर चुके हैं जो टेक्नोलोजी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं और विकसित देश हैं, जो हमें वह टेक्नोलोजी देते हैं जो उनके यहां बेकार पड़ी है। इसलिए इन बातों पर आप जो भी जवाब देना चाहें ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एनलजेसिक कम्पाण्डड्स के विषय में जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि यू. एस ए., यू. के में यह खून बनाने में रुकावट पैदा करती है इसलिए इसको लिया नहीं जाना चाहिए। किन्तु दूसरे विकासशील देश और यू. एस. एस. आर. आदि में प्रतिबंधित नहीं है। उनमें रिसर्च करवा कर यह अभी भी चल रही है। इसलिए क्वेश्चन डिबेटेबल हो गया। उन्होंने जैसी सूचना दी है और भी साइंटिफिक सूचना है ....

श्री अध्यक्ष : अपने देश में तो प्रतिबंधित नहीं है ना ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह अपने देश में प्रतिबंधित नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : आपकी निगाह में यू. एस. एस. आर. ठीक है या यू. एस. ए. ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी निगाह में कौन ठीक है कौन नहीं है बल्कि यह साइंटिफिक मामला है, इसमें चिन्ता करने की बात नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर जो चर्चा उन्होंने की फिनेंफर्मीन कम्पाउण्ड्स जिसमें उन्होंने कुछ दवाओं के नाम लिये, इस कैटेगिरी में आती है। यू. के., फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, आस्ट्रेलिया और कनाडा, इनके मार्केट में चल रही है प्रतिबंधित नहीं है, किन्तु यू. एस. ए., नार्वे, यमन, अरब रिपब्लिक, साइप्रस-इनमें प्रतिबंधित है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 7 कैटेगरीज का जिक्र किया गया है वो कुछ देशों में चल रही है और कुछ देशों में नहीं चल रही है। हमारे यहां जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, केन्द्र के द्वारा निर्देशित हैं उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होने देना चाहते । अगर माननीय सदस्य अपनी साइंटिफिक नॉलेज के अनुसार कुछ सुचना मुझे देंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिखेगी कि हमारे यहां कुछ माननीय सदस्य ने इस दिशा में यह कहा है और इस पर अवश्य रिसर्च करें और हमारा मार्गदर्शन करें कि इस दवा को चालू रखें या बन्द कर दें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपने एनालजिन के बारे में नहीं बताया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैने बताया ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ड्रग एण्ड कोस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार 27 दवाओं के बारे में मंत्री महोदय ने कहा जो प्रतिबंधित है उन दवाओं के प्रचलन के बारे में निश्चित रूप से कुछ दवाएं अभी बाजार में बिक रही है खुली बिक रही है या चोरी छिपे बिक रही है । मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी कैमिस्ट को वायलेशन करने पर पिछले पांच साल में कोई चालान प्रस्तुत किया या ओफेण्डर्स के खिलाफ एक्शन लिया, यह मुझे जानकारी करवावें । एनी एक्शन हैज बीन टेकन ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी जानकारी में 27 कोम्बीनेशन ......

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया बैठिये आप जरा बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि यू. एस. एस. आर. तो विकसित देश है । कुछ कम्पनियां तो ऐसी है कि विकसित देशों में बैन्ड है और विकासशील देशों में उनका मेन्यूफेक्चर होता है । हेल्थ का विषय तो स्टेट लिस्ट के अन्दर है । कानकरेन्ट लिस्ट में, सेन्ट्रल लिस्ट में तो है नहीं । तो आप अपने लेवल पर इसकी जांच करवा कर ऐसी कम्पनियों को बैन करने के लिए क्या भारत सरकार को रिकमण्ड करेंगे या लेजिस्लेशन बना कर खुद बैन करेंगे । इसकी जानकारी दें ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वह सही है कि 27

Page No. 6

(6)

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

दवाएं प्रतिबंधित है और राजस्थान या हिन्दुस्तान में चल रही है लेकिन नॉलेज के हिसाब से मैं बताऊं कि इनका काम्बीनेशल चेंज हो गया है । इनमें जो बाक्सीफन मेटाजोल, सेरिडोन वगैरह सब के फार्मूले चेंज हो गये हैं । नाम वही रखे हैं कम्पनियों ने । बाकी दवाएं जो प्रतिबंधित हैं, इनमें नहीं हैं । यह बात सही है कि कुछ दवाओं का अभी भी अवैद्य रूप से कुछ स्टेट में कोम्बीनेशन चल रहा है लेकिन जो स्टैण्डर्ड कम्पनियां हैं उन्होंने कभी का बन्द कर दिया, जैसे ही नियम लागू हुए मार्केट में इनको कम्पनियों ने विथड्रा कर लिया और वे बाजार में नहीं बिक रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं इन सात कोम्बीनेशन के नाम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा । हाइड्रोक्यूसोलिन, इस कोम्बीनेशन में जो दवाएं हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है कि कुछ देशों में चल रही हैं और कुछ में नहीं चल रहीं । 34 कंट्रीज इन्क्लूडिंग आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, यू. के. और स्वीडन इन सब में दवाएं चल रही हैं किन्तु जापान, नार्वे, नेपाल, साइप्रस में नहीं चल रही हैं । दूसरा फिनोफर्मीलिन का मैंने बता दिया । नाइट्रोफ्यूरेन कम्पाण्डस 40 देशों में चल रही है जिनमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील, यू. के., फ्रांस, ग्रीस आदि हैं ।

श्री अध्यक्ष : मगर ये सात कोम्बीनेशन अपने यहां प्रतिबंधित नहीं है ? देखिये, सीधी-सी बात हैं, अखबारों में यह खबरें आती रहती हैं कि कुछ दवाएं अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी और हिन्दुस्तान में चल रही है, हमारे यहां प्रतिबंधित नहीं हैं कुछ और देशों में चल रही हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि विकासशील देश दोनों तरफ हैं । ऐसा नहीं है कि केवल मात्र विकसित देशों में प्रतिबन्धित हो गई हों ।

श्री अध्यक्ष : इनका तो इतना ही पूछना है कि आपने कोई एक्शन इनिशियेट किया क्या । कुछ प्रतिबन्धित दवाओं को भारत सरकार ने प्रतिबन्धित कर रखा है उनके बारे में यदि वह मार्केट में हैं तो क्या आपके पास कभी ऐसा आया क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार कड़े कदम उठायेगी । मेरी जानकारी में इस तरह के कोम्बीनेशन्स की कोई दवा राजस्थान में नहीं चल रही है । अगर इस प्रकार की जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से कड़े कदम लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा इनका यह है कि क्या आप अपने स्तर पर जांच करके भारत सरकार को भेजेंगे कि ये-ये दवायें हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगर इसकी कोई सूचना हमारे पास आयेगी तो निश्चित रूप से भेजेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं । इसमें बहुत हो गया । दूसरा अकाल के बारे में महत्वपूर्ण सवाल है । (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा पूछना चाहता हूं कि दवाई ऐसी चीज है जिसके बारे में मरीज को सुनिश्चित होना चाहिये कि यह मेरे लिए ठीक है। जब आधे देश कह रहे हैं कि ठीक नहीं है और आधे कह रहे हैं कि ठीक है तो कम से कम जब तक इसका परीक्षण हमारे यहां नहीं हो इसको रोक तो सकते नहीं। इसका रिजल्ट क्या है....

श्री अध्यक्ष : यह सेन्टर का मामला है। नेक्स्ट। श्री महावीर प्रसाद।

अकाल राहत कार्य

37. **श्री महावीर प्रसाद (टोंक),**
श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली),
श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद),
श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं

श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य में इस वर्ष भी भयंकर सूखे की स्थिति के कारण ग्रामीण व्यक्ति गांवों को छोड़ कर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं? यदि हां, तो उनके पलायन को रोकने हेतु सरकार क्या कर रही है?

(2) राज्य सरकार ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से तात्कालिक क्या योजना प्रारम्भ कर रही है? जिलेवार योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अकाल की समस्या का अध्ययन करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल ने राज्य का दौरा कब किया?

(4) राज्य में इस वर्ष कितने गांवों को कब अकालग्रस्त घोषित किया गया और राहत कार्य खोलने का निर्णय कब लिया गया? अभावग्रस्त गांवों की सूची एवं आदेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने 1 अप्रेल, 1990 से सभी अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्य खोलने की घोषणा विधान सभा में की थी? यदि हां, तो सरकार ने अब तक किस-किस जिले में कितने-कितने राहत कार्यों की स्वीकृति जारी की? जिलेवार खोले गये राहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में माह अप्रेल एवं मई में एक भी राहत कार्य खोलने की स्वीकृति जारी नहीं की गई जब कि अन्य जिलों में इस अवधि में राहत कार्य खोले गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(7) 1 जनवरी, 1989 से अब तक बीकानेर, चूरू व नागौर जिलों में कुल कितने राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं? तहसील व गांव, राहत कैम्प का नाम, मजदूरों की संख्या व भुगतान तिथि व बकाया भुगतान की सूची सदन की मेज पर रखें।

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर देने के पहले परम पिता ईश्वर की आभारी हूं कि जिस समय मैं उत्तर दे रही हूं उस समय राजस्थान के अधिकांश भागों में बरसात हो रही है।

Page No. 8

(6)

एक माननीय सदस्य : बूंदाबांदी हो रही है, बरसात नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मुझे काफी जिलों की सूचना प्राप्त हो चुकी है। मैं इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहती क्योंकि कहते हैं कि चर्चा करने से टोक लग जाती है।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, ऐसा मत करिये आप।

सुश्री पुष्पा जैन : (1) जी नहीं, राज्य में रोजगार के अभाव में किसी प्रकार के पलायन की स्थिति नहीं आई है।

(2) ऐसी स्थिति ही नहीं आई है।

(3) अकाल की समस्या का अध्ययन करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल ने 19-1-90 से 22-1-90 तक राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

(4) राज्य में इस वर्ष 14015 गांवों को दिनांक 18-1-90 को अभावग्रस्त घोषित किया गया। अभावग्रस्त क्षेत्रों में योजनागत कार्यों में अतिरिक्त श्रमिक नियोजन हेतु दिनांक 5-4-90 को निर्णय लिया गया तथा दिनांक 1-5-90 को जवाहर रोजगार योजना-राहत कार्य कराने का निर्णय लिया गया। अभावग्रस्त ग्रामों की सूची आदेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं, अप्रेल के प्रथम सप्ताह से राज्य में राहत कार्य खोलने की घोषणा की गई थी। अब तक 25 जिलों में 30945 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिलेवार राहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(6) जी नहीं। जयपुर जिले में विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा जवाहर रोजगार योजना के लिए दिनांक 1-4-1990 को 278.73 लाख रुपये राशि अवशेष रही एवं मार्च, 90 में सहायता विभाग ने जवाहर रोजगार योजना में अतिरिक्त श्रमिक नियोजन हेतु 41.54 लाख रुपये राशि आवंटित की। विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा माह मई, 90 में 129.79 लाख रुपये की राशि और आवंटित की गई। इस तरह इस जिले में जवाहर रोजगार योजना कार्यों हेतु 450.06 लाख राशि उपलब्ध थी जो पर्याप्त थी। इस कारण इस जिले को पृथक से जवाहर रोजगार योजना राहत कार्यों हेतु श्रमिक सीमा आवंटित नहीं की गई।

(7) चूरू जिले में स्वीकृत किये गये अकाल राहत कार्यों की तहसील व गांव पंचायतवार सूची एवं कैम्प परिशिष्ट "ड" में दर्शायी गई है। इस जिले में अकाल राहत जवाहर रोजगार योजना, डी. डी. पी. एवं जवाहर रोजगार योजना–राहत कार्यों पर 22,324 श्रमिक नियोजित हैं जिनको दिनांक 31.5.90 तक का भुगतान कर दिया गया है। माह जून, 90 के प्रथम पक्ष का भुगतान प्रगति पर है। बीकानेर एवं नागौर जिलों से जो सूचना एकत्रित की गई है वह उपलब्ध है, बाकी और की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बीकानेर जिले में कुल 2287 कार्यों पर 13,076 श्रमिक लगे हुए हैं।

(सुश्री पुष्पा जैन)

नागौर जिले में 1136 कार्यों पर 12849 श्रमिक कार्यरत हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं अकाल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह सवाल अपने आप में भ्रमित करने वाला नहीं है। जहां हम एक ओर यह कहते हैं कि 14015 गांव दिनांक 18-1-90 को अभावग्रस्त घोषित कर दिये गये और उसके बाद आप इसी प्रश्न में, यह कहती हैं कि राज्य में रोजगार के अभाव में पलायन की स्थिति नहीं आई। और हमने पूछा है कि जिलेवार क्या योजनाएं हैं एवं कितनी राशि का आवंटन किया गया। इसका जवाब यह कहा गया कि ऐसी स्थिति ही नहीं आई। क्या यह प्रश्न का उत्तर अपने आप में भ्रमित करने वाला और तथ्यों से विपरीत नहीं है? जनवरी, 90 में अभावग्रस्त होने के बाद केमिन कोड के, एक हमारे यहां पर केमिन कोड बना हुआ है उसमें तहसीलदार कलक्टर, कमिश्नर की कोई ड्यूटीज हैं हर सप्ताह में वह रिपोर्ट लेंगे, कोई योजनायें बनायेंगे। आपने जो राशि आवंटित की है वह भी जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिसमें कि मजदूरी मिलने का सवाल नहीं है क्या यह सही है कि टौंक पंचायत समिति की मीटिंग में, टौंक अकाल परामर्शदात्री समिति की मीटिंग में माननीय सदस्यों ने और ग्राम पंचायत के सरपंचों ने बार-बार यह कहा कि लोग पलायन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं की गई और लोग पलायन कर गये और रोजगार हमने उपलब्ध नहीं करवाये?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपकी मार्फत माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगी कि पलायन की परिभाषा अपने-अपने रूप में हम अलग-अलग तरह से करते हैं। जहां तक मैं समझती हूं, पलायन वह है कि भूख से तड़पते हुए लोगों को अगर राज्य सरकार ने रोजगार के लिए मोहताज कर दिया हो...

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकारी परिभाषा है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब सुनिये। माननीय सदस्य, एक बात ध्यान रखें कि बड़ा लम्बा सवाल है और इसमें 2-4-6 प्रश्नकर्ता हैं और लगभग 2-4-6-8 आदमी और पूछना चाहते हैं। इसलिए जरा आप शांति से सुन लें। नहीं तो फिर नम्बर नहीं आयेगा, आगे के सवाल रह जायेंगे। (व्यवधान)

आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया : औचित्य ही खतम कर रहे हैं सवाल का।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : बेसिक बात ही डिसप्यूटेड है, साहब। यह पलायन मानते ही नहीं हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : औचित्य ही खतम हो जायेगा सवाल का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मुख्य मन्त्री जी, अकाल राहत मन्त्री जी के अखबारों में भी स्टेटमेन्ट आते रहे हैं कि कोई पलायन नहीं हुआ। यानि बेसिक बात ही डिस्प्यूटेड है।

श्री अध्यक्ष : वह तो सवाल में आप पूंछ लें, कौन मना कर रहा है ? माननीय मन्त्री जी। ऐसा है मन्त्री जी, पलायन शब्द का क्या अर्थ है यह छोड़ दीजिये। आप तो अपनी बात कहिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें। बात आपने सुनी नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी जो आप कह रहे हैं। खैर, आपको पसन्द नहीं आये उस बात को मैं छोड़ देती हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ अखबारों में यह छपा। खास तौर से टोंक के विषय में मैं कह रही हूं कि कुछ लोग पलायन कर गये। मैंने उसी समय नवभारत टाइम्स की वह कटिंग निकाल कर जिला कलक्टर को भेजी और मैंने उनसे जानना चाहा कि वह तुरन्त इस पर हमें सूचित करें, पूरी जांच करें और जांच करने के बाद बतायें कि इन लोगों का पलायन, क्या काम नहीं मिलने के कारण हुआ ? यदि यह सच है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह सारी चीजें हमें बतायें। जिला कलक्टर की जांच रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। आप कहें तो मैं पूरी जांच रिपोर्ट पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप जितना संक्षेप में जवाब दे सकती है, दीजिये। अभी और भी लोग पूछेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : जांच रिपोर्ट के आधार पर यह उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा अकाल की मार से कोई बाहर नहीं गया। उपखण्ड अधिकारी ने मौके पर लोगों के बयान भी लिये हैं और तथ्य पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ है कि यह व्यक्ति पूर्व परिपाटी के अनुसार ही बाहर कमाने-खाने जाते हैं और वर्षा प्रारम्भ होते ही अधिकांश व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी को सम्भालने हेतु वापस अपने गांव आ जाते हैं। जिस तरह से अखबार में खबर को बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित किया गया है वह इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सही नहीं है। अतः वस्तुस्थिति....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कटिंग है अखबार की, कब का अखबार है यह ?

सुश्री पुष्पा जैन : 1.6.1990 का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 मई, को पंचायत समिति, मालपुरा की मिटिंग में हर पंचायत का विवरण वार ब्यौरा सदस्यों ने दिया....

सुश्री पुष्पा जैन : अब, मुझे पूरा सुनेंगे आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कि कितने लोग बाहर पलायन हमेशा करते हैं और कितने लोग गये ? अब इस प्रकार की रिपोर्ट आप कह रहे हैं, एक-एक पंचायतवार बतायें आप।-

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब सुन लीजिये, फिर बहुत मौका मिलेगा। हां, बोलिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 26 माननीय विधायकों के पत्र आये

(सुश्री पुष्पा जैन)

हैं जिनकी सभी की फाइल मेरे पास है। आप कहें तो टौंक से जिन माननीय विधायकों के पत्र आये हैं, मैं अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से पढ़ कर सुनाना चाहूंगी। एक भी विधायक ने मुझे यह कभी नहीं लिखा कि उनके क्षेत्र में किसी तरह का कोई पलायन है। मैं अखबारों के आधार पर....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कलक्टर को रिप्रजेन्टेशन देख लें। किस के लिए आपको लिखे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री जी का जवाब सुन लीजिये। एक बार जवाब सुन लीजिये आप।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैंने लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्य, जवाब सुन लीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय महावीर प्रसादजी जैन, विधायक, टौंक का जो पत्र है उसमें उन्होंने अकाल राहत कार्यों के तहत कृषि मण्डी टौंक से 18 सड़कों की मांग की, यह पत्र मेरे पास है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं आया कि कहीं किसी का पलायन हुआ हो या किसी तरह की और अनियमितता बरती गई हो। उनका दूसरा पत्र मेरे पास आया, अध्यक्ष महोदय, जिसमें उन्होंने 29 एनीकट बनाने की मांग की है, उसमें कहीं किसी पलायन का जिक्र नहीं आया। उसका मैंने बदस्तूर जवाब दिया है और कोई पत्र टौंक से....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मेरा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कलक्टर गवर्नमेन्ट को रिप्रजेन्ट करता है, अध्यक्ष महोदय।

सुश्री पुष्पा जैन : आदरणीय पूनिया साहब, मैं आपका पत्र भी पढ़ देती हूं लेकिन मैं टौंक की बात कर रही हूं...

आपके पत्र में भी पलायन की कोई बात नहीं है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आपकी नजर में तो पलायन नहीं है पर मेरे क्षेत्र में पलायन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, लोग छोड़कर भाग जायें इसी को पलायन कहते हैं क्या? लोग गांव छोड़कर चले गये इसको पलायन नहीं मानते हैं, क्या?

एक माननीय सदस्य : वास्तव में कोई पलायन नहीं हुआ है जो हम अकाल राहत में मजदूरी देते हैं वह कम होती है और ज्यादा मजदूरी लेने के लिए मजदूर बाहर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं खड़ा हूं। ऐसा है मैंने आपको बता दिया कि इतने लोग सवाल पूछने वाले हैं यह सवाल आप पूछ लीजिये लेकिन इनका जवाब आ जाये कि आपका पलायन से क्या मतलब है? आप अपनी बात बतायें कौन मना करता है? इनका जवाब नहीं आया

(श्री अध्यक्ष)

तो सारा समय पूरा हो जायेगा और यह सवाल ऐसे ही रह जायेगा। इसलिए आप पहले उनको शांति से सुन लीजिए फिर आपके इतने लोग पूछने वाले हैं, पूछ लेंगे, जवाब आ जायेगा। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न जो पैदा हुआ कि जब हमने अप्रेल के पहले सप्ताह में यह घोषणा कर दी कि हम अकाल के कार्य खोलेंगे हमने काम नहीं खोले, मैं इसको भी मानने को तैयार नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, अप्रेल में ही दो लाख मजदूरों को लगाने हेतु 5 अप्रेल, 1990 को सभी जिला कलक्टरों को निर्देश वायरलेस मैसेज द्वारा जारी किये गये। वह मेरे उत्तर के साथ संलग्न हैं।

अध्यक्ष महोदय, अप्रेल के प्रथम सप्ताह में जो काम खोलने की घोषणा की गयी थी उस हिसाब से मैं समझती हूं कि दो लाख श्रमिक हमने लगाने के निर्देश जारी किये। मैं कहना चाहूंगी कि जब हमने मई में तीन लाख 25 हजार की सीलिंग की थी उसमें दो लाख मजदूर लगने पर भी पूरी सीलिंग क्रास नहीं हुई थी . . .

श्री अध्यक्ष : देखिए, इनका सवाल बहुत छोटा-सा है। ज्यादा डिटेल में मत लाइये आपने यह जो कहा है सवाल संख्या दो के जवाब में "ऐसी स्थिति नहीं है" इसको काण्ट्राडिक्टरी बताया है, आप बता दीजिए उसमें क्या काण्ट्राडिक्शन है या नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पलायन कहीं भी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : पलायन नहीं रोजगार की बात है। आप प्रश्न संख्या दो पढ़ लें। राज्य सरकार ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त क्या योजना प्रारम्भ कर रही है। आपने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आयी।

सुश्री पुष्पा जैन : लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक के सन्दर्भ में ही दूसरा प्रश्न है। वह देख लें। इसलिए मैंने यह उत्तर दिया है कि ऐसी स्थिति नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, विराजें। श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 24-4-90 को एक पंचायत समिति की मीटिंग हुई जिसमें जिलाधीश मौजूद थे। एक मीटिंग 26-4-90 को हुई जिसमें माननीय कृषि मन्त्री जी भी मौजूद थे और जिलाधीश भी मौजूद थे। उसकी प्रोसिडिंग्स की कापी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्ट पोर्शन ही पढ़िये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : "महावीर प्रसाद जैन, विधायक, टौंक ने सुझाव दिया कि टौंक तहसील का आधा क्षेत्र पानी और अनाज की समस्या से पीड़ित है। 50 प्रतिशत से भी अधिक लोग गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए अधिक से अधिक कार्य चालू किये जायं। सरपंच बागड़ी ने भी अवगत कराया कि लोग छोड़-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कर जा रहे हैं। तो उस पर जिलाधीश ने सबको सूचित किया और यह सुझाव दिया कि इनके प्रस्ताव तुरन्त दिये जाए।"

26 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें पलायन की बात और रोजगार को तलाश करने की बात कही गयी। बार-बार जिलाधीश महोदय को निवेदन किया गया और पत्र में जो मांग की है एकीकट्स के लिए और सड़कों के लिए, उनमें माननीय मन्त्री महोदय को हमने चौथे महीने में पत्र लिखा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना-सा सवाल है, आप इतना पूछ लीजिये कि उस समय आपके जिले में कितने मजदूर काम कर रहे थे। मालूम पड़ जायेगा कि काम शुरु हुआ या नहीं हुआ। सवाल यह है कि सरकार ने दिया या नहीं। सवाल तो पलायन का ही है ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर टोंक जिले में एक समस्या आयी। क्या यह सही है कि टोंक जिले में 23 सड़कें कृषि उपज मण्डी समिति की तरफ से अकाल राहत परिवारों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से स्वीकृत हुई। क्या यह भी सही है कि उसमें से 13 सड़कें एक कान्स्टेट्यूएन्सी में स्वीकृत हुई जिसमें करीब 7 लाख रुपये आपके अकाल राहत के मद से दिये गये? क्या यह सही है कि टोंक पंचायत समिति के 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच खराबा के 95 गांव, टोंक तहसील में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी टोंक कान्स्टीट्यूएन्सी में केवल इसलिए कि वहां का विधायक महावीर है इसलिए एक कार्य की भी स्वीकृति नहीं दी गयी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृषि मंत्री का सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आप स्वयं ने कहा है। कृषि उपज मंडी में जो सड़कें शुरु हुई।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : लेबर कम्पोनेण्ट अकाल राहत ने दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जो स्वीकृति हुई है वह पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जरूरत नहीं है। आप अकाल राहत के बारे में पूछिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राहत विभाग से स्वीकृति जारी हुई है। राहत सचिव के यहां से, डिप्टी सेक्रेटरी के यहां से गया है, कृषि उपज मण्डी समिति के डिप्टी सेक्रेटरी के यहां से आया है कि इन सड़कों के प्रस्ताव आप भेजें। जानबूझकर के इसमें अनियमितता की गई है और दुरुपयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : कृषि उपज मण्डी को अकाल राहत से क्यों जोड़ रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि अकाल राहत विभाग किसी न किसी विभाग को पैसे देकर कराता है। दूसरी बात, राज्य सरकार की यह योजना थी और बहुत अच्छी योजना थी कि...

श्री अध्यक्ष : आप इतना ही पूछ लीजिए कि अकाल राहत में कृषि उपज मण्डी की कितनी सड़कें आती हैं। आप तो

(श्री अध्यक्ष)

यह पूछ लीजिए कि उनको कितनी सड़कों के बारे में सूचना मिली है और वे शामिल की गई हैं या नहीं। पूछ लीजिए, आप सवाल पूछिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं भाषण दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्टेड प्रश्न करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा समय बरबाद करने के लिए आप समय काट रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं उनको रोक रहा हूं, आप बोलेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं रोक ही रहा हूं। आप पाइन्टेड प्रश्न करिये।

श्री यदुनाथ सिंह : जितना ब्रीफ किया है उतना ही बोलें, ज्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सही है कि अकाल राहत विभाग किसी न किसी विभाग को पैसे देकर राज्य सरकार की योजना के अनुसार काम करवाता है ? जो आज तक फर्जीवाड़ा होता रहा है पिछली सरकार के जमाने में उसको रोकने की दृष्टि से प्लान वर्क में अकाल राहत का पैसा खर्च हो....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप अपनी बात करिये। कांग्रेस शासन की बात करके समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि आप सरकार से सवाल का जवाब नहीं चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो शांति से बैठिए ना। (व्यवधान) मैं उनको पाइंटेड प्रश्न के लिए कह रहा हूं। वह पाइंटेड प्रश्न कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो मैं रोक दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनका प्रश्न सही है। अकाल राहत में लेबर कम्पोनेण्ट देता है और कृषि उपज मण्डी उसको कराती है। इसलिए अकाल राहत विभाग बीच में आता है।

श्री अध्यक्ष : वही तो पूछ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि टौंक जिले में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं ? इसमें सर्वाधिक प्रभावित टौंक पंचायत समिति रही है और उसमें भी 75 से 100 प्रतिशत खराबे में हैं ? क्या यह सही है कि इस विभाग ने किसी न किसी विभाग को जोड़-कर अपना लेबर का पैसा कृषि उपज मण्डी, सिचाई विभाग, पी. डब्ल्यू. डी. को दिया है ? क्या यह सही है कि टौंक विधान सभा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

क्षेत्र में आपने सिंचाई विभाग और कृषि उपज मण्डी को जो पैसा दिया, उसके तहत निवाई और टोंक में काम चालू नहीं करवाये ? इस कारण मेरे पास सारे सरपंचों के पत्र....

श्री अध्यक्ष : आप वे कारण बताइये। पूंछ लिया होगा। सवाल हो गया आपका। अब आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है, जांच करवाई है कि लोग गांव छोड़कर गये हैं। जांच रिपोर्ट मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। आपका सवाल हो गया। अब आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो फेमिन कोड बना हुआ है उसके अनुसार जिन अधिकारियों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये था, उन्होंने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये। मंत्री जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहुत समय ले लिया इस एक प्रश्न में और कोई परिणाम इसका निकला नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्नकर्ताओं को पहले मौका दूंगा, माफ करिये, जिन्होंने सवाल पूछा है, उनको मौका दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि कामों का निर्धारण रिलीफ डिपार्टमैण्ट नहीं करता, वह वहां की अकाल परामर्शदात्री समिति करती है। दूसरा मेरा कहना यह है कि कृषि उपज मण्डी समिति को हमने कोई पैसा हस्तांतरित नहीं किया। हम किसी भी डिपार्टमैण्ट को कोई पैसा हस्तांतरित नहीं करते। जो कृषि सैक्रेटरी हैं वे अगर प्रस्ताव बनाकर भेजते और कृषि उपज मण्डी समिति से हमारे पास सड़कों हेतु मस्टर रोल के लिए प्रस्ताव आता तो निश्चित रूप से हम अर्थ वर्क कराने के लिए उनको मस्टर रोल देते। पर कृषि सचिव का कोई प्रस्ताव नहीं आया सड़कों का, तो हम क्या कर सकते थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी गहलोत। माननीय गोविन्द सिंहजी गुर्जर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सहायता विभाग से जो पत्र गया है ...

श्री अध्यक्ष : लास्ट में, आपको मौका दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस पर एक डिबेट रखवा दीजिए, साहब, यह लम्बा क्वेश्चन है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : इस सवाल को उठा दें, इसमें आधा घण्टा लग गया और कोई परिणाम नहीं निकला।

श्री अध्यक्ष : अब जो टाइम हो गया उसमें और एड मत करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : महत्वपूर्ण विषय है, डिबेट रखवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर।

Page No. 16

(16)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 5 अप्रेल को वायरलैस दिया और उसके बाद आपने एक मई को वायरलैस दिया। इससे लोगों की भूख तो नहीं मिटी, उनको नौकरी नहीं मिली या मजदूरी नहीं मिली। मैं यह जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि अकाल राहत के काम, कौनसे जिले में कौनसी तारीख को चालू हुए? मस्टर रोल से बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह जवाब आप ही दे रहे हो, मंत्रीजी को जवाब देने की आवश्यकता नही है। यह सवाल पूछ रहे हैं, आप शान्ति से बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, और जिलों का तो कह नहीं सकता, मेरे साथी लोग बतायेंगे, लेकिन अजमेर जिले में कामों के लिए मस्टर रोल 15 मई को पहली मर्तबा जारी किये गये। अब आप अन्दाजा लगाइये, अध्यक्ष महोदय, कि कोई आदमी जो रोजगार की तलाश में है, वह 15 मई तक भूखा तो बैठा नहीं रह सकता। या वह कलेक्टर के पास अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए तो नहीं जायेगा कि मैं पलायन करके दिल्ली जा रहा हूं या जयपुर जा रहा हूं। अब मंत्री महोदया कहती हैं कि हमने तो पांच तारीख को आदेश दे दिये थे, एक मई को वायरलैस दे दिया था। इससे हमें कोई वास्ता नहीं, यह आपकी व्यवस्था का, जो आप कर रही हैं, प्रश्न है। मैं तो मुख्य मंत्री महोदय, आप से कहना चाहता हूं कि मैं आपके पास 13 अप्रेल को उपस्थित हुआ था। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे यहां बहुत भीषण समस्या है और आपने मेहरबानी करके अकाल राहत मंत्रीजी को उस समय कहा था कि आप राहत सचिव को कहकर काम चालू करवायें। लेकिन उसके बावजूद भी, अध्यक्ष महोदय, 15 मई तक काम चालू नहीं हुए। आप क्या अन्दाजा लगायेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही पाइण्टेड क्वेश्चन है, रेलेवेण्ट क्वेश्चन है। ये बता दें कि 27 जिलों में से जिन-जिन जिलों में अकाल था, 25 में, कौनसी तारीख को मस्टर रोल के ऊपर पहला मजदूर लगा? मैं समझ लूंगा कि इन्होंने व्यवस्था कर दी।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने अकाल राहत के नाम से, जवाहर रोजगार के नाम से काम चालू किये हैं। नार्मल जवाहर रोजगार योजना के नाम, जब मैं वहां छोड़कर आया विधान सभा चलने से पहले और आपने मीटिंग ली उस दिन तक, चालू नहीं हुए थे। अकाल राहत वाली जो जवाहर रोजगार योजना है उसके तहत आपने यह कण्डिशन लगाई है कि 40 पर्सेण्ट मैटीरियल कम्पोनैण्ट होगा और 60 पर्सेण्ट लेबर कम्पोनैण्ट होगा। इसको कोई एक्सीड नहीं करेगा। मुख्य मंत्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने मंत्री महोदय का स्टेटमैण्ट पढ़ा कि इससे पूर्व के शासन में मैटीरियल कम्पोनैण्ट कहीं-कहीं 10 से 20 पर्सेण्ट हुआ करता था। यह स्टेटमैण्ट था, मंत्री महोदया, आपका?

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूरा करिये, जवाब वह देंगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं, मैं गलत होऊं तो सुधार लूं अपने आप को।

श्री अध्यक्ष : वह बता देंगी, आप गलत हैं तो गलत कह देंगी। आप सवाल करिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपने यह आदेश दिया है कि 40 पर्सेण्ट मैटीरियल कम्पोनैण्ट होगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी अकाल राहत काम से काफी वाकिफ हैं क्योंकि जिस जिले से आप आते हैं वह अकाल से पीड़ित जिला है। जवाहर रोजगार योजना जिससे ऐलर्जी है वर्तमान शासन को, वह जवाहर रोजगार योजना को आप किस काम में ले रही हैं? तो मुझे यह बताया गया अकाल राहत सचिव के द्वारा, कि हम यह चाहते हैं कि जो काम हो वह जवाहर रोजगार योजना के जो मापदण्ड हैं, उनके तहत होना चाहिये, बाकी सारा पैटर्न अकाल राहत का है। उसके तहत आप देखेंगे कि 40 पर्सेण्ट मैटीरियल कम्पोनैण्ट होना चाहिये। इस हिसाब से वे काम हो ही नहीं सकते। नतीजा यह हुआ कि आधे से ज्यादा काम चालू नहीं हुए। एनीकट का काम दे दिया, अधूरा एनीकट है पूरा नहीं हुआ।

तीसरा मेरा कहना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि लेबर की जो रेट है उसमें भी बहुत दिनों तक, जहां तक मेरा ख्याल है, शायद अभी तक उसमें दुविधा ही चल रही होगी कि 11 रुपये दें, 14 रुपये दें या कि 22 रुपये दें। क्या रेट हो लेबर की, उसकी दुविधा थी। फिर मंत्री महोदय ने बताया कि हमने 14 रुपये टास्क बेसिस पर कर दी है। लेकिन हमारे यहां जिस तरह की नेचर है सॉयल की, उसमें टास्क बेसिस पर कुआ खोदने का काम नहीं हो सकता। कुआ खोदने का काम बहुत सारे आपने कृपापूर्वक मंजूर कराये, अच्छी बात है, लेकिन कुआ खोदने के लिए 14 रुपये में कोई भी लेबर आप पूरे राजस्थान में कहीं दिला दें, वह काम नहीं हो सकता। तो यह वजह थी जिसकी वजह से काम चालू नहीं हुए। अब आदमी क्या करेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। वजह भी बता रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो आप से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सीधा सवाल आपका था कि आप स्किल्ड और रन-स्किल्ड लेबर को 14 रुपये ही देंगे, क्या 14 रुपये में आपको मिल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 14 रुपये में अन-स्किल्ड लेबर भी काम करने को, ऐसे कामों के लिए, तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, बिराजिये आप।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मई में हमने जो सीलिंग निर्धारित की थी अजमेर में, वह 20 हजार की सीलिंग थी। 15-4-90 का जो आंकड़ा मेरे पास है, उस दिन 2347 लेबर लगी, अजमेर जिले में। फिर 21-4-90 को हमने वापस जो आंकड़े लिये, 2347 लेबर इनके लगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह कोई आंकड़ा है? दो हजार आदमी तो वैसे ही काम करते रहते हैं राउण्ड दी ईयर।

श्री अध्यक्ष : प्लीज देखिये, अब आप सुन लीजिए। प्रश्न काल में आप प्रश्नों का जवाब सुन लीजिए। फिर सन्तुष्ट नहीं हों तो आगे प्रक्रिया है, उसका उपयोग करिये।

Page No. 18

(18)

सुश्री पुष्पा जैन : जे. आर. वाई. प्लस रिलीफ बता रही हूं मैं, अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में 680 काम हुए और लेबर एम्प्लायमैण्ट जो हुआ वह है 30390 और अकाल के जो लेबर एंगेज किए आज तक, वे हैं 24949। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्य को इतनी चिन्ता हो रही है। जब जनवरी में अकाल डिक्लेयर हो गया तो आप सरकार में बैठे थे, मैं जानना चाहती हूं कि नवम्बर, दिसम्बर में काम शुरू होने चाहिये थे, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आप क्या कर रहे थे, आपने काम चालू क्यों नहीं करवाये ? मुझे तो सिर्फ तीन ही महीने मिले हैं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ तीन महीने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। मुझे बोलने दीजिए। आप बैठें, माननीय सदस्य, बैठें आप। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आप कृपया प्रश्न का मूल जवाब दें ... (व्यवधान) इधर-उधर नहीं।

श्री नाथूलाल अहारी (डूंगरपुर) : आप अपनी बात कहिये।

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत पूछने वाले हैं आप बाद में पूछ लेना। (व्यवधान) आप बिराजें। आपका नाम इसमें है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम इसमें है तो आप पूछ लेना। आप लेट करेंगे तो टाइम पूरा हो जायेगा और आपका नाम नहीं आयेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आयेगा।

श्री अध्यक्ष : कैसे आयेगा ? टाइम के बाद तो मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय. एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिये। आप माननीय दसस्यों को और मंत्री महोदय को इस बात के लिए बाध्य कीजिए कि प्रश्न पूछे जायं, उत्तर दिए जायं। लम्बी चर्चा होती है, पौन घण्टे का समय निकल गया न कोई उत्तर आ रहा है और न कोई खास मतलब हल हो रहा है ..

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक बात है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दूसरा यह है कि सभी माननीय सदस्यों ने दिया है तो यह आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप सबके नाम पुकारें। नहीं तो जिसकी इच्छा नहीं होगी वह भी बोलने लग जायेंगे और अभी तक डेढ़ प्रश्न तय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप अगला प्रश्न पुकारिये। इस प्रश्न में कोई दम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कहिये कि पिछली सरकार ने क्या किया उस पर चर्चा नहीं करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने माननीय विश्नोईजी ने जो कहा है वह सुना नहीं है ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया इस प्रश्न को टालना चाहती है तो पोस्टपोन कर दीजिये। जब तक बरसात हो जायेगी पोस्टपोन करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अजमेर जिले की स्थिति से आपको अवगत करवाया। अब एक बात जो माननीय सदस्य ने उठाई है कि जे. आर. वाई. में काम करवाये गये, रिलीफ में नहीं करवाये गये। मैंने अजमेर जिले के रिलीफ के आंकड़े भी दिये हैं कि आज तक की कुल लेबर 30,390 है। जिसमें 24,949 रिलीफ में है। अब मैं एक बात और जानना चाहती हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप गलत बयान कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। आप सुन नहीं रहे हैं। बिराजें आप। समय पूरा हो रहा है। आप घड़ी की तरफ नजर रखिये। आप सुनना नहीं चाहते हैं....(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं सुनना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है उसको आप डिस्टोर्ट कर रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर हैं। देखिये, आप कुछ तो शान्ति से बैठिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि रिलीफ से पैसा खर्च ही नहीं किया गया हो या रिलीफ में काम नहीं करवाये गये हों। अप्रेल तक हमने 2 लाख अतिरिक्त मजदूरों को लगाने के लिए 5-4-90 को सभी जिला कलक्टर्स को वायरलैस मैसेज द्वारा निर्देश दिये लेकिन उसके साथ ही हमने मार्च में ही 5 करोड़ 60 हजार रुपये रिलीफ फण्ड से एस. एस. ओ. को दिये जिसके द्वारा हमने सीलिंग तय करवायी। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है, फिर मई में हमने 31 करोड़ 25 लाख रुपये जे.आर.वाई. से, 8 करोड़ 3 लाख रुपये रिलीफ से दिये और 3 लाख 25 हजार श्रमिक सीमा निर्धारित की। फिर हमने जून में 18 करोड़ 10 लाख रुपये दिये व 4 लाख 40 हजार श्रमिक सीमा निर्धारित की जिसकी कास्ट आज तक नहीं की गयी है। इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों को, लोक सभा के माननीय सदस्यों को, सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को पत्र लिखे हैं। पत्र में मैंने स्पष्ट तौर से उनको लिखा है कि श्रमिक सीमा के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त कलक्टर्स को यह निर्देश भी दिये जा चुके हैं कि यदि निश्चित सीमा से अधिक व्यक्ति रोजगार के लिए आते हैं तो उन्हें मजदूरी पर तत्काल लगा दिया जाय और उसके बाद में श्रमिक सीमा बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त करली जाय।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं इन 3 महीनों के समय में यह जानना चाहती हूं कि मेरी कौनसी कमजोरी रही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आ गया जवाब। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदया ने यह घोषणा की थी कि सभी जिलों में जहां अकालग्रस्त गांव हैं उनमें अप्रेल के प्रथम सप्ताह में काम शुरू करवा दिये जायेंगे। उसके तहत लोग आस लगाये हुये बैठे थे कि अप्रेल, मई और जून इन तीन महीनों में कम से कम काम मिलेगा। मेरा मंत्री महोदय से सीधा सवाल है कि अप्रेल और मई में जयपुर जिले में कितने काम मंजूर किये गये और कितने मजदूरों को रोजगार दिया गया ? पहले इसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, जयपुर जिले में कितने काम हुये अप्रेल और मई माह में, इसकी सूचना।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में अप्रेल, 1990 के शुरू में जवाहर रोजगार योजना मद के अन्तर्गत (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत की पूछ रहा हूं जवाहर रोजगार योजना की नहीं पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में कितने काम हुये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आप बोलते क्यों नहीं ? मैं बोलूं उसके पहले ही........ सारी बात सुनलें। मन्त्री महोदया, आप तो टोटल कितने लोगों को, काम बतला दें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले यह फैसला कर लें कि लोगों को रोजगार चाहिये या अकाल राहत या जे. आर वाई. या ईरिगेशन या पी. डब्ल्यू. डी. किसी में भी किसी प्रकार से भी रोजगार मिलता है तो क्या उसको रोजगार आप नहीं मानते हैं ? एक चीज हमने तय की है, राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलें चाहे किसी भी स्कीम के अन्तर्गत मिले, चाहे विशिष्ट योजना विभाग से काम की व्यवस्था की जाय.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मुख्यमन्त्री जी, यह जवाब नहीं है आपका.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरी बात तो सुन लीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले की पूछ रहा हूं....

श्री रामनारायण वर्मा : हम अकाल राहत की बात कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुन लीजिये। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। (व्यवधान) आप जवाब तो सुन लीजिये।

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली) : साहब, गलत बात कैसे सुन लें। गलत बात नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पायलेट, आप बिराजें। आप कृपया पूरी बात सुन लीजिये..

श्री भैरोंसिह शेखावत : जवाब बिल्कुल साफ है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये ... आप पूरी बात तो सुन लीजिये। आप बैठिये, सुन नहीं रहे हैं। आप इनकी पूरी बात सुन नहीं रहे हैं........(व्यवधान) कृपया आप बिराजें, मि. सैनी....— । (व्यवधान) माननीय सदस्य सैनी जी, आप बिराजें। मैं खड़ा हूं आप बैठिये। पहले आप मन्त्री जी की पूरी बात सुन लीजिये फिर आपको आपत्ति हो तो सवाल कर लेना। पहले बात तो सुन लीजिये........ (व्यवधान) प्लीज हियर। उनकी पहले बात सुन लीजिये, उनको कनक्लूड करने दीजिये। आप उनको कनक्लूड करने दें, फिर आप सवाल पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैने स्पष्ट किया है और स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार चाहिये, किसी भी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया जाय यह सरकार की जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं कि अकाल राहत के नाम से काम खोले जाय और हम यह चाहते है कि लोगों को रोजगार दिया जाय चाहे किसी भी रूप में दिया जाय। और इसमें कोई अन्तर नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री निर्भय लाल जी। ... (व्यवधान) आप टाइम समाप्त कर रहे हैं। आप एक–एक कर बोलिये। (व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त होता है। (व्यवधान) [कांग्रेस (इ) के सदस्य द्वारा बहिर्गमन]

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर–कोटा वाया इन्द्रगढ़ बस सेवा

48. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से कोटा वाया उनियारा इन्द्रगढ़ बस चलाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में जयपुर-कोटा वाया इन्द्रगढ़ एक्सप्रेस बस शीघ्र चलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, इस मार्ग का उनियारा से इन्द्रगढ़ एवं लाखेरी से केशोरायपाटन कोटा तक का भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। जिन पर निजी वाहनें संचालित हैं। निगम की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर नई बस सेवा चालू कर सकें।

चाणदा कलां (बूंदी) का सौर विद्युत् का रख-रखाव

49. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ के गांव चाणदा कलां में सौर विद्युत् कब लगाई गई थी तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) सौर विद्युत् खराब होने पर इसके रख-रखाव एवं ठीक करने की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या सरकार उक्त गांव में खराब पड़ी सौर ऊर्जा व्यवस्था को पुनः क्रियाशील करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ के गांव चांणदा कलां जो कि चम्बल के बीहड़ों में बड़े दुर्गम स्थान पर है, में सौर ऊर्जा से संचालित 7 लाइटें वर्ष 1986-87 में लगाई गई थी। उनके खराब होने की सूचना राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण को प्रश्न प्राप्त होने तक विकास अधिकारी या अन्य किसी स्तर द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। अभिकरण के विशेष प्रतिनिधि को भेजकर अभी सूचना एकत्रित करवाई गई है जिससे यह पता चला है कि ये लाइटें मूलतः नियमित रूप से बैटरीयों में डिस्टल वाटर नहीं डालने के कारण कार्यरत नहीं है।

(2) सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट की मरम्मत एवं रख-रखाव की उचित व्यवस्था हेतु भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं सचिव, विशिष्ठ योजना संगठन की सहमति एवं सहयोग से एक विस्तृत योजना स्वीकृत की गई है जिसके अनुसार सौर ऊर्जा से चलित लाइटें स्थापित किये जाने की मूल जिम्मेदारी पंचायत एवं पंचायत समितियों को सौंपी गई है। ये लाइटें राजस्थान इलक्ट्रोनिक्स इन्स्ट्रयूमेन्टेशन लिमिटेड द्वारा लगाई जाती है और एक वर्ष की अवधि तक इन लाइटों का रख-रखाव "रील" द्वारा ही किया जाता है। इसके पश्चात् सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा इन लाइटों का रख-रखाव प्रशिक्षित ग्रामीण युवकों के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अनुसार स्थानीय ग्रामीण युवकों का चयन सम्बन्धित पंचायत व पंचायत समिति के माध्यम से जिला विकास अभिकरण द्वारा करवाकर उनकी सूची रील जयपुर में इन्हें तीन माह का प्रशिक्षण हेतु भिजवाई जाती है। प्रशिक्षण का व्यय "ट्राइसम योजना" के अन्तर्गत वहन किया जाता है उसके पश्चात् इन प्रशिक्षित युवकों को 30 से 40 सौर ऊर्जा की लाइटें रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु सौंप दी जाती है। जिसके लिए इन युवकों को 20 रुपये प्रति लाइट प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाता है।

(3) जी हां, सौर ऊर्जा की खराब लाइटों को पुनः संचालित कराने हेतु योजना के अनुसार बूंदी जिले में स्थापित लाइटों की संख्या के अनुसार दो ग्रामीण युवकों को दिनांक 2-4-90 से "रील" में तीन माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरान्त बूंदी जिले की सभी लाइटें ठीक करवाकर इन प्रशिक्षित युवकों को रख-रखाव व मरम्मत हेतु सौंप दी जावेगी। विकास अधिकारियों भी यह निर्देश दिये हुये हैं कि जब तक ये लाइटें प्रशिक्षित युवकों को मरम्मत हेतु नहीं सौंपी जाती, स्थानीय स्तर पर इनमें नियमित रूप से

(ऊर्जा मंत्री)

डिस्टिल्ड वाटर डलवाया जावे व यदि ट्यूब लाइट खराब हो जाय तो उसे बदलवा दिया जावे ताकि ये ठीक प्रकार से कार्य करती रहे। इस पर होने वाले व्यय को अभिकरण द्वारा पुनर्भरण हेतु भी लिया जा चुका है।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में राहत कार्य

50. **श्री अमीन खां (शिव) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वित्तीय वर्ष में 31 मई, 1990 तक बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कुल कितने राहत कार्य स्वीकृत किए गए ? उन पर प्रत्येक पर कितने श्रमिक लगाए गये तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कार्यों में से कितने चालू किए गए ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चल रहे राहत कार्यों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने-कितने श्रमिक लगाए गए हैं ?

(4) अकाल राहत कार्य स्वीकृति के क्या मापदण्ड तय हैं ?

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में क्रमशः 1560 एवं 343 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। बाड़मेर जिले में 24620 एवं जैसलमेर जिले में 6200 श्रमिक लगाये गये है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट क एवं ख)

(2) बाड़मेर जिले में 1045 कार्य तथा जैसलमेर जिले में 245 कार्य चालू किये गये हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ग एवं घ)

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 3308 श्रमिक बाड़मेर जिले में तथा 780 श्रमिक जैसलमेर जिले में राहत कार्यों पर लगाये गये हैं।

(4) अकाल राहत कार्य स्वीकृति के पूर्व वर्षों के माप दण्ड को यथावत रखा गया है एवं अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि जवाहर रोजगार योजना के माप दंड वाले ही नये कार्य स्वीकृत किये जावें, ताकि राहत कार्य समाप्त होने पर उन्हें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये जा सकें।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

पोषाहार समन्वय समिति

51. **श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :** एवं

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(1) क्या राज्य में राज्य पोषाहार समन्वय समिति कार्य कर रही है ? यदि हां, तो सदस्यों की सूची व इसकी गत 5 साल में आयोजित बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पोषाहार कार्यक्रम को संभालने के लिए जिला एवं खण्ड स्तर पर कोई समितियां बनी है वे ठीक कार्य कर रही हैं, क्या इसका कोई मूल्यांकन कराया गया है? यदि हां, तो निष्कर्ष सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सदस्यों की सूची संलग्न है। इस राज्य स्तरीय समिति का गठन वर्ष 1988 में किया गया था। बैठक का आयोजन तब से नहीं हुआ है।

(2) जिला स्तर पर पोषाहार समिति का गठन किया गया है। खण्ड स्तर पर समिति का गठन नहीं किया गया है। जिला स्तरीय पोषाहार समिति का कार्य ठीक चल रहा है। इसका मूल्यांकन नहीं कराया गया। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

पंचायत समिति फागी के ग्रामों में एनीकट्स का निर्माण

52. **प्रकाश चन्द्र बैरवा** (फागी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अकाल राहत के तहत पंचायत समिति फागी के मण्डावरी, निम्बाहेड़ा, मण्डोर, जावड़, लदाना एवम् छापरी में एनीकट्स का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो स्वीकृत राशि, खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वे सभी एनीकट अपूर्ण है ? यदि हां तो, ये कब तक पूर्ण होंगे व कितनी राशि की आवश्यकता होगी।

(3) क्या इन एनीकट पर इस वर्ष अकाल राहत कार्य में कार्य स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अकाल राहत के तहत अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त एनीकट्स की पूर्व में स्वीकृत राशि तथा व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। इस हेतु इन एनीकटों को पूरा कराने के लिए श्रम राशि 12.50 लाख रुपये व सामग्री राशि 37.50 लाख रुपये कुल 50 लाख रुपये की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये जा रहे हैं कि उक्त एनीकटों के कार्य को शीघ्र ही स्वीकृत कर पूर्ण कराया जावे।

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

(3) जी नहीं। ज़िला स्तर पर अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने के लिए ज़िला अकाल परामर्श दात्री समिति बनी हुई है। उक्त समिति द्वारा निर्णय लिये जाते हैं कि कौन से कार्य स्वीकृत किये जावें।

(4) जी हां। अपूर्ण कार्यों को यथा शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास जारी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में राहत कार्य

53. श्री शम्भू दयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कितने गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने राहत की योजनाएं संचालित की है ? यदि हां तो राहत कार्यों की प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में अकाल राहत के लिए प्रावधानित धनराशि कितनी है ? इसमें व्यय कितनी कर दी गई और शेष कितनी धनराशि कहां--कहां व्यय की जानी है।

(4) क्या राजस्व विभाग द्वारा अकाल की विभीषिका का क्षेत्रवार कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पंचायत समिति के अन्तर्गत किन-किन गांवों को सूची में लिया गया ?

(5) क्या ऐसे अनेक गांव पंचायत समिति क्षेत्र केकड़ी में हैं जिनको सर्वे में लिया ही नहीं गया ? यदि हां, तो वे कितने और कौनसे गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के 30 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र में अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए 22 कार्य अकाल जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दे दिये गये हैं। अकाल राहत रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख")

(3) उक्त क्षेत्र में राशि रुपये 7.48 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। अकाल राहत के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। व्यय आदि का विवरण माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में ज्ञात हो सकेगा।

(4) जी हां। समस्त राजस्व गांवों की गिरदावरी के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। उक्त पंचायत समिति केकड़ी के समस्त गांवों को सूची में लिया गया है।

(अकाल राहत मंत्री)

(5) जी नहीं। पंचायत समिति केकड़ी में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें गिरदावरी नहीं हुई हो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

रैंगर महासभा खासोली (चूरू) का भवन

54. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रैंगर महासभा खासोली, तहसील चूरू (जिला-चूरू) के लिए चार दीवारी बनाने का निर्माण कार्य सन् 1987-88 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाया गया था ? यदि हां; तो उक्त निर्माण कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चार दीवारी के निर्माण हेतु मस्टररोल नम्बर 307235, 291705 एवं 20170 दिनांक 16 मार्च से 31 मार्च, 1988 के द्वारा 5875.20 मूल्य का गेहूं तथा 10188.80 रुपये का नकद कुल 16064 रुपये का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित मस्टररोलों की प्रतिलिपियां एवं भुगतान के ब्यौरे की विगत सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम खासोली, तहसील चूरू में एक भी रैंगर समाज का परिवार नहीं है ? यदि हां, तो वहां पर रैंगर महासभा का भवन एवं चार दीवारी का निर्माण कराने का क्या औचित्य था ? क्या पहले से ग्राम खासोली में रैंगर महासभा का भवन बना हुआ है ? क्या चार दीवारी का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में इस घपले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस चार दीवारी निर्माण कार्य पर कुल धन राशि 63484 रुपये श्रम मद में व्यय की गई है।

(2) जी हां। सम्बन्धित मस्टररोल की प्रतियां एवं भुगतान के ब्यौरे की विगत सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, यह सही है कि ग्राम खासोली, तहसील चूरू में एक भी रैंगर समाज का परिवार नहीं हैं। इस कार्य का औचित्य प्रतीत नहीं होता। सरकार शीघ्र ही इसकी जांच के आदेश प्रसारित कर रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगर विकास न्यास, अलवर का टेलीफोन व्यय

55. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में अध्यक्ष एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय एवं निवास पर उपभोग में आ रहे

(श्री जीतमल जैन)

टेलीफोन पर कितना-कितना खर्चा आया ? वर्षवार एवं बिलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि यह कार्य अपेक्षा के सन्दर्भ में अत्यधिक रहा, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अध्यक्ष एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय एवं निवास पर उपभोग में आ रहे दूरभाष पर निम्न प्रकार, व्यय हुआ।

वर्ष	सचिव कार्यालय दूरभाष–22497
1987–88	25,216.10
1988–89	27,864.50
1989–90	37,908.00
	90,988.60

वर्ष	सचिव आवास दू.भा.-22422	अध्यक्ष आवास दू.भा.-22295
1987-88	32,879.20	28,467.60
1988-89	13,532.50	33,710.50
1989-90	22,840.00	40,636.00
	1,02,814.10	69,251.10

बिलवार विवरण की तालिका परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) व्यय स्वीकृत बजट की सीमा में तो है किन्तु वर्ष 1987–88 में सचिव तथा अध्यक्ष दोनों के ही निवास गृहों, वर्ष 88–89 तथा 89–90 में अध्यक्ष के निवास गृह पर लगे टेलीफोनों पर कार्यालय पर लगे टेलीफोनों पर अधिक व्यय हुआ है जिसकी जांच कराई जावेगी। एस. टी. डी. कनेक्शन्स को कटवाने तथा व्यय में कटौती करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

जोधपुर नगर में भू–विक्रय

56. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित जोधपुर नगर संकुलन की लाखों वर्ग मीटर भूमि के विक्रय के अनुमानित बीस दस्तावेजों का प्रान्त के बाहर देहली, बम्बई इत्यादि महानगरों में अवैध रूप से पंजीकरण कर लिया गया है।

(2) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की जानकारी सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर को है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अवैध म्यूटेशन व पट्टे जारी कर दिये हैं, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के अनुसार अवैध एवं प्रभाव शून्य हो गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित जोधपुर नगर संकुलन की भूमि का प्रान्त से बाहर महानगरों में अवैध रूप से पंजीकरण कर लिया गया। तहसीलदार कार्यालय, जोधपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर सक्षम अधिकारी को ऐसे 13 मामलों की जानकारी हुई है।

(2) जी हां।

(3) कुल 15 विक्रय विलेखों में से 13 नगर संकुलन सीमा में होने से नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 से प्रभावित है। सभी 15 मामलों में से 13 मामलों में नामांकरण हो चुके हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 5(3) के तहत प्रभाव शून्य व अवैध होने के कारण पट्टे अवैधानिक हैं।

(4) जी हां, जांच करवायी जावेगी।

ओलम्पिक सिनेमा गृह, जोधपुर की भूमि

57. **श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :** क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित जोधपुर नगर के ओलम्पिक सिनेमा घर की भूमि को इस अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत विक्रय की छूट इस शर्त पर दे दी कि भविष्य में इस भूमि का उपयोग सिनेमा घर के लिए ही रखा जायेगा ? यदि हां, तो इस छूट के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सक्षम अधिकारी, नगर भूमि अधिकतम सीमा, जोधपुर ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उपरोक्त सिनेमा घर के मालिक जो अधिनियम में परिभाषित लाखों वर्ग मीटर इस रिक्त भूमि के धारक है, का एक पुराना जवाहिरात खाना नाम का अन्य भवन, जिसमें राजकीय स्कूल एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय हैं, के विक्रय का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, जो धारा 5(3) के अनुसार प्रभाव शून्य है ? यदि हां, तो इस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम से प्रभावित हजारों वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जोधपुर-मण्डोर रोड़ पर स्थित सांघी परिवार की बगल की भूमि टुकड़ों में अवैध विक्रय हो रही है एवं सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार उपरोक्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। छूट आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

Page No. 29

(29)

(नगरीय विकास मंत्री)

(2) यह तो सही नहीं है कि उपरोक्त सिनेमा घर का मालिक "पुराना जवाहर खाना" का मालिक है बल्कि "पुराना जवाहर खाना" भू-सम्पत्ति बाबत अरबन एक्ट की धारा 6(1) के अन्तर्गत मैनेजिंग डायरेक्टर मैसर्स जोधाना रियल एस्टेट डवलपमेन्ट कम्पनी द्वारा रिटर्न प्रस्तुत किया गया था। मैसर्स जोधाना रियल एस्टेट डवलपमेन्ट कम्पनी द्वारा दिनांक 15-4-89 को सक्षम अधिकारी, जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने पूर्णतः निर्मित भू-सम्पदा "जवाहर खाना" को विक्रय करने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की। उक्त भवन में राजकीय स्कूल एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय चलते हैं। और पुराना जवाहर खाना से जुड़ी हुई अधिग्रहण योग्य कोई रिक्त भूमि (विकेन्ट लैण्ड) नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 19-4-89 को विक्रय करने की अनुमति जारी की। अरबन एक्ट की धारा 5(3) के प्रावधान के सीमा से अधिक रिक्त भूमि पर लागू होते हैं। अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 19-4-89 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है कि अरबन एक्ट से प्रभावित हजारों वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल का जोधपुर, मण्डोर रोड स्थित सांघी परिवार के बंगले की भूमि टुकड़ों में अवैध विक्रय हो रही है क्योंकि :—

(1) प्रश्नगत भूमि, भूस्वामी श्री एम. के. सांघी धारा 5(1) प्रकरण संख्या 120/76–77 का निर्णय दिनांक 27-2-89 को हो चुका है।

(2) निर्णय दिनांक 27-2-89 अनुसार प्रश्नगत बंगले में सीमा से अधिक रिक्त भूमि 1235.99 वर्ग मीटर अवाप्ति कर धारा 9 के अन्तर्गत फाईनल स्टेटमेन्ट जारी किया जा चुका है।

(3) यह कि निर्णय दि. 27-2-89 के विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर के न्यायालय में अपील दायर की थी जिसका निर्णय दिनांक 19-3-90 को हो चुका है। माननीय डिवीजनल कमिश्नर के निर्णय अनुसार सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 27-2-89 के द्वारा अवाप्त भूमि 1235.99 वर्ग मीटर भूमि में से अपीलांट को 1000 वर्ग मीटर भूमि की छूट देते हुए 235.99 वर्ग मी. भूमि ही अवाप्त योग्य घोषित की गई है।

(4) माननीय डिवीजनल कमिश्नर कोर्ट के निर्णयानुसार प्रश्न गत बंगले के साथ सीमा से अधिक घोषित भूमि 235.99 वर्ग मी. हेतु अरबन एक्ट की धारा 10 (1) की कार्यवाही की जा रही रही है।

(5) यह कि उक्त भूमि के बेचान हेतु सक्षम अधिकारी के न्यायालय में अप्रार्थी की ओर से धारा 26 (1) के अन्तर्गत नोटिस प्रस्तुत कर कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई। धारा 26(1) के

(नगरीय विकास मंत्री)

अन्तर्गत नोटिस विधिनुसार दिया जाना आवश्यक है एवं बिना नोटिस दिये रिक्त भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता। उप पंजीयक धारा विक्रय विलेख पंजीयन नहीं किया जा सकता तथा इस सम्बन्ध में उप पंजीयन को निर्देशित किया जा चुका है।

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा सीमा से अधिक रिक्त भूमि 235.99 वर्ग मीटर की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

जिला टौंक में आवासीय कॉलोनीज का निर्माण

58. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) आवासन मण्डल द्वारा किन-किन जिलों में आवासीय कॉलोनियां निर्मित करना प्रस्तावित है।

(2) क्या टौंक जिले में भी आवासीय कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

उत्तर

(1) वर्तमान में मण्डल द्वारा राज्य के सभी जिलों में कॉलोनियां निर्मित की जा रही हैं।

(2) जी हां। नियमानुसार एक योजना में 200 आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराने के पश्चात् ही मण्डल कॉलोनी निर्मित करता है। टौंक जिले की योजना के लिए वर्तमान में मार्च, 88 तक केवल 134 आवेदकों ने पंजीकरण कराया है। मण्डल द्वारा मकानों के निर्माण हेतु टौंक के पास 131 बीघा 05 बिस्वा भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अवाप्त की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात, आवासीय कॉलोनी निर्मित करने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

मण्डोर ग्राम की परिसीमा भूमि का अतिक्रमण प्रकरण

59. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष पूर्व जोधपुर से नागौर जाने वाले राज्य मार्ग की केन्द्रीय रेखा से पचास फिट पूर्व की रोड बाउण्ड्री में मण्डोर ग्राम की सीमा में स्थित ग्यारह किलोमीटर के मुकाम के पास अनुमानित एक हजार मीटर की दूरी तक लम्बाई एवं दो से तीन मीटर चौड़ाई अर्थात् लगभग 2,500 वर्ग मी. सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर पत्थर की दीवार बनाकर अवैधानिक कब्जा कर लिया गया है ?

(2) यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) उपरोक्त रोड बाउण्ड्री में स्थित अतिक्रमण अब कब तक हटा दिया जायेगा

(श्री हीरासिंह चौहान)

एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

डबोक (उदयपुर)-नीमच सड़क का डामरीकरण

60. **श्री छगन लाल (बड़ी सादड़ी) :** क्या सार्वजनिक विर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय राज्य मार्ग नम्बर 15 -डबोक (उदयपुर) वाया माण्डलगढ़, डूंगला, बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ से नीमच (मध्य प्रदेश) का डामरीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कितने लागत की ?

(2) उनमें से कितनी राशि उक्त कार्य पर खर्च की जाकर कितना कार्य हुआ ? स्वीकृति आदेश की प्रति एवं कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां 15.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

(2) अभी तक यह कार्य शुरू नहीं करवाया जा सका है। इस कार्य पर केवल रुपये 350/- का ही व्यय किया गया है। स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

झाड़ोल के चिकित्सक के विरुद्ध शिकायतें

61. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या डा. प्रेम मित्तल राजकीय रेफरल हॉस्पीटल झाड़ोल, जिला उदयपुर को जनता की शिकायत पर सरकारी बिस्तर अपने निजी उपयोग में लेते हुए तहसीलदार, झाड़ोल ने रंगे हाथों पकड़ा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाही के परिपेक्ष्य में डा. मित्तल ने तहसीलदार को अस्पताल में बुलाकर पीटा ? यदि हां, तो क्या इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट जिलाधीश, उदयपुर ने डा. मित्तल के विरुद्ध थाने में दर्ज कराई ? कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मामले की जांच हेतु किसी बोर्ड का गठन किया गया ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन व्यक्ति हैं एवं बोर्ड का गठन किसके आदेश से हुआ ? बोर्ड द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस सम्बन्ध में डा. मित्तल के विरुद्ध चालान पेश कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो किस न्यायालय में एवं कब ?

उत्तर

(1) जी नहीं, तहसीलदार झाड़ोल द्वारा एक एफ.आई.आर. दिनांक 22-2-89 को अवश्य रेफरल अस्पताल, झाड़ोल के अन्तर्गत मरीजों के उपयोग के लिए प्राप्त रूई के बण्डल के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, झाड़ोल में कराई गई थी जिसकी तत्कालीन डीवाई.एस.पी. श्री उमा कान्त भट्ट द्वारा अनुसंधान किया जाकर एफ. आई. आर. नं. 19/89 दिनांक 20-९-89 को अदम बकुआ तथ्य को भूल में कता की गई।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जी नहीं, प्रश्न के भाग एक के उत्तर के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के सड़क विहीन ग्राम

62. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ऐसे कितने ग्राम हैं जो मुख्य सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार सड़क विहीन ग्रामों को वर्तमान वित्तीय वर्ष (1990–91) में सड़कों से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में 31 ग्राम हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "क" में दर्शायी हुई है।

(2) इन गांवों की जनसंख्या 1971 के अनुसार 1000 से कम है। अतः योजनान्तर्गत माप दण्डों के अनुसार अभी इनको सड़क से जोड़ना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

परिवार नियोजन को प्रोत्साहन

63. **श्री राजेन्द्र कुमार** (सीकर) :
श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल प्रजनन योग्य जोड़ों में से कितने प्रतिशत "परिवार नियोजन" को अपना रहे हैं ?

(2) यह प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर से कितना कम ज्यादा है ?

(3) परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय अपना रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1989 में 28.9% प्रजनन योग्य जोड़ों द्वारा परिवार नियोजन अपनाया गया।

(परिवार कल्याण मंत्री)

(2) अखिल भारतीय स्तर के प्रतिशत से यह प्रतिशत 12.8% कम है।

(3) परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निम्न उपाय अपना रही है :–

(1) प्रत्येक वर्ष के लिए, राज्य के लिए तथा प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

(2) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। इस कार्य के लिए शहरी व ग्रामीण स्तर पर शिविर आयोजित किये जाते हैं। सभी विभागों, जन-प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं इत्यादि का सहयोग प्राप्त किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति का प्रत्येक स्तर पर परीवीक्षण किया जाता है।

(3) प्रचार-प्रसार माध्यम जैसे फिल्म शो, सिनेमा स्लाइड्स, प्रदर्शनी, दीवारों पर पेंटिंग, ओ. टी. केम्प्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोस्टर्स, हैण्ड बिल्स, फोल्डर्स तथा बैनर्स का पूर्ण प्रयोग किया जाता है।

(4) पुरुष और महिला नसबंदी कराने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं कच्ची बस्ती के निवासियों तथा आई. आर.डी.पी. परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।

(5) प्रत्येक प्रेरक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड़ के भवन पर व्यय

64. **श्री कुबेरसिंह (फलासिया)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड़ जिला उदयपुर के भवन निर्माण हेतु जन-सहयोग से वर्ष 1979–80 में कितनी राशि किस-किस व्यक्ति/संस्था/फर्म से प्राप्त कर किस-किस मद पर खर्च की गई एवं शेष राशि किस व्यक्ति/पदाधिकारी के पास कितनी, कब से है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्र पर एक्स-रे मशीन अवस्थित है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में किस-किस मरीज से कितना-कितना रुपया लिया जाकर रजिस्टर में दर्ज किया गया एवं उसे कितनी राशि की रसीद दी गई ? उक्त राशि किस आधार पर ली गई एवं यह राशि किसके पास है ? मरीजों के नाम एवं रसीदों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर उक्त व्यक्ति से अनियमित राशि वसूलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड़, जिला उदयपुर के भवन निर्माण हेतु जन सहयोग से 1,03,177 रुपये एवं 3 पैसे की राशि एकत्र की गई। निर्माण कार्य हेतु उसका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। इस राशि में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एवं गेरेज तथा बाहर से आने वाले मरीजों के ठहरने के लिए 4 कमरों की धर्मशाला बनाई गई। इन सब के निर्माण कार्यो पर 1,03,049/– रुपये 39 पैसे खर्च किए गए। शेष राशि 75/– रुपये सेन्ट्रल बैंक, शाखा कानोड़ में जमा है तथा 52 रुपये 59 पैसे श्री शान्तिचन्द्र बाबेल मंत्री, राजकीय चिकित्सालय विकास समिति कानोड़ के पास 79–80 से उपलब्ध है।

(2) एक्स-रे मशीन पिछले 5 वर्षों में ट्राइमर खराब हो जाने के कारण बन्द पड़ी हैं। जिसके कारण कोई एक्स-रे नही किया जा सका। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) निर्माण हेतु राजकीय चिकित्सालय, विकास समिति, कानोड़ जिसमें 27 सदस्य थे, उनकी देख-रेख में धनराशि खर्च की गई। अतः इस प्रकरण में विभाग कोई जांच करवाने का इरादा नहीं रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

जयपुर जिले की अधूरी सड़कें

65. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कहां से कहां तक कुल कितनी सड़कें बनी हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी-कितनी व कौन-कौन सी सड़कें कब-कब से अधूरी पड़ी है ? जयपुर जिले के मानचित्र में दर्शाते हुए विधान सभा क्षेत्रानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधूरी सड़कों को पूर्ण करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या योजना है और कब तक पूर्ण करने का सरकार का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में बनी हुई 244 सड़कों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में अधूरी सड़कों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची "ब" I एवं "ब" II मय मानचित्र में दर्शाते हुए सलंग्न है।

(3) सूची "ब" I में वर्णित सड़कें वर्तमान में स्वीकृत है तथा प्रगति पर है। सूची "ब" II में वर्णित सड़कों का निर्माण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

बसवा (बांदीकुई) में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

66. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गांव बसवा में लगभग

(श्री रामकिशोर सैनी)

10–12 वर्ष पूर्व मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र हेतु भवन निर्माण कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या अभी तक उस भवन में उक्त केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त निर्मित भवन में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1971–72 में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था।

(2) इस भवन को चिकित्सा विभाग को नहीं सोंपा गया है। यह भवन आबादी से डेढ़–दो किलोमीटर दूर बना हुआ है तथा चिकित्सा संस्था के लिए उपयुक्त नहीं है।

(3) जी नहीं।

मांगरोल–सीसवाली सड़क

67. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा में मांगरोल से सीसवाली सड़क के निर्माण पर कुल कितनी राशी व्यय की गई तथा उक्त सड़क कब बनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर बोरदा गांव के पास थोड़ा टुकड़ा छूटा हुआ है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधूरे टुकड़े की वजह से इस मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा है ?

(4) यदि हां, तो सरकार जनहित में उक्त अधूरे मार्ग के निर्माण की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला कोटा के मांगरोल सीसवाली सड़क के निर्माण पर कुल राशि रुपये 61.63 लाख व्यय की गई है तथा उक्त सड़क का निर्माण 1983–84 में पूरा किया गया।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त सड़क पर बोरदा ग्राम के पास थोड़ा टुकड़ा कि. मी. 11/0 से 12/700 (1.7 कि.मी.) छुटा हुआ है। सड़क निर्माण के समय ग्रामीणों व पंचायत में गांव के अन्दर अथवा गांव के बाहर सड़क निकालने के बारे में मतभेद होने से उक्त सड़क का टुकड़ा छूट गया था।

(3) इस छूटे हुए टुकड़े के अलावा इस मार्ग का उपयोग पूर्ण रूप से हो रहा है।

(4) इस छूटे हुये टुकड़े पर चार पुलियाओं के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा डब्ल्यू. बी. एम. सड़क का कार्य तीन माह की अवधि में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

निवाई में रेफरल अस्पताल की स्थापना

68. **श्री रामनारायण बैरवा (निवाई):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक जिले में गत तीन वर्षों में कितने रेफरल अस्पताल खोले गये हैं व इनके खोलने का क्या आधार था ?

(2) क्या यह सही है कि निवाई कस्बे में भी निर्धारित मान दण्डों के अनुसार रेफरल अस्पताल खोला जाना औचित्यपरक है व था ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष निवाई में रेफरल अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 1987–88 कोई नहीं।
1988–89 उनियारा।
1989–90 [1] टोडारायसिंह
[2] मेन्दवास

रेफरल अस्पताल मानदण्ड के अनुसार एक लाख का ग्रामीण जनसख्या पर एक खोले जाने का प्रावधान है जो चिकित्सा अधिकारी उक्त संस्थान को क्रमोन्नत कर बनाया जाता है। मेन्दवास को छोड़कर शेष दोनों स्थानों पर रेफरल अस्पताल मानदण्डों के आधार पर खोले गये हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां,। अन्य प्रस्तावों के साथ निवाई में रेफरल अस्पताल खोलने पर भी विचार कर लिया जावेगा।

अन्ता–काचरी सड़क निर्माण

69. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले की पंचातत समिति अन्ता में एन. टी. पी. सी. से पंचायत मुख्यालय काचरी तक की सड़क की स्वीकृति कब दी गई थी ? और यह कितनी कि. मी. है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है ? क्या इस सड़क से काचरी गांव को नहीं जोड़ा गया हैं ? यदि हां, तो इस हेतु अब कितनी सड़क का निर्माण शेष है ? काचरी को पक्की सड़क से अब कब तक जोड़ दिया जावेगा एवं शेष सड़क का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि सड़क का निर्माण नहीं किया जावेगा तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता में एन. टी. पी. सी. से पंचायत मुख्यालय काचरी तक 3 कि. मी. तक की स्वीकृति दिनांक 2-9-89 को दी गई। इसकी वास्तविक लम्बाई 4 कि. मी. एन. टी. पी. सी. है।

(2) जी हां। यह सही है कि काचरी गांव सड़क से नहीं जुड़ा है। इसे जोड़ने हेतु 1.3 कि. मी. सड़क का निर्माण और करना होगा क्योंकि स्वीकृति राशी में से केवल 2.7 कि. मी. सडक निर्माण ही हो पायेगा। शेष सड़क की लम्बाई को वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर ही पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा।

पत्रकारों को प्रदत्त सुविधायें

70. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :–

राज्य में पत्रकारों को क्या-क्या यथा आवास, टेलीफोन, वित्तीय सुरक्षा आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधायें परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

जोधपुर की ड्रेनेज एवं सीवरेज योजना पर व्यय

71. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर के ड्रेनेज एण्ड सिवरेज के पुनर्गठन की परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि कितनी थी एवं वर्ष 1975 से अब तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत नई आउटफाल सीवर लाइन्स को लगभग 8 वर्ष पूरे होने पद भी सम्बन्धित अधिकारी करोड़ों रुपये लागत से निर्मित आउटफाल सीवर लाइन्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जब कि समस्त जोधपुर नगर की जनता गंदे पानी के निकास का प्रबन्ध इन लाइन्स द्वारा नहीं होने के फलस्वरूप प्रभावित है यदि हां, तो ये लाइन्स कब तक शुरू की जायेगी ?

(3) प्रारम्भ में उपरोक्त परियोजना कितनी धनराशि की थी एवं कितने समय में पूरा करने की योजना थी। योजना की रूप-रेखा सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) अब उपरोक्त परियोजना कब तक पूरी की जायेगी एवं इसे लागू करने में दुभावना से अनावश्यक विलम्ब करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों को कब तक क्या दण्ड दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर की सीवरेज योजना के प्रथम भाग की वर्ष 1977-78 में 148.00 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसके पश्चात् वर्ष 1980-81 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 332.64 लाख रूपये (संशोधित 170 लाख रुपये) की योजना स्वीकृत की गई। दोनों योजनाओं का वर्षवार व्यय संलग्न प्रपत्र अ, ब में दिया गया है।

(2) आउटफाल का कार्य वर्ष 1983-84 में पूरा कर दिया गया था, परन्तु न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने के कारण गंदे पानी का निकास आउटफाल से नहीं जोड़ा जा सका। स्थगन आदेश खारिज होने के उपरान्त नये आउटफाल को चालू किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) प्रारम्भ में उपरोक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति 148 लाख रुपये की थी एवं इसे 3 वर्षों में पूरा किये जाने का लक्ष्य था। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत संशोधित योजना (लागत 170 लाख रुपये) को वर्ष 1984-85 में पूरा किया जाना था। दोनों योजनाओं का कार्यानुक्रम प्रपत्र स, श में संलग्न है।

(4) सीवरेज योजना चालू है, परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण आउटफाल का उपयोग नहीं हो रहा है। न्यायालय में मामला इतने लम्बे समय से क्यों लम्बित है इसकी जानकारी के पश्चात् यदि कोई दोषी पाया जावेगा तो कार्यवाही सम्भव होगी।

(5) योजना पूर्ण हो चुकी है। दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

यातायात नीति

72. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार नई यातायात नीति बना रही है, यदि हां, तो क्या इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है ? यदि हां, तो प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) नयी नीति बनाने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर

(1) नयी परिवहन नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है, इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) राज्य में यात्री एवं भार वाहन सेवाओं के विस्तार एवं उन्हें बेहतर तथा व्यवस्थित बनाने हेतु, जिससे परिवहन सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।

पी. जी. कालेज, झुन्झुनूं की प्राध्यापिकाओं बाबत शिकायतें

73. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को सेठ मोती लाल पी. जी. कॉलेज, झुन्झुनूं में महिला प्राध्यापिकाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विषय में जिला प्रशासन व कॉलेज शिक्षा मंत्री जी को भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सेठ मोती लाल कॉलेज, झुन्झुनूं के प्राचार्य के विरुद्ध उक्त कॉलेज की कुछ महिला प्रवक्ताओं से प्राचार्य द्वारा अभद्र व्यवहार एवं परेशान करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। महिला प्रवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

होम्योपैथिक कालेज

74. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में कुल कितने होम्योपैथिक कालेज केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप कार्यरत हैं? उनमें से कितने कालेज केन्द्रीय परिषद् से मान्यता प्राप्त है ?

उत्तर

राज्य में निम्न चार होम्योपैथिक कालेज है:-

1-भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, भरतपुर

2-युवराज प्रतापसिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलवर

3-होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अजमेर

4-मदनप्रताप खूटेटा, राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जयपुर।

इनमें से कोई भी केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति पूर्ण रूपेण नहीं करता।

केन्द्रीय परिषद कालेजों को मान्यता प्रदान करने का कार्य नहीं करता है। यह कार्य राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालय का है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जल कनेक्शन

75. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कितने गांवों में सार्वजनिक नलकूप लगे हुए हैं तथा सीधी पाइप लाइने बिछी हुई है ?

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक कितने घरेलू कनेक्शन के प्रकरण किन कारणों से लम्बित हैं और कनेक्शन देने में विलम्ब क्यों हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जैतारण नगर में प्रतिदिन कितने गैलन पानी की आवश्यता है ? क्या उसकी पूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या विचार कर रही ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र के 22 ग्रामों में 41 नलकूप है जिनमें से 4 ग्राम सीधे वितरण प्रणाली से जुडे हुए हैं।

(2) घरेलु जल सम्बन्ध का कोई प्रकरण विभागीय कारणों से लम्बित नहीं है।

(3) जैतारण शहर की 3.15 लाख गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता की तुलना में 1.35 लाख गैलन जल वितरित किया जा रहा है। योजना के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिन्हे धन उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकेगा।

Page No. 40

(९०)

सुमेरपुर-तखतगढ़ नगरपालिका के कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

76. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सुमेरपुर और तखतगढ़ नगरपालिका के किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है ? जांच की प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जांच के दौरान किसी कर्मचारी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सुमेरपुर एवं तखतगढ़ नगरपालिका के जिन-जिन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है उनके नाम एवं जांच की प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न हैं।

(सूची के कृपया लिए परिशिष्ट 13 देखें।)

सिवाना में लाइसेंस शुदा पोस्त (डोडे) की दुकानें

77. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में देशी व विदेशी मद्य की कितनी दुकानों हेतु लाइसेंस जारी किये हुये हैं तथा कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितनी पोस्त (डोडा) की दुकानों के लाइसेंस जारी किये हुये हैं व कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लाइसेंस के अन्तर्गत देशी व विदेशी मदिरा की निम्नलिखित दुकानें स्वीकृत हैं :–

देशी मदिरा मुख्य दुकानें

1. सिवाना 2. समदड़ी
2. मौकलसर 4. पादरू

उप दुकानें

1. सिवाना "बी" 2. समदड़ी
3. समदड़ी गांव 4. सावरड़ा
5. मौकलसर स्टे. 6. काठाडी
7. खण्डप 8. राखी
9. रमणिया 10. मजल

विदेशी मदिरा

1. सिवाना 2. समदड़ी

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लाइसेंस के अन्तर्गत पोस्त डोडा की निम्न दो दुकानें स्वीकृत है :–

1. सिवाना 2. समदड़ी

टोडा भीम की पेयजल योजना

78. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1985 से अब तक जिला सवाई माधोपुर में पेयजल की कितनी योजनाएं

(श्री रामस्वरूप)

स्वीकृत की गई ? नाम योजना तथा उनमें शामिल ग्रामों के नामों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये योजना वर्तमान में चालू है ?

(3) क्या ऐसी भी कोई योजना चालू है जो योजना के अन्तर्गत नहीं होते हुए भी स्वीकृत की गई है।

(4) क्या टोडाभीम क्षेत्र में पेयजल के लिए कोई योजना प्रारम्भ की गई ? यदि नहीं, तो अब कब तक चालू करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में 1985 से अब तक स्वीकृत पेयजल योजनाओं की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) संधारण की योजनावार स्थिति भी उपरोक्त परिशिष्ट "क" में दर्शा दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के अधीन सभी ग्राम पेयजल योजनाओं से लाभांवित किए जा चुके हैं। वर्ष 1990-91 में कन्टीजेन्सी कार्यों के अंतर्गत तीन नलकूप, 17 नये हैण्डपम्प व 24 हैण्डपम्पों को गहरा कराने का कार्य स्वीकृत हुआ है जिनमें से 2 नलकूप 8 नये हैण्डपम्प व 6 हैण्डपम्पों को गहरा कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम कुंजेड (अटरू) बस सेवा

79. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में विधान सभा क्षेत्र अटरू के ग्राम कुंजेड तक परिवहन निगम की बस चलती थी ? यदि हां, तो उक्त बस कब व किन कारणों से बन्द की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्ग पर बोरूंदा चौकी से कुन्जेड तक कच्चा रास्ता एवं वर्षा से पानी के कटाव होने के कारण जुलाई, 1987 से बस सेवा बन्द कर दी गई है।

(2) यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। अभी निगम की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर नई बसें लगा सके।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्रामों का विद्युतीकरण

80. श्री हुकमाराम मेघवाल (सिवाना) एवं श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने गांव विद्युतिकृत कर दिये गये है

(श्री हुकमाराम मेघवाल)

तथा कितने शेष हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या शेष गांवों को बिजली से जोड़ने का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो शेष गांवों को कब तक बिजली से जोड़ दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सिवाना विद्युत सब स्टेशन को बालोतरा 32 के. वी. लाइन से जोडने की स्वीकृति के बावजूद अब तक नहीं जोडने के क्या कारण हैं और अब कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम सभा क्षेत्र सिवाना में कुल 133 ग्राम हैं जिनमें से 121 ग्रामों का विद्युतिकरण माह मार्च, 1990 तक किया जा चुका है। शेष 12 ग्राम विद्युतिकरण हेतु ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में स्वीकृत हैं। गांवों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। शेष ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में योजनामद में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) सिवाना को बालोतरा से जोडने के लिए एक 33 के. वी. लाइन माह सितम्बर, 1989 [1989–90] के फेज प्रोगाम में सम्मिलित करने हेतु स्वीकृति की गई थी जिसका प्रारम्भिक सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

अटरू में पानी की टंकी का निर्माण

81. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या अटरू कोटा कस्बे में पानी की टंकी वर्तमान में पूरे कस्बे में पानी देने के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार अटरू में पानी की बड़ी टंकी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

योजना में स्थित टंकी की क्षमता अपर्याप्त है। बड़ी टंकी बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा कार्य धन उपलब्धतानुसार किया जा सकेगा।

विद्युत् कर्मियों की बकाया का भुगतान

82. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य के विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को 1982 में चली 57 दिन की हड़ताल का वेतन आज तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

क्या सरकार हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर हड़ताल की अवधि का वेतन वाजिब नहीं है । अतः सरकार का हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान करने का कोई विचार नहीं है ।

जयपुर शहर की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण

83. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर की सड़कों के किनारे पर जे. डी. ए. द्वारा वृक्षारोपण के कार्यों पर वर्ष 1988–89 व 1989–90 में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा किये गये वृक्षारोपण में जीवित पौधों का औसत प्रतिशत कितना रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य यदि वन विभाग द्वारा कराया जाता तो इससे कम राशि व्यय होती ? यदि हां, तो उक्त कार्य वन विभाग से क्यों नही कराया गया ।

उत्तर

(1) जयपुर की सड़कों के किनारे पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान वृक्षारोपण पर कुल 4.95 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं, तथा किये गये वृक्षारोपण में जीवित पौधों का औसत 65 प्रतिशत रहा है ।

(2) यदि उक्त कार्य वन विभाग द्वारा कराया जाता तो जयपुर शहर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे कम राशि व्यय नहीं होती क्योंकि विभागीय स्तर पर वृक्षारोपण कार्य प्राधिकरण द्वारा भी वन विभाग की जयपुर क्षेत्र के लिए लागू बी. एस. आर. के आधार पर ही कराया जाता है । जयपुर विकास प्राधिकरण में वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों की देख रेख में ही वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में ।
2. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में ।
3. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री रामकरण सिह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्व विद्यालय के विभिन्न संकायों के 12 प्रश्न पत्र आऊट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान की ओर से राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रशासक नियुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी के लिए भिजवा दिये गये उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। उत्तर आने पर निर्णय लिया जायेगा।

8. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से आग की भीषण घटनाओं के परिपेक्ष्य में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिस प्रस्ताव को राज्य सरकार को जवाब के लिए भिजवाया गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। उत्तर आने के पश्चात् उस पर निर्णय लिया जायेगा।

9. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा एवं अन्य 8 सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर की तहसील पहाड़ी के गांव सतवाड़ी में धरने पर बैठे लोगों पर बिना चेतावनी के अन्धाधुन्ध गोलियां चलाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री मदन मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भरतपुर की तहसील पहाड़ी के गांव सतवाड़ी में धरने पर बैठे लोगों पर बिना चेतावनी के अन्धाधुन्ध गोलियां चलाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक 28–6–90 को माननीय मंत्री श्री संपतराम जी वक्तव्य देंगे।

11. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में अवैध व गैर कानूनी निर्माण के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्तावों को राज्य सरकार को 3 दिन में उत्तर देने के लिए भिजवा दिया गया है। राज्य सरकार से उत्तर आने के पश्चात् इस पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले की पचपहाड़ तहसील के

(श्री अध्यक्ष)

तहसीलदार द्वारा किसानों से रिश्वत लेने, अभद्र व्यवहार करने तथा फर्जी रजिस्ट्री करने के संबंध में।

2. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में माह अप्रेल से जून, 1990 तक चलाये गये पेयजल अभियान में अनियमितता के सम्बन्ध में।

3. श्री अमृत लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में यू. एम. डी. एस. प्रा. लिमिटेड को सोफ्ट स्टोन खनिज लीज की गई स्वीकृति के सम्बन्ध में।

4. श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषदों के अधीन से अलग कर शिक्षा विभाग के अधीन करने व 10+2 शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

5. श्री पूनम चन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में ट्रक मालिकों एवं चालकों पर हुई गोली वर्षा एवं लाठी चार्ज के सम्बन्ध में।

6. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के संबंध में।

7. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट होने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत
विशेष उल्लेख

श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, आज से दो दिन पहले हमने मण्डावरी की दुःखद घटना के बारे में इस सदन में चर्चा की थी और उसमें स्थिति यह बनी थी कि पुलिस की मौजूदगी में दस व्यक्तियों की वहां हत्या कर दी गई और एक इतना गम्भीर रूप से घायल हुआ था कि उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। दसों लोगों के और चोटे आयी। उनके मकान डाइनामाइट लगाकर उड़ा दिये गये लेकिन पुलिस ने न फायरिंग किया, न किसी प्रकार का बल प्रयोग किया।

दूसरी यह घटना है जोधपुर की कल शाम के वक्त की। जोधपुर के म्यूनिसिपल क्षेत्र के अन्दर पुलिस ने गोली चलाई। जिन पर गोली चलाई वह 15 या 20 से ज्यादा लोग होंगे नहीं और दोनों पार्टी में टंटा यह है कि जोधपुर में ट्रक यूनियन और वहां के व्यापारियों के आपस में महिने भर से विवाद चल रहा था। एक दूसरे को वह सभी अच्छी तरह से जानते हैं। यह फायरिंग केवल इस कारण हुआ है कि व्यापारियों का यह कहना है कि अब राज हमारा हो गया है....

(५६)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295 में पढ़ने का है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जबानी वह की वह बात ही कहनी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप पढ़ दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत दिनांक 27-6-90 को जोधपुर में ट्रक मालिकों एवं चालकों पर गोली वर्षा एवं लाठी चार्ज के के सम्बन्ध में।

पिछले 40–45 दिनों से जोधपुर ट्रक ओपरेटर्स यूनियन एवं जोधपुर के व्यापारियों के बीच माल ढोने के प्रश्न को लेकर विवाद चल रहा था और प्रशासन सभी मर्यादाओं को छोड़कर व्यापारियों को खुली मदद दे रहा था दिनांक 27–6–90 को सांयकाल 3 से 6 बजे के बीच ट्रक यूनियन की बात न मानकर व्यापारियों एवं पुलिस की शह पर कुछ ट्रक भरकर पाली की तरफ रवाना किये ट्रक यूनियन वालों ने सड़क पर खड़े होकर इन ट्रक वालों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर वे इस तरह यूनियन की परम्पराओं को तोड़कर ट्रक भरेंगे तो जोधपुर जिले के ट्रक वाले बरबाद हो जायेंगे। यह वार्तालाप चल ही रहा था कि व्यापारियों के इशारे पर पुलिस ने पहले लाठियों से पिटाई शुरू कर दी और बाद में अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई जिससे अनेक लोग घायल हो गये। कई लोगों को गोलियां लगी हैं व कइयों के लाठियों की गम्भीर चोटे आई हैं। पांच-छः लोगों की हालत गम्भीर होने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

यह घटना जोधपुर शहर की म्यूनिसिपैलिटी की सीमा क्षेत्र में हुई है एवं ट्रक रोकने वालों की संख्या 30–35 से अधिक नहीं थी। घटना स्थल पर 10–15 मिनिट में अधिक पुलिस बल को भी भेजा जा सकता था पर प्रशासन ने निर्दयता पूर्वक 11 चक्र गोली चला दी। यह घटना बहुत ही दुखद, अन्यायकारी एवं आश्चर्यजनक है इसमें दोषी पुलिस कर्मियों को तुरन्त निलम्बित किया जावे एवं उन पर मुकदमा दायर कर उनको गिरफ्तार किया जावे।

यह मैंने प्रस्ताव दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह से परिचित हैं, कि हमारे प्रशासन और न्याय व्यवस्था का आधार ब्रिटिश शासन और उस पद्धति के ऊपर आधारित है जिसमें मनुष्य के जीवन की, उसकी मर्यादा की रक्षा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है। विषय ऐसा दर्दनाक है, फायरिंग कर दिया जोधपुर सिटी के अन्दर, कोई अनियन्त्रित भीड़ नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : लिखा है वही पढ़िये, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रख रहें हैं आप। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गोलियां चलाई हैं उससे ज्यादा दुःखद घटना और अन्याय पूर्ण बात हो नहीं सकती (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये। सामान्यतः 295 में ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : घटना के सन्दर्भ में आप अच्छी तरह से परिचित हैं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आपके राज में यह अन्याय हो रहा है उन पर मुकदमा निश्चित् तौर पर चलाइये।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात, सुन लीजिये। सामान्यत: 295 में जो आपने लिखित में दिया है,वहीं यहां पर नोट होगा उसके बाद आगे और पीछे जो भी आप बोलते हैं नोट नहीं होता हैं केवल आपने जो लिख कर दिया है वही आता है घटना आप कह रहें है गम्भीर है तो एज ए स्पेशल केस इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात कह लीजिये ज्यादा नहीं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अपने यहां पर एक गलत धारणा चलती हैं और उसका मुख्य मंत्री जी और मंत्री गण एवं अधिकारी भी हवाला भी देते रहते हैं कि हमने हवा में गोलियां चलाई। गोली हमेशा इसलिए चलाई जाती है कि स्थिति काबू में नहीं थी, गोली चलाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था और गोली सिर्फ व्यक्ति को मारने के लिए चलाई जाती है उसके पीछे इरादा यह होता है। गोली उसी स्थिति में चलाई जाती है जब गोली चलाने के लिए पर्याप्त कारण हो, दूसरा कोई विकल्प बचता ही नहीं हो तो गोली चलाई जाती है और जो मजिस्ट्रेट रहे हुए लोग हैं वह या जो कानून के परिचित हैं वह जानते हैं कि गोली चलाने के लिए इशारा करना पड़ता है भीड़ की तरफ और उसमें कहना पड़ता है कि फलां व्यक्ति उत्पात मचाने में सबसे अगुवा है इस पर गोली चलाई जाये। यह कायदा है इसका मतलब यह है कि कानून से गोली चलाई है तो मारने के इरादे से चलाई है हवाई फायर नाम की कोई चीज, कानून इसकी स्वीकृति नहीं देता। मारने के लिए अगर उन्होंने गोली चलाई है तो सीधा सादा 307 का केस बन जाता है। यह जोधपुर म्यूनिसिपल क्षेत्र में जहां पर इतनी आर. ए. सी. मौजूद है, अपनी लाइन के अन्दर आर्मी पुलिस के लोग मौजूद हैं, बी. एस. एफ. मौजूद है, बहाना ले लेंगे कल कह देंगे हमारे शस्त्र छीन कर ले जा रहें थे इसलिए आत्म रक्षा में गोली चला दी। यह तो कोई भी कांस्टेबल कभी भी कह सकता है। जब यह तीस–चालीस आदमी जाने–माने आदमी थे जिनसे रात दिन वह वार्तालाप करते थे, मान लीजिये शस्त्र छिन जाते तो कोई डकैत तो थे नहीं जो शस्त्र छीन कर कहीं गायब हो जाते। जाने–माने आदमी थे कानून के लम्बे हाथों से वह कहां जा सकते थे। कई तरह के विकल्प होते हुए किन्हीं विकल्पों का सहारा नहीं लिया और व्यापारियों के इशारे पर गोली चलाई, वह भी 11 चक्र गोली चलाई जो अपने आप के अन्दर एक बहुत अधिक ही जिसको बल का प्रयोग कहते हैं, यह बल प्रयोग की अति है। इसलिए मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। नहीं तो हम फिर इसे और बड़े मायने में उठायेंगे तत्काल आपको सूचित किया है उन अधिकारियों, जिन्होंने गोली चलाई सस्पैण्ड किया जाये, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाये और इस बात की जानकारी ली जाये कि इस तरह से यह गोलियां चलाई जाने लगेगी तो यह अन्याय की पराकाष्ठा ही हो गई।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर। (व्यवधान) इसमें डिबेट अलाऊ नहीं होगी। माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर इस तरह से फायरिंग हुआ एक बात कहना चाहता हूं। आप गोली चलाते हैं अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर मामला है इसको रोका जाना चाहिये। बात बात पर गोली चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाऊन।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने सतवाड़ी में गोली चला दी वहां की जनता पानी मांग रही थी उसके ऊपर गोली चला दी.... (व्यवधान) आपने जोधपुर के अन्दर गोली चला दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां डिबेट नहीं होगी। आप बैठिये। मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। बात क्या थी ? आप बैठिये कोई बात नहीं थी। मैं आपको अलाऊ नही करता हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गोलियां....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय गहलोत में आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले की पचपहाड़ तहसील में तहसीलदार द्वारा किसानों के साथ अत्याचार और भयंकर रिश्वतखोरी हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये अपना।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, आये दिन तहसीलदार द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। दिनांक 20-4-90 को मिसरोली निवासी मथुलाल पाटीदार से दो हजार रुपये रिश्वत के लिये इसी प्रकार कई और फर्जी रजिस्ट्री करके किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्वमंत्री जी यहां बिराजमान है तो तहसीलदार की जांच करवा कर उसको सस्पैण्ड किया जाये ताकि जो भ्रष्ट अधिकारी है, तहसीलदार है उनको और सजा मिल सके और आगे भी इस प्रकार और कोई करे नहीं किसानों पर अत्याचार। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मैं, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का और विशेष कर पी. एच. ई. डी. मंत्री जी का ध्यान अभी पेयजल समस्या के समाधान के लिए जो राज्य सरकार ने.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरन्त जवाब दिया जाये। ऐसे गम्भीर मसले पर भी आप जवाब नहीं देंगे तो होगा क्या।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार को आप बाध्य नहीं कर सकते सरकार ने तो स्वयं कहा है अध्यक्ष महोदय, हम तो तुरन्त जवाब देंगे। लोग मर जायेंगे तब .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह इश्यू नहीं है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल इश्यू का नहीं है, लोगों के मरने का है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी बात कर रहे हैं, आपके सचेतक बात कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी से ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय विश्नोई जी तो स्वयं हमारे नेता महोदय से....

श्री अध्यक्ष : वह बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरन्त जवाब दिया जाये ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय एक के बाद एक फायरिंग । इसका मतलब यह है अध्यक्ष महोदय, यह मिली जुली सम्मिलित सरकार बनी है जनता पार्टी की और जनता दल की, यह ट्रिगर फ्री हो गई है । अभी एक महीने के अन्दर तीन जगह गोलियां चलाई है यह बहुत ही शर्मनाक बात है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब । मेघवाल जी, आप पढ़ते क्यों नहीं हैं ।

श्री निर्भय लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाया जाये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला अध्यक्ष महोदय, गोलियां चल जाती हैं लोग मर रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी, आप यह तय करके आये हैं कि मुझे सजा दी जाये तो मैं खड़ा हूं । मैंने इस प्रश्न पर विश्नोई जी को बोलने की इजाजत दी है, आउट ऑफ वे जाकर में मुख्य मंत्री जी और विश्नोई जी बात कर रहे हैं इसकी गम्भीरता को मानकर बात करने गये हैं । आपके मुख्य सचेतक जी गये हैं । अब आप बिराजिये ।

श्री निर्भय लाल : बहुत ही गम्भीर विषय है । गोलियां चल जाती हैं, अध्यक्ष महोदय, लगातार गोलियां चल रही हैं और इसका जवाब नहीं ।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक माह में कितने स्थान पर कितनी बार गोली चलाई है ?

श्री अध्यक्ष : कितनी बार कहोगे आप, कह चुके हैं । आप बिराजिये । बात हो रही है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : जितनी बार सरकार गोली चलायेगी उतनी बार हम कहेंगे दस बार चलायेगी, बीस बार चलायेगी तो हम कहेंगे । ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतनी इज्जत तो रखेंगे सदन की महान कुर्सी की (व्यवधान) में खड़ा हूं माननीय सदस्य मैं खड़ा हूं, सामान्य मर्यादा भी आप अध्यक्ष की नहीं रखेंगे, इस कुर्सी की इज्जत नहीं रखेंगे और आप मुझसे बार-बार संरक्षण मांगते हैं, वह संरक्षण मैं कहां से दूंगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप गोलीकाण्ड को बन्द कराओ, आपसे माफी मांगता हूं इसके लिए ।

Page No. 50

(50)

श्री अध्यक्ष : मै खड़ा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। पार्लियामेण्ट्री प्रेक्टिस आप मेज की उठाकर देख लीजिये। अपोजीशन को जो मान्यता वहां पर है और अपोजीशन की बात हाऊस ऑफ कॉमन्स में रखी जाती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इतनी निरकंश हो रही हैं कि आप हमारे ऊपर तो अंकुश लगाते हैं लेकिन यह थोड़े ही है कि सरकार....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मदेरणा जी, आपके दल के लोग हैं उनको थोड़ा इन्स्ट्रक्सन्श दीजिये कि उनको कब बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : 295 का जवाब नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी सराफ आप बैठिये। आप बोलिये, आप बोलते जाइये। (व्यवधान)

आप बिराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सम्माननीय अध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और बिशेषकर पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। राज्य सरकार द्वारा विशेषकर पेयजल समस्याओं के मामले में....(व्यवधान)

बहुत कुछ हो गया, अब बोलने दीजिए। आप बहुत सीनियर हैं।

श्री अध्यक्ष : You go on। यह आपका काम नहीं है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : राज्य में इस वर्ष भारी पेयजल संकट रहा। सरकार ने इसके समाधान के लिए विशेष अभियान माह अप्रेल से जून महीनों में चलाकर पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य किया, जिसके तहत पुराने खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने, जिन हैण्ड पम्पों का जलस्तर नीचे चला गया था उनकी पुनः खुदाई करवाना, पाइप लाइन बदलवाना, नये हैंडपम्प लगाना आदि रहा है। इस अभियान में बून्दी जिले में अधिकारियों द्वारा सरकारी राशि का भारी दुरूपयोग किया गया है। कार्य कागजों में बताया गया और वास्तव में सुधार या समाधान जो हुआ है उसमें भारी अन्तर है।

अतः मेरी मांग है कि राज्य सरकार इस अभियान में किये गये कार्यों का विवरण निम्न रूप से पेश करें ताकि वस्तु स्थिति से सरकार जनता एवं स्वयं मैं भी जान सकूं कि सरकार के पैसे का सदुपयोग हुआ है या किस तरह से अधिकारियों ने उसका दुरुपयोग किया है।

(1) कितने हैण्डपम्प किन-किन ग्राम पंचायतों में खराब थे। उनमें से कब-कब उनको ठीक करवाया गया ? इन पर कितनी राशि (सामान आदि-पार्ट) उसमें लगाये गये। बून्दी जिले में कितने पार्ट कौन-कौन सी कितनी राशि के कहां-कहां से खरीदे या सरकारी स्टोर से प्राप्त किया गया है इसका विवरण दिया जावे।

(2) कितने हैण्डपम्पों का जल स्तर नीचे जाने के कारण पुनः खुदाई करवाई गई ? ग्राम पंचायतवार कहां-कहां पर एवं इन पर कितनी राशि व्यय की गई ? और

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

किन-किन हैण्डपम्पो में नई पाइप लाइन डाली गई इसका विवरण दिया जाये।

(3) राज्य सरकार द्वारा कितने हैण्ड-पम्प ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नये लगाये जाने के कहां-कहां प्रस्ताव थे और कहां-कहां लगाये गये ? इनमें से कितने हैण्ड-पम्प अनुसूचित जाति के मौहल्लों में लगाये गये ? स्थान वाइज सूचना देते समय यह भी बताया जाय कि क्या पूर्व में वहां हैण्ड-पम्प लगे हुए थे ?

(4) इस अभियान में कितनी मशीनें सरकारी एवं किराये की मशीनें कहां-कहां कब तक काम में ली गई ? और किराये की मशीनों का कितना किराया किस दर से किस-किसको चुकाया गया ?

(5) इस अभियान में कितना स्टाफ कार्यरत रहा। उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का अभियान के तहत किये गये सरकारी दौरे का विवरण मय तारीख के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी खजाने से उठाया गया या बिल बनाकर उठाये जाने की योजना है।

(6) इस अभियान में कितनी जीपें कौन-कौन से नम्बर की कब-कब किस-किस से किराये पर ली गई और उनको कितनी राशि चुकाई गई ?

मान्यवर, इस अभियान में भारी अनियमिततायें हुई है। मैने इसके लिए 2 जून, को जिला परिषद की बैठक में भी यह मामला उठाया। मैने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं विभिन्न मदों में की गई राशि का विवरण 10 दिनों में देने के लिए कहा, है टाल गये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है जो मानवीय समस्याओं से जुड़ा हैं। इसमें टालमटोल किया गया है।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के 295 के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि इसकी पूर्ण इन्क्वायरी करवाई जाये, दोषी अधिकारियों द्वारा सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया उनके खिलाफ जांच करवाई जाये और सरकार का पैसा उनसे वसूल किया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमृत लाल जी।

श्री अमृत लाल (बाली) : माननीय अध्यक्ष जी, भीलवाड़ा जिले के अन्दर यू. एम. डी. एस. प्राइवेट लिमिटेड के नाम कब से कब तक के लिए सोफ्ट स्टोन खनिज लीज की स्वीकृति की गई है और कब-कब कितने-कितने समय के लिए उनका नवीनीकरण किया गया।

क्या यू. एम. डी. एस के उक्त स्वीकृत सोफ्ट स्टोन खनिज क्षेत्रों में कभी कुछ कटौती भी हुई है। यदि हां तो, कब, कितने, कैसे व क्यों हुई। पूर्ण विवरण व कारण बताया जावे।

क्या इस कटौती के क्षेत्र को यू. एस. डी. एस. द्वारा राज्य को समर्पित किया गया, राज्य द्वारा अधिग्रहीत किया गया यदि हां तो कब।

यू. एम. डी. एस. के छूटे इन सोफ्ट स्टोन खनिज लीज हेतु आवेदन किया गया।

(श्री अमृत लाल)

यदि हां, तो गोलछा मिनरल के कितने आवेदन पत्र कब-कब व किन-किन क्षेत्रों पर प्राप्त हुये तथा उन आवेदनों को स्वीकृत किया गया था या अस्वीकृत। यदि अस्वीकृत किये गये, तो किन कारणों से।

यू. एम. डी. एस. को सोफ्ट स्टोन खनिज क्षेत्रों की कटौती हुए क्षेत्रों में गोलछा मिनरल प्रा. लिमिटेड के जयपुर में पाइरोप्लाइट खनिज हेतु आवेदन किया। यदि हां, तो क्या उनके आवेदन स्वीकृत किये गये तो स्वीकृति कब व किस के आदेशों से किन नियमों के तहत दी गई।

यू. एम. डी. एस. एवं पाइरोप्लाइट के आवेदनार्थी गोलछा मिनरल प्रा. लिमि. जयपुर में क्या कोई सम्बन्ध है एवं इन दोनों का मालिक कौन है।

पाइरोप्लाइट में स्वीकृत इन्हीं क्षेत्रों को सोफ्ट स्टोन का मानते हुए 28 सितम्बर 1982 की विभागीय विज्ञप्ति को 7 अक्टू., 1982 के बजट में प्रकाशित कर उन्हें अनुदान हेतु रिक्त घोषित किया गया और सर्व साधारण से आवेदन पत्र मांगे गये।

नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन से पूर्व प्राप्त खनिज आवेदन-पत्र वैधानिक होकर स्वीकृत योग्य होते हैं या अवैधानिक एवं अस्वीकृति योग्य।

उक्त क्षेत्रों के गजट नोटिफिकेशन के बाद मगर गजट नोटिफिकेशन से पूर्व लगी एवं अस्वीकृत पाइरोप्लाइट लीजों में आवेदनार्थी गोलछा मिनरल ने सोफ्ट स्टोन जुड़वा लिया गया।

यू. एम. डी. एस. का कटौती वाले इन सोफ्ट स्टोन क्षेत्रों में गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं उनकी क्या स्थिति है।

क्या गोलछा मिनरल ने पाइरोप्लाइट और सोफ्ट स्टोन दोनों में उत्खनन कार्य किया है यदि हां, तो पाइरोप्लाइट व सोफ्ट स्टोन दोनों में अलग–अलग वर्षों में कहां–कहां से कितनी रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त हुई है इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री फूल चन्द गूर्जर।

श्री फूल चन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 295 के तहत प्रस्ताव है–"राजस्थान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयो को जिला परिषदों के अधीन से अलग कर शिक्षा विभाग के अधीन करने व दस जमा दो शिक्षा पद्यति में सुधार या समाप्त करने बाबत।"

मान्यवर,

निवेदन है कि पूर्व सरकार ने ग्रामीण शिक्षा को चौपट करने के तहत मिडिल स्कूलों को जिला परिषदों के अधीन करके प्राइमरी शिक्षा के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा को चौपट कर दिया। शिक्षा का मखौल किया जा रहा है तथा शिक्षा में राजनीति फैलाई गई है। इससे शिक्षा का स्तर दिनों-दिन कम हो रहा है। अध्यापक अपनी ढ़पली व नोकरी को सुरक्षित रखने के लिए प्रधान प्रमुखों तथा उच्च स्तर के नेताओं की खुशामद में लगे हुए हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उठाये गये विशेष उल्लेख के उत्तर दिलवाने के सम्बन्ध में।

श्री बुलाकी दास कल्ला : प्रान ए पांइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि 295 के मसले जब उठाये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फूलचंद जी साहब, आप बिराजें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : संबंधित मंत्रीयों को यहां पर सदन में मौजूद रहना चाहिये। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रसंग यहां पर चल रहा है माननीय मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि 295 के मसले जो पिछली विधान सभा में उठाये गये थे उनके उत्तर आज दिन तक हम लोगों को नहीं मिले हैं जब कि आसन की ओर से यह व्यवस्थायें दी गई हैं कि सामान्यत: सात दिन में जो प्रश्न यहां उठाये जाते हैं उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को भिजवा दिये जायें तो आप इस संबंध में व्यवस्था दें और मंत्रियों को हिदायत दें कि....वे यहीं बिराजें....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री फूलचन्द गुर्जर : यह सही है कहा है कि यहां केवल 295 पढ़ने से ही....

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, आप क्यों बोल रहे हैं मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय कल्ला साहब कैबिनेट के मेम्बर रह चुके हैं और जानते है कि कैबिनेट की ज्वाईंट रेसपांसिबिलिटी है मंत्रीमण्डल के सदस्य यहां बैठे हैं, नोट कर रहे हैं। आवश्यक नहीं है सम्बन्धित मंत्री ही मौजूद रहें। 295 के सारे के सारे जवाब राज्य सरकार की तरफ से सम्बन्धित विभाग की तरफ से विधान सभा में आ चुके हैं.. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं आये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, 7 दिन में जवाब आ जाने चाहिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रक्रिया के नियमों को एक बार पढ़ लीजिये (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बिराजें। पिछले सैशन में जितने भी 295 के प्रश्न उठे थे उन सब के जवाब सरकार से हमारे पास आ गये हैं और चूंकि यह सैशन शुरू होने से पहले दो-तीन दिन पहले मंगा लिए हैं। सरकार से जवाब अब आ गये हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमको नही मिले।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है, यहां से डिस्पेच हुए हैं, आप के पास नहीं पहुचे हैं या अभी डिस्पेच होने हैं वह मैं आफिस में देख लूंगा, बाकी पूरे अवश्य 295 के सरकार के पास से आ चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप समय सीमा दे दें।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री फूल चन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

था कि ग्रामीण शिक्षा किस तरह से चौपट हो रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का शिक्षा का स्तर बहुत कम रहता है तथा ग्रामीण छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने में पिछड़ रहे हैं। आज ग्रामीण शालायें खोलने व क्रमोन्नत करने में तो कोई कमी नहीं रखी परन्तु उनकी हालत सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। काफी शालाओं में प्रर्याप्त भवन नहीं है। शाला में अनुपात के अनुसार अध्यापक नियुक्त नहीं किये गये। आज भी 25 या 30 हजार अध्यापकों की उक्त शालाओं में कमी है। जिससे ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः अब नई सरकार को उन शालाओं की दशा सुधारने के लिए निम्न पहल करनी चाहिये जिससे ग्रामीण शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। मेरे सुझाव हैं– सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त भवन बनाये जावें। उक्त शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों के मापदण्ड के अनुसार की जावे तथा अतिशीघ्र खाली पदों को भरा जावे। बच्चों की शिक्षा में आने वाले सभी साधन व उपकरण उपलब्ध कराये जायें, शालाओं में केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही लगाये जायें तथा लोकल अध्यापकों को उनके स्वयं के गांव में नहीं लगाया जावे।

उपरोक्त सुधार के लिए सरकार अतिशीघ्र ठोस कदम उठाये, तब ही ग्रामीण शिक्षा में सुधार हो सकता है। इसके अलावा आप ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कुछ शालाओं में ही केवल मात्र दस जमा दो शिक्षा पद्धति शुरू करके ही ग्रामीण शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते। जो भी ग्रामीण शिक्षा की इन शालाओं में इस प्रकार की विसंगति पैदा हो रही है, पुरानी और नई शिक्षा में काफी अन्तर है, पुरानी और नई शिक्षा में काफी बदलाव है, इसके लिए विभाग के पास पर्याप्त प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। इसके बावजूद भी अचानक यह पद्धति लागू की गई है इससे भी ग्रामीण शालाओं के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, इससे भी छात्रों की शिक्षा में गिरावट आई है। अतः दस जमा दो की शिक्षा में या तो सुधार किया जाये, या इसे समाप्त किया जाये। अतः शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 80 प्रतिशत जनता के भविष्य का यह अहम् सवाल है। आज शिक्षा में दिनों दिन ग्रामीण छात्र पिछड़ रहे हैं। उनका प्रतिशत बढ़ाने के लिए इसमें अतिशीघ्र सुधार की आवश्यकता है। तभी ग्रामीण छात्रों का असंतोष कम हो सकता है अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। जिससे भयंकर रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा असंतोष दिनों-दिन बढ़ता जायेगा। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दो जुलाई को शालायें खुलने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असंतोष है कि उच्च प्राथमिक शालाओं का जो स्तर गिरा है, इससे सभी अपने बच्चों को पब्लिक शालाओं में भरती करवाने के लिए सोच रहे हैं जिनके पास आय के साधन भी बहुत कम है। इस लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा यही निवेदन है कि दो जुलाई से पहले इस शिक्षा में सुधार के लिए पंचायतों की उच्च प्राथमिक शालाओं को शिक्षा विभाग में देने के लिए घोषणा करें। मैं माननीय

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसी भयंकर समस्या है....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये । भाषण मत दीजिये ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : इससे ग्रामीण शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है इस लिए वह इस दो जुलाई को खुलने वाली शालाओं से पहले इस प्रकार का आश्वासन दें कि हम अतिशीघ्र उच्च प्राथमिक शालाओं को जिला परिषदों से हटा कर के शिक्षा विभाग को देंगे तभी गांव के छात्रों का उत्साह बढ़ेगा, शिक्षा में रूचि बढ़ेगी और अभिभावकों को इस बात का सन्तोष होगा कि उनकी ग्रामीण शिक्षा में सुधार किया जा रहा है । अतः महोदय, यह अति लोक महत्त्व का सवाल है । मैं 295 के तहत में पुनः मांग करता हूं कि उच्च प्राथमिक शालाओं को अतिशीघ्र जिला परिषदों से हटाकर शिक्षा विभाग में दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम् सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । आपने पढ़ लिया ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : आपकी मार्फत में इतना ही चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी और अगर करेगी तो कितना जल्दी ? यह ग्रामीण शिक्षा का बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल है । इसलिये मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि वह विश्वास दें कि इस पद्धति में सुधार किया जायेगा यह बहुत ही अहम् सवाल है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : आपकी तरफ से आश्वासन दे दें ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

माननीय बुलाकीदास जी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा 35 से 38 प्रतिशत पुस्तकों की कीमत बढ़ाने और 1 जुलाई से स्कूलें खुल रही है लेकिन एक महिने तक और पुस्तकें उपलब्ध न होने से अभिभावकों और विद्यार्थियों को इतना कष्ट होगा इसके बारे में और राजनैतिक तौर पर जो व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था उसको बन्द करने पर क्या स्थिति है, उसके बारे में आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

शैक्षणिक सत्र 1989–90 में राजकीय चौपड़ा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर में व्याबसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नर्सिंग एवं फार्मेसी विषय प्रारम्भ किया गया एवं इन विषयों के लगभग 240 विद्यार्थियों से वांछित शुल्क प्राप्त कर विद्यालय में प्रवेश दे दिया एवं उनकी कक्षायें विधिवत प्रारम्भ कर दी गई । मैं स्वयं शाला में जाकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्थायें देख कर आया एवं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनके प्रायोगिक कार्यों एवं प्रयोगशाला में आवश्यक व्यवस्थाओं को करने हेतु कहा। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भी बीकानेर दौरे के समय पी. बी. एम. अस्पताल बीकानेर के अधीक्षक के साथ मेरी उपस्थिति में वार्ता कर नर्सिंग की कक्षायें, फार्मेसी की कक्षाओं के लिए पी. बी. एम. अस्पताल में उन्हें चलाने तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वार्ता कर उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिये। शिक्षा विभाग की ओर से आदेश एवं निर्देशों के बाद ही यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ था परन्तु विभाग ने आनन फानन में एक आदेश जारी कर इन पाठ्यक्रमों को बन्द कर दिया। जिसके कारण पिछले लगभग 8 महिनों से जो नर्सिंग एवं फार्मेसी की कक्षायें वहां विधिवत् रूप से चल रही थी, कक्षायें यका-यक बन्द करने से विद्यार्थियों का भविष्य अधरझूल में लटक गया है। बीकानेर का विद्यार्थी आन्दोलनरत है नर्सिंग एवं फार्मेसी के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाये। वहां उन्हें न्याय मिला एवं न्यायालय ने आदेश दिया है कि वह कई महिने बाद कक्षाओं में प्रवेश लिए हुए विद्यार्थियों के साथ आदेश देकर कक्षाओं को बन्द नहीं कर सकते। न्यायालय ने....कक्षाओं को बंद करने संबंधी आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया। इसके बावजूद आज तक राजकीय चौपड़ा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर एवं नर्सिंग एवं फार्मेसी से सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की कक्षायें पुनः शुरू नहीं हुई है। एक ओर शिक्षा विभाग न्यायालय के स्थगन आदेश की अनदेखी कर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लगभग 240 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले में माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नर्सिंग एवं फार्मेसी की कक्षायें शिक्षा विभाग के समक्ष अधिकारियों के आदेश से प्रारम्भ हुई थी ? यदि हां, तो इसे क्यों बन्द किया गया ? किस के आदेश से बन्द किया गया ? लगभग आठ (8) महीने तक पढ़ाई करने के बाद पाठ्यक्रम बन्द करने का क्या औचित्य था ? विद्यार्थियों के समय के हर्जाने का जिम्मेदार कौन है ? क्या शिक्षा विभाग 240 विद्यार्थियों को इसका हर्जाना एवं क्षतिपूर्ति राशि देगा ? इन सभी ज्वलन्त प्रश्नों पर विचार कर एवं उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का आदर करते हुए अविलम्ब नर्सिंग एवं फार्मेसी की कक्षायें पुनः प्रारम्भ की जावे अन्यथा बीकानेर के विद्यार्थी राजनीतिक तौर पर इन कक्षाओं को जान-बूझ कर प्रारम्भ न करने वाली सरकार के खिलाफ जन आन्दोलन करेगा।

मैं आशा करता हूं कि जन हित में अविलम्ब कक्षायें आरम्भ करने एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाने हेतु सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित आठवीं कक्षा तक की कई पुस्तकें राजस्थान के बाजारों में उपलब्ध नही है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आगामी दो जुलाई 1990 को नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है लेकिन बाजार में किसी भी कक्षा की सभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान में पहली बार पुस्तकों की आपूर्ति राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा इतनी देर तक न होने से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में भारी रोष है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल ने पुरानी पुस्तकों के मूल्यों में 35 से 38 प्रतिशत तक ऐतिहासिक अभिवृद्धि की है साथ ही पाठ्यक्रम में नई पुस्तकें भी शामिल कर दी हैं। इसकी जानकारी छात्रों एवं अभिभावकों तक अभी तक नहीं पहुंची है। पाठय पुस्तको के मूल्यों में 35 से 38 प्रतिशत तक की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। पाठ्य पुस्तकों में इस अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। व्यापारियों के पास कितना स्टॉक है इसका कोई पता नहीं। अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा एवं विद्यार्थियों को महंगी कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध होगी। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों से सांठगांठ कर कीमतों में वृद्धि की है। पुरानी पुस्तकों का पर्याप्त स्टॉक विद्यमान होने पर भी मूल्य वृद्धि क्यों की गई, आज घर-घर इस बात की चर्चा है।

राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल का बीकानेर में जो डिपो है जहां कक्षा 6 की दो-तीन पुस्तकों को छोड़ कर अभी पुस्तकें आनी शेष है। इस डिपो से ही नागौर, श्री गगानगर, नोहर, हनुमानगढ़ उप वितरण केन्द्रों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है।

बीकानेर के डिपो से बीकानेर शहर में पुस्तकों की आपूर्ति 3 माह पूर्व बंद कर दी गई। दूसरी ओर श्री गंगानगर की फर्में काफी मात्रा में पुस्तकें पहिले ही ले जा चुकी हैं लेकिन वहां भी पाठ्यक्रम के मुताबिक पूरी आपूर्ति का इंतजार है। कक्षा एक की हिन्दी की पहली पुस्तक, कक्षा दो की अविभक्त इकाई, कक्षा तीन व चार की हिन्दी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 6 की हिन्दी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और अंग्रेजी, कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन (विज्ञान), पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान। कक्षा 5 की सामाजिक ज्ञान और संस्कृत कक्षा 7, ऐसी ही पुस्तकें हैं जो बीकानेर डिपो पर उपलब्ध नहीं है। कक्षा एक, तीन व 6 के लिए नई पुस्तकें भी शामिल की गई है। डिपो पर पुराना स्टॉक पड़ा है लेकिन इतना नहीं है कि पूरे बीकानेर को सप्लाई की जा सके। नागौर और हनुमानगढ़ को सप्लाई की जा सके। इससे एक बार सप्लाई शुरू की जा सकती है लेकिन इसे निरन्तर जारी रखना सम्भव नहीं लगता। अभी तक ऊपर से सप्लाई के आदेश 28 जून तक भी नहीं हुए हैं। राज्य में पाठ्य पुस्तक मण्डल के बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नोहर समेत 44 राज्य के वितरण केन्द्र हैं जहां किसी पर भी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। यही स्थिति रही तो सत्रारम्भ होने तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। कहने को सत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह में आरम्भ हो रहा है, परन्तु विद्यार्थियों को पुस्तकें जुलाई माह के अंत तक भी मिलना सम्भव नहीं है। ऐसा आज तक पहले शिक्षा सत्र में पहिले कभी नहीं हुआ। पुस्तकों के अभाव

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में विद्यार्थियों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। नए मूल्य बढ़ाये गये हैं इसके अनुसार कक्षा एक अविभक्त इकाई के लिए हिन्दी की नई पुस्तक पांच रुपये में मिलेगी जबकि पिछले वर्ष इसकी कीमत तीन रुपये चालीस पैसे थी। कक्षा दो अविभक्त इकाई की हिन्दी पुस्तक जिसकी कीमत ढ़ाई रुपये थी अब 3 रुपये चालीस पैसे में बिकेगी।

कक्षा तीन में हिन्दी, गणित और पर्यावरण अध्ययन की नई पुस्तकें शामिल की गई हैं। सामाजिक ज्ञान व सामान्य विज्ञान को मिलाकर पर्यावरण अध्ययन नाम से कई पुस्तक लागू की गई। नए मूल्यों की घोषणा जून के प्रथम सप्ताह में की गई। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल जिसे सस्ती दर पर कागज मुहैया कराया जाता है और नो लोस नो प्रोफिट के आधार पर वह अपना कार्य करता है लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है अध्यक्ष महोदय, पुस्तकों की 35 से 38 प्रतिशत मूल्य वृद्धि गैर वाजिब है तथा पुराने स्टॉक की पुस्तकों को नये मूल्यों पर बेचना बिल्कुल अनुचित है। छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर कापियां भी नहीं मिल सकेंगी। ऐसा आदेश भी पहली बार जारी हुआ है, जिससे भी छात्रों में रोष है। उपरोक्त स्थिति राज्य के संभागीय सभी मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर तथा राज्य के 44 पुस्तक वितरण केन्द्रों में विद्यमान है। अतएव शिक्षा विभाग उपरोक्त गम्भीर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब पुस्तको को ब्लेक में बेचे जाने पर रोक लगायें तथा साथ ही पुराना स्टॉक पुराने मूल्य पर बेचा जाय, अतिशीघ्र पुस्तकें सभी वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जायें और शिक्षण सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाकर ऐसे निर्देश शिक्षा विभाग को जारी करने चाहिये ताकि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को राहत मिल सके। अन्यथा राजस्थान के विद्यार्थी पुराने स्टॉक की पुस्तकें जो व्यापारियों एवं पाठ्य पुस्तक मण्डल के पास है उसे बढ़ी कीमतों पर बेचे जाने पर सरकार को कोसेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। इस घोटाले की सीधी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कर्मचारियों की होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से उठाये गये हैं, इन दोनों नर्सिंग एवं फार्मेसी की कक्षाओं को पुनः प्रारम्भ करने और पाठ्य पुस्तक मण्डल से पुराने मूल्य की जो पुस्तकें हैं उनको पुराने मूल्य पर बेचे जाने और पुस्तकों को उपलब्ध कराने के बारे में सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी और ब्लेक में जो पुस्तकें बिक रही हैं उसके ऊपर भी रोक लगायेगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक मिनट बोलना चाहता हूं आपकी अनुमति से। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो समस्या खड़ी की है, अब मैं उसकी भूमिका में नहीं जाना चाहता कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई, किसके कारण से उत्पन्न हुई और किसको इसकी आलोचना का शिकार बनना पड़ रहा है लेकिन आपने जो स्थिति बताई है, मैं चाहूंगा आप और शिक्षा मंत्री जी दोनों बैठकर इस समस्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का क्या समाधान हो सकता है वह निकाल ले, सरकार इसके लिए तैयार है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के उप शिक्षा मंत्री जी के समक्ष 295 के तहत एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि इतना महत्वपूर्ण मसला इस 295 के तहत मैंने उठाया है। यद्यपि यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी आ सकता था पर मैं उचित समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण मसला 295 में इसके सामने रखूं। मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि +++ मंत्री मण्डल के सदस्य इसको सुनेंगे ही नहीं इसको महसूस भी करेंगे। राजस्थान में भैरोंसिह जी की सरकार को लगभग 100 दिन से ऊपर हुये हैं और इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं मुझे इसका बड़ा अफसोस है। यह हमारे मित्र जो पड़ौस में बैठे हैं इनके वक्त में जितने लोग मरते थे उनसे ज्यादा मरे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं ...

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं जो इसमें विषय उठा रहा हूं, वह भी कीर्तिमान ही है।

श्री अध्यक्ष : आप उसी पर बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले यूनिवर्सिटी में पेपर्स आउट होते थे, सेंक्टिटी पेपर्स की थी। अब किसी विद्यार्थी के पास कोई पेपर जाता था तो वह समझता था कि उसके पास पहुंचा है, किसी ने देखा नहीं होगा। अब तो यह है कि एक दो पेपर की बजाय, इधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने तो एक दो पेपर ही आउट करवाये, अब तो 8–10 पेपर आउट हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया उसको पढ़िये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पढ़ रहा हूं पर मैं तोते की तरह तो नहीं पढ़ूंगा। इसको पृष्ठभूमि भी दूंगा। इसमें राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ नई सरकार की मुहिम का जो प्रचार राजस्थान के पत्र कर रहे हैं और राज्य के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में बार-बार कचरा साफ करने और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प दोहराया है किन्तु इसके विपरीत शायद भ्रष्टाचार नये आयाम की ओर बढ़ रहा है, नये-नये रूप ले रहा है।

राजस्थान में विशेषकर शैक्षणिक संस्थाएं राजस्थान विश्वविद्यालय तथा इसके परीक्षा केन्द्रों पर भ्रष्टाचार रहा तो होगा पर जो रूप आज सामने आया है ऐसी गम्भीर स्थिति पहले कभी नहीं थी। कांग्रेस के शासन में विश्वविद्यालय में कभी कभार 1–2 पेपर आउट हो जाया करते थे जिस पर तीखी प्रक्रिया होती थी। अब तो यह हालत है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के 10 पेपर आउट हो गये और मार्क्स शीट की खाली स्लिप, बड़े ताज्जुब की बात है कि सारी की सारी चोरी हो गई। हो सकता है कि इन पर मोहर लगाकर पता नहीं किसके पास किस रूप में पहुंच जाय और

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

यूनिवर्सिटी के अन्दर जो खाली फार्म डिग्री देने के हैं वह प्रोफार्मा भी सारे के सारे चोरी हो गये और सारे के सारे लोगों के पास पहुंच गये हैं। इसी तरह से परीक्षकों के नाम जो परीक्षक गुप्त रखे जाते हैं उनके सारे नाम भी आउट हो गये और लोग उनके पीछे घूमते फिर रहे हैं। सारे के सारे नाम आउट हो चुके। परीक्षा देने के पूर्व ही पेपर आउट हो जाने के कारण परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा जिसके कारण हजारों छात्रों की परीक्षाएं आगे खिसक गई। जो समय बरबाद होगा वह अलग बात है। राजस्थान के हजारों विद्यार्थी देश की और दूसरे कालेजों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकेंगे, उनसे वंचित हो जायेंगे और जो कालेज में प्रवेश करने की तिथि है उसके टाइम तक हमारे रिजल्ट नही निकल पायेंगे। परीक्षाओं की पवित्रता नष्ट होने से विश्वविद्यालय का स्तर गिरेगा। विश्वविद्यालय में इस बार सामूहिक पेपर आउट होने से राजस्थान का नाम बदनाम हुआ है। जिस प्रकार मण्डावरी काण्ड ने जो हम पर धब्बा लगाया है। शिक्षा के क्षेत्र में और विश्वविद्यालय के हिसाब से यह भी उसी रूप में है। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि राज्य सरकार के किसी भी मंत्री ने, किसी भी जिम्मेदार ने, किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि इस पर एक शब्द कहे। यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा। शिक्षा मंत्री को तो शायद अभी तक पता ही नहीं कि कितने पेपर आउट हुये हैं और विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है।

बड़े अफसोस की बात है कि राज्य में इसकी अनदेखी की गई। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के छात्रों ने, विशेष तौर पर छात्र इसकी परवाह कम किया करते हैं और मुझे खुशी है कि छात्रों ने प्रस्ताव पास किया। कर्मचारी संघ और वहां के अधिकारियों ने प्रस्ताव पास किया है कि इस काण्ड की सी.बी.आई. से जांच कराई जाय पर राजस्थान सरकार चुप है। न जांच और न एक शब्द उन्होंने कहा। इसके बारे में मैं समझता हूं गम्भीरता से शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस स्थिति पर जांच करावे और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलवाएं। यह निश्चित रूप से बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानकारी दे दूं कि इस मामले की जांच सी.आई.डी. क्राइम को दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन और सदन द्वारा उस पर सहमति। मुख्य सचेतक महोदय।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का पुरःस्थापन करता हूं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 126 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें है–
In any session or sessions of the House the House shall discuss every year such of the following reports etc., as have been laid on the Table of the House,....

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

और इसमें एक लिस्ट दी गई है 12-13 रिपोर्ट्स जिन पर डिस्कसन होना चाहिये। बी. ए. सी. की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक भी रिपोर्ट का न तो हवाला दिया गया है और जो पहले सही रूप से कार्यक्रम आया था उसमें 20 तारीख तक यह सदन चलने की आशा है। उसमें 19 और 20 तारीख रखी गई है खाली शासकीय कार्य, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल आयेंगे। इन रिपोर्ट पर किस दिन डिस्कशन होगा इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसमें एनी सेशन ऑफ दी ईयर लिखा हुआ है। पटिक्यूलर नहीं है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, लास्ट सेशन में कहीं भी नहीं आया। इस सेशन में कोई तारीख नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : अभी यह सवाल नहीं है। मुख्य सचेतक महोदय।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 जून, 1990 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने दिनांक 28 जून, 1990 से 18 जुलाई, 1990 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

गुरुवार, दिनांक 28 जून, 1990	परिवर्तित आय-व्ययक 1990–91 पर सामान्य वाद-विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990	(1) परिवर्तित आय-व्ययक 1990-91 पर सामान्य वाद-विवाद। (2) राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990, एवं (3) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1990, पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 30 जून, 1990	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 1 जुलाई, 1990	,,
सोमवार दिनांक 2 जुलाई, 1990 मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 1990	परिवर्तित आय-व्ययक 1990-91 पर सामान्य वाद-विवाद एवं दिनांक 3 जुलाई, 1990 को सायंकाल 5.00 बजे राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

(श्री ओम प्रकाश गुप्ता)

बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 1990 बैठक नहीं होगी।

गुरुवार, दिनांक 5 जुलाई, 1990 | परिवर्तित आय-व्यय 1990-91 की मांगों पर
शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990 | विचार एवं उनका पारण।

शनिवार, दिनांक 7 जुलाई, 1990 | बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 8 जुलाई, 1990 | ,,

सोमवार, दिनांक 9 जुलाई, 1990 | परिवर्तित आय-व्यय 1990-91 की मांगों पर
मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 1990 | विचार और उनका पारण।
बुद्धवार, दिनांक 11 जुलाई, 1990 | ,,
गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 1990 | ,,
शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 1990 | ,,

शनिवार, दिनांक 14 जुलाई, 1990 बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 15 जुलाई, 1990 | ,,

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 1990 | परिवर्तित आय-व्यय 1990-91
मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 1990 | ,,
बुद्धवार, दिनांक 18 जुलाई, 1990 | ,,

(दिनांक 18 जुलाई, 1990 को शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित की जायेंगी।)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने गये सेशन में भी निवेदन किया था कि प्राइवेट मैम्बर्स की कोई डेट अलोट होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि शुक्रवार को दो घन्टे प्राईवेट मैम्बर्स के लिए तय किये गये थे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्य) संख्या-2 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उप-धारा 3 के भाग (बी) के

(श्री दिग्विजय सिंह)

अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1985-86 तथा 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1986-87 सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम सतवाड़ी में गोलीकाण्ड

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री सम्पत-राम जी। इस सम्बन्ध में जिन सदस्यों के नोटिस मिले हैं उनके नाम बता देता हूं उनको प्राथमिकता से सवाल पूछने के लिए प्रायोरिटी दी जायेगी। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर. श्री हरिसिंहजी, (महुआ) श्री प्रद्युम्न सिंह जी, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री ईश्वर लाल सैनी, श्री रामस्वरूप, श्री चन्दनमल जी बैद, श्री महेन्द्र कुमार परमार. श्री राम प्रसाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। वैसे तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्री मण्डल की. लेकिन यह फायरिंग का प्रश्न है या तो मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए या जलदाय मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। इनके उपस्थित होते हुए आप किस हिसाब से जवाब दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको स्पष्ट कर देऊं कि मैंने अपने विधान सभा के लिए जो काम का बंटवारा किया है, जिसमें गृह मंत्रालय का काम श्री सम्पत रामजी देखेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या हमेशा के लिए देखेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गजट में जो नोटिफाई हुआ है उसके अनुसार तो वैसे आपकी तरफ से आप जवाब दें, इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन नाम तो आपका या जलदाय मंत्रीजी का होना चाहिए था इसमें। यह भूल है।

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में यह जो वैल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडीशन रहा है कोई भी मंत्री, जिसको स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर असिस्ट करें उनको अपने काम का बंटवारा करें। लेकिन केबीनेट स्तर के मंत्री को सदन की कार्यवाही चले तब तक इस हाउस में फैल करने के लिए उनको यह जिम्मेदारी सौंपना। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, न मेज की पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में मिलेगा और न शकधर और कौल के पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में कहीं इस बात का उल्लेख है। मुख्य मंत्रीजी आप बहुत नये-नये ट्रेडीशन डालते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत-राम जी।

श्री सम्पत राम (प्रभारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपने पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस का और उनका सबका हवाला दिया है यदि आप इसकी व्यवस्था ही चाहते हैं तो आई रिजर्व माइ रूलिंग।

श्री सम्पत राम (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम सतबाड़ी

(64)

(श्री सम्पत राम)

कामा पहाड़ी पर पहाड़ी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस ग्राम की आबादी 1981 की जनसंख्या के आधार पर दो हजार एक सौ उन्तीस है। इस ग्राम में भूमिगत जल अच्छा है और मुख्य मार्ग से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ट्यूबवैल खोदे हुए हैं, जिससे पहाड़ी तक पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जाता है। पहाड़ी के अतिरिक्त रास्ते में आने वाले ग्राम बरौदी, पसराली, गादली, सरबरका, बगोना, बुराना, ओलांगा सहित आठ गांवों को पानी दिया जाता है। पहाड़ी में ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछी हुई है, जबकि रास्ते में आने वाले ग्रामों को पानी पी.एच.पी. के माध्यम से दिया जाता है। ग्राम सतवाड़ी में भी तीन पी.एच.पी. लगे हुए है। जिससे ग्रामीण जन को पानी प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त ग्राम में नौ हैण्डपम्प लगे हुए हैं। तीन पी. एच. पी. क्रमशः स्कूल, जानवरों की खेड़ी और प्याऊ की खेड़ी पर उपलब्ध है। नौ हैण्डपम्पों में से छह हैण्डपम्प ऐसे हैं जो प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं किन्तु उनमें या तो यांत्रिक दोष आ गया है अथवा लोगों ने उनमें पत्थर भर दिये हैं। इस प्रकार ग्राम में तीन हैण्डपम्प ऐसे हैं जिनसे पानी उपलब्ध होता है। दिनांक 3-6-90 को ग्राम सतवाड़ी के श्री चन्दन सिंह सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के पास गया और उन्होंने मांग की कि सतवाड़ी ग्राम में पाइप लाईन डाली जाए, अन्यथा वे ग्राम से पानी अन्य गांवों को नहीं जाने देंगे। उन्होंने जबरदस्ती करके ग्राम सतवाड़ी से अन्य गांवों में जाने वाले पानी को रुकवा दिया। उस दिन उपखण्ड अधिकारी को सूचना मिलने पर वे तहसीलदार, थानेदार और अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर सतवाड़ी पहुंचे और काफी लम्बी वार्ता के उपरान्त जल वितरण व्यवस्था चालू करवा दी, परन्तु श्री चन्दन सिंह ने कहा कि जब तक उनके सतवाड़ी गांव में पाइप लाईन बिछाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है वे आन्दोलन चालू रखेंगे। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि वे जिलाधीश के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से बात करने को तैयार नहीं हैं। उस दिन शांति व्यवस्था कायम कर के वहां एक चार की डंडा गार्ड लगा दी गई थी। दिनांक 4-6-90 को चन्दन सिंह अपने समर्थकों के साथ इस मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया। दिनांक 5-6-90 को श्री दिलीप सिंह के नेतृत्व में ग्राम सतवाड़ी के 200-300 व्यक्ति सड़क पर आ गये और उन्होंने कामां पहाड़ी के मुख्य मार्ग पर पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। थानाधिकारी पहाड़ी को जब इस तथ्य का पता चला तो उन्होंने तहसीलदार पहाड़ी को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और यह भी बताया कि वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। तहसीलदार और थानाधिकारी उपलब्ध जापते के साथ सतवाडी की ओर रवाना हुए साथ ही उन्होंने जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को फोर्स भेजने के लिए निवेदन कर दिया। सूचना उप पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड अधिकारी, डीग को भेज दी गई। थानाधिकारी ने मौके पर दो सौ-तीन सौ आदमियों की भीड़ को सड़क पर पाया और साथ ही पत्थर आदि डालकर रास्ते को अवरूद्ध देखा। उन्होंने ग्रामीणजन को

(ग्रामीण विकास मंत्री)

समझाने बुलाने का प्रयास किया। इसी मध्य उपखण्ड अधिकारी डीग भी मौके पर पहुंच गये और उन्होंने भी समझाने-बुलाने का प्रयास किया। एक बार तो ऐसा लगा कि सम्भवतः स्थिति नियंत्रण में आ रही है क्योंकि वहां पर खड़े लोग, गांव की ओर लौट रहे थे, उनमें नाराजगी अवश्य थी। तथा साथ ही यातायात भी चालू कर दिया गया था। परन्तु 20-25 मिनट के बाद ही गांव की ओर से एक बहुत बड़ी भीड़ कट्टा, बन्दूक, लाठी, पत्थरों से लेस होकर के आयी और मौके पर आते ही उन्होंने थानाधिकारी और पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया। इस स्थिति को नियंत्रण के बाहर जाते देखें उपस्थित उपखण्ड अधिकारी ने उक्त भीड़ को खिलाफ कानून करार देते हुए तीतर-बीतर होने का आदेश दिया, परन्तु इसका विपरीत असर हुआ। भीड़ ने और भी भारी पथराव शुरू कर दिया। तदुपरान्त उपलब्ध फोर्स की सहायता से पहले लाठीचार्ज करवाया ताकि इसके प्रतिफल में भीड़ की ओर से फायरिंग शुरू हो गया और थानाधिकारी को भीड़ ने अपनी ओर खींच लिया, उनके साथ बेहरमी से मारपीट प्रारम्भ की, उनका रिवाल्वर छीन लिया गया। अन्य कोई विकल्प नहीं देखते हुए उप खण्ड अधिकारी ने फायरिंग के आदेश दे दिये। कुल अठारह फायर किये गये। भीड़ ने सड़क पर खड़ी दो बसों को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक एवं एस. डी. एम. भरतपुर और अधिक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। उक्त झगड़े में श्री हुसैन खां सतवाड़ी का निवासी गोली लगने से मारा गया वहीं पुलिस के थानाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग, तहसीलदार पहाड़ी और कांस्टेबिल श्री हरिशचन्द्र, श्री भंवरसिंह, श्री मुरारीलाल, श्री शंकरसिंह, श्री हुकमसिंह आदि भीड़ के पथराव से घायल हो गये। प्रकरण को प्राथमिक पंजीकृत करने के साथ-साथ अनुसंधान में गति लाई गई तथा श्री चन्दन सिंह व श्री लालसिंह को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणजन की ओर से भी एक प्राथमिकी धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 208 व 365 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाई गयी। इसका अनुसंधान भी जारी है। इस प्राथमिक अनुसंधान के अनुसार सतवाड़ी ग्राम के पानी की समस्या हेतु ग्रामवासी कुछ दिनों से कृतशील थे। दिनांक 3-6-90 को इसी प्रकरण में धरणा भी दिया गया था। घटना के उपरान्त वहां पर महानिरीक्षक पुलिस तत्काल वहां पहुंचे, वहीं माननीय श्री नत्थीसिंह जी व स्वायत्त शासन मंत्री श्री भंवरलाल जी शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ग्रामीणों से विस्तृत वार्ता की और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जांच के लिए आदेश दिया गया। दिनांक 19-6-90 को एस.डी.एम. ने साक्षीगण को बुलाया, परन्तु कोई भी व्यक्ति नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य माननीय मंत्रीजी ने पढ़ा है, मैं समझता हूं कि वह तथ्यों से काफी परे है। ग्राम सतवाड़ी के लोग एक बहुत ही जायज मांग के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे थे।

(६८)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

चार तारीख को एस. डी. ओ. साहब, तहसीलदार साहब और थानेदार वगैरह जब वहां आये, जैसा कि आपने वर्णन किया है और जब उनसे कहा कि आपने यह जो धरना दिया है यह हटा लीजिए वरना हम आपको जबरदस्ती बलपूर्वक यहां से हटा देंगे तो उन्होंने निवेदन किया कि क्योंकि आप पक्षपात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं हम केवल जिलाधीश से बात करना चाहेंगे और मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी, जिलाधीश से बात करने के बाद, कोई गैर वाजिब नहीं, लेकिन इसको अपना अपमान समझ कर एस.डी.ओ. साहब ने कहा कि या तो कल तक आप धरना हटा लें वरना मैं आकर गोली चला कर आप सब को हटा दूंगा और दूसरे दिन जब पूरा लवाजमा आया वहां पर और जितने आप बता रहे हैं–दो सौ, तीन सौ आदमी, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो वह थे जो गाड़ियां रुकने के कारण बाहर के लोग वहां इकट्ठा हुए थे, पैसेन्जर थे, उस गांव के नहीं थे, अब उन लोगों की भीड़ को यह बता कर कि वह उन पर आमादा थे और मारना चाहते थे एस.डी.ओ. साहब को, तहसीलदार साहब को, थानेदार साहब को, उनकी पिस्तौल छीन ली, मैं इस वाकये में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह तो बाद में जब इनवेस्टीगेशन होगा तब पता लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, कि आपके तीन-चार मिनिस्टर साहबान मौके पर जाकर आये, उन्होंने भी देखा होगा कि वहां पर उस भीड़ के द्वारा जो पत्थर फैंके गये हैं वह सिवाय, एक तो कोई स्कूल है उसके प्रांगण में, और वह जो पत्थर वहां रास्ते को रोकने के बोर्डर्स पर रखे हुए थे, उसके अलावा कहीं कोई पत्थर नहीं था। अगर भीड़ वहां इतने पत्थर फैंकती जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, बहुत सम्भाल कर उन पत्थरों को पुलिस ने रख रखा है। जब बाद में पत्रकार और दूसरे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सबने उन पत्थरों को देखा–केवल दो जगह पत्थर हैं और सड़क के पत्थर तो ऐसे थे, जो फैंकने के काम में आये नहीं थे, वह तो रास्ता रोकने के लिए थे। बाकी कुछ पत्थर उसी कुन्दन सिंह ने, जब वह कर रहा था, वहां वह पत्थर रखे हुए थे। असल में तकलीफ शिक्षा देने की एक जो आदत होती है कर्मचारियों और अधिकारियों की, उस तकलीफ को, मैं कहूंगा कि उनके दिमाग में खुरापात थी, उस खुरापात के कारण ही वह पूरी तरह से यह तय करके आए थे कि अगर यह धरना नहीं हटा तो हम उनको नसीहत देंगे और उसी के तौर पर जब वह आये और वहां के लोगों ने यह कहा कि हम कलक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो उन्होंने उनको मारना-पीटना शुरू कर दिया और अठारह राउण्ड फायरिंग किया और आप ताज्जुब करेंगे, आप फरमा रहे हैं कि उन लोगों ने उनकी पिस्तौल छीन ली, मारा, पीटा और घायल हो गये। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी की मौत हुई है वह मौत बस स्टैण्ड पर हुई है, वह उन धरने वालों में नहीं है। वह तो गरीब आदमी कहीं जाने के लिए उस बस स्टैण्ड पर बैठा हुआ था, वह उनका शिकार हुआ। एक महिला जसवीर कौर और उसकी लड़की दीपा कौर जो अपने बच्चों को ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह सवाल ही क्यों नहीं पूछ लेते कि आदमी कहां मारा ?

Page No. 67

(67)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह सवाल पूछ रहा हूं, अगर यही चीज होती....

श्री अध्यक्ष : आप तो पेरेलल स्टेटमेन्ट दे रहे है। सवाल पूछिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं अपने तथ्य भी बता रहा हूं, आपने अपने तथ्य बताये....

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिये, मैंने सुन ली, सदन ने सुन ली। अब आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जब तक दोनों तरफ से न्याय नहीं आयेगा, दोनों तरफ की....

श्री गोविन्द सहाय : यह वक्तव्य है और इस पर दोनों तरफ से आना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान की जनता पर क्योंकि आपने स्टेटमेन्ट फिक्स कर दिया, हमको अपनी भावना कहने का अवसर नहीं मिलेगा....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हमने तो एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है ....

श्री गोविन्द सहाय : इस पर इन्क्वायरी की जरूरत नहीं, इस पर तथ्य आने चाहियें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्वेश्चन्स के जरिये आज उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को हम यहां पर व्यक्त नहीं कर सकेंगे....

श्री अध्यक्ष : वह आप बोल गये हैं, बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्योंकि इसके अन्दर जो उन्होंने फेक्ट्स दिये हैं

श्री अध्यक्ष : अब आप उनको बोलने दीजिये, आपका नम्बर आयेगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप फरमा रहे हैं–हमारे तहसीलदार साहब घायल हो गये, हमारे एस. एच. ओ. साहब की पिस्तौल छीन ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अत्याचार की घटनायें हैं, जो वहां जाकर लोगों को, मेरे ख्याल से वहां के जो मंत्रीगण गये हैं-आदरणीय जलदाय मंत्री जी, आदरणीय राजस्व मंत्री जी और कुछ हमारे सदन के माननीय सदस्य भी वहां गये हैं, उन्होंने खुद ने देखा होगा। वहां पर ऐसी–ऐसी औरतें थी जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आ रही थी कि गोली चल गई है या लाठी चार्ज हो गया है या पुलिस मार रही है, उन महिलाओं को मारा और उनकी पीठ में, जांघ के ऊपर अभी भी नील के निशान पड़े हुए हैं। अगर तहसीलदार साहब के कहीं चोट लग जाती तो पूरे गांव के लोगों को मारने के लिए इस तरह से घूमते फिरें, मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है। यह पूरा वाकया एक सुनियोजित तरीके से, गांव के लोग क्योंकि पानी मांग रहे थे, उनको गोली दी। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। हम कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से इतनी सी मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक अधिकारी से आप जांच करवा रहें हैं, वह अधिकारी अपने अधिकारियों का प्रश्रय लेगा। आप भी जब इधर बैठते थे तब यही मांग होती

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

थी कि निष्पक्ष जांच हो—न्यायिक अधिकारी जांच करें। हम भी यही मांग करते हैं कि जो मृतक है उसको पांच हजार रुपये आपके मंत्री गए देकर आये....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने इनकी नहीं मानी ना।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह भी नहीं करेंगे तो फिर वह यहां आ जायेंगे, हम वापस चले जायेंगे। हम यही चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जिस आदमी की गोली से हत्या हो गई, वह तो एक लाख रुपये का हकदार हो गया। वह तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं तय कर ही दिया है।

एक माननीय सदस्य : एक लाख का माप दण्ड तो तय हो ही गया न।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री उस पांच हजार रुपये को वापस लौटा कर गरीब आदमी के परिवार को दे आये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस मुआवजे की राशि को समुचित बनाया जाय। न्यायिक जांच किसी जज से, चाहे वह रिटायर्ड हो, चाहे अभी काम कर रहा हो, उनसे उनकी जाच कराई जाय और इस घटना, पानी मांगने जैसे मानवीय मामले के ऊपर इस तरह की घटनायें अगर राज्य में हों, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी कोई व्यवस्था करें और जो न्यायिक जांच आयोग बने वह इस सम्बन्ध में अपने कोई सुझाव वगैरह दे ताकि इस तरह की घटनायें न हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह जी, महुआ। (व्यवधान) मैं नाम, पुकार रहा हूं। आपका नाम है उसमें। माननीय सदस्य को अपनी सीट से ही बोलना चाहिये।

श्री सम्पतसिह : मूंछों की वजह से है सब मामला।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकारी स्टेटमेंट यहां आया है, मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि सरकार किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले उनके जो दो-दो मंत्री वहां गये हैं...

श्री चन्दनमल बैद : आपकी बगल में मूंछ और दाढ़ी दोनों हैं।

श्री हरिसिंह : वहां पर कामा के माननीय सदस्य घटना के तत्काल बाद गये हैं, नगर के माननीय विधायक घटना के तुरन्त बाद वहां पहुंचे, पण्डित रामकिशनजी भी वहां पहुंचे। शायद उनसे परामर्श अगर वह लेते और सब तथ्यों को इकट्ठा करते, सरकारी पक्ष और अपने सदस्यों की राय लेते तो शायद यह तथ्य यहां सदन में पेश नहीं किए जाते। इन तथ्यों को बिल्कुल तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं इस घटना पर प्रकाश डालूं उससे पहले अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं—जैसा कि सरकारी स्टेटमेंट में आया है कि 302 का मामला भी दर्ज किया गया है, क्या हुसैन खां की मृत्यु का मामला भी आन्दोलन करने वालों पर

(श्री हरिसिंह)

भी डाल दिया गया ? यह 302 का मामला बना कर के हुसैन खां की मृत्यु के अपराधी भी इन आन्दोलनकारियों को बना दिया गया ?

श्री सम्पत सिंह : नहीं-नहीं, इस्तगासा किया है ।

श्री हरिसिंह : गांव वालों ने इस्तगासा किया है । उधर से आया है कि पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया है । किसके खिलाफ दर्ज किया ? अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के प्रारम्भ में एक बात इसको जस्टिफाई करने के लिए कही गई है कि गांव की आबादी के लिए तीन पी.एस.पी. और उनकी पर्याप्तता दिखाई गई है, नौ हैण्ड पम्प दिखाये गये हैं 81 की जनगणना के मुताबिक अगर आबादी को 2100 माना जाय तो आज भी आबादी 2700–2800 के करीब हो गई और हैण्ड पम्प की स्थिति से अगर जल की आपूर्ति करने की बात कही जाय तो 12 हैण्ड पम्प आज हमारी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वहां होने चाहिये । पी. एस. पी. अगर स्कूल में है, पशुओं के प्याऊ पर है, गांव वालों की एक सामान्य मांग थी, पानी हमारे गांव की धरातल से है और उससे दूसरी जगह पानी जा रहा है, सरकार हमें थोड़ी सी सुविधा प्रदान कर दे और गांव में पाइप लाइन डाल कर हमको पानी उपलब्ध करा दे । इस बात के लिए एक शांतिपूर्वक आन्दोलन किया गया । एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा आन्दोलन के दूसरे दिन, चन्दन सिंह नाम का और उसको समझा-बुझाने के प्रयास नहीं किए गए बल्कि बलपूर्वक उस आंदोलन को खत्म करने का, हक जो जनता को है उसको छीनने की भी सरकारी अधिकारियों द्वारा कोशिश की गयी । प्रजातंत्र में यदि आन्दोलन का हक छीन लिया जाय, उसकी जुबान भी बन्द कर दी जाय, पानी जैसी आवश्यक उपभोग सामग्री मांगने पर अगर लाठी और गोलियों से सरकार उनकी जुबान बन्द करती है, पानी मांगा और पानी के बदले में गोली मिली, यह बड़े शर्म की बात है । वह भी तब, जब उनकी सामान्य सी मांग थी कि जिलाधीश महोदय को व एक्स.ई.एन., पी. एच. ई. डी. हमसे आकर बात करें पर एस.डी.एम. साहब को यह बात नागवार गुजरी उन्होंने समझा कि मेरी ऑथोरिटी को चेलेंज किया जा रहा है । कलक्टर किस बात के लिए आये वह तो बहुत बड़ा अधिकारी है, लोगों की पानी की समस्या को सुनने के लिए उनके पास फुरसत नहीं है या एस. डी. एम. साहब उन तक गांव वालों की बात नहीं पहुंचा सकें कि कलक्टर साहब आपको बुला रहे हैं । अगर कलक्टर और एक्स. ई. एन. पी. एच. ई. डी. पहुंच जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि एक के बाद एक इस प्रकार के हादसे प्रान्त में होते जा रहे हैं । जो पहले गवर्नर का भाषण हुआ था उसमें पुलिस की प्रकृति, आचरण और चरित्र के सम्बन्ध में बड़े जोश से गवर्नर साहब से कहलवाया था कि पुलिस का प्रशासन बहुत ही बेकार है ।

श्री चन्दनमल वैद : संवेदनशील है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसके बाद भी तीन महीने निकल जाने के बाद भी मुख्य मंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं, वह कदम हम देख रहे हैं। मण्डावरी में देख चुके, सतवाड़ी में देख चुके। जोधपुर में देख चुके। कल गोली काण्ड हुआ है। प्रशासन को शुद्ध रखने की इच्छा शक्ति संवेदनशील सरकार, यह सब फिजूल बातें हैं। अखबारों में दिये जाने वाले स्टेटमेन्ट हैं अगर इस तरह की बातें नहीं होती। मुख्य मंत्री प्रशासन पर आपकी पकड़ ढीली है। प्रशासन अब तक आपकी पकड़ में नहीं आया है। और आप स्वयं पुलिस में रह चुके हैं। पुलिस के अधिकारी रह चुके है, पुलिस के कारनामों से आप परिचित है। पुलिस किस प्रकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, किस प्रकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। वह एक जगह नहीं राजस्थान में अनेक जगहों पर ऐसी बातें हो रही है। आपने जिस प्रकार का स्टेटमेन्ट यहां दिलवाया है मैं समझता हूं कि शायद आप इन सब बातों को कहने के भी पक्षधर नहीं थे वर्ना आप ही यह स्टेटमेन्ट देते। यह इतना बड़ा असत्य माननीय सम्पतराम जी से बुलवाया। सच्चाई अगर होती तो आप स्वयं स्टेटमेन्ट देते लेकिन आपकी आत्मा से गवारा नहीं किया। आपकी आत्मा इतना बड़ा असत्य बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए माननीय सम्पतराम जी को यह जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी कि आप यह असत्य बोलिये।

अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करूं माननीय नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने तथ्यों की तरफ पूरे विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सम्पतसिंह जी जो नगर के विधायक है, इसमें उनका नाम न हो परन्तु मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सम्पतसिंह जी अपनी ईमानदारी से, अपनी अन्तरआत्मा से सरकार का पक्ष न लेते हुये जो हालात वहां गुजरे हैं उनको आप सदन के सामने स्पष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : श्री यदुनाथ सिंह जी जाकर आये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इन सब तथ्यों को माननीय सम्पतराम जी आप इनसे पूछ लेते तो आप इतने बडे पाप के भागीदार न बनते। जिस प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सरकार ने पेश किया है, सदन को गुमराह करने की बात की जा रही है उसमें मुख्य मुद्दा मैं आपसे निवेदन करूं कि यह है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जो भीड़ थी उसमें से किसी ने गाली गलौच कर दी और उस गाली को सरकारी अधिकारी बर्दास्त नहीं कर सकें। उन्होने इसको अपना अपमान समझ लिया। आपके स्टेटमेन्ट में कहा गया है, लाठी और कट्टे थे, उन्होंने बन्दूकें चलाई, यह बिल्कुल असत्य भाषण है। न लाठी और कट्टे थे न बन्दूकें चलाई। किसी गांव वाले ने गाली गलौच कर दिया उस गाली से उत्तेजित होकर के एस. डी. एम. ने उनको गोली मारने का हुक्म दिया। रिवाल्वर नहीं छीना गया, थानेदार के पास रिवाल्वर थी लेकिन थानेदार ने किसी सिपाही से थ्री नाट थ्री की बन्दूक उठाकर अपने हाथ से गोली चलाई तो उसके बाद में यह सवाल उठता

(श्री हरिसिंह)

है अध्यक्ष महोदय, क्या इतना बड़ा बल प्रयोग किया जाना आवश्यक था ? क्या जनता ने कोई घातक हथियार लेकर उन पर हमला किया था ? क्या गाली देने से ही इतनी बड़ी उत्तेजना हो जाती है कि उस पर गोली चला दी जाये। क्या उस गांव में पीने के पानी की समस्या का निराकरण आज तक सरकार ने किया है। जिस के ऊपर गोली खाकर लोगों ने बलिदान दिया है। इन सब तथ्यों की जानकारी में मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि सी. बी. आई. से जांच करायें और दोषी व्यक्तियों को शक्ति के साथ सजा दिलवायें और साथ ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस को कमांड में करना है तो इन अपराधी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आप सरकारी स्तर पर धारा 302 के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज करा के, सी. बी. आई. से जांच करायें और जनता को निष्पक्ष न्याय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार पानी मांगती जनता के ऊपर गोली काण्ड हुआ है। आजादी के बाद पहली घटना है इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए और हो नहीं सकती है।

एक माननीय सदस्य : चालीस साल में आपने खुद किये हैं (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कहूं शायद यह दुर्घटना नहीं होती, इस दुर्घटना के पीछे जो, वहां के एस. डी. एम. है, उसका पूरा हाथ है। उसके +++ यह दुर्घटना हुई है और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अधिकारी किसी भी स्थान पर 6 महीने से ज्यादा नहीं रहा सिर्फ धौलपुर को छोड़ कर और वहां भी कम्प्लैण्ट के आधार पर उसको हटाया है। आप रिकार्ड देख लें क्योंकि एवरी व्हेयर ही मिस विहेव्ड। हर जगह वह मिस विहेव करता है जिस के कारण से उसकी शिकायत होती है और सरकार को मजबूर होकर के उसको बदलना पड़ता है। ऐसे आदमी को आपने ऐसी जगह बैठा दिया। वह इतना इगोइस्ट है कि प्यासी जनता का गला घोंट दिया।

श्री अध्यक्ष : धौलपुर में कितने दिन रहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सात-आठ महीने तक। मैं आपसे निवेदन करूं श्रीमान् माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ इतना कहने पर कि कलक्टर

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कृपया बोलने दीजिए। भगवान के लिए बोलने दीजिए। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए। महावीरजी, प्लीज। देखिये दोनों तरफ से विचार आ रहे हैं उनको सुनिये आप।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No. 72

(२)

श्री प्रद्युम्न सिंह : थोड़ा सा इस मामले को गम्भीरता से लें। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक अधिकारी का इगो इस हद तक पहुंच गया कि उन्होंने कहा कि हम कलक्टर से बात करना चाहते हैं, मान लीजिए कहा तो कलक्टर को इन्फोर्म किया ? मेरा सवाल यह है कि जनता की मांग को कलक्टर तक एस. डी. एम. ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया अगर नही पहुंचाया तो ये भी उसकी गलती है। इतना एजीटेशन हो रहा है, पानी के लिए लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कलक्टर तक उसने बात क्यों नहीं पहुंचायी ? शायद कलक्टर तक यह बात पहुंच जाती तो यह हादसा होने से बच जाता।

फिर न तो यह नेशनल हाइवे था, न स्टेट हाइवे था एक छोटी सी सड़क जहां पर ट्रैफिक न के बराबर है, यह गांव सड़क से लगा हुआ है यह गांव सड़क के किनारे पर है बाकी रामकिशन जी बतायेंगे तो अध्यक्ष महोदय पीसफुल ऐजीटेशन था उसके ऊपर गोली चली। फिर तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय सम्पतरामजी साहब आपने कहा कि लाठी, कट्टे चलाये तो कितने आदमियों को ग्रिवियस इंजरी आयी, कितने आदमियों को शोर्ट इंजरी है, कितनों को गनशॉट वेन्स लगे है तो आखिर प्रोवोकेशन कहां था, इतना बड़ा प्रोवोकेन कहां था ? आप लाठी चार्ज कर सकते थे, आपने लाठी चार्ज नहीं किया, उससे पहले ही फायरिंग कर दी। आखिर यह हो क्या रहा है ? उस आदमी के इगो को शान्त करने के लिए कि मैंने तुमको हुक्म दिया था यहां से हट जाओ तो वहां से हटे नहीं। हटे तो बदला चुका दिया और गोली मार दी और वह कौन था ? मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, उस गांव के अन्दर अधिकतर माइनोरिटी और सिख जाति के लोग रहते हैं। वह माइनोरिटी का था। आज हालत यह है कि डर के मारे वह गरीब लोग बोलते तक नहीं।

मुख्यमंत्रीजी आपसे निवेदन करूं, कलक्टर को अगर इन्फोर्म कर दिया होता तो कलक्टर आज अनुसूचित जाति के लोगों से बात करते तो स्थिति सम्भल सकती थी लेकिन कलक्टर क्या सोचेगा कि एस डी ओ. सम्भाल नहीं पाया स्थिति को, कलक्टर को बुला रहा है। उसने कहा लाओ तुमको मजा चखाता हूं। उसने एक गोली चला दी। मैं उसको व्यक्तिगत रूप से उस अधिकारी को गोली चलाने के लिए जिम्मेदार ठहराता हूं और उस आदमी को 302 में अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार किया जाना चाहिये। यह मेरी आपसे मांग है। यहां पर सस्पैण्ड किया और आपने आज दिन तक क्या कार्यवाही की, हटाया तक नहीं वहां से आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हो उस अधिकारी के वहां रहते हुए। ये आपके सोचने की बात है। इसी स्थान पर बैठ कर आपने ऐसे कई मामलों के अन्दर यहां भी इस प्रकार की मांग की थी और सरकार ने स्वीकार किया है। आपको सोचने को विवश होना पडेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर आप अध्यक्ष महोदय एक बात और देखिये। इंजरीज का सवाल मैंने पूछा है। किसको आप इंजरीज कहेंगे कितने ग्रीवियस इजरीज हैं आपके पुलिस कर्मियों के ? मान लीजिये डाक्टर आपका खरोंच लगा लें, वातावरण हो गया, पूरी सरकारी मशीनरी वहां पर एक हो गई,

Page No. 73

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

छोटी सी जगह, एक अधिकारियों का ग्रुप बना हुआ है वहां पर। मैं आपसे एक बात और पूछूं, रात को बारह बजे आपने उसका पोस्टमार्टम कराया और टाइम डाला 7 बजे का। बेईमानी की हद है। पूरा इलाका जानता है कि रात को 12 बजे आपने पोस्टमार्टम कराया। जबकि नियमों के अन्दर रात को पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। रात को 12 बजे सन सैट के बाद पोस्टमार्टम होता नहीं है अगर सनसैट के बाद पोस्टमार्टम होगा तो राजस्थान के गृह सचिव को तुरन्त आदेश देना पड़ेगा कि किसकी अनुमति से रात को 12 बजे कराया। यह भी एक जांच का विषय है कि टाइम डाला गया 7 बजे का जबकि पूरा इलाका जानता है कि रात को 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह अपने कुकर्मों को, अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए उन्होंने रात 12 बजे पोस्टमार्टम को शाम 7 बजे दिखाया। इससे उनकी नीयत के ऊपर हमको शक होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इसके अन्दर आपने कहां वायरलैस दे दिया। अभी भी असत्य ही है और वायरलैस चला जाये इतने बड़े हादसे के लिए। एस. पी. कब पहुंचे, कलक्टर कब पहुंचे? कितना डिस्टेन्स है वहां साइट आफ इन्सिडेन्ट से भरतपुर कितनी दूर है। डी. आई. जी. का हैड क्वाटर है वहां पर। वह भरतपुर के अन्दर रहते हैं। इतने बड़े उच्चाधिकारी और सुओमोटो इतना बड़ा डिसीजन ले डाला आपने वहां पर फायरिंग का वहां पर, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से और खास तौर से मुख्य मंत्री जी से कि जो संवेदनशील प्रशासन की बात करते हैं। ओपन प्रशासन की बात करते हैं, ये तो मैं उनका दुर्भाग्य कहूंगा कि उनके इस तीन महीने के कार्यकाल के अन्दर राजस्थान में इतने बड़े दो हादसे हो जायें। तीसरा जौहरी बाजार के अन्दर पुलिस कस्टडी में आदमी को मार डाला। वो बात तो अभी मैं आगे लेऊंगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये सब चीजें आपकी बताती है क्या हैं? क्या पुलिस निरंकुश हो गई है, पुलिस के ऊपर आपका अंकुश नहीं रहा है, पुलिस विभाग को आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं? और भी बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, जो मैं निवेदन करूंगा। इस मामले के अन्दर आप तुरन्त उस अधिकारी को, एस. डी. ओ. को, थानेदार को वहां पर सस्पैण्ड करें और आप सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करायें। क्योंकि आप एक ज्युडिशियरी इन्क्वायरी आलरेडी करा चुके हैं। आपको सी. बी. आई. से इस मामले की इन्क्वायरी करानी चाहिये अन्यथा निष्पक्ष इन्क्वायरी श्रीमन् किसी कीमत पर नहीं होगी और यह आपकी इच्छा है। मुआवजे की मांग माननीय भैरोंसिंह जी ने की जो भी मुआवजा देना चाहें उन्होंने रुपया लिया नहीं, लौटा दिया और अध्यक्ष महोदय, एक बात और आपको बताना चाहूंगा अब प्रलोभन दे रहा हैं एस. डी. ओ. कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, ये समझ लेना। मेहर जाति को जमीन जान से ज्यादा प्यारी होती है, औलाद से ज्यादा प्यारी होती है। उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारी जमीन छुड़ा ली जायेगी, तुम्हारे नाजायज कब्जे पुराने कस्टेडियम के नाते तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान चले गये हैं, उनसे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जमीन ले ली जायेगी। अब ये तो स्थिति हो गई है वहां पर आप करना क्या चाहते हैं? क्या इम्पार्शल इन्क्वायरी होगी, एस. डी. एम. क्या इन्क्वायरी करेगा? लीपा-पोती के अलावा इस इन्क्वायरी के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिये और आपको भी सोचना चाहिये कि 3 महीने के शासन काल में जिस पानी की मांग पिछले सत्र में यहां पर जोरदार तरीके से पूरे राजस्थान के लिए की थी, उसी पानी की मांग की बेगुनाह जनता पर, निहत्थे लोगों पर आपके अधिकारियों और आपके कर्मचारियों ने गोली चला कर भून दिया। एक आदमी मरा है चार के शोर्ट इन्जरीज है, एक की हालत बहुत क्रिटिकल है तो श्रीमन्, उनके इलाज का प्रबन्ध, उनके मुआवजे का प्रबन्ध मैं मांग करता हुं कि आप एक लाख रुपया दीजिये। सी. बी. आई. से इन्क्वायरी कीजिये और उस आदमी के खिलाफ 302 का केस रजिस्टर्ड करके आप इन्क्वायरी सी. बी. आई. को दीजिये तभी इन निरंकुश अधिकारियों पर आप अंकुश लगा सकेंगे। आप मोरल के नाम पर यह मत सोचिये इनका मनोबल गिर जायेगा मनोबल की आड़ के अन्दर पुलिस और अधिकारियों को खुला खेल करने की छूट मत दीजिये अन्यथा आपको यह राज चलाना है इसके घातक परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। मुख्य मंत्री महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महिनों में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में किसी राज-नीतिक पार्टी का राज नहीं है, पुलिस का राज कायम हो गया है। जैसा अभी प्रश्न-काल में हमारी पार्टी के अध्यक्ष परसरामजी ने कहा कि पुलिस ने अपना ट्रिगर फ्री कर दिया है। जो पानी की मांग करे उस पर गोली, जो कोई जन समस्याओं को उठाये उस पर गोली। अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के लिए तो यह सरकार जैसे कोई जानी दुश्मन की तरह काम कर रही है। हम यह महसूस करते थे जब भैरोंसिह जी संवेदनशील सरकार की बात करते हैं, वे विपक्ष के नेता के रूप में सदैव ऐसे मामलों को बहुत जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं। लेकिन क्या इन घटनाओं से वे कभी द्रवित नहीं होंगे? किस तरीके से सतवाड़ी गांव के लोग पिछले कई दिनों से पानी की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। महात्मा गांधीजी ने इस देश के लोगों को बिना लाठी और लकड़ी के अहिंसात्मक आन्दोलन करके जिस देश को आजाद कराया, आज प्रजातांत्रिक सरकार किस तरीके से निर्दोष और अपने लिए, अपनी समस्याओं के लिए जो पानी की मांग कर रहे थे उन निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक गोली चलायी, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि जो मुद्दे इस विधान सभा में उठाये जाते हैं उनको किसी भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिये। किसके आदेश से गोली चलायी गयी और जिन लोगों ने बिना किसी उत्तेजना के गोली चलायी है, अकारण, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के अन्तर्गत किन-किन लोगों के बयान आप लोगों ने लिए और जिसकी हत्या हुई है

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पुलिस की गोली से, उसको आपने क्या मुआवजा दिया और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम कभी भी रात के अंधेरे में नहीं होता है। आपने स्वयं कई मामलों में ऐसे मुद्दे उठाये हैं इस सदन में। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपनी रिप्लाई दें, उस समय यह बतायें कि यदि पोस्टमार्टम रात के 12 बजे किया जाये तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया रिपीट नहीं करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कुछ पाइन्ट ऐसे होते हैं जिनको रिपीट करना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : जब आप सभी रिपीट करेंगे, तो वो कुछ पाइन्टों में नहीं आयेगी। आप अपनी बात कहिये। अभी अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का मौका इसलिए दिया है कि वो अपने-अपने एंगल से अपनी-अपनी बात कहें। आप उस बात को रिपीट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कहा।

श्री अध्यक्ष हां तो अपनी और नई बात कहें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कॉज ऑफ डेथ क्या रहा ? क्या अभी भी राज्य सरकार यह उचित नहीं मानती कि सतवाड़ी गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना जो करना पड़ रहा है उसके बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं। और उसके साथ-साथ जिन अधिकारियों ने मिलकर यह क्रिमिनल कन्स्पीरेसी की और निहत्थे लोगों को अपनी समस्या को उठाने के लिए गोली से भून दिया उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। एस. डी. ओ. को सस्पैण्ड करें, थानेदार के खिलाफ केस दर्ज करें, और हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस कस्टडी में जयपुर में लाला गण्डकचन्द जी की मौत हुई, चित्तौड़ में पंकज श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। ये क्या हो रहा है और इसके लिए वर्तमान सरकार निश्चित रूप से सीधे रूप में जिम्मेदार है इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और पुलिस हिरासत में मौतें न हों, इसके लिए राज्य सरकार गृह विभाग के अधिकारियों को क्या निर्देश दे रही है, इस सम्बन्ध में आप अपने बयान में अपनी नीति स्पष्ट करें और साथ-साथ भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप क्या कदम उठायेंगे। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मदेरणा।

श्री मदनमोहन सिंघल (कामां) : पाइण्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइण्ट आफ आर्डर है आपका ?

श्री मदनमोहन सिंघल : मैं उस क्षेत्र से हूं इसलिए ...

श्री अध्यक्ष : यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मदनमोहन सिघल : वैसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है लेकिन यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है । बैठिये ।

श्री मदनमोहन सिघल : मेरे उस क्षेत्र की जो घटना है मैं इस बारे में सदन को नई जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले नाम बता दिये । आप विराजिये तो सही । इनका नाम पुकार लिया ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह भी बोल लेते तो सबको जानकारी हो जाती, जानकारी नहीं है पूरी ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सैशन के दौरान टैम्परेरिली होम अफेयर्स के मिनिस्टर से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या यह सही है माननीय मंत्री जी, कि जब यह रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बाड़ी और आठ और गाँवों की टेक्निकल और फाइनेन्शल सैंक्शन के बाद क्रियान्वित होने जा रही थी, 1989 से निरन्तर सतवाड़ी के लोग ट्यूबवैल से अपने गांव में पानी लाने की मांग कर रहें हैं और बीसों ज्ञापन राज्य के अधिकारियों को दिये हैं, कलक्टर को दिये हैं, एस. ई. पी. एच. ई. डी. को दिये है, एक्स ई.एन. को दिये हैं, एस. डी. ओ. को दिये हैं, विकास अधिकारी को दिये हैं ? ग्राम पंचायत ने रिजोल्यूशन किये हैं । वहां एक जनवादी युवक मोर्चा है, उसने भी भारत सरकार को, मंत्रियों को लिखा है । भारत सरकार के मंत्रियों ने एज अरली एज 15 मार्च, 1989 को एस. ई, पी. एच. ई. डी., भरतपुर को चिट्ठी लिखी है । माननीय मंत्री जी, मैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने निर्देश यह दिया है कि प्रश्न पूछिये ।

श्री अध्यक्ष : ठीक पूछ रहे हैं आप ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं क्वश्चन पूछूं, लेकिन इन्होंने तो फैक्ट्स ही बिल्कुल गलत दे दिये हैं । होम अफैयर्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेन्ट दिया है, जिसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है, मैं इसको झूठ तो नहीं कहता लेकिन असत्य जरूर है । इतना बड़ा असत्य है जितना As much untruth as a white elephent. आपने यह बात कही की रास्ते में आने वाले जो गांव बाड़ी के हैं वहां पर एक योजना बनी है । यह सही नहीं है । योजना नौ गांवों की हैं । अलग-अलग गांवों की योजना हैं, अलग-अलग नल गये हैं । बाड़ी से जो पाइप लाइन जा रही है उसमें सिर्फ एक गांव को पानी दिया गया है । जिन गांवों को पानी दिया जा रहा है वे हैं; बाड़ी, बोरानी, बड़ोली, डहर, पथराली, पोलाका, महमद्दुर, कैरवा, गादली, बुराना । आपका यह स्टेटमेन्ट कि यह रास्ते में हैं सब गांव, यह रास्ते में नहीं हैं । वहां प्रारम्भ से ही, स्रोत से ही पाइप लाइन दूसरे गांवों को जा रही है ।

आपने अपने स्टेटमैण्ट में यह बात कही है कि वहां तीन पी. एच. पी. हैं । वहां पर तीन पी. एस. पी. नहीं हैं, वहां पी. एस.पी.

(श्री परसराम मदेरणा)

सात हैं आज भी। मैं 23 तारीख को खुद देखकर आया हूं, पानी बाहर निकलता देख कर आया हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर फायरिंग के दिन पांच जून के पहले केवल एक पी. एच पी. थी। एक पी. एए. पी. बड़ोलीडहर गांव जाती है। उस पाइप लाइन में से उन्होंने एक पी.एस.पी. दे दी कि होद में भी पानी डालिये, पोखर में भी डालिये। क्या यह सही है, माननीय मंत्रीजी, कि एक पी. एच पी. की लाइन जो आपने बड़ोलीडहर से दी है, क्योंकि गांव वालों की प्रारम्भ से क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के वक्त से निरन्तर मांग रही है कि बिना कोई स्वीकृति के आपने एक पी. एच. पी. उनको बड़ोली गांव में से दे दी और निरन्तर दो साल से उनको पानी दे रहे हैं। क्या यह सही है कि इस गांव में 6 या 7 सार्वजनिक कुएं हैं। इन चार ट्यूबवैल्स के खोदने के बाद लगातार लाखों लिटर्स पानी का ड्रावल हुआ, उसकी वजह से सातों ही सार्वजनिक और पब्लिक वैल्स सूख गये हैं, जो गांव में थे और उनमें एक भी बूंद पानी नहीं है? माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि सतवाड़ी गांव में सरकार और पी. एच. ई. डी. की ओर से 9 हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं, वहां 12 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। नौ की जो सूचना आपको दी गई है वह गलत सूचना है। उन 12 में से 10 हैण्ड पम्प्स का पानी नीचे जाने की वजह से सूख गया है, पानी है ही नहीं। दो हैण्डपम्प्स जिनमें पानी है, उनमें से एक खराब था। अब ठीक किया है आपने हुसैन को मारकर, उसके गोली लगाकर, भरतसिंह को गोली लगाकर। दो और को गोली से आपने घायल किया, चार आदमियों के गोली लगायी। उसके बाद जिस हैण्डपम्प को आपने रिपेयर किया है, उन दो हैण्डपम्प्स का पानी ब्रेकिश है, कड़वा है, पीने के लायक नहीं हैं। पी. एच ई. डी. के जो पैरामीटर्स तय हैं सेफ और ड्रिंकिग वाटर के, उन पैरामीटर्स में वह कतई नहीं आता है। क्या यह सही है कि गांव वालों को पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी मई के महीने में। इन मिडिल आफ दी मई, 1990 को जाकर कलक्टर को उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, पीने का पानी ह्यूमन और मोबाइल पापुलेशन के लिए नहीं है, इसलिए आप आदेश दीजिए पी. एच. ई. डी. वालों को कि पानी की व्यवस्था करें। हमारा गांव सोर्स का विलेज है, नौ गांवों को पानी जा रहा है लेकिन हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह हमारी माननीय सुविधा के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी, हैण्ड रिटन और दस्ती दी है उसने, जिस चरण सिंह का आप नाम ले रहे हो न। यह मिडल आफ मई की बात कह रहा हूं मैं। वह चिट्ठी उन्होंने एस डी ओ. के नाम लिखी। एस. डी. ओ. ने भगवान जाने क्या इंस्ट्रक्शन दिये, लेकिन जे. ई. एन. को इंस्ट्रक्शन दिये। जे ई एन., बोड़ी को जो इंस्ट्रक्शन मिल गये तो उसने वह एक पी. एच. पी. जो पहले दी हुई थी गांव को, वह भी बन्द कर दी। जब वह बन्द कर दी गई तो 28 तारीख को गांव वाले फिर कलेक्टर के पास गये। कलेक्टर के पास जाकर उन्होंने कहा कि आपके आदेश की अवहेलना ही नहीं की गयी है, बल्कि आपके आदेश के डाइमैट्रीकली अपोजिट एक्शन लेकर पी. एच. पी. को

(श्री परसराम मदेरणा)

बन्द कर दिया है, इसलिए हमारे गांव के सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है सिवाय इसके कि हम भूख हड़ताल पर बैठ जायं और धरना दें। इसलिए हम एक तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और आपको यह नोटिस दे रहे हैं। 28 तारीख को कलक्टर को नोटिस दिया है दूसरे को नहीं। और उसकी कापी सभी अधिकारियों के पास में दे दी। एक तारीख को धरने पर नहीं बैठकर वे तीन तारीख को धरने पर बैठे। तीन तारीख को एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा, मास्टर दिलीप सिंह, रिटायर्ड टीचर, सरदार। वह तीन तारीख को धरने पर बैठा। तीन तारीख को एस. डी. ओ. आते हैं। उन्होंने कहा, कोई आपको पी. एच. पी. नहीं दी जायेगी और न इस योजना से आपको पानी मिलेगा क्योंकि आपका गांव प्राब्लेमेटिक नहीं है। क्या मैं आपसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं ? बहुत से गांव, जो पहले सर्वे किया गया था उसमें, 20 हजार गांव प्राब्लेमेटिक विलेज थे। दोबारा सर्वे करने के बाद या वहां पर पानी नीचा चला जाने की वजह से 32 हजार गांव राजस्थान में प्राब्लेमेटिक हो गये। आज भी जो गांव प्राब्लेमेटिक नहीं हैं, कोई भी गारण्टी नहीं दे सकता पी. एच. ई. डी. का कोई अधिकारी या कितना भी बड़ा टैक्नोक्रेट हो कि वह गांव चार महीने के बाद या साल भर के बाद प्राब्लेमेटिक विलेज नहीं बन जायेगा। जब यह गांव ड्रावल से अपने आप ही प्राब्लेमेटिक बन गया तो उनकी मांग थी कि हमको पी. एच. पी. दी जाय और हमारे गांवों में पानी की लाइन बिछाई जाय, नौ गांवों को पानी दे रहे हैं तो हमारे गांव को भी पीने का पानी दीजिये, मनुष्यों के लिए दीजिये, मवेशियों के लिए दीजिये। मांग केवल यह थी। तीन तारीख को बैठे, जब यह आया। कहा, कोई पी. एच. पी., बी. एच. पी. मिलने वाली नहीं हैं। तो, साहब, कलक्टर साहब तक हमारी यह फरियाद पहुंचा दीजिये। कि जाओ तुम कलक्टर को और वहां से पी. एच. पी ले आओ। चार तारीख को फिर एस. डी. ओ. आता है। वह आने के बाद धमकी देता है। पुलिस चार तारीख को, डण्डे वाली बात थी या नहीं थी; मुझे मालूम नहीं, शायद चल रही होगी लेकिन सत्य यह है कि भूख हड़ताल पर मास्टर बैठे थे। गांव वाले उनके पास धरने पर बैठे हुए थे। बहुत शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक तरीके से उनका धरना चल रहा था, पीने के पानी की मांग को मनवाने के लिए, यह अधिकार था उनका। जीवन की मूलभूत समस्या है पानी हवा के बाद में और जब पानी ही नहीं है पीने का और उस गांव का पानी जो बहुत नीचे चला गया सार्वजनिक कुओं में पानी है नहीं। गांव के लोगों की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वे ट्यूबवैल खुदवा सकें। सरकारी ट्यूबवैल से उनका पानी दूसरे गांवों को दे रहे थे और वह पीने के लिए पानी की मांग कर रहे थे। मैं यह नहीं समझता हूं कि उनकी मांग औचित्यपूर्ण भी नहीं थी लेकिन न्यायिक मांग थी।

क्या यह सही है कि आपने यह बात कही कि यहां पर सब इंस्पेक्टर के ऊपर बन्दूक चलाई और बन्दूक चलाने की वजह से अमला फुल असेम्बली बनी और लाठी और क्या-क्या बन्दूक और कटार सब लेकर

(श्री परसराम मदेरणा)

जो वहां पर आये। बन्दूक अगर वे लेकर आये और जब इतना खतरा था कि ये हमलावर होने वाले है आफेन्सिव हैं और आफेन्स कमीट करने के लिए मेनसरिया इनके दिमाग के अन्दर इन्स्टील्ड हो गये हैं मेनसरिया को आपको मानना पड़ेगा कि उसकी क्रिमिनल मेन्टेलिटी, है कि नहीं है। पूरा जो है इंडियन पेनल कोड, वह मेनसरिया पर आधारित है और अगर मेनसरिया था या नहीं था बन्दूक किसके लगी. ? सब इंस्पेक्टर के लगी या एस. डी. ओ. के लगी या किसी पुलिस हैड कांस्टेबल या कोई पी. एच. ई. डी. के कोई कर्मचारी या अधिकारी वहां पर थे उनको लगी। अगर बन्दूक चली ही नहीं, लाठी लगी, किसके लाठी लगी। यह बात हो सकती है कि आपस में झगड़ा हुआ होगा, पत्थर चले होंगे लेकिन बहुत कम। मैंने पूछा था गांव वालों से वो कह रहे थे। मैंने किसी पेपर में देखा है पुलिस ने छपवाया है वो पत्थर जो छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हुए थे और बिना कोई प्रोवोकेशन के, बिना किसी उत्तेजना के और आपने गोली चलवायी, एस. डी. ओ. ने और एस.डी.ओ. ने गोली चलाने से पहले गांव वालों से कोई भी बात नहीं की, जो कि आप कह रहे हैं। एस. डी. ओ. की प्रीवियस हिस्ट्री और बायोडोटा के सम्बन्ध के क्या व्यवहार रहा है, मेरे से पूर्व राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके जो मेन्टल मेक अप के संबंध में और उसके बारे में इगबिस्ट का जो कितना संवेदनशील ऑफिसर है और जनता की समस्याओं के प्रति यह संवेदनशील सरकार के सोचने की बात है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो वहां की स्थिति थी और उस वक्त जब ये लोग धरने पर बैठे हुए थे और धरने पर बैठे हुए एक पीने के पानी की न्यायपूर्ण मांग जो है यह जनता के सामने रख रहे थे उस वक्त क्या मुख्यमंत्री जी, यह ठीक समझते हैं कि पानी की मांग करने वालों को पानी तो दिया नहीं जाय लेकिन उनके सीने पर गोलियां चलायी जाय। क्या इस प्रकार की कार्यवाही फायरिंग की कार्यवाही अमानवीय नहीं है ? क्या इस प्रकार की कार्यवाही नृशंस नहीं है। क्या इस प्रकार की कार्यवाही जो की गई है निहत्थे लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर वह बर्बरतापूर्ण नहीं है ? क्या यह कार्यवाही पाशविक नहीं है, क्या यह कार्यवाही अमानवीय नहीं है और एक मांग करने वाले लोगों को पीने का पानी जब उनका पानी खत्म हो गया है सार्वजनिक कुओं में खत्म हो गया है, हैन्ड पम्पस् में खत्म हो गया हैं, पानी दूसरे गांवों को जा रहा है। वे आज मांग नहीं कर रहे हैं 89 से लगातार, निरन्तर उनके ज्ञापन, आवेदन-पत्र राज्याधिकारियों के सामने लाये जा रहे हैं और उसके बारे में भी इस पर कार्यवाही न करके जो फायरिंग की गई है और फायरिंग करने के बाद.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य डूंगरराम जी, बिराजिये। माननीय सदस्य बैठिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फायरिंग हुई जो पुलिस ने मुंसिफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया उस इस्तगासा के कुछ मुद्दों का हवाला दिया।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो मेन्सन किए गये हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत् मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि चाहे वो मण्डावरी हो या सतवाड़ी हो फर्स्ट इन्फोरमेशन रिपोर्ट जो पुलिस को दी गई है, गांव वालों को तो इसमें लिया नहीं और सब इंस्पेक्टर जो इसमें मैन मुलजिम है, इस्तगासे में किया है वह खुद ही फर्स्ट इन्फारमर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बोलिये मत, प्लीज। (व्यवधान) आप बीच में मत बोलिए, आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : वो कहते हैं यह राज चल नहीं रहा....

श्री अध्यक्ष : आप कभी ठीक कह रहे हैं, कभी गलत कह रहे हैं, बीच में मत बोलिये, आप बोलिये। आप क्यों प्रवोक कर रहे हैं उनको।

श्री परसराम मदेरणा : हम अनलॉज बोले, असेम्बली डिक्लेयर करने वाला एस पी है। वहां पर कभी अनलॉज असेम्बली नहीं थी लेकिन डिक्लेयर करके फायरिंग कराई और फायरिंग के आर्डर करवाए। क्योंकि इसमें फर्स्ट इन्फार्मेंट ही एस. एच. ओ. है इसलिए कोई न्याय की किसी प्रशासन में चाहे आप यहां पर डाइरेक्टर जनरल पुलिस को लगा दीजिए गांव वालों के साथ न्याय होने वाला नहीं है। अतः हमारी यह मांग है।

मुख्य मंत्री जी, इस पूरे केस की जांच सी. बी. आई. से करवाई जानी चाहिये और सी. बी. आई. से करवाये जाने के बाद भी सही तथ्य क्या है वे उजागर हो सकेंगे नहीं तो इन गांव वालों को फंसाया गया है और उनके साथ जो हिंगलिंग और बारबेरिज्म हो रही है और आप उनको एवीडेन्स मत दो। अभी आप कह रहे हैं कि वहां पर जो गया, एस. डी. एम. गया वहां पर कोई एवीडेन्स देने के लिए आया ही नहीं। वहां पर पूरा आतंक छाया हुआ है। यह बात सही है कि इस गांव में दो है कम्युनिटि के लोग रहते हैं मुसलमान और सिक्ख, दोनों ही माइनोरिटीज हैं और माइनोरिटी के लोग ही मारे गए हैं। माइनोरिटीज के लोगों को गोलियां लगी है और माइनोरिटीज के लोगों पर अत्याचार हुआ है। इसलिए इसमें सही न्याय हो सके, हमारी यह मांग है कि आप सी. बी. आई. से जांच करवायें और इन्वेस्टीगेशन करवाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन सिंघल। (व्यवधान) आप बिराजिए, आप देखिए आप मेहरबानी करके व्यवस्था बनाए रखें, ठीक तरह से डिबेट चल रही है आप बैठिए, आपको मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सतवाड़ी में जो गोलीकाण्ड हुआ, उसके बारे में कुछ सही तथ्यों की जानकारी सदन को देना चाहता हूं। सही बात तो यह है कि सत्तापक्ष भी इस बारे में सही तथ्य पेश नहीं कर सका और विपक्ष भी इस बारे में राजनैतिक फायदा उठाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है।

जिस दौरान यह घटनायें वहां घटी हैं, सही बात तो यह है कि धरना देने वाले लोग कतई तैयार नहीं थे इस बात के लिए

Page No. 81

(81)

(श्री मदनमोहन सिंघल)

कि इस तरह का हादसा वहां हो जायेगा कि वहां पुलिस को गोली चलानी पड़ जायेगी, हमारे किसी नागरिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह शान्तिपूर्ण ढंग से अपने इलाके की पानी की जो मांग थी उसको लेकर बैठे हुए थे। प्रशासन भी इस बात से बिलकुल बेखबर था कि कोई ऐसा हादसा हो जायेगा कि हमें गोली चलानी पड़ जायेगी और इस तरह से हम कैसे इस बात को कहें।

आखिर यह घटना हुई कैसे ? जब कोई भी पक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं था तो फिर ऐसी स्थिति आई कैसे ? ऐसी स्थिति आने के पीछे एक भारी षड़यन्त्र था जिसकी जानकारी न मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें दी और न इन्होंने ही इस बारे में कोई बात कही है। क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी और इनका भूतपूर्व एम.एल.ए. शमसुल हसन खुद इस साजिश में शामिल था। इस बारे में तथ्य मैं आपको दूं। मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि चाहे वह कोई भी पक्ष हो पानी की जो मांग है वह एक मानवीय मांग है। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाय और मुझे अपनी अन्तरात्मा से अपनी बात कहने का मौका दिया जाय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दिया जाय। बोलने दीजिये, वह बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, बैठें। उनको बोलने दें।

श्री मदनमोहन सिंघल : आप पर स्प्रिट काम करती है ऐसे ही लोगों को शायद जलन हो रही होगी लेकिन मैं सही तथ्यों से ईमानदारी से इस सदन को बतलाना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में वहां के लोगों ने दी है और मैंने अनुभव किया है।

5 जून को सतवाड़ी में यह घटना घटी और जहां के लोग 1 जून से पानी की मांग को लेकर धरना दिये हुये बैठे थे। मैं उन दिनों यहां जयपुर में था लेकिन जब 4 तारीख को मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा एक शादी में सम्मिलित होने के लिए तो वहां पर मुझे यह जानकारी मिली कि पानी की मांग को लेकर सतवाड़ी में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मैं सतवाड़ी पहुंचा। सतवाड़ी के लोगों से इस सम्बन्ध में बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारी पानी की मांग है और कोई भी अधिकारी अभी तक हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया है। तो मैंने कहा कि इसे हठधर्मी का सवाल नहीं बनायें। कलक्टर, भरतपुर जो उस समय थे वह उस समय बाहर गये हुये थे और वहां पर उनकी जगह ए.डी.एम. काम कर रहे थे। मैं सतवाड़ी के एक-दो लोगों को साथ लेकर दूसरे दिन, 5 तारीख को सुबह ए.डी.एम. साहब के निवास पर पहुंचा और वहां के हालात के बारे में अपनी जानकारी दी और उनको बताया कि साहब यह मामूली सी बात है कि इस गांव से पानी पहाड़ी के लिए सप्लाई हो रहा है, दूसरे गांवों के लिए सप्लाई हो रहा है। इस गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हैण्ड पम्पों की जो व्यवस्था थी, हैण्ड पम्प प्रायः खराब ही रहते हैं। सतवाड़ी गांव लम्बाई में बसा हुआ है लोगों को दूर से चल कर यहां पानी लेने आना पड़ता है तो यह अपना हक मांग रहे थे, हम दूसरे गांवों को पानी दे रहे हैं तो हमें भी अपने घरों और मोहल्लों में पानी मिलना चाहिये। ए.डी.एम. साहब ने जब मैं भरतपुर पहुंचा तो

(श्री मदनमोहन सिंघल)

जिले के अधिकारियों की तुरन्त एक बैठक बुलाई, दो बजे वह बैठक आयोजित हुई। मैं भी उस बैठक में सम्मिलित हुआ, जलदाय विभाग के अधिकारी उस में मौजूद थे, प्रशासन के ए. डी. एम. साहब स्वयं मौजूद थे, पुलिस के ए.एस.पी. भी वहां मौजूद थे। जब उस समस्या के निपटारे के लिए मीटिंग चल रही थी तो एकाएक अचानक 3 बजे वायरलैस मैसेज आया कि और वहां पर जो ए. एस. पी. हरिराम मीणा उपस्थित थे उन्होंने सूचना दी कि पहाड़ी में स्थिति गम्भीर हो गई है और वहां के लोगों ने सड़क रोक कर रास्ता जाम कर दिया है, पता नहीं इसके हालात क्या हों ? हम लोग तुरन्त वहां से मीटिंग छोड़ कर चल दिये। भरतपुर से पहाड़ी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। हम एक घण्टे में कांमा ही पहुंच पाये होंगे कि कांमा पहुंचने पर हमें जानकारी मिली कि वहां पर तो गोली चल गई है और पुलिस की गोली से एक आदमी मर गया, कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुये हैं इस बात की जानकारी अभी नहीं है, थानेदार भी अभी वहां घायल पड़ा हुआ है। कोई भी जिले का अधिकारी सतवाड़ी जाने के लिये तैयार नहीं हुआ। मैं स्वयं अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो देखा कि गांव भी डर की वजह से भागा हुआ था, अधिकारी भी वहां से भागे हुए थे और वह सड़क बिल्कुल सूनी पड़ी हुई थी। वहां पर थानेदार मुर्छित पड़ा हुआ था। और वहां पर भाई हुसैन था वह मृत पड़ा हुआ था. मैंने स्वयं हुसैन खां की आंखों में देखा तो वह मर चुका था और थानेदार जो था, मेरे साथ जो मेरा गनमैन था उसे लिया साथ में, वह था और गांव के एकाध लोग और आ गये थे उनकी मदद से थानेदार को जीप में रखा और गांव में अन्य जो लोग घायल थे, जिसमें एक सरदार था जिसको गोली लगी थी, पार हो गई थी गोली, वह बिल्कुल मुर्छित हो गया था उसको भी जीप में रखा और उनको कांमा के अस्पताल में पहुंचाया। वहां पहुंचाने के बाद, और जब वहां पहुंच गये हैं तब वहां के जिले के अधिकारियों ने वहां आना शुरू किया कि साहब शायद स्थिति सामान्य होने लग गयी है।

मैंने गांव के लोगों को भी समझाया कि भाई जिस चीज के लिए ना तुम तैयार थे और ना प्रशासन तैयार था तो फिर आखिर यह हादसा हो कैसे गया ? और अब भी जो हो गया है अब आप कृपया शांति से रहिये, आप शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से मांग कर रहे थे आप धैर्य रखकर आगे के लिए और कोई घटना नहीं होने दें। ऐसा नहीं हो कि एक जान जो हमारी चली गई इसी हादसे की वजह से और कहीं और लोगों की जान न चली जायं ऐसा नहीं हो।

जब जिले के अधिकारी लोग वहां पहुंच गये तो उन्होंने अपने तरीके से लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया। यह सही है कि लाश का पोस्टमार्टम रात के 12 बजे हुआ है...(व्यवधान) मैंने इस बारे में आपत्ति भी की पहले तो वह इस लाश को लेकर के कांमा जा रहे थे कि उसका वहां पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने जब उनको रोका तो उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया और रात के 12 बजे किया और उन्होंने समय क्या अंकित किया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(श्री मदनमोहन सिंघल)

इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं सतवाड़ी पहुंच गया और यह घटना हो गई तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है ? किस वजह से ऐसा हुआ ? तो उन्होंने वही बात दोहराते हुए कि यह हादसा हुआ, ना इसके लिए हम तैयार थे और ना इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार था। तो फिर आखिर हुआ कैसे ? एक तथ्य की जानकारी मैं आपको दूं कि एस. डी. एम. मौके पर वहां मौजूद था, तहसीलदार मौके पर मौजूद था, कांमा का और पहाड़ी का थानेदार भी वहां मौके पर मौजूद था, डी. एस. पी. भी वहां मौके पर मौजूद था लेकिन वह उस मौके पर मौजूद नहीं था, गांव में दूसरे लोगों के साथ और भूतपूर्व एम. एल. ए. शमसुल हसन के साथ बैठकर के षड़यन्त्र रचना में शामिल था और किसी तरह से लोगों को उकसाने में शामिल था कि यार तुम क्या कर रहे हो, आप लोग मर जाओ, मार दो लेकिन अगर इस तरह से आपको गांव के लोगों पर डण्डे लगाये गये हैं, पुलिस ने बल प्रयोग किया बताया जिस समय उस रास्ते को खोला गया। उन्होंने कहा कि आपकी औरतों पर डण्डे चलाये गये और उन्होंने ऐसा भड़काया ऐसे लोगों ने मुझे जानकारी दी। यह बिल्कुल हकीकत है। जिसके कारण से गांव वाले उत्तेजित हुये और स्थिति बिगड़ी .. (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : डी एस पी. कांग्रेसी था क्या ?

श्री मदनमोहन सिंघल : यह बिल्कुल हकीकत है। इसके अलावा ... (व्यवधान)

मैं डी. एस. पी. साहब के बारे में जानकारी दूं, मेरी बात सुन लें साहब.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात सुन लीजिये ना ? माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये। आप सुन तो लीजिये।

श्री मदनमोहन सिंघल : वह डी. एस. पी. पहले भी रहे हैं मैं उनका नाम आज तक नहीं जानता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सैनीजी, आप सुन लीजिये।

श्री मदनमोहन सिंघल : मैं उनका नाम आज तक नहीं जानता हूं मगर भूतपूर्व विधायक ने दो मर्तबा उनका ट्रांसफर करवाया है। मैं नाम तक नहीं जानता यह जानकारी सदन को दे दूं। डी. एस. पी. का नाम किसी द्वेषता की वजह से नहीं ले रहा हूं यह सदन में कहना चाहता हूं लेकिन वह साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। मेरा इलाका हिन्दु-मुस्लिम इलाका है और संवेदनशील है। आज भी लोग वहां भाईचारे से रहते हैं लेकिन आज असामाजिक तत्व निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिकता फैला कर झगड़ा करवाना चाहते हैं और यह उसका दुष्परिणाम है।

आज भी वहां पर पूरी तरह से शान्ति है। 25 तारीख को कांग्रेस ने राजनीति डालने के लिये धरना दिया लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी सतवाड़ी का आदमी धरने में मौजूद नहीं था। 25 तारीख को एक

श्री मदनमोहन सिंघल)

पैम्फलेट निकला था कि कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया। मैं तो यहां पर था पर गांव के लोग आये थे उन्होंने बताया कि सतवाड़ी का कोई भी आदमी धरने में नहीं गया। आज भी गांव के लोग भयभीत हैं, झूठे मुकदमे में फंसा दिया। आज असल जानकारी मिल गई है कि षड्यन्त्र में उन्हें शामिल किया गया है। मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सतबाड़ी गांव के लोगों को, जो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है वह मुकदमें वापस लिये जाए। जो मृतक का परिवार है उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाय जो बात उन्होंने कही, वह भूमि देने की, रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि उन परिवार वालों से हमने पूछ-ताछ की। उन्होंने कहा कि हमें रुपया नहीं चाहिये। हम जान की कीमत नहीं लेना चाहते। क्योंकि वह नौजवान लड़का था, मर गया, उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए जमीन चाहते हैं जिससे इसके बच्चे बड़े होकर के इसमें गुजारा कर सकें और वह सही मायने में उनके साथ न्याय होगा। बजाय इसके कि उनको आप एक लाख रुपया दो। मैं स्वयं इस बात का हामी हूं कि उनको मेहनत से कमाने के लिए, रोजी-रोटी पैदा करने के लिए जमीन दी जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) इसमें 1 घण्टा 25 मिनट हो गये हैं। माननीय वैद जी।

श्री ईश्वर लाल सैनी : हमारा नाम प्रस्तावित किया गया है पहले हमको मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बैद जी, पूछ लें पहले।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट हो गया है कि सरकारी पक्ष के माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सही नहीं है। हमसे आप उम्मीद यह करें, विपक्षी पार्टी से कि हम जो भी बात कहेंगे वह बिल्कुल सही होगी। यह सम्भव नहीं हो सकता। आपके पास सारे साधन हैं आप अगर सही वक्तव्य नहीं दे सकते, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं तो यह गलती आपकी है और शर्मनाक गलती है। है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार हमारे मुख्यमंत्री जी और सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि तुमने यह किया, तुमने वह किया, तुमने यह गलती की तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी की हुई सारी गलतियों को आप करना ही चाहते हो क्या? अगर हमने कोई गोली चला दी तो आप तोप चलाओगे क्या? कोई पानी मांगेगा तो पानी के बदले में आप गोली चलाना चाहते हो क्या? यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भूतपूर्व एम. एल. ए. के साथ डी. एस. पी. साजिस कर रहा था। हम कब कह रहे हैं कि डी. एस. पी. को सस्पैण्ड मत करो, करो उसको सस्पैण्ड। वह साजिस कर रहा था तो सस्पैण्ड करो उसको। हमने कब कहा था कि मत करो। माननीय मंत्री महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी आन्दोलन में कांग्रेसजन शामिल हो जायें तो गोली चलाना जरूरी हो जाता है?

श्री अध्यक्ष : बैद जी, आप मुझे एड्रेस करिये मंत्री जी को नहीं, मेरे नाम से करिये। मेरे मार्फत।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मैं यह कह रहा था मेरी तरफ ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि आपकी ही पार्टी के, सत्ता पक्ष की पार्टी के एक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आया है वह गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप ही कह रहे हैं कि आपका जबाब गलत है तब बाकी क्या रह गया है सिवाय इसके कि माननीय मंत्री महोदय खडे होकर दुःख प्रगट करें मुझे दुख है, खेद है इस बात का कि मेरे अफसरों ने मुझे गुमराह किया है और मुझ से गलत जवाब दिलवाया । है

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, मैंने प्रायोरिटी से नाम बता दिया। श्री ईश्वर लाल जी सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से महानुभाव विधायकों ने अपने विचार इसमें रखे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर दूं कि पुलिस ने वक्तव्य बनाया है और माननीय मंत्री महोदय ने उसको यूं का यूं पढ़कर सुना दिया है। यह बात सही है कि उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। अब आप सवाल पूछिये। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं इसको आगे नहीं चलाऊंगा। केवल सवाल पूछिये। बातें दोनों तरफ से आ चुकी हैं। विचार आ चुके हैं। केवल सवाल पूछिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेकिन मैं उनका जरूर जवाब दूंगा, माननीय विधायक महोदय, जो कामां से बोले हैं। जिन्होंने हमारी पार्टी पर लांछन लगाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि बढ़िया तो यह होता श्रीमान् कि इसमें मन्त्री जी श्री नत्थीसिंह जी वहां गये थे। उसी जिले के वह मंत्री भी हैं और उनके पास जलदाय विभाग भी है। बढ़िया यह होता कि वह जवाब देते। बढ़िया जवाब यह होता कि वह इसका जवाब देते तोड़ मरोड़कर कोई पुलिस की भाषा नहीं बोलते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी वक्तव्य के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाउस का समय बहुत मूल्यवान है.... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब समय याद आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, यदि आप इस तरह से करेंगे तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको। आप हाउस चलने दीजिए। शांति से चल रहा है। हर बात में आप खड़े हो जाते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। आपका पाइन्ट आफ आर्डर है। सुनिये आप। आप कुछ मर्यादा रखना ही नहीं चाहते। कुछ तो मर्यादा रखिये। जब मैं आपको इतनी छूट दे रहा हूं। आप इतना बोल रहे हैं उसके बावजूद भी आप मर्यादा नहीं रख रहे हैं। हाउस की मर्यादा रखिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में नियम के अन्दर जो प्रक्रिया और नियम हैं अपने यहां के, उसमें यह है कि वक्तव्य के बाद सवाल पूछे जा सकते हैं। भाषण देने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती लेकिन लगातार.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुन तो लूं कि वह क्या कह रहे हैं। Let me hear.

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें मेरा निवेदन यह है कि लगभग दो घण्टे हो गये हैं। किसी भी कन्क्लूजन में हम पहुंचे उसके बजाय भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यही है क्या आपका पाइन्ट आफ आर्डर। This is no point of order सैनी जी, सवाल पूछिये आप। यह बात सही है कि वक्तव्य पर प्रश्न पूछे जाने चाहिये। आपने मदेरणा साहब को सुना है। He has pointedly asked the questions. आप फालो करिये। देखिये पुराने माननीय सदस्य जो अनुभवी हैं, उनको फालो करिये। उन्होंने बिल्कुल सवाल पूछे हैं। आप सवाल पूछिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं माननीय मंत्री महोदय से सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि क्या घटना के ठीक एक माह पूर्व वहां के निवासियों ने कलक्टर साहब को, एस. पी. साहब को, वहां के जलदाय के एक्स. ई. एन. को और वहां के बी. डी. ओ. को रजिस्टर्ड लेटर दिये हैं जिनमें यह मांग की है कि या तो हमको वहां पानी दिया जाये....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पूछे जा चुके हैं सैनी जी आप सुन नहीं रहे थे। मदेरणा जी ने आपसे भी पहले पूछा है, 1989 से कह रहे हैं वह। उन्होंने बहुत हवाले दिये हैं 1989 से कह रहे है कि वह लगातार पूछ रहे हैं सारा पूछ लिया उन्होंने हवाला दे दिया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कलक्टर को यह लेटर मिल गया और तीन-चार-पांच तारीख तक लगातार तीन-तीन रोज तक जब से यह धरने पर बैठे हैं, एस. डी. एम. 3 तारीख को भी आया है, एस. डी. एम. 4 तारीख को भी आया है, और एस. डी. एम. 5 तारीख को भी आया है। जब वहां ऐसी घटना का अन्देशा था तो एस. पी. और कलक्टर वहां क्यों नहीं गये, एक बात ?

दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह बात कबूल की है कि वहां डण्डा पुलिस भेज दी। यह तो गांव वालों ने भी लिखा है कि केवल 8 सिपाही वहां लगा दिये थे 3 रोज से। जब यह कहते हैं तो क्या जब यह अन्देशा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है तो क्या कलक्टर, एस. पी. का जाना जरूरी नहीं था ? और पुलिस फोर्स ज्यादा अधिक भेजने की आवश्यकता नहीं थी ? मैं यह पूछना चाहता हूं, यह बहुत से सदस्यों ने भी पूछ लिया।

तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि, कामां के विधायक ने सीधा हमारे ऊपर लांछन लगाया है कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को जनवादी नौजवान सदस्य ने उठाया है....

श्री टीकमचन्द कान्त : प्रश्न पूछो कि क्या है ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जिसमें कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है ... (व्यवधान) जिनका सम्पर्क रहता है उन्होंने इस संगठन के जरिये यह धरना शुरू करवाया है । मैं उनसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : हो गया । यह प्रश्न आ गया । आगे और पूछिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ... उन्होंने कहा है कि डी. वाई. एस. पी. साहब, मनफूल जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनके घर में जाकर बैठ गये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके घर पर बैठ गये और उन्होंने साजिस रची तो डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? हम चाहते हैं कि उनको भी अरेस्ट किया जाये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस में सबसे पहले माननीय मंत्रीजी यह घोषणा करेंगे कि आज इसी सदन में अभी हमने तहसीलदार के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ, डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ और वहां के एस. डी. ओ. और वहां की चौकी का हैड कान्सटेबल है उस पर 302 की धारा लगा दी है और अभी सस्पैन्शन के आर्डर दे दिये हैं ।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे सारे माननीय सदस्यों ने कही है इसमें निश्चित तौर से ....

श्री अध्यक्ष : यह आप रिपीट मत करिये । कहा है तो आ गया उसमें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं भी अपनी बात कहूंगा, यह क्या है ? आपको इतनी जल्दी क्या हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये । यह मेरी जल्दी नहीं है । सारे सदन का समय है, सारे सदन के समय की जल्दी है । जितनी बात कही जा चुकी है वह रिपीट मत करिये यह नियम है ऐसे मामलों में आपको कहने का हक है । नई बात कहिये पुरानी बात मत करिये आप ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यह कह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य ने स्टेटमेन्ट दिया है वह भी चुनाव लड़कर आ रहे हैं । दूसरी बात है कि आप अखबारों में देख लेना आज नहीं कल, कल नहीं 10 दिन के बाद कि श्रीमान् जी ने बी. जे. पी. ज्वाइन कर ली है और इसलिए यह बहुत सोच-समझ कर बात इस सदन में बोल रहे हैं । क्या माननीय सदस्य जो भरतपुर से एम. एल. ए. हैं, उनकी आत्मा नहीं कचोट रही है कि इतने बड़े काण्ड में वह चुप बैठे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं । यहां के मंत्री महोदय भी गये हैं मौके पर उन्होंने कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि सदस्यों के खिलाफ एसपर्शन कास्ट मत करिये । यह परम्परा नहीं है ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नियम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नियम यह है कि आप किसी भी सदस्य के खिलाफ एसपर्शन कास्ट नहीं कर सकते । यह सब्जैक्ट दूसरा है मैं इसे अलाऊ नहीं करूंगा । (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सैनी जी, आसन पैरों पर है, नीचे बैठो ।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार परमार। (अनुपस्थित)

श्री राम प्रसाद जी, बोलें आप। (व्यवधान) आप सामान्य नियमों का पालन करिये। आखिर समय की सीमा है। आप बिराजिये, सैनी जी। समय की सीमा को क्यों नहीं समझते हैं आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी अन्तिम बात तो आपने सुनी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अन्तिम बात कहिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं राजस्थान सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाये निष्पक्ष।

श्री अध्यक्ष : आप पूछना चाहते हैं, पूछें आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (बैर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं हमारे कांमा से आने वाले विधायक ने जो कहा है वह बिल्कुल असत्य है। यह जो डेलीवेजेज की सरकार है, जो पार्टटाइम की सरकार है उससे मिली हुई बात कही है। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार है उससे मिल कर इन्होंने ...

श्री अध्यक्ष : यह+++मत कहिये। यह परम्परा नहीं है। असत्य कहिये आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले यह बात कहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट के बहुत बड़े नेता हो आप। आपने इतना बडा असत्य बोला है। माननीय मंत्री जी के रूप में आपको यह असत्य नहीं बोलना चाहिये था। इतना बड़ा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। मेरा कहना है कि होम मिनिस्टर यह है नहीं पहली बात तो यह है। इनको होम मिनिस्टरी देनी चाहिए थी उनको होम मिनिस्टरी नहीं दी। उसके बावजूद मैं एक बात कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, यह आप पूरी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार है इन्होंने जो वक्तव्य दिया है यह बिल्कुल असत्य है। अध्यक्ष महोदय, चार आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करी जाये ...

श्री अध्यक्ष : जहां झूठ कहें वहां असत्य लिखिये। आप सदस्य से ? मत करिये आप मंत्री जी से पूछिये उनके वक्तव्य पर कहिये आप। हो गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं हुआ। डी. वाई. एस. पी. ने मौके पर जाकर गोली चलाई हमारे जो राजस्व मंत्री हैं, वहां एस.डी.एम. भरतपुर को लगवाया है। मतलब यह है कि जानबूझ कर जो गोली चलवाई। पांच हजार रुपये लिये। वहां जाकर उनको जवाब दिया। मंत्री महोदय वहां गये आप यह कहते हैं कि सरकार किसानों के साथ है यह बिल्कुल सरकार किसानों के साथ नहीं है, यह गोली की सरकार है इन्होंने आदमियों को मरवाना शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बात और रह गयी। चार आदमियों को जब तक

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 89

(89)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सस्पेण्ड नहीं किया जायेगा मैं सदन में भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मसला बड़ा गम्भीर चल रहा है। ऐसे मसले के ऊपर जो लगातार प्रक्रिया हो रही है जो माहोल बनाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : सवाल करिये आप सवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसमें मुख्य सवाल जो है, जो गम्भीर सवाल है वह है पानी की समस्या और उसी पानी की समस्या के साथ जुड़ा हुआ गोली काण्ड है इसलिए इस पर विचार आपको करना ही पड़ेगा। अब यह गोली काण्ड क्यों हुआ, क्या जो लोग पानी की मांग कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : नया सवाल करिये, क्या है नया सवाल ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मूल प्रश्न यह है कि, मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने दिया जाये। मेरा प्रश्न यह है कि जिस दिन धरना धरा गया था उस दिन लोगों ने एक ही मांग की थी कि माननीय जिलाधीश महोदय को बुला दिया जाये और माननीय जिलाधीश वहां नहीं पहुंचे तो....

श्री अध्यक्ष : यह आ चुका है। नया बोलिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगली बात कर रहा हूं। जो गोली काण्ड हुआ था उससे पहले क्या पुलिस ने कितनी अश्रु गैस छोड़ी थी मुख्यतः जो होता है उसको रोकने के लिए पहले कदम उठाने पड़ते हैं। अश्रु गैस छोड़नी पड़ती है। मेरा प्रश्न सीधा है कि क्या उन्होंने अश्रु गैस छोड़ी या नहीं ? अश्रु गैस के कितने गोले छोड़े ? इससे लोग भयभीत क्यों नहीं हुये ? दूसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों के साथ यह अन्याय हुआ है, जिस माता का लाल गया है क्या उसके बारे में आपने कभी सोचा है। पानी के लिए कितनी कुर्बानी दी है? क्या आपने उस पानी की समस्या को हल किया है ? इसलिए माननीय मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस सदन में घोषणा करें कि उसकी मां को आपने क्या दिया, उसके बाप को आपने क्या दिया और इस पानी की भयंकर समस्या के लिए आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : चलिये हो गया। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) अब मैं किसी को भी अलाऊ नहीं करूंगा, नहीं, मैंने जो नाम थे सब ले लिये। अच्छा, रामकिशन जी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका नाम नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये, मैं खड़ा होकर कह रहा हूं आपसे। माननीय रामकिशन जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको बोलने दीजिये आप। बिराजिये। रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार की घटना घटी है सतवाड़ी में, मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं थी। आखिर मन्त्रीजी ने बयान दिया और मंत्रीजी के बयान देते वक्त अपने विवेक और आत्मा से काम लिया या नहीं लिया इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि राज की एक प्रक्रिया है कि जिस प्रकार का जवाब आता है मंत्रीजी उस जवाब को पढ़ देते हैं। मैं उनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर गोली चलाने की वहां जरूरत क्या पड़ी ? अगर आप यह कहते हैं कि वहां लोगों ने धरणा दिया, रास्ता रोक रखा था तो पहाड़ी से आने के लिए लोग कांमा आते हैं, लोग डीग आते हैं। मान लीजिए वह धरणा दे भी रहे थे और पत्थर भी फेंक रहे थे मैं यहां तक भी मानता हूं तो उससे डेढ़ किलोमीटर दूर पहाड़ी से गोपालगढ़ होकर कांमा से कहीं भी जा सकते हैं किधर से भी आ सकते थे उस सारे मामले को काम में क्यों नहीं लिया गया ? दूसरे, जहां तक इस पानी का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इस क्षेत्र में जाता रहता हूं। आज से कुछ दिन पहले भी गया था जब यह घटना घटी थी और हमारी जिला परिषद की जब मीटिंग हुई थी, उस दिन माननीय सम्पत सिंह जी, माननीय यदुनाथ सिंह जी, दीपा जी हम सब लोग उसमें थे। यह सारे सवाल उठे थे कि जलदाय विभाग का कोई भी कर्मचारी इस इलाके में नहीं जाता है। असल में यह इलाका मेवात है। बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां के लोग भी बड़े सभ्य हैं, गरीब हैं, और विनम्र हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने भंवरलाल जी से भी जो मंत्री महोदय हैं उनको भी निवेदन किया था कि मुझे केवल यह बता दें कि वहां कभी एक्स. ई. एन. गया था ? मैंने खुद कई बार मीटिंगों में कहा कि इस इलाके में पानी की बड़ी किल्लत है। जहां तक मैं इन तथ्यों को नहीं दोहराऊंगा, परसराम जी ने जो कहा प्रद्युम्नसिंह जी ने भी कहा, तथ्य यही है कि इस गांव में पीने को पानी नहीं है। उस गांव की असली समस्या यह है कि वह गांव डेढ़ किलोमीटर लम्बा बसा हुआ है और डेढ़ किलो मीटर गांव में एक तरफ लगी हुई है पी. एच. पी. और बाकी गांव के लिए पानी का साधन नहीं है। इस बात के लिए वहां के लोग बहुत दिन से कह रहे थे। मैंने भी सम्बन्धित अधिकारियों को बता दिया था। न वह मेरा क्षेत्र था लेकिन चूंकि मैं निकलता रहता हूं इसलिए इनको बता दिया था कि संकट है इस मामले को देख लें। तो, मैं मंत्री महोदय, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यह रिवाल्वर छीनने की बात, यह कट्टा और बन्दूक की बात, आप भी मेवों के बीच में रहते हैं। आप जानते हैं वह किस तरह की जाति है। उनमें से कोई-कोई लोग चोरी कर सकते हैं। झगड़ा भी कर सकते हैं लेकिन आम तौर पर अलवर, भरतपुर के मेव पूरी तरह से शासन से बहुत डरने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति मरा था, न तो वह कोई धरने में था, न किसी प्रदर्शन में था। वह तो एक ट्रोली में मिट्‌टी लेने जा रहा था। और जब उसने देखा कि सौ-पचास आदमी खड़े हैं, वह भी खड़ा हो गया और पुलिस ने गोली चला दी। मैं इस गोली के

(श्री रामकिशन)

सम्बन्ध में सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय विपक्ष के लोग कह रहे हैं मैं उनकी बात से इन्कार नहीं करता लेकिन आप को तो दस-पांच साल यह बात कहने का हक है नहीं। इसलिए मेहरबानी करके आपके मुंह से जब यह बात कहते हैं, इस्तीफा दें अन्याय हो गया तब ऐसा लगता है जैसे शैतान कुरान पढ़ रहा है। आप जानते हैं जितने गोली काण्ड सन् 1942 के आन्दोलन में नहीं हुआ, अंग्रेजों के जाने के बाद नहीं हुआ उतना गोली काण्ड एक-एक साल में आपके राज्य में हुआ था। लेकिन हम आपका मुकाबला हम प्रतिपक्ष के लोग आपके चरण चिन्हों पर नहीं चल सकते। मैं माननीय भैरोंसिंह जी से यह निवेदन करूंगा कि गोली के मामले में कुछ मर्यादायें तय हो जानी चाहिये। और कम से कम तय हो जानी चाहिये कि, बहुत उचित सवाल पूछा कि गोली चलाने से पहले क्या कोई गैस के गोले छोड़े गये थे या किसी प्रकार की कोई चेतावनी दी गई थी ? हम यह समझते हैं कि केवल यह कह कर कि कांग्रेस ने गलती की इसलिए हम गलती करेंगे मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यह बहुत अनुचित बात है। हम तो निवेदन यह करना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहा है और हिंसा का जो प्रचार हो रहा है, यह घटनायें निरन्तर आयेंगी आगे इसलिए हमें पुलिस को नये-नये तकनीक इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना चाहिये जिससे कि गोली चलाने की कम से कम जरूरत हो या बिल्कुल जरूरत नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह गोली चलाना बिल्कुल गैर वाजिब था और केस जो बनाया है, मैं माननीय सम्पतसिंह जी और माननीय भंवरलाल जी को ले चलता हूं, न तो मैं आत्मा की बात कहूंगा, न ईमान की बात कहूंगा, यह सब चीजें राजनीति में कोई अर्थ नहीं रखती हैं। वह जाकर फैसला कर दे कि यह सही है क्या ? मैं निवेदन करूंगा कि ठीक है हमें प्रशासनिक हैसियत भी कायम रखनी है, लेकिन सरकार को संवेदनशील होना चाहिये उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी आपकी बहुत जिम्मेदारी है। इतने दिनों की प्रेक्टिस से यह चालीस साल का कुशासन सारे प्रशासन को इतना गलत रास्ते पर ले गया है कि इसको दुरुस्त करने में आपको बहुत संयम भी बरतना पड़ेगा और साहस भी दिखाना पड़ेगा। साहस की जरूरत जब है जब कोई इस प्रकार की घटना हो जाय। मैं कोई लम्बा वक्तव्य नहीं देकर इतना सा निवेदन करना चाहूंगा आपका बयान मेरे हिसाब से 15 प्रतिशत भी सही नहीं है। अगर आप गलत समझें, सरकारी एजेन्सी को, आप कर लीजिये, जो चाहें आप करें लेकिन आप दोनों चलें और मैं भी चलता हूं। मैं भी आपके तत्काल बाद पहुंचा था। मैंने लोगों से पूछा भी था यह सारी मनघढ़न्त कहानियां हैं और इन मनघढ़न्त कहानियों के बारे में मैं सबसे पहले कहूंगा कि रास्ते-वास्ते का कोई वहां झगड़ा ही नहीं था। वहां दो किलोमीटर नत्थीसिंह जी खुद जानते हैं जब पहाड़ी से गोपालगढ़ और गोपालगढ़ से डीग आ सकते हैं, कहां रास्ता रोकने की बात थी थोड़े से कुछ लोग बैठ गये। आप दरख्वास्त उनकी सुन नहीं, प्रतिवेदनों पर विचार करें नहीं, जिला परिषद् में चर्चा हो इसका ध्यान दें नहीं। उस समय एडीशनल एस. पी. साहब भी थे, जलदाय विभाग के

(श्री रामकिशन)

अधिकारी भी थे, भार्गव साहब। उस दिन यह व्यापक चर्चा हुई थी कि मेवात के क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट है। अगर यही घटना कुम्हेर में हो जाती, गोली वाली, यही घटना भरतपुर में हो जाती मैं सोचता हूं सरकार का टिकना मुश्किल हो जाता। लेकिन वह लोग तो बड़े विनम्र हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामकिशन : मैं तो केवल इतनी-सी बात कहना चाहूंगा कि एक तो गोली से मरने वाले के मुआवजे के बारे में कोई सिद्धान्त तय होना चाहिये। अभी आगरे के पास लोग मर गये, वहां के मुख्य मंत्रीजी मुलायम सिंहजी ने एक-एक लाख रुपया उनको दिया है। मैं यह नहीं कहता कि मारते जाओ और एक-एक लाख रुपया देते जाओ। यह मेरा मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी घटना अगर हो जाय तो यह पांच हजार, चार हजार बड़ा मजाक सा लगता है, रुपया तो एक लाख भी कम है, दो लाख भी कम है, दस लाख भी कम है, पचास लाख भी कम है, पर मरने के बाद पांच हजार रुपये का चैक देना ऐसा लगता है जैसे उसका उपहास किया जा रहा है। इस पर सोचें और दूसरा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेव जाति के लोग हैं उनकी औरतें सर्विस नहीं करती हैं। इसलिए निश्चित तौर पर उसके चार बच्चे रह गये हैं और वह न तो आपसे कोई नौकरी चाहेंगे, नौकरी करेंगे भी नहीं। मैंने उस मेव औरत से पूछा कि तुम नौकरी करोगी ? उसने कहा कि ऐसा तो नहीं कर सकते लेकिन अगर कहीं बारानी जमीन खेती के लायक हो तो निश्चित तौर पर देनी चाहिये और इन अधिकारियों के बारे में मैं लम्बी बहस नहीं करके इतना सा ही कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण मामला बहुत ज्यादा बनाया हुआ है। आपने जो वक्तव्य दिया है, आपकी मर्यादा को भी सदन में गिराया गया हैं। मैं यह नहीं कह रहा. माननीय रामप्रसादजी कह रहे हैं हरिजनों के बड़े नेता हैं, जब बड़े नेता हैं तो इसका मतलब थोड़े ही है कि बड़ा असत्य बोलेंगे आप। नेता बड़े होंगे, असत्य तो छोटा ही बोलना चाहिये जब भी तो बड़े आप बनेंगे। ऐसा उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेहरबानी करके बड़े बनने के लिए सच्चाई के नजदीक आना पड़ेगा, और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं अगर आप गड़बड़ करके बोलें और जवाब फिर वही दिया तो आप दोनों चलिये यह सारा मामला असत्य है, फेब्रिकेटेड है और यह सारा केस बनाया हुआ है। जितनी रिपोर्ट आपको दी गई हैं यह सम्पूर्ण रूप से गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब बहुत टाइम हो गया, प्लीज, एक बार सुन लीजिये, फिर मिल जायेगा तो मैं समय दूंगा आपको।

श्री सम्पतसिंह : मैं एक दो सवाल पूछूंगा। एक से अधिक सदस्यों ने मेरे नाम की चर्चा की है इसलिए अगर पूछ लूं तो ठीक है।

Page No. 93

93

श्री अध्यक्ष : हां, सवाल ही पूछेंगे आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने आपको बहुत समय दे दिया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मना कर चुका हूं, नहीं दूंगा। आप बिराजिये, मैं किसी को नहीं दूंगा। या तो आप तय कर लेते कि दो-तीन आदमी ही सवाल पूछेंगे। सारे जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं उन सब लोगों से सवाल पुछवा लिये। समय की मर्यादा से आप, मैं और यह सदन सब बन्धे हुए हैं। (व्यवधान) इस मर्यादा को आप मत तोड़िये, आप बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसी अर्ज है मेरी

श्री अध्यक्ष : आपकी आदत बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि इस आदत को बनाये रखें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरे से क्यों सवाल कर रहे हैं आप? मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पाइन्ट ऑफ आर्डर खड़ा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है?

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि यह एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है जो आप परमीशन दे रहे हैं। एडजोर्नमेंट मोशन के बजाय वक्तव्य आया है मंत्री महोदय का। हर सदस्य को यह अधिकार है कि वह सवाल करे।

श्री अध्यक्ष : 200 सदस्य ...

श्री हेतराम बेनीवाल : चाहे 200 सदस्य पूछें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है... यदि ऐसी कोई व्यवस्था मुझे बता दें तो मान लूंगा मैं। आप मुझे ऐसा बता दीजिए, आप बिराजिये। आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : मैं और मेरा दल एक ही तो हैं।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मंत्री जी से इतना जानना चाहूंगा कि जो वक्तव्य आपने पढ़कर सुनाया सदन में, उससे पहले दो वरिष्ठ मंत्री गये थे। अधिकारियों के अलावा आपने उनसे चर्चा निश्चित रूप से की होगी माननीय भंवरलाल जी से और माननीय नत्थीसिंह जी से। आपके वक्तव्य में ही एक से अधिक विरोधाभास झलकते हैं कि जब भीड़ को प्रशासन ने तीतर-बीतर किया और भीड़ अपने-अपने घरों को चली गई थी फिर क्या वजह रह गई थी पुलिस प्रशासन, जलदाय विभाग के अधिकारी या प्रशासन के लोग वहां सड़क पर खड़े रह गये थे और उस प्रदर्शन में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। महिलाएं बच्चे एवं जितनी भी गांव की भीड़ थी, उसे प्रशासन ने तीतर-बीतर कर दिया। फिर क्या वजह

(श्री सम्पतसिंह)

थी कि प्रशासन वहां सड़क पर खड़ा-खड़ा तमाशा देखता रहा ? और यह निश्चित बात है मंत्री महोदय, प्रशासन जैसे जिम्मेदार नागरिक खाली अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, वे या तो उनको प्रवोक कर रहे होंगे जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि इगो का सवाल है और या प्रतिक्रिया का इन्तजार कर रहे होंगे कि यह दुबारा कितनी देर में यह वापिस आते हैं तो मेहरबानी करके इस पर खुलासा कीजिये और अध्यक्ष महोदय मुझे उतनी ही पीड़ा माननीय सदस्यों को जितनी है। उससे कम नहीं होगी। इस सदन में यह वातावरण बनाया जा रहा है। जहां भी कोई हादसा होगा उसमें सरकार सीधे-सीधे रूप में आती हैं। मैं अपनी सरकार से और नेताओं से यह विनती करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। आप उन लोगों को इस तरह से मौका दे रहें हैं जो एक मृतप्राय: संगठन बन चुका है आज वे गोली की मौत के ऊपर और यह बवेला खड़ा करते हैं दो–चार दिन से यह बात देखने को मिल रही है। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय पूरे सदन से ये सरकार आयेगी और जायेगी लेकिन नागरिकों के लिए आखिर कोई व्यवस्था बनी हुई है। 20–25 रोज हो गये ...

श्री अध्यक्ष : सदस्य एक प्रश्न पूछिये भाषण नहीं।

श्री सम्पतसिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है।

श्री सम्पतसिंह : 20-25 रोज हो गये। आदमी मर गया। ताजिराते हिन्द पर किसी ++ + + का अधिकार है ? क्यों नहीं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जब आदमी मर गया ? एक तरफ एग्रेंजेन्स के मुकदमें दर्ज हो सकते हैं, लेकिन जब आदमी मरा उसका मुकदमा आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. और कामां और पहाड़ी के थाने कोई प्राइवेट लिमिटेड हैं ? चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे ऊंचे से ऊंचा कोई हो। क्योंकि अन्ततोगत्वा इसका रिफ्लेक्शन सरकार पर आता है और अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी को उसी दिन चिट्ठी लिखी और सबसे पहले एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की संयुक्त सरकार के विनम्र कार्यकर्ता के नाते मैं मौके पर सबसे पहले पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस की ओर से एक वातावरण बनाया जा रहा है कि यह वर्तमान सरकार मुस्लिम और कमजोर वर्ग के खिलाफ है। जब भरतपुर में गोली काण्ड हुआ था उस वक्त कांग्रेस का शासन था। वे लोग भी निहत्ते थे, और जब मुगलों ने देखा कि हिन्दू वार करते रुक जाते हैं, गाय अगर बीच में आ जाती है। लेकिन वहां गाय बीच में आ गई थी घने में ग्वालों के लिए फिर भी कांग्रेस के प्रशासन ने गोलियों से सात आदमियों को जान से खत्म कर दिया था और जांच की जो प्रक्रिया पूरी हुई, मेहता आयोग उसमें गठित हुआ था। तमाम बातें नागरिकों की सही मानी गई थी।

++ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये। सीधा सवाल पूछिये आप।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक राजनीतिक पार्टी और सरकार के कार्यकर्ता के नाते जुड़ा हुआ हूं। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री सम्पतसिंह : हां, सवाल ही पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये। हां बोलिये।

श्री सम्पतसिंह : जब वे आदमी मरे मेहता आयोग ने तमाम रिपोर्ट कर दी।

श्री अध्यक्ष : मेहता आयोग कहां से आ गया इसमें ? आप सम्बन्धित सवाल पूछिये।

श्री सम्पतसिंह : इसके सम्बन्ध में मैं अपनी बात 2 ही मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट बोल चुके हैं आप बोलिये। दो मिनट का आपका पैमाना अलग है।

श्री सम्पतसिंह : पांच मिनट ज्यादा हो जायेंगे। मैंने इस सदन में विनम्रता से एक मर्तबा आपको भी आगाह किया है कि प्रशासन इतना स्वच्छंद नहीं होना चाहिये कि सरकार की उस पर कोई पकड़ ही नहीं हो। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जब से वे सात आदमी मरे और राजा मानसिंह मरे उसके बाद भरतपुर में प्रशासन अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करता है। जब चूरू झुंझुनू में बालूराम मरे, तब हमने निवेदन किया था कि पुलिस प्रशासन को इतना स्वछंद नहीं छोड़ना चाहिये। इसलिए में वर्तमान सरकार से खास तौर से प्रभारी मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं, आप पुलिस का पढ़ा-पढ़ाया, लिखा-लिखाया बयान पढ़ के अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेंगे, अपनी सरकार की जिम्मेदारी की इति श्री समझ लेंगे तो यह भी व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अन्तिम सवाल पूछ रहा हूं कि आपने क्यों नहीं दोनों तरफ के मुकदमें दर्ज किये और जब मुकदमा दर्ज कर बाद दर किनार डैड बॉडी को अपने दिन छिपने से पहले-पहले पुलिस प्रशासन की जोरदार और लड़ाकू लहजे में आ गया कि इसको मिट्टी लगाओ इसको जल्द से जल्द, वरना हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे।

अगर यही व्यवस्था आज वर्तमान सरकार में रही जो कमजोर वर्ग, माइनोरिटी गरीब, मजदूर और शोषित के लिए 40-40 साल तक हमारे नेता गए पुलिस प्रशासन और बड़े-बड़े प्रशासन का....

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी, आप एक सवाल पूछिये।

श्री सम्पतसिंह : उसमें मुकदमा दर्ज करिये। मैंने मुख्यमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी है कि हमारी सरकार पर कोई लांछन नहीं आये इसलिए सी. बी. आई. है उससे जांच करवाइये और पूरी प्रक्रिया का नियमन होना चाहिये।

(96)

श्री हेतराम बेनीवाल (सगरिया) : मेरा सवाल यह है कि जब मांग करने वालों ने धरना दे दिया वे किसी रास्ते पर बैठ गये। एक बार उन पर लाठीचार्ज हुआ। डण्डे बरसाये। डण्डे बरसाने के बाद दुबारा पुलिस उनके पीछे भागी। कोई एस. डी. एम, कोई मजिस्ट्रेट उसके बीच में नहीं आया और बिना मजिस्ट्रेट के आॅर्डर के इस तरह की फायरिंग हुई। जिससे एक आदमी मारा गया। क्या राजस्थान सरकार और जिन मंत्री महोदय ने यह बयान दिया है यह महसूस करते हैं कि जो उस जिले के बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने इस मांग को सुना नहीं, जिन्होंने उसको अनदेखा किया गांव के लोगों से बदला लेने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। उसमें उनका कितना हिस्सा है राज्य सरकार का उसके बारे में क्या कुछ किया है और मैं समझता हूं कि यह जो घटनाएं लगातार घट रही हैं ...

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल, खत्म हो गया। माननीय मंत्री जी... (व्यवधान) मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा, माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप पूछिये। चलिये। आप बिराजिए। अच्छा एक सवाल।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जिस परिवार का सदस्य मारा गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है उस अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाये और उसके भरण पोषण का दायित्व भी उस अधिकारी पर डाला जाये ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : महिला सदस्य भी खड़ी हैं इज्जत करिये इनकी। आप बिराजिए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि पहाड़ी इलाके में जो यह घटना घटी है मैं चाहती हूं कि इसकी जांच सी. बी आई. के द्वारा हो : इसमें एस. डी एम. हो या डीवाई एस. पी. या एस. एच. ओ., जो कोई भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आज जो मौजूदा डीवाई. एस. पी. है ये पहले भी डीग में रह चुके हैं और पिछले साल इन्होंने मेरे इलाके में एक छोटा सा गांव पड़ता है बावरियों का शकघरवाई, उस गांव में डीवाई. एस. पी. ने जाकर अपनी गाड़ी से छोटे-छोटे बच्चों को कुचला और वे+ + + गांव वाले भी उस बच्चे की लाश लेकर कलक्टर के पास गये थे। उस दौरान भी कांग्रेस (आई) की सरकार थी। उनको सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके लिए भी मैंने अपने द्वारा भरतपुर में भी इस डीवाई. एस. पी. के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसलिये इसी के साथ....

श्री अध्यक्ष : हां, बस हो गया आपका सवाल। आप बिराजिए हो गया। आपका सवाल।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। माननीय मंत्री जी।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : साथ ही जलदाय मंत्री महोदय मैं कहना चाहती हूं इस गांव में बड़े-बड़े कुएं हैं....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : सदन में माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न भी किये, कुछ भावनात्मक भाषण भी दिये लेकिन यह मुद्दा जो भी कुछ है वास्तव में दुःख का विषय है और जहां इस तरह की कोई दुर्घटना-हादसा हो जाती है वह स्वाभावाविक है कि इसमें बहुत से राजनीतिक कारण भी आ जाते हैं बहुत सी सच्चाई की बातें भी आती हैं। बहुत से भावनात्मक बिन्दु भी आते हैं सब प्रकार की यह चीजें हमेशा संसद में या असेम्बली में आती रहती हैं। इसमें सबसे मोटा मुद्दा यह है कि झगड़ा क्यों हुआ? पब्लिक की मांग क्या थी? माननीय परसराम जी ने बड़ी भावनात्मक तरीके से, बड़ी वेदना के तरीके से, बड़े दुःखपूर्ण तरीके से इस बात को रखा। मैं भी अपनी भावनायें उसमें शामिल कर लेता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : I was as cold as ice in my speech. मैं बड़े ठंडे दिमाग से बात कर रहा था, आप भावना की कौन सी बात कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : आप तो हर एक बात भावना में उड़ा रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या भावनायें ठंडे दिमाग से नहीं रखी जाती?

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनायें बहुत ठण्डी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब है कि मैं इमोशन को एराइज कर रहा था।

श्री सम्पतराम : तो माननीय अध्यक्ष जी, इस गांव में ईश्वर की कृपा से अन्डर ग्राऊन्ड वाटर बहुत अच्छा है और था भी काफी....

श्री यदुनाथसिंह : अब नहीं है।

श्री सम्पतराम : बात सुनिये इसलिए पी. एच. ई. डी. ने एक योजना बनाई थी, और उस गांव के अलावा जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने कबूल किया है मैंने भी कहा है 8–9 गांवों में पानी दिया है। अब यह कहना कि वह पानी के लिए तरस रहे थे, पानी तो वहां था, पानी वहां मिल रहा था। यह हो सकता है कि आजकल सबकी मांग ज्यादा होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग मांग करते हैं, उनकी मांग और ज्यादा पानी लेने की थी। यह हम मान सकते हैं। अभी आपने एक बात और कह दी, तथ्यों की जानकारी तो थी नहीं माननीय परसराम जी ने कह दी। मैंने, टूंटी जो लगा रखी थी इसकी गिनती मैंने उस वक्त की बताई है जिस वक्त यह घटना हुई। आज की घटना मैं अर्ज नहीं कर रहा हूं....

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी सुनते नहीं बीच में अवरोध पैदा करते हैं। मैंने कितनी शान्तिपूर्वक तरीके से सबको सुना है। नहीं, आपको मेरी बातें सुननी पडेगी। आप सुनिये। गलत बोलूं तो जवाब दे देना। इसके बाद वहां पर और टूंटियां लगाई गई और एक हैण्ड पम्प भी लगाया गया है। यदि मैं आज की हालत का बयान उससे जोड़ता तो मेरा यह न्यायोचित बयान नहीं होता, वह घटना

(श्री सम्पतराम)

हुई थी उससे पहले वस्तुस्थिति क्या थी यह सरकार का फर्ज था जो मैंने सामने रखा। तो पानी की कमी नहीं थी और वहां क्या गड़बड़ थी, पीने के पानी की समस्या नहीं थी और समस्या यह थी अध्यक्ष महोदय, कि वहां पानी में बोरिंग करने से उनके जो दूसरे कुएं थे उन कुओं में पानी नीचे चला गया था। यह एक परेशानी बहुत बड़ी हो पैदा गई। ऐसा लोग महसूस करते थे। जोधपुर में मैं भी गया था। माननीय परसराम जी के बड़े शहर में, तो वहां भी नजदीक में बोरिंग बहुत हो गये थे और उसकी वजह से वहां के किसानों की शिकायत थी कि चूंकि यह बोरिंग हो गये और जोधपुर को पानी सप्लाई किया जा रहा है यहां से बोरिंग को हटाया जाये हम इसको पसन्द नहीं करते। आम तौर से शिकायतें हो जाया करती हैं, यह कोई बुरी बात नहीं है। तो पानी नहीं था और लोग प्यासे मर रहे थे। यह कोई समस्या नहीं थी। और यह बात बिल्कुल सत्य है अध्यक्ष महोदय, न प्रशासन की मनशा थी न जनता की मंशा थी यह जो दुर्भाग्य से घटना होनी थी जो घटना हो गई और वहां पर आप कह रहे हैं कि और लोग क्यों नहीं आये। जितना प्रशासनिक ढांचा था वह मिल कर आया था और वहां पानी की कमी बिल्कुल नहीं थी और जो व्यवस्था और बढ़ानी चाहिये थी वह भी बढ़ा दी गई थी और हमारे माननीय मंत्री महोदय, उस स्थान पर गये भी थे। और उनके जाने के बाद कुछ टूंटियां और बढ़ाई गई हैं कुछ हैण्ड पम्प भी बढ़ाये गये हैं और इसके अलावा यह भी किया गया है कि वहां पर एक और बोर किया जाये और कौनसा स्थान वह ठीक हो सकता है जहां पर पानी की उपलब्धता हो वहां पर बोर करके और उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। तो यह पानी की समस्या अपने आप में इतनी भयंकर नहीं है जिसकी वजह से यह झगड़ा हुआ हो या लोग आन्दोलन कर रहे हों या भूख हड़ताल कर रहे हों, लेकिन खुदा न खास्ता यह बात पैदा हो गई। अब वहां पर गये, राजीनामा कराके उनको समझा के अपने तरीके से, उनको घर भेज दिया गया। मैंने अपनी स्टेटमेन्ट में कहा है चले गये लेकिन बड़े गुस्से में थे। उसके बाद भीड़ आती है और भीड़ आने के बाद काफी गुस्से में पत्थर भी हैं, लाठी है और चीजें भी हैं और उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पहले कौन कहता है कि मैं असत्य बोलता हूं, एस. डी. एम. ने लाठी चार्ज का आर्डर दिया। लाठी चार्ज का आर्डर देने के बाद जब वह इल्लीगल असेम्बली उसको डिक्लेयर किया उसके बाद कहा गया कि आप चले जाइये, उसके बाद लाठी चार्ज का आर्डर दिया और जब कन्ट्रोल नहीं हुआ थानेदार को पकड़ कर खींच कर ले गये, अध्यक्ष महोदय, उनके दोनों हाथ तोड़े, उसके सर में फ्रेक्चर हुआ है वह वहां पर अस्पताल में दाखिल हुआ है उसके बाद जयपुर आया है। मेरे पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट है.. (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। आप धैर्य से सुनिये। आपको मौका मिलेगा, फिर पूछ लेना। उसके बाद में पांच-सात आदमी और घायल हुये। एस. डी. ओ. घायल हुआ है, तहसीलदार घायल हुआ है, एस. एच. ओ. घायल हुआ है और जब

(श्री सम्पतराम)

इस प्रकार का माहौल बन गया और गांव कन्ट्रोल में नहीं रहा तो अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रशासनिक ढांचा होगा, उसको अमन चैन शान्ति कायम करने के लिए इस प्रकार के कदम तो उठाने ही पड़ेगें। माननीय सदस्य सब जानते हैं पिछले वर्षों में, हमारे प्रान्त में नहीं बल्कि सारे देश में जहां कहीं भी सरकारें रहीं ऐसे मौके तो आए ही हैं। आपके घना में क्या हुआ था, 6 आदमियों को मार दिया गया था 20 आदमी घायल हुए थे, सबका सस्पैण्ड कर दो। हम सस्पैण्ड भी कर देंगे हम, बर्खास्त भी कर देंगे, हम इन्क्वायरी भी कर लेंगे, इसमें अध्यक्ष महोदय, कोई शक नहीं है लेकिन जो उधर से बोल रहे हैं, 6 आदमी गवाले जो भेड़ बकरी चराने आये थे उनको घाना में भून दिया गया था और 20 आदमी घायल हुए थे और फिर मुआवजा थोड़ा दिया। मुआवजा देने के बारे में सरकार सोच सकती है.... (व्यवधान) सुनिये, बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पता नहीं है, यू वर नाट हियर। आप बैठिये। सुन लीजिये पहले।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो अपराध हो रहे हैं

श्री अध्यक्ष : पारीक साहब, जरा धीरज रखिये, धैर्य से सुन लीजिये।

श्री सम्पतराम : मैं यह अर्ज कर रहा था। उस समय मरने वालों को तीन-तीन हजार रुपये दिये थे, जब माननीय गोविन्द सिंह जी यहां के मिनिस्टर थे और मैं यह कहता हूं सत्यता से उस हादसा को कराने वाले यह गोविन्द सिंह जी थे। मेरे पास.... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी बात भी सुन लेना।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें तो।

श्री अध्यक्ष : आपको स्पष्टीकरण देने का मौका दे दूंगा। आप बिराजें।

श्री सम्पतराम । वहां के एक गुर्जर भाई मुझसे बड़े ताल्लुक रखते हैं बड़े मेल रखते हैं उनसे मेरी बात हुई थी जब फोरेस्ट में मवेशी चरना मना था आपने ऐसा क्यों किया ?....

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सम्पतराम : ऐसा क्यों किया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप लोग जितने बोले हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कोई सरकार का जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उनकी बात सुन तो लें आप। माननीय मंत्री जी आप जरा विषय पर रहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : घना सैंक्च्युअरी की बात नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कह दिया....

श्री राजेन्द्र पारीक : सतवाडी में जो कुछ हुआ है उस पर बयान दीजिए मंत्री महोदय आप....

श्री अध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, इनको कन्ट्रोल करिये। Control him. He is a new man.

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा और आपका आदेश हुआ, कि मैं इसी मुद्दे पर बोलूं। लेकिन वह मुद्दा जब इस मुद्दे पर माननीय सदस्य बोलें, इनका मानवीय कर्त्तव्य होता था, कि पिछले मुद्दे जो उनके जमाने में हुए उन पर गौर तो कर लेते। मैं तो उस पर नहीं बोलूंगा। उसमें पांच-पांच सौ रुपये दिये घायलों को....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप उनको एक पैसा मत दो कौन कह रहा है आपसे और मरवा दो... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय,

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी तो गारंटी दीजिये....

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था यह पानी का प्रश्न था इसके मामले में मैंने सदन के सामने निवेदन किया। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री, महोदय, जब....

श्री अध्यक्ष : अब वह मूल मुद्दे पर आ रहे हैं, मूल मुद्दा सुन लीजिए। अब तो मूल मुद्दे पर आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मूल मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री जी मूल कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह मूल मुद्दा नहीं है। माननीय मंत्री जी ....

श्री परसराम मदेरणा : और जब यह सदस्य मेरे साथ....

श्री अध्यक्ष : मदेरणा साहब, यह आपकी पुरानी दोस्ती है, आप पुरानी बातें शुरू कर लीजिये। मदेरणा साहब, बिराजिये आप, माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल बात पर आता हूं। पानी की किल्लत थी तो होनहार हादसा हो गया। सवाल यह है कि उस वक्त जब भीड़ चली गई थी वहां से ....

श्री अध्यक्ष : बात यह है जब दो पुराने दोस्त बात करते हैं तो पता नहीं क्या-क्या बातें कर जाते हैं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, हम एक दूसरे को जानते बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष : इतना जानते हैं कि पता नहीं।

श्री सम्पतराम : एक दूसरे के दाव पेच भी जानते हैं। और हमने यह भी तय कर रखा था कि किस हद तक सत्यता बोलते हैं और किस हद तक इससे आगे जाते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कल्पना बिल्कुल नहीं थी। वह भीड़ चली गई थी जाने के बाद पता नहीं किन कारणों से दुर्भाग्य से वह एक दम जोश में आ गई, कन्ट्रोल में नहीं रही,

(श्री सम्पतराम)

पत्थर भी फेंके गये, सब कुछ हुआ। अन्त में उन्होंने इसको आगाह किया कि आप मना करिये नहीं तो फोर्स स्तेमाल किया जायेगा। आपने बहुत सही सवाल किया है कि टीयर गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, टीयर गैस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, मैं मानता हूं, लेकिन यह अन्देशा नहीं था कि वहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, गोली चलाने की नोबत आएगी, कोई दोनों तरफ से पाले मंडे हुए नहीं थे कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फायरिंग का इस्तेमाल करना था या भीड़ उन पर हमला करने वाली थी। यह तो कुदरती एक चीज पैदा हो गई जिसकी वजह से फायरिंग करना पड़ा। तो उस समय (व्यवधान)....लाठी चार्ज करने का....

श्री अध्यक्ष : देखिए, मंत्री जी मूल मुद्दे पर अपनी बात कह रहे हैं। अब आप इसको लीपा-पोती (व्यवधान) आप जो चाहे समझें लेकिन उनकी बात सुनें, प्लीज। आप मंत्री रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह क्या कह रहे हैं? इसको आप क्यों कह रहे हैं? वे खुद ही कह रहे हैं न।

श्री सम्पतराम : लाठी चार्ज का आर्डर देने पर भीड़ और भड़केगी, पत्थर वगैरह सब कुछ आने लग गया, थानेदार को खींचकर भीड़ अन्दर ले गई, रिवाल्वर को छीन लिया। एक आध राइफल भी छीनी जो लोडेड थी। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, कोई विकल्प नहीं बचता था कि फायरिंग के आर्डर दिये जाते। और भी कोई दुर्घटना हो सकती थी तो कोई भी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, सुनिये। Let him complete. This is not the way. आप पुराने सदस्य हैं।

श्री सम्पतराम : ऐसी हालत में जो कोई भी अधिकारी किसी जगह होता है, अध्यक्ष महोदय, उसके कर्त्तव्य को निभाना बड़ा कठिन होता है। आज हम आलोचना कर रहे हैं। हममें से ही कोई माननीय सदस्य उस वक्त एस. डी. एम. होता या और कोई अधिकारी होता तो उस समय जो हालात थे उनको भी कार्यवाही करनी पड़ती। यह तो आवश्यक थी। अब सवाल यह है कि वह जो फायरिंग है, वह ठीक हुआ या उस समय इस तरह के हालात नहीं थे। तो वह एक इन्क्वायरी का विषय है। इन्क्वायरी दी है ए.डी.एम. को। तीन-चार बिन्दु हैं जो कलक्टर को दिये हैं वे उसकी जांच कराते। जांच रिपोर्ट आने के आधार पर मालूम पड़ेगा कि कहां-कहां पर क्या-क्या गड़बड़ हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : मंत्री महोदय, ये ए.डी.एम. 250-250 रुपये की रिश्वत लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह : This is silly enquiry. आप उनको अपनी बात तो करने दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : पूरे सदन की मांग है न्यायिक जांच हो और सी बी.आई. की जांच हो ।

श्री सम्पत सिंह : 250-250 रुपये की रिश्वत ले रहा है 4 साल से भरतपुर में, वह इन्क्वायरी करेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात पूरी करने दीजिए । आप पूरी बात करने दीजिये, मंत्रीजी को ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मुद्दे पर नहीं आये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह पूरे सदन की हाऊस कमेटी बना दीजिये या फिर....

एक माननीय सदस्य : सी.बी आई. से जांच कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिए ।

हां, माननीय मंत्री जी । (व्यवधान) पूरी बात तो सुन लीजिये आप । क्या पता आप जो चाहते हैं वही कर दें । सुन तो लीजिए आप । देखिए मैं अकेला हूं । मेरा लंग्स पावर आप सबसे बहुत कम है । आप मेरे पर दया करिये, मेरा लंग्स पावर बहुत कम है । इसलिए जो है ..

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जांच दी । माननीय सदस्यों ने शंका पैदा की और कहा है कि सी. बी. आई. की जांच जरूरी है । पिछले वक्त में माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बड़ी अजीब बात है, सुनना नहीं चाहते । This is not the way.

श्री सम्पतराम : उस समय एक से अधिक बार कुछ ऐसे मुद्दे आये थे जब हमने सी. बी. आई. को जांच देने का प्रश्न उठाया था लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताता हूं जो मेरा पिछला अनुभव है, सी. बी. आई. हरेक केस को लेती नहीं है । अब मैंने व्यक्तिगत प्रधान मंत्री जी से बात की उसके बाद भी कुछ मुद्दों पर फेल हो गए थे । अब मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की ऐसी मांग है, शक करते हैं तो हम किसी भी रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य को यह जांच सुपुर्द करते हैं ताकि इण्डेपेन्डेण्ट जांच हो जाय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरा वक्तव्य हो जाने दीजिये । फिर आपको प्रश्न करने का मौका मिलेगा ।

हां, बोलिये आप, मंत्री जी ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : हमारे माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि डी. वाई. एस. पी. से हमारे भूतपूर्व एम. एल. ए. मिलकर इस आन्दोलन में शामिल था, बात की शंका भी किसी माननीय सदस्य ने की थी । हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पर किसी प्रकार का कलंक आये । अगर राजस्थान सरकार वाकई में निष्पक्ष है....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप देर से आए हो, अभी आपका लंग्स पावर बराबर पूरा है। इसको पूरा एक्जास्ट करोगे। हमारा एक्जास्ट हो गया है इसलिए सुन रहा हूं।

बोलिये, मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल रेलेवेन्ट और टू दी पाइन्ट बोल रहा हूं। माननीय सदस्यों की भाषा नहीं बोल रहा हूं। आपने भी सुना है कितना विस्तृत भाषण दिया है कितना नहीं दिया, अब देखिये...

एक माननीय सदस्य : पिस्तौल की रिकवरी हुई कि नहीं, यह बता दो। पिस्तौल छीनी गई थी। उसकी रिकवरी हुई या नहीं हुई यह बता दें। जो थानेदार से रिवाल्वर छीना गया था, जो आपने बताया स्टेटमेन्ट में, उसकी रिकवरी हुई कि नहीं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो थानेदार से रिवाल्वर छीना गया था उसकी रिकवरी हुई कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : पोस्टमार्टम की बात आप कहते हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, सी. बी. आई. से इसकी जांच होनी चाहिये। भरतपुर जिले की जितनी भी शिकायतें हैं, उसकी सी. बी. आई. से जांच होनी चाहिये। उसको सस्पैण्ड किया जाय, उनको यहां से हटाया जाय। सब जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये माननीय मंत्री महोदय।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष जी, मेरी बात न सुनने की वजह से माननीय सदस्यों को कष्ट हुआ उसके लिए तो मैं अपने पर अफसोस करूं, उन पर क्या करूं। मैं यह अर्ज कर रहा था, सारी डिटेल्स में जा रहा था अभी जांच का विषय था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने तरीके में अपने आप आज्ञा देता है।

श्री चन्दनमल बैद : डिटेल में आपका स्टेटमेंट आ गया था। आप तो जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे उनका जवाब दीजिये कि पोस्टमार्टम रात को 12 बजे हुआ या नहीं हुआ। रिवाल्वर को छीना गया वह बरामद हुआ कि नहीं हुआ। यह बात बताइये आप। फिजूल इधर-उधर घूम रहे हैं आप।

श्री सम्पतराम : आपने सारे भारत का पिछला इतिहास लिख दिया अपने भाषणों में, मेरी बात सुनना नहीं चाहते आप। सारी इर्रेलेवेन्ट बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : भाषणों से इतिहास लिखने वाली बात नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : आपको क्या नाराजगी हो रही है उससे ? मैंने इतिहास लिख दिया तो आपको नाराजगी क्या हो रही है ? ठीक है, आप मर्जी आये जो करना है सो कीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने सदन में माननीय श्री गोविन्दसिंह जी पर ब्लैम लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही श्रीमान जी, चलाना नहीं चाहते। सुनिये आप। बैठ जाइये। आप बिराज जाइये। सुनिये, प्लीज सिट डाउन। मंत्री महोदय, बोलें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, वह राइफल भी गई थी और रिवाल्वर गया था। अब सुनिये शान्ति से। वह रिवाल्वर भी रिकवर हो गया और वह राइफल भी रिकवर हो गई ?

श्री हेतराम बेनीवाल : किससे हुई रिकवर, नाम बताइये। यह बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। रिकवर होती हैं उसके खिलाफ केस दर्ज होता हैं। हाऊस में असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस का निर्णय यहां होगा क्या ? इसका निर्णय यहां नहीं होगा। इसका निर्णय यहां नहीं होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कोई रिकवरी नहीं हुई है। वह वह रिकवरी फाल्स है। कोई रिवाल्वर नहीं पकड़ी गई है। उन पुलिस अधिकारियों ने....

एक माननीय सदस्य : रिकवरी हुई तो रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई ?

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, धारा 395 का कोई केस दर्ज नहीं है। अगर धारा 395 का केस दर्ज हो जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य, यहां पर जब सवाल यह आ रहा है, दो तरह की स्टोरीज यहां आ रही है .... (व्यवधान) आप सुन तो लीजिये। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो यह तो इन्क्वायरी का विषय है। अब आप सुन तो लीजिये पहले। जो तथ्य वह कह रहे हैं वह गलत है, या सही है, आप सुनिये पहले। जो आप ने पूछा, रिवाल्वर बरामद हुआ कि नहीं, आपने पूछा राइफल बरामद हुई कि नहीं। उन्होंने कहा, हो गई। अब वह गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, यह विषय तो यहां तय होगा नहीं। इसलिए आप पहले सुन तो लीजिये ना। वह जो भी बोल रहे हैं वह आप एक बार सुन लीजिये। आप फिर अपना कमेन्ट कर देना। आप बाद में पूछ लेना पहले उनको बोलने तो दीजिये।

माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष जी, इसमें एक केस तहसीलदार की तरफ से रजिस्टर हुआ है और एक केस जनता की तरफ से रजिस्टर हुआ है। दोनों केसेज जेर तफ्तीश हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : Under Sections.

श्री सम्पतराम : Under so many Sections.

श्री हेतराम बेनीवाल : 395 में हुआ कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : 395, किस में ?

श्री हेतराम बेनीवाल : राइफल छीनी थी।

श्री सम्पतराम : राइफल छीनना डाके में नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : राइफल छीन ली और कुछ नहीं है, वह ?

श्री सम्पतराम : देखिये सुनिये, ग्रामीणों की तरफ से हुआ है 147, 148, 149, 302, 307, 323, 208, 395...

श्री हेतराम बेनीवाल : एफ. आई. आर. नम्बर ?

श्री सम्पतराम : एफ. आई. आर. नम्बर तो मेरे पास नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह दावा किया है इन्होंने। इस्तगासा किया है, कोई एफ. आई. आर. नहीं की।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप गलत बोल रहे हैं। यह एफ. आई. आर. नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में असत्य बोल रहे हैं। आप हाउस के अन्दर गलत बोल रहे हैं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इनको गलत इल्यूशन है। 156 (3) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी थी हव केस पुलिस में आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को शायद पता होगा यदि इस सदन में कोई असत्य बोलता है और मिसगाइड करता है.... (व्यवधान) आप सुन लीजिये। अब या तो आप संभाल लें इस हाउस को।.... तो उस के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज बन सकता है। आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि कोई असत्य बोल रहा है, जान बूझ कर गुमराह कर रहा है तो There are remedies. There are remedies provided in the Rules. Please follow those remedies.

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जानने वाला सत्य तो बोलें।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत दिनों तक मंत्री रहे हैं उसका लिहाज करिये, मेरा छोड़िये।

मंत्री महोदय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया वह हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य है आपकी बात, लेकिन मंत्री महोदय कह रहे हैं एफ. आई. आर. की बात, जब कि उसका मामला उस थाने में दर्ज ही नहीं हुआ। वहां पर थानेदार ने लिया नहीं। बाकायदा इस्तगासा इसका पेश हुआ है और इस्तगासा पेश होने के बाद में...

श्री अध्यक्ष : अब वह कह रहे हैं कि एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। अब सुन तो लीजिये आप। माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य जरा जल्दी से दे दें।

श्री सम्पतराम : हां, जल्दी दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मजा मत लीजिये, जल्दी दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय नेता, माननीय मुख्य मंत्री जी का मैसेज कन्वे

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

कर रहे हैं। नत्थीसिंह जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का मैसेज कन्वे कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : 156 (3) में मुन्सिफ कोर्ट से पुलिस में आया है और उस वक्त रजिस्टर किया गया है। यह कहते हैं केस रजिस्टर नहीं हुआ ऐसा नहीं है। 156(3) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां दायर किया गया था और उसके यहां से आया। वह केस दर्ज हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह एफ. आई. आर. नहीं होती है।

श्री सम्पतराम : एफ. आई आर. तो दर्ज करनी पड़ेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका मतलब प्राइवेट इस्तगासा है।

श्री सम्पतराम : नहीं प्राइवेट इस्तगासा नहीं है, भाई। इसके बाद, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें क्या अर्ज करूं ? उसको प्राइवेट इस्तगासा की तारीफ में ला रहे हैं। अब कानून के पण्डित हैं, मैं तो कानून का पण्डित भी नहीं। यह 156 में जो आता है उसमें भी पुलिस जांच करके एफ. आई. आर. दर्ज करती है, वह प्राइवेट कम्पलेन्ट नहीं है।

इसके बात जहां तक एस. डी. ओ. का प्रश्न आया है, जहां तक डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट का प्रश्न आया है, मैं सदन के माननीय सदस्यों की मंशा का, स्वागत करता हूं और जो भी इन्क्वायरी सही हमसे बन सकेगी वह हम करेंगे। अभी हमने जांच स्थानीय पुलिस को नहीं दी है। हमने वहां के बड़े अफसर डी. आई. जी. को दी है। वह डी. आई. जी. साहब उसकी जांच कर रहे हैं। इसमें कण्डक्ट एस. डी. ओ. का या डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट का क्या रहा है उसके बारे में हम और सी. आई. डी. से जांच करा लेंगे और कोई अच्छा वरिष्ठ अधिकारी होगा उससे जांच करा लेंगे। आपने बहुत सी बातें मुझसे कही हैं और कहना चाहिये क्योंकि जो भी सरकार में आयेगा उसको इन बातों का, अध्यक्ष महोदय, कुछ न कुछ तो सुनना पड़ेगा ही, लेकिन एक बात का मैं यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ भी इस सरकार से बनेगा, वह ईमानदारी से, सच्चाई से जो दोषी होगा उसको दंडित करेगी और सही बात है वह की जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री महावीर प्रसाद। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात के 12 बजे हुई है। पोस्टमार्टम रात के 12 बजे हुआ है या दिन में हुआ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आप बैठिये। आप, माननीय सदस्य, बिराजिये। सब खड़े होकर बोलेंगे। अंकित मत करो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री परसराम मदेरणा : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिकाओं का उपस्थापन

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

(1) टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण के प्रसार तथा विद्युत वाल्टेज में सुधार किये जाने विषयक,

(कांग्रेस (ई) के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)।

(2) टोंक विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को कृषि उपज मंडी के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने विषयक, एवं

(3) टोंक नगर परिषद क्षेत्र में बिजली, शुद्ध पेयजल, सड़क एवं सफाई की भयंकर अव्यवस्था में सुधार करने विषयक।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाई जाय, मैं इसके लिए सदन में धरना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। विधायी कार्य।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गोविंदसिंह गुर्जर द्वारा स्पष्टीकरण

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ एक्स्प्लेनेशन।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूंगा। आप बिराजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं नहीं बैठूंगा, अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप बैठ जाइये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं नहीं बैठूंगा। आप मेरे को निकाल दीजिए। मैं नहीं बैठूंगा। मेरे खिलाफ आरोप लगाया। आप जवाब नहीं देने देंगे। यह मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : बोलिए, क्या है आपका ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़े आसान तरीके में कह किया कि गोविन्द सिंह ने भरतपुर में 6 आदमियों को मरवाया। मैं नहीं समझता था कि इतने सीजण्ड आदमी, बुजुर्ग आदमी, मेरे से पहले भी मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस के भी और जनता दल के भी। अगर कोई सम्बन्धित मंत्री किसी भी हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार है तो जो 9 आदमी मरे उसके लिए मुख्य मंत्री जिम्मेदार है। 1977 से 1980 तक जो आन्दोलन हुए उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप गृह मंत्री थे।

एक माननीय सदस्य : 1977 से 1980 के बीच कौनसा आन्दोलन हुआ जरा बतायें तो सही। कांग्रेसी तो चले गये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप लोग बहुत से यहां थे नहीं ...

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। आपने नहीं मरवाया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने नहीं मरवाये, इन्होंने मरवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप तो थे। उसकी ज्युडिसियल इन्क्वायरी हुई हाई कोर्ट के जज के द्वारा, जो मुख्य मंत्रीजी के पास है। उसमें अगर पाया गया कि मंत्री का कण्डक्ट विवादास्पद है तो मेरे को फांसी दीजिए, मैं तैयार हूं लेकिन इस तरह का इल्जाम नहीं लगावें। आप मंत्री जी को समझा दीजिए वर्ना उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे से ज्यादा कसूर उनका है। उनका चरित्र कहीं मेरे से ऊंचा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (मंत्री संसदीय मामलात) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर-स्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक पर बहस के लिए समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कि परिवर्तित आय-व्ययक, बजट 1990-91 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए जो पार्टियों को समय तय किया गया है वह इस प्रकार है।

(श्री अध्यक्ष)

सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार के द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :—

बी. जे. पी.	6 घण्टा	35 मिनट
जनता दल	4 ,,	30 ,,
कांग्रेस पार्टी	4 ,,	—
सी. पी. आई.	—	10 ,,
निर्दलीय	—	45 ,,

श्री चन्दनमल जी बैद।

परिवर्तित आय-व्ययक, 1990-91 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस सदन में पहला पूरा बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था इस सदन में तीन महिने पहले, उस पर जो मैंने कहा था उससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आठवें फाइनेंस कमीशन ने राजस्थान को 5 साल के लिए 1676 करोड़ रुपये का आवंटन किया। नवें फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट से राजस्थान को 6525 करोड़ रुपये का आवंटन किया, यानि पहले अगर 5 साल के आवंटन से राजस्थान को प्रतिवर्ष 335 करोड़ मिलते तो इस आवंटन से 1305 करोड़ रुपये मिलेंगे। यानि हर साल, नवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के कारण से, राजस्थान को करीब-करीब 1 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद राजस्थान का यह पहला बजट है और इस 57 पेज के भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहीं भी उस फाइनेंस कमीशन का जिक्र नहीं किया। किसी भी प्रदेश के बजट का भाषण दो ही चीजों से सम्बन्ध रखता है। एक तो फाइनेंस कमीशन और एक प्लानिंग कमीशन।

(03.27 म. प.)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति पदासीन)

या तो प्लान का कुछ हिस्सा होगा या नॉन प्लान का कुछ हिस्सा होगा। इसके अलावा तो बजट में कोई चीज नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय वित्त मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी ने फाइनेंस कमीशन, जिसने राजस्थान को आठवें फाइनेंस कमीशन के मुकाबले करीब-करीब 400% का इजाफा दिया है, उसका अपने भाषण में जिक्र भी नहीं किया। ठीक है, वह नहीं चाहते थे कि इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से जो राजस्थान को फायदा हुआ है उसका श्रेय पुराने मुख्य मंत्री माननीय हरिदेव जोशी या माननीय शिवचरण जी माथुर को मिले, लेकिन कम से कम फाइनेंस कमीशन का जिक्र तो वह कर सकते थे कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से हमें इस साल 1 हजार करोड़ का इजाफा हुआ।

श्री केदारनाथ शर्मा : पहले कर दिया था।

Page No. 110

(110)

श्री चन्दनमल बैद : इस बजट भाषण में करना जरूरी था। उस वक्त भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। वह भी तब किया जब कि मैंने इस बात को कहा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक हजार करोड़ का इजाफा हुआ उसका जिक्र कहीं पर आपने नहीं किया, यह नहीं बताया कि किस प्रकार से इसका खर्चा कर रहे हैं, न आपके किसी डाकूमेन्ट में इसका असर दिखाई देता है। तो हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि आखिर एक हजार करोड़ रुपये हमको फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से एक्स्ट्रा मिले हैं उनका कहां उपयोग कर रहे हैं, कहां लगाया है, किस जगह खर्चा किया है।

दूसरा सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के पेज 31 पर पैरा 86 में जो कहा है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा – "मार्च, 1990 में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय मैंने अपने वक्तव्य मे वर्ष 1989–90 के अन्त में 70.75 करोड़ का घाटा अनुमानित किया था। करों की बेहतर वसूली और खर्चे पर अंकुश लगाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार यह घाटा केवल 42.14 करोड़ का रहा है।"

बड़े जादूगर हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी। 26 तारीख को वक्तव्य पेश किया तब घाटा था 70.75 करोड़ और पांच दिन के अन्दर ही जादू करके उस घाटे को 42.14 करोड़ कर दिया। और कहते क्या हैं, करों की बेहतर वसूली। पांच दिन में बेहतर वसूली होगी। और खर्च पर अंकुश लगाने के कारण। सभापति महोदय, मैं अभी जिक्र कर रहा था फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कह रहे हैं कि खर्चों पर हमने अंकुश लगाया। अब मैं आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। यह आय-व्ययक अध्ययन जो है, उसके पेज 42 पर नॉन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर। रेवेन्यू खाते में दो तरह के एक्सपेंडीचर होते हैं–एक डवलपमेंट एक्सपेंडीचर और दूसरा नॉन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर, डवलपमेंट एक्सपेंडीचर में अगर आप खर्चा बढ़ाते हैं तो हम यह समझते हैं कि कुछ न कुछ डवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर रेवेन्यू खाते में अगर आप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि खर्चों पर आपने अंकुश लगाया, दूसरी तरफ आपकी इसी स्टेडी के पेज 42 पर संशोधित अनुमान 1989-90, संशोधित अनुमान तो प्रायः नवम्बर, दिसम्बर में होते हैं, उस समय आपका नॉन डवलपमेंट जो खर्चा था रेवेन्यू अकाउन्ट का, वह दस अरब उनचालीस करोड़ सत्तर लाख था और अब यह बढ़ कर के बारह अरब चार करोड़ अठावन लाख हो गया। यह आपने खर्चों पर अंकुश लगा दिया कि आपके नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर में एक अरब चौसठ करोड़ अठासी लाख का इजाफा हो गया ? माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस दिन आप मुझे शिक्षा दे रहे थे कि होम वर्क नहीं करते हो। पासा आप पर आ गया, आपने लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया, होम वर्क नहीं किया। बुजुर्ग हो गये, होम वर्क होता नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं जवाब दूंगा तब बताऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : हां, होम वर्क होता नहीं है। होम वर्क आपने नहीं किया। आपने यह नहीं देखा कि आय-व्ययक का जो अध्ययन आपको दिया जा रहा है उसमें क्या लिखा है और आप बजट भाषण में क्या बात कह रहे हैं। तो आपने लिख दिया-"खर्चे पर अंकुश लगाने के कारण।" सभापति महोदय, सही बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने जो अपने खर्चों पर अंकुश लगाया करों की बेहतर वसूली की, उसने न केवल आपके इस रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट में फायदा हुआ बल्कि उसके पहले भी खर्चों में कमी करके उन्होंने आपकी स्थिति को बेहतर बनाया, आपको बेहतर स्थिति दी। आप उस समय कह रहे थे कि भागते-भागते न मालूम क्या खर्चा कर गये। हम भागते-भागते खर्चा नहीं कर गये....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : "खजाना खाली कर गये।"

श्री चन्दनमल बैद : हां, खजाना खाली कर गये। हम जानते हैं इस बात को कि इस प्रदेश की बहबूदी और विकास की जिम्मेदारी, चाहे हम इधर बैठें या उधर बैठें, हमारे ऊपर बराबर है। इस वास्ते हमेशा इस बात की हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से राजस्थान की बहबूदी को हम खतरे में न डालें और हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे कि राजस्थान की बहबूदी और विकास सर्वोपरि हो।

सभापति महोदय, उस समय हमारे माननीय यदुनाथ सिंहजी, मैं कान्स्टीट्वेन्सी का नाम भूल रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे....

एक माननीय सदस्य : नदबई।

श्री चन्दनमल बैद : नदबई विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री यदुनाथ सिंह : बीच में आप पिछड़ गये थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी बुजुर्ग हो गये, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई।

श्री चन्दनमल बैद : हां, कमजोर हो गई। आपकी भी हो जायेगी मेरी उम्र में आयेंगे जब।

माननीय सभापति महोदय, उस समय मैंने यह एतराज किया था, आपने भी एतराज किया था, उस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि केपीटल अकाउन्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउन्ट में खर्च करना उचित नहीं है और जब आपने यह वक्तव्य पेश किया था उस समय भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह आपने गलत किया है। आपका जवाब क्या था-"आपने किया है इस वास्ते हमने कर दिया।" सभापति महोदय, कांग्रेस ने 35 साल इस प्रदेश में राज किया है। आपको तो केवल पौने तीन, तीन साल का अवसर मिला है। 35 साल में हमने इस प्रदेश को आठ मुख्य मंत्री दिये हैं और उस 35 साल में, मैं यह तो नहीं कह सकता कि हमसे कभी गलती हुई ही नहीं होगी। गलतियां भी हुई होंगी। मुझे बताया गया है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने अफसरों को यह हिदायत दे दी है कि कांग्रेस ने 35 साल में जितनी गलतियां की हैं वह मुझे बताओ, मैं उन गलतियां को जल्दी से जल्दी करना चाहता हूं। पता

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं कितने साल तक राज रहे, इस वास्ते कांग्रेस ने जो भी गलतियां की हैं वह गलतियां मैं सब की सब कर डालूंगा। क्योंकि जो भी माननीय सदस्य आपके इशारे पर इधर-उधर खड़े होते है यही कहते हैं–पहाड़ियाजी ने यह किया था, जोशीजी ने यह किया था, देवपुराजी ने यह किया था, जोशीजी ने यह किया था। जोशीजी ने क्या किया था, पहाड़ियाजी ने क्या किया, शिवचरणजी माथुर ने क्या किया, सुखाड़ियाजी ने क्या किया, इस बात को भूल करके मेहरबानी करके आप तो कुछ करो। आज भी अभी सतवाड़ी का सवाल उठ रहा था, हमारे माननीय मंत्री श्री सम्पतरामजी कह रहे थे आपने उस समय क्या किया? कल मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे, आपने उस समय क्या किया? हमने क्या किया और क्या नहीं किया, उसकी सजा हम भुगतेगें और हमें उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कम से कम....

एक माननीय सदस्य : सजा भुगत रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : हां, भुगत रहे हैं, और आप भी भुगतोगे। अगर आप हमारे कदमों पर चलोगे तो आप भी भुगतोगे, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस वास्ते मेहरबानी करके यह मत सोचो कि कांग्रेस ने जितनी गलतियां की हैं उन सारी गलतियों को आपको करना जरूरी है। अगर आपका यही रवैया रहा कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं वह आप भी करेंगे तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि हमने गलतियां की है, आप भी गलती करो। आप कम से कम यह सोचिये कि अगर कोई गलत काम है तो उसको नहीं करें आप। केपीटल अकाउन्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउन्ट में नहीं आना चाहिए। आप बुरा मानते भी हैं इसको, वक्तव्य में आपने इसको लिया तब इसका विरोध भी किया गया, फिर भी आप ले आये।

माननीय सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आया, एक हजार करोड़ का इजाफा फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के कारण से हुआ, फिर क्या जरूरत थी केपीटल अकाउन्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउन्ट में लेने की? यह जो केपीटल अकाउन्ट का 86.19 करोड़ रुपया आप रेवेन्यू अकाउन्ट में ले आये, एक हजार करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिलने के बावजूद भी ले आये, मैं समझता हूं कि यह क्षम्य नहीं है, यह बहुत बड़ी गलती है। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में वह दिन था जिस दिन हम जनता को राहत दे सकते थे। इतना बड़ा इजाफा फाइनेन्स कमीशन की तरफ से, एक हजार करोड़ रुपये प्रति साल का इजाफा, चार सौ पर्सेन्ट, आज तक कभी नहीं हुआ। यह मौका था कि माननीय मुख्यमंत्रीजी दिलेरी के साथ यह कहते कि आज फाइनेन्स कमीशन ने इतनी बड़ी रकम दी है, हमारे डिवोल्यूशन्स में इतना बड़ा इजाफा किया है, मैं राजस्थान की जनता को यह राहतें दे रहा हूं। जरूरत थी आज आज इन राहतों की, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त हो रही है, पिस रही है। पिछली दफा जब महंगाई के बारे में मैं, बोला, तो आपके सारे सदस्य मेरी तरफ इस तरह झूम उठे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी; और झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह कहा कि आप

(श्री चन्दनमल बैद)

सस्ती दरों की चीजें मेरे से ले लीजियेगा। मैं तीन महीने से इनको ढूंढ़ता रहा, मिले ही नहीं मुझे। पता नहीं, इनकी सस्ती चीजों की दुकानें हैं कहां।

यह खुद ढूंढ रहे थे कि इनकी सस्ती चीजों की दुकान है कहां।

और महंगाई के विरोध में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। कभी नहीं कहा कि महंगाई बढ़ गई है। केवल एक काम किया, मंत्री मण्डल की बैठक की, और यह आदेश दिये कि सारे मंत्री जिलों में जाओ और महंगाई कहीं मिले उसको बांध कर जयपुर में ले आवो। तीन महीने से सारे चूरू जिले में राशन की चीजें और चीनी नहीं पहुंच रही थी। माननीय मंत्रीजी वहां जाकर पहुंचा आये क्या ?

श्री केदारनाथ शर्मा : चीनी तो पहुंच गई, तेल नहीं पहुंचा।

श्री चन्दनमल बैद : कब पहुंच गई ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके तारानगर में नहीं पहुंची होगी, हमारे चूरू में तो पहुंच गई।

श्री चन्दनमल बैद : हां, आपको तो मिलती है, मुझे मालूम है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको वेल-नोन आदमी नहीं मिलते हैं, इसका क्या करो। इनका एड्रेस छपा हुआ है....

श्री चन्दनमल बैद : आपको सब ठीक, सस्ती मिल रही हैं न चीजें ? जैसे झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य को सस्ती चीजें मिल रही थीं और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि मैं उनसे ले लूं, तो मेहरबानी करके आप भी अपना पता-ठिकाना, सस्ती दुकानों का मुझे एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं आपसे ले लूं वह। आप मेरे को ही क्यों, सारे माननीय सदस्यों को, सारे जयपुर की जनता को सस्ती चीजें मुहैया कराइये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई का क्या आलम है।

आप महसूस करते हों या न करते हों लेकिन राजस्थान की जनता इसको महसूस कर रही है। मैंने कुछ भाव, जो 1 मार्च को राजस्थान में थे और आज 15 जून को राजस्थान में हैं, एकत्रित किये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मैं 1 दिसम्बर के भाव की तुलना नहीं करूंगा, करूंगा तो आप यह कह देंगे कि 1 दिसम्बर को तो हमारा राज दिल्ली में था, यहां तो आया नहीं था। मैं इस वास्ते आपके सामने 1 मार्च और 15 जून के भाव देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है।

तेल मूंगफली 1 मार्च को 26 रुपये किलो था, 15 जून को 32 रुपये किलो हो गया। बढ़ोतरी हुई 42.3 प्रतिशत। तेल सरसों 1 मार्च को 20 रुपये किलो था, 15 जून को हो गया 26 रुपये किलो। भावों में बढ़ोतरी हुई 30 प्रतिशत....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 15 जून, 1989 से क्यों नहीं लेते ? भाव तो एक वर्ष के होते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 1989 में बढ़ायी, इसका मतलब 1990 में भी बढ़ायी जाय, यही कहना चाहते हैं आप।....(व्यवधान) 27 जून के भी मेरे पास आंकड़े हैं, घबराइये मत।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा कहना यह है, माननीय सदस्य, कि जब आफ सीजन होता है उस समय चीजों की कमी होती है, और जब जून के समय में कमी आ जाती है तो उस समय भाव बढ़ जाते हैं। तो उस समय 1988–89 में क्या भाव थे ? यह है मेरा सवाल।

श्री चन्दन मल बैद : अगर माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि आपके 1 मार्च और आज के दिन में कोई मंहगाई नहीं बढ़ी है तो शोक से कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, कहिए आप आराम से।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बढ़ी है।

श्री चन्दनमल बैद : क्योंकि आपने जो चुनाव लड़ा था वह मंहगाई के विरुद्ध आवाज उठाकर लड़ा था। हम ने कभी नहीं कहा कि मंहगाई को खत्म कर देंगे, और हमने कहा था कि मंहगाई को दो डिजिट में नहीं जाने देंगे और वह हमने नहीं जाने दिया। आप कहते हैं कि हमने मंहगाई को एक डिजिट तक रखा है तो कहिए।

मैं भाव बता रहा था आपको। तेल रेपसिड 1 मार्च को 23 रुपये किलो था और 15 जून, 1990 को 28 रुपये किलो। भाव बढ़े हैं 21.74 प्रतिशत....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहां के भाव है ?

श्री चन्दनमल बैद : दुकानदार के हैं, मेरे घर के नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, महावीर प्रसाद जी, बैठें।

श्री चन्दनमल बैद : आप कहते हैं कि भाव गलत है तो कह दीजिये। वनस्पति घी के भाव 1 मार्च को 28 रुपये किलो और 15 जून को 32 रुपये किलो थे। मंहगाई बढ़ गई 14.29 प्रतिशत। देशी घी डिब्बे वाला 62 रुपये किलो 1 मार्च को, और 15 जून को 66 रुपये किलो, अर्थात् 6.45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चीनी 1 मार्च को 8.45 रुपये किलो और 15 जून को 9 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई सिर्फ 2.85 प्रतिशत; चाय 1 मार्च को 60 रुपये किलो और 15 मार्च को 70 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई 16.67 प्रतिशत। दाल चना 1 मार्च को 8.25 किलो 15 जून को 9.50 किलो, कुल बढ़ोतरी हुई 15.15 प्रतिशत दाल मूंग 1 मार्च को 9.50 प्रति किलो, 15 जून को 11.50 पैसे किलो बढ़ोतरी हुई 21.05 प्रतिशत। दाल अरहर 1 मार्च को 11 रुपये किलो, 15 जून को 12 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई 9.1 प्रतिशत। दाल उड़द 1 मार्च को 10.50 रुपये किलो और 15 जून को 13.00 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई है 23.8 प्रतिशत। दाल मसूर, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1 मार्च को भी 10 रुपये किलो और 15 जून को भी 10 रुपये किलो। मिर्च साबुत 1 मार्च को 17 रुपये किलो, 15 जून को 20 रुपये किलो,

(श्री चन्दनमल बैद)

बढ़ोतरी हुई है 17.65 प्रतिशत। धनिया 1 मार्च को 12 रुपये किलो 15 जून को 13 रुपये किलो बढ़ोतरी हुई है 8.33 प्रतिशत। हल्दी 1 मार्च को 13 रुपये किलो और 15 जून को 14 रुपये किलो बढ़ोतरी हुई है 7.69 प्रतिशत। जीरा 1 मार्च को 30 रुपये किलो और 15 जून को 35 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई है 16.7 प्रतिशत। लहसुन 1 मार्च को 5 रुपये किलो 15 जून को 8 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई है 60 प्रतिशत। नमक 1 मार्च को 0.50 पैसे किलो और 15 जून को 60 पैसे किलो, बढ़ोतरी हुई है 20 प्रतिशत। बाजरी 1 मार्च को 2.15 रुपये किलो 15 जून को 2.75 रुपये किलो, बढ़ोतरी हुई है 27.9 प्रतिशत। गेहूं 1 मार्च को 2.50 रुपये किलो और 15 जून को 3.25 प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है 30 प्रतिशत। चावल सबसे हल्की किस्म का 1 मार्च को 4.50 रुपये प्रति किलो 15 जून को 5.50 रुपये प्रति किलो, बढ़ोतरी हुई है 22.2 प्रतिशत।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिये कि जो कुल जीवन उपयोगी चीजें हैं, जो गरीब आदमी उपयोग में लेता है उन चीजों में कुल बढ़ोतरी 15 प्रतिशत की हुई है। या 20 प्रतिशत की हुई है या 12 या 14 प्रतिशत की हुई है मैं आपके विवेक पर इसको छोड़ता हूं।

सभापति महोदय, नीतियां आपकी गलत, योजनायें आपकी गलत, योग्यता आप में नहीं, दोष देते हैं व्यापारियों को, मैं किसी व्यापारी का पक्ष लेकर यहां खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी अयोग्यता को, अपनी गलती को, अपनी गलत नीतियों को, व्यापारियों के पीछे छुपाना चाहते हैं। यह गलत बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ....

एक माननीय सदस्य : आप बचाना चाहते हैं क्योंकि चुनावों से पहले +++

श्री चन्दनमल बैद : आप निकाल लीजिये इसको। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं व्यापारियों के कारण से अगर मंहगाई बढ़ गई तो आपके सहकारी विभाग की दुकानों में मंहगाई क्यों बढ़ गई ? सहकारी विभाग की दुकान लिफ्ट के सामने है पूछिए क्या भाव हैं। सहकारी विभाग भी मिला हुआ है ? आपने उपहार की दुकानें खोल रखी हैं उसमें भाव क्यों बढ़ गए ?

जाने दीजिये इस बात को। राष्ट्रीयकृत पुस्तकें जिसकी छपाई आप कराते हैं, उसकी 36-37 प्रतिशत कीमतें आपने क्यों बढ़ा दी ? यह मंहगाई व्यापारियों ने बढ़ाई ? फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुरानी छपी हुए पुस्तकें थीं, जिसमें लागत नहीं बढ़ी थी, उनके भाव क्यों बढ़ा दिये ? यह मुनाफा खोरी नहीं हैं ? व्यापारियों से, तो आप लड़ सकते हैं। व्यापारियों से मैंने चन्दा लिया है, आपने तो नहीं लिया ना ? आपने चन्दा नहीं लिया होता मुख्य मंत्री महोदय, तो रत्न और मोतियों पर सैल्स टैक्स माफ नहीं होता।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(116)

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक ही बात कह सकता हूं कि रत्न और मोतियों के व्यापारियों से चन्दा नहीं लिया, न पहले कभी लिया न लूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो ठीक है मैं जानता हूं आपको। पर राधेश्याम और रामदास सौंकिया से भारतीय जनता पार्टी के क्या सम्बन्ध हैं सब लोग जानते हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

सभापति महोदय, मंहगाई के बारे में आप नारे लगा रहे थे .... (व्यवधान) मैं महान् हूं तभी तो मेरी बात का जवाब आपके पास नहीं हैं ....

श्री किशनाराम नाई : बैद जी सही बोल रहे हैं। कांग्रेस का बता रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, तीन मुद्दों को लेकर भा. ज. पा., जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे ने चुनाव लड़ा। एक तो मंहगाई कम कर देंगे, ढाई रुपये किलो चीनी बिकवा देंगे ...

श्री गोविन्द सहाय : यह कहां लिखा हुआ है ? आपने घोषणा पत्र पढ़ा है ?

श्री चन्दनमल बैद : भाषण सुने हैं और मैं ऐसी पार्टियों के घोषणा पत्र नहीं पढ़ता हूं।

श्री गोविन्द सहाय : आप किसके पढ़ते हैं ? अपना पढ़ा है ? इसका यहां क्या रिलेशन हैं ? इन्फलेशन कितना बढ़ा है ? जब इन्फलेशन 12 प्रतिशत बढ़ा है और कीमतें 27 प्रतिशत तो ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : 14 प्रतिशत इन्फलेशन है, कांग्रेस के समय में 9 प्रतिशत था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, कल धरने पर बैठे थे माननीय सदस्य, तो उस समय कह रहे थे कि मैं जैन समाज का प्रवर्तक हूं और मैं असत्य नहीं कहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : मुझे गर्व है महावीर प्रसाद जी जैन। आपको नहीं है तो बैठ जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे अफसोस है कि असत्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नो इन्ट्रप्शन। आप ध्यान पूर्वक सुनिये।

श्री चन्दनमल बैद : दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कम करने का तरीका क्या निकाला, माननीय सभापति महोदय ? कि जो अक्सर हमारा हुक्म नहीं मानते हैं, जो हमारे कहने से गलत काम नहीं करते हैं उनको कम्पलसरी रिटायर कर दो। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप जितने सही कदम उठायेंगे, कांग्रेस पार्टी आपका समर्थन करेगी, आपको सहयोग देगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल ही नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन अगर भ्रष्टाचार के नाम पर आप राजनीतिक दुश्मनी निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहां अमर होकर नहीं आये हो, 100 बरस का पट्टा आपके पास नहीं है। 1977

(श्री चन्दनमल बैद)

में आपने जो किया था वहा हमको भी करना पड़ेगा। हमने भी 1977 में कम्पलसरी रिटायर किये थे, भ्रष्ट लोगों के किए थे। आपने क्या किया? वापस सबको ले लिया।

श्री शांतिलाल चपलोत (वित्त राज्य मंत्री) : आपने राजनीतिक विद्वेष से निकाले थे।

श्री चन्दनमल बैद : हमने राजनीतिक विद्वेष किया था। आप राजनेता नहीं साधु हो? चपलोत जी, आप तो साधु हो और हम राजनीतिक आदमी हैं। साधु हो तो विधान सभा में क्यों बैठे हो, हिमालय की किसी कन्दरा में जाओ न।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का ढिन्ढोरा पीटने वाले मुख्य मंत्रीजी सन् 1977 में आपकी बातें हम भूलें नहीं हैं। 1977 से 1980 के बीच में आपने कितना भ्रष्टाचार कर्म किया था, वह हमको मालूम है। इस वास्ते गाल बजाने से पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जरा सोच समझ कर कहिये। यह नहीं हो कि लोग आपको याद करें गाल बजाने वाले मुख्य मंत्री के नाम से, कि एक मुख्य मंत्री आये थे जो केवल गाल बजाना जानते थे, काम करना नहीं जानते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री शिवचरणजी माथुर।

श्री चन्दनमल बैद : तीसरा मुद्दा था आपका, किसानों, दस्तकारों और कारीगरों का 10 हजार तक का कर्जा माफ कर देना। इसमें कोई किन्तु-परन्तु था क्या घोषणा-पत्र में? नहीं था न। अब इन्होंने जो किन्तु-परन्तु लगाकर 170 करोड़ का हिसाब लगाया है कि 170 करोड़ रुपये माफ करने पड़ेंगे। सहकारी समितियों के, जो मेरी सूचना है उसके अनुसार, किसानों, दस्तकारों और कारीगरों पर 700 से 800 करोड़ रुपये का कर्जा बकाया है। आप माफ करेंगे 170 और तीन महीने में वह कार्य करेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं इस बात का कि 170 करोड़ रुपये आप खर्च नहीं कर सकते, इतने किन्तु-परन्तु आपने लगाये हैं, किसी का कर्जा माफ नहीं होगा। 1986 से पहले का होना चाहिये, 1986 के बाद में हो तो गिरदावरी की रिपोर्ट होनी चाहिए, यह होना चाहिए वह होना चाहिये। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। और भ्रष्टाचार भी होगा।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा कर प्रस्तावों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी शान से कह दिया यह कि मैं जो कर लगा रहा हूं, अभिजात्य वर्ग पर लगा रहा हूं और गरीबों को राहत दे रहा हूं। सोने-चांदी के वर्क तो गरीब ही खाते हैं, अभिजात्य वर्ग थोड़े-ही खाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बनाने वालों के लिए है।

श्री चन्दनमल बैद : यह भी बता देता हूं आपको। रत्न और मोती, सुमित्राजी, मोती में कौनसे कारीगर हैं यहां?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने केवल वर्क की बात कही है।

श्री चन्दनमल बैद : रत्न तो आप कह सकती हो, कारीगर का किया, मोती में कौनसे कारीगर लग रहे हैं यहां?

श्री शांतिलाल चपलोत : सूरत में एक लाख लोग लगे हुए हैं। हम रोजगार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, राजस्थान में जयपुर को ऐसा कारखानेदार बनाना चाहते हैं इसलिए इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपकी पोल खोल रहा हूं तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है इतनी ?

श्री शांतिलाल चपलोत : रत्न बनाने में 23 हजार मजदूर काम करते हैं जयपुर में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नो इण्टरप्शन प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : रेशमी कपड़ा और साड़ियां। तालियां बजाइये, सुमित्राजी, आपके तो रेशमी साड़ियों पर छूट हो गयी।

मुद्रांक छूट, अब जरा मुद्रांक शुल्क की सुन लीजिएगा। आपने एक टेबल दिया है पेज 41 पर, कि 50 हजार रुपये की जो जमीन खरीदेगा या मकान खरीदेगा उस पर टैक्स की कोई रियायत नहीं है। पहले 5405 रुपये लगते थे अब भी 5405 रुपये ही लगेंगे। क्योंकि अभिजात्य वर्ग हो गया वह तो। और दस लाख रुपये का जो प्लाट खरीदेगा, उस पर पहले 1,61,905 रुपये लगते थे, अब केवल 1,24,155 रुपये लगेंगे। दस लाख की जमीन तो गरीब खरीदेगा और 50 हजार की जमीन अभिजात्य वर्ग खरीदेगा। उसको राहत कितनी मिली है, 37,750 रुपये की राहत मिली फिर आप ढिन्ढोरा पीट रहे हो अभिजात्य वर्ग पर टैक्स लगा रहा हूं, गरीब वर्ग को छोड़ रहा हूं। यह अभिजात्य वर्ग कौनसा कैसे हो गया, समझ में नहीं आयी मेरे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके जैसे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं 50 हजार की जायदाद खरीदूंगा ? सुमित्राजी, मेरा अपमान कर रही हैं आप ?

अब चलिये आप, सुमित्राजी, आप ही के लिए बात कर रहा हूं। पेज 39 पर रवन्ना फीस और एण्ट्री फीस। फाइनेंस कमीशन की यहां नकल की है इन्होंने। फाइनेंस कमीशन ने हमको डिवोल्यूशन 400 पर्सेन्ट दिया, 400 पर्सेन्ट बढ़ा दिया, इन्होंने रवन्ना फीस 400 पर्सेन्ट बढ़ा दी। बैल पर 5 रुपये इन्होंने कर दिए 20 रुपये। 400 पर्सेन्ट हो गयी कि नहीं, गलती तो नहीं कर रहा हूं ? भेड़ पर ढाई रुपये, बढ़ा कर दस रुपये कर दिये। 400 पर्सेन्ट, फाइनेंस कमीशन की नकल की है। फाइनेंस कमीशन की बात कहीं इन्होंने मानी है तो यह रवन्ना फीस और एन्ट्री फीस लगाने की। और यह अभिजात्य वर्ग है ? एक गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए भेड़ बेचेगा, बकरी बेचेगा, बैल बेचेगा, भैंस बेचेगा और उस पर जाता है आपका टैक्स। देवीलालजी को अभी पता नहीं लगा है। पता लगेगा तो टैक्स माफ करना पड़ेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, पहले से कहे देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवीलालजी हमारे नेता हैं, राजीव गांधी को पता लगेगा तो वह नहीं कहेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, राजीव गांधी को तो पता लगना ही चाहिये। अभी

(श्री चन्दनमल बैद)

कह रहे थे हमारे माननीय सदस्य, मेरी बातों से बड़ा परेशान होकर कह रहे थे कि कारीगरों के लिए यह सारी चीजें टैक्स माफ की है। 20 रुपये का मोटा और मीडियम क्लास का कपड़ा जिनसे रेडीमेड पहनावा बनता है, कारीगर नहीं बनाता, वह तो विलायत से आता है। 20 रुपये का जूता फैक्ट्री बनाती है कोई ? वह कारीगर नहीं बनाते हैं ? उन कारीगरों के प्रति आपको हमदर्दी नहीं हैं ? 20 रुपये में आता है कितना चाहिये आपको 20 रुपये का जूता ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 20 रुपये में न कपड़ा आता है न जूता आता है। कुछ भी नहीं आता।

श्री चन्दनमल बैद : यह आपकी पार्टी के यदुनाथ सिंहजी कह रहे हैं कि 20 रुपये का जूता मिलता है। मेरी कान्स्टीट्युएंसी में 20 रुपये में जूता मिलता है, आप कहो कितने लाकर दे दूं। 20 रुपये का कपड़ा भी नहीं मिलता रेडीमेड।

श्री सभापति : माननीय चन्दनमलजी, आप इनसे बहस में मत फंसिये, आप अपना व्यू पाइण्ट रखिये।

श्री चन्दनमल बैद : रख रहा हूं, लेकिन बीच में व्यवधान होता है तो बोलना पड़ता है, सभापति महोदय।

श्री यदुनाथसिंह : फाइनेन्स पर तो आपकी ग्रिप रही नहीं।

श्री सभापति : लोग आपको बहुत शान्ति से सुनना चाहते हैं, आपसे लोगों को बहुत अपेक्षायें हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अब मैं यह पूछ रहा हूं कि अभिजात्य वर्ग और गरीब वर्ग का जो ढिंढोरा आपने पीटा कल उस ढिंढोरे को देखकर लोग क्या कहेंगे, लोग आज बाजारों में, मुख्य मंत्री जी, आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात बडे जोर-जोर से हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, मण्डावरी में 9 कंजरों की थानेदार ने खडे होकर हत्या करवा दी और संवेदना किसके साथ ? थानेदार के साथ। उसको गिरफ्तार नहीं किया और 302 अबैटमेंट में। क्यों नहीं किया ? मैं चार्ज लगाता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप पर इस बात के लिए नहीं किया कि वह आपकी पार्टी के सदस्य के दोस्त हैं .... (व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : क्या चार्ज लगाते हो, आप जरा रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। आपकी पार्टी के पंच और सरपंचों ने उनकी नियुक्ति करवाई थी। हमारे मुख्यमंत्री पर क्या चार्ज लगाते हो ? आपके सारे मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार के अन्दर डूबे हुए हैं, कितनी किताबें रंगी हुई हैं उनको जरा पढ़ लें। हमारे मुख्य मंत्री पर चार्ज लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माई का लाल नहीं हूं मैं तो ऊपर से गिरा हुआ हूं। (व्यवधान) न तो यह राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हैं, न यह खुली सरकार है, न यह मूल्यों पर आधारित सरकार है। माननीय सभापति महोदय, यह गाल बजाने वालों की सरकार हैं, जो विपक्ष में बैठ कर जिन्दगी भर गाल बजाते रहे और आज भी

(श्री चन्दनमल बैद)

गाल बजा रहे है और जिन्दगी भर गाल ही बजाते रहेंगे । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय चन्दन मल जी आपसे बहुत उम्मीद थी कि बजट के ऊपर आप बारीकी से चर्चा करेंगे लेकिन मुझे अफसोस है ....

श्री चन्दनमल बैद : मुझे भी अफसोस बहुत है कि इतने वर्षों तक विधान सभा में रहने के बाद आपको बजट पेश करना नहीं आया । बिलकुल बजट पेश करना नहीं आया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह जब मैं जवाब देऊंगा तब बताऊंगा । आपने भी गाल बजाने का ही काम किया है । एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर के रूप में, जितना मैं समझता हूं, खुद ही सोचेंगे तो आपको चिन्ता अपने ही बारे में होगी ।...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री टीकमचन्द कान्त ।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री है, तारानगर को राशि तुला है और मेरी जन्म राशि भी तुला है लेकिन मैंने आज सोचा था कि माननीय पूर्व वित्त मंत्री के बाद में मुझे बोलना पड़ा तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिये भारी पड़ जायेगा । लेकिन बोलने के बाद में मुझे लगा कि यह बजट इतना बढ़िया है कि इनको इस बजट पर तर्कपूर्ण जवाब देने के लिये कुछ मिला नहीं है ।

सभापति महोदय, आज के अखबारों में से मैं दो अर्थ शास्त्रियों को मन्तव्य देता हूं जो उन्होंने इस बजट के विषय में जाहिर किया हैं, प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री बाबूलाल पनगड़िया ने बजट को अच्छा बताया है । उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ रुपये के नये कर लगाये हैं वह भी ऐशोआराम की सामग्री पर लगाये हैं, जन साधारण पर इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उन्होंने कहा है कि राजस्थान में नये उद्योगों एवं पुराने उद्योगों के विस्तार पर बिक्रीकर एवं चुंगी कर में 5 वर्ष के लिये जो रियायत दी गई है उससे औद्योगीकरण में तेजी आयेगी । सबसे बड़ा पाइन्ट यह है कि बिक्रीकर ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना सरल एवं सुविधाजनक बताया गया है । बजट में व्यापारियों की आम शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया गया है । ... (व्यवधान)

सुनिये, सुनिये । आपने कहा है कि बजट में कुल घाटा नगण्य है और इससे मुद्रा स्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । दूसरा, राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसियेट प्रोफेसर श्री एम. एल. छीपा ने बजट को मूल्य नियंत्रक, रोजगारोन्मुख तथा गरीबों को राहत देने वाला बताया है । उन्होंने कहा है कि पहली बार मान्य परम्पराओं से हटकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है । कर दरें बढ़ाने की बजाय घटायी गयी है । उसे

(श्री टीकमचन्द कान्त)

युक्तिसंगत बनाया गया है जो कि साहसिक कदम है। इससे न केवल कर चोरी में कमी आयेगी बल्कि राज्य से अन्य पड़ोसी राज्यों में स्थानान्तरित व्यापार में कमी आवेगी।

सभापति महोदय, यह जो बात कही है, अर्थशास्त्रियों ने कही है। बजट और उसके विषय में जितनी जानकारी उन्हें है उतनी जानकारी सदन में बैठे हुये लोगों को नहीं है। मैं भी वित्त मामलों के अन्दर विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मामूली लेखे-जोखे की बात है, उतना ज्ञान मुझे है। बजट को कल जिस रूप में मैंने सुना, माननीय सभापति महोदय, जिस रूप के अन्दर देखा उसके पश्चात् शाम को जब रेडियो पर यह आ गया, मैंने अपनी कान्स्टीट्यूएंसी के अन्दर टेलीफोन लगाया तो वहां के लोगों ने कहा कि हमने दीपावली मनायी है, पटाखे छोड़े हैं और मिठाई बांटी है। इस बजट के बाद, सभापति महोदय, लोगो ने मिठाई बांटी, किसी ने दीपावली मनायी और मुझे लगता है कि माननीय, चन्दनमल जी बैद के भाषण के बाद में कहीं न कहीं होली जली है क्योंकि उनके पास कहने के लिये कुछ नहीं है।

4 मार्च, 1990 को शपथ ली, 27 जून, 1990 तक 116 दिन पूरे हुए, 116 दिन के बाद यह बजट इस सदन में पेश हुआ। इसके पूर्व 16 मार्च, 1990 को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था इस सदन के अन्दर, उस अभिभाषण की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर पिछले अभिभाषण को और बजट को एक बार आप देख लीजिए, जो दिशा निर्धारित की थी, जो आशा हमको बतलायी थी, जो एक मार्ग अभिभाषण के अन्दर तय हुआ था उस मार्ग से हटकर बिल्कुल यह बजट नहीं है। हमारे उस अभिभाषण और इस बजट में इतना सामन्जस्य उस चेतना के साथ, चेतनामय अभिभाषण और उसके बाद में यह आता हुआ यह बजट। मैं कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूंगा हमारे अभिभाषण के, हमारे उद्देश्यों के कि क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में क्या कार्य करना चाहते हैं, किस तरफ प्रयास करना चाहते हैं। उसका एक खाका हमने प्रस्तुत किया था और वह क्या था ? आपसी सामन्जस्य और सहमति की प्रक्रिया अपनाकर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वचनबद्ध हैं। दो दिनों से जो कुछ हो रहा है इस सदन के अन्दर, पहला वाक्य उस अभिभाषण का जो है उसकी तरफ देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि उस की तो वह प्रशंसा कर रहे थे लेकिन आज वैसा माहौल नहीं लग रहा है। जैसी हमारी प्राथमिकता इस बात की थी कि हम सामन्जस्य रखना चाहते हैं। सभापति महोदय, अभिभाषण में जो कहा था कि यह भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है पिछले 10 वर्षों से, भाई भतीजावाद जो पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है, फिजूलखर्ची और वित्तीय साधनों के अपव्यय के कारण राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में विकास पर विनियोग कम हुआ है, प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदारी कम हो गयी है। वर्तमान ढांचे में कुछ परिवर्तन किया जायेगा और श्रीमन्, 116 दिन की सरकार ने प्रशासनिक परिवर्तन जिस ढंग से किया है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण है उसकी एक बात को पढ़ना पड़ेगा। पेज नम्बर 33, कर प्रणाली को क्यों बदला

(श्री टीकमचन्द कान्त)

गया ? राज्य की कर पद्धति में व्याप्त दोषों से चिन्तित हूं तथा इसे दूर करने के लिए वचनबद्ध हूं। अपना कार्यभार सम्भालते ही मैंने कर अर्जित करने वाले विभागों की समीक्षा की तथा उन्हें आय बढ़ाने तथा कर वंचन रोकने के कड़े निर्देश दिये। इसके साथ ही इन विभागों के आय अर्जित करने के वार्षिक लक्ष्य भी मैंने बनाये हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि मार्च 1990 में बजट प्रस्तुत करते समय हमारे राज्य की स्वयं के करों से आय 1,174.16 करोड़ रुपये आंकी गयी थी वह अब परिवर्तित बजट 1990–91 प्रस्तुत करते समय बढ़कर 1,211.51 करोड़ रुपये आंकी गई है। अन्यथा बिना कर दर बढ़ाये हमारी स्वयं के करों से आय में 37.33 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मैं इसी से सन्तोष नहीं करूंगा वरन् मेरा यह प्रयास रहेगा वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य के स्वयं के करों से कम से कम 1230 करोड़ रुपये की आय हो। राज्य की आय बढ़ाने के पुनीत कार्य में मैं समस्त माननीय सदस्यों व राज्य की जनता का सहयोग चाहता हूं। साथ ही मैं कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि पूरी निष्ठा व मुस्तैदी से कर वंचन रोकने का, राज्य की आय बढ़ाने के अपने दायित्वों को पूरा करें।

सभापति महोदय मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर जो भी आशाएं और आकांक्षाएं और जो भी एक मार्ग प्रदर्शित हमको किया गया था, बताया गया था, दिशा दी गई थी उसी के अनुसार यह हमारा बजट भाषण है। प्लानिंग कमीशन की ओर फाइनेंस कमीशन की ओर से बहुत सारी बातें हुई। मैं आपको एक अखबार के पुराने समाचारों से अवगत कराना चाहूंगा, 16 अप्रेल को यहां भाषण हो रहा था महामहिम राज्यपाल महोदय का और 16 अप्रेल की यह मेरे पास में खबर है और उसमें है कि राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हुए मुख्य मंत्री ने शिक्षा, परिवहन, बिजली, रोजगार, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से राजस्थान के पिछड़ेपन की तुलना की तथा आंकड़ों के आधार पर बताया कि किस प्रकार वित्त आयोग व योजना आयोग की सहायता तथा राज्य के अपने साधनों से किये गये प्रयासों के बावजूद आजादी के 43 वर्ष बाद भी राजस्थान अन्य राज्यों से पिछड़ा है तथा क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है। फलस्वरूप हमको 20 प्रतिशत की वृद्धि इस बार की सालाना योजना में हमको मिली। इसका कहीं जिक्र आया नहीं। यह श्रेय किसको जाता है, यह समाचार पत्र की खबर से मालूम पड़ जायेगा। पिछले वर्ष की सालाना योजना थी 795 करोड़ और इस बार की है 956 करोड़ की योजना। कार्यकारी दल ने आपको 61 करोड़ की जरूर सिफारिश की थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी की वजह से वह योजना 956 करोड़ की बनी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी योजना का प्रथम वर्ष और प्रथम वर्ष के अन्दर कर वृद्धि यह इस बार सम्भव हुआ। मैं कहना चाहता हूं छठी पंच-वर्षीय योजना का अंतिम वर्ष और उसकी वार्षिक योजना 430 करोड़ थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष, उसकी वार्षिक योजना 430 करोड़ थी। सभापति महोदय, किसी भी पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्रथम वर्ष के अन्दर 20 प्रतिशत वृद्धि

(श्री टीकमचन्द कान्त)

यह बताती है कि इस पूरी नवीं, पूरी आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार कितना बढ़ेगा। जो वृद्धि प्रथम वर्ष में हमको दीख रही है वह वृद्धि हर साल में बढ़ती जायेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 30 हजार करोड़ की थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार बढ़ते-बढ़ते....

एक माननीय सदस्य : महंगाई कितनी बढ़ रही है।

श्री टीकम चंद कान्त : अब इसके साथ में यह नहीं जुड़ता है। आपको मालूम है। (व्यवधान) सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा। पंजाब की तुलना शायद नहीं करूं लेकिन समस्त राष्ट्र की तुलना के अन्दर प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोग जो हमारा है उसके अन्दर, यहां अभी पूर्व माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, 1966 से वह निरन्तर गिरता जा रहा है। एक काल आया था 1977-78 और 1979 शायद जनता राज का। उसके अन्दर राष्ट्र की तुलना में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोग हमारा बढ़ा था। यह तो अध्ययनशील लोग हैं। यह तो जानते होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह विनियोग इस बार की वृद्धि को देखते हुए यह रेखा जो है इस बार ग्राफ में ऊपर उठेगी। भ्रष्टाचार और मितव्ययता यह हमारा वचन है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो कार्य हमने हाथ में लिये। जिस प्रकार यहां गृह निर्माण समितियों के, जिस प्रकार से उन अधिकारियों के जिन्होंने ऊपरी सत्ता से मिल कर के थोड़ा उनको देते खुद डकार गये, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचने नहीं दिया गया। उन लोगों के विरुद्ध जिस प्रकार के कदम हमने उठाये उससे मेरा ख्याल है एक खबर मेरे पास में नहीं है लेकिन वह भी नई दिल्ली के नवभारत टाइम्स में छपी थी कि जयपुर के मार्केट वालों ने यह कहा था कि हमारी सारी बिक्री कम हो गई है। हमारे चांदी और सोने के जेवरात बिकने कम हो गये हैं। हमारी बिक्री 80 प्रतिशत कम हो गई है। आफिसर्स की पत्नियां खरीदने नहीं आती। कहीं पांच हजार रुपये पहले जो ऊपरी अधिकारी को दिया करते थे। वह पांच हजार की बात चलती है और लेने देने के अन्दर हिचकिचाहट होती है। यह मेरी बात नहीं है। यह समाचार पत्र की बात है जिसके अन्दर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के विरोध में हमने जो कार्यवाही की उसका एक उदाहरण मितव्ययता, मितव्ययता के लिए हमने शीर्ष समिति जो हमारी बनाई, आज 20 करोड़ का घाटा 16 दिन के अन्दर हम यह अन्दाज लगा सकें हमारा 20 करोड़ का घाटा कम हो जायेगा। शीर्ष समिति के कारण यह इन्वाल्वमेंन्ट तो सीधा हमने जन प्रतिनिधियों का किया इसके अन्दर सामने वाले पक्ष के लोग भी हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं और इसके साथ ही साथ गैर योजना व्यय की समीक्षा के लिए भी अधिकारियों की समिति बनाई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए दृढ़तापूर्वक हम कह सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार और मितव्ययता के कारण हम गरीब का पैसा इस खजाने का पैसा गरीब तक पहुंचा पायेंगे।

सभापति महोदय, 170 करोड़ का मजाक उड़ाया इन्होंने मैं कहना चाहूंगा कि

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अगर इनके पिछले साल का यह हिसाब देख लें तो इन्होंने जितना सहकारिता का खर्च किया है वैज्ञानिक अनुसंधान पर जितना खर्च किया है, आर्थिक सेवाओं सामान्य सेवाओं में कितना खर्चा किया है, और प्रशासनिक सुधार के अन्दर कितना खर्चा किया है। जिला योजना और विशिष्ट क्षेत्र योजना के ऊपर कितना इन्होंने खर्चा किया है। पिछले वर्ष में उसका 6 गुना यह है, 170 करोड़ रुपये उसका 6 गुना, सभापति महोदय, इस पर किन्तु और परन्तु कहां आया है। हमने बहुत पहले जब हरियाणा के अन्दर 10 हजार के कर्जे माफ होने की बात चल पड़ी थी तब सोचा था कि राजस्थान और पूरी दिल्ली की सरकार के जो विपक्षी दल हैं वह लोग भी दस हजार के कर्जे माफ करने की बात करेंगे और उसका मतलब लाभ ही होगा। तब माननीय सभापति महोदय, एकदम चल पड़ा था कर्जे उठाने और वह बड़ा सुन्दर था। उन्होंने तय कर रखा था कि शायद यह सरकार आ जाये और कर्जा माफ हो जाये तो जो लोगों ने कर्जे लिए वह माफ हुए इसलिए कहीं न कहीं तो हमको तय करना पड़ेगा कि कर्जे किसके माफ हों। 1-4 86 के पहले 2-1-89 तक जो कर्जे दिये हों और उसके अन्दर बिल्कुल कहा है 1986-87, 87-88 88-89 यह अकाल के वर्ष हैं इसके अन्दर 31 हजार से लेकर 34 हजार गांव प्रभावित हुए हैं। 90 प्रतिशत गांव इससे प्रभावित हुए है। 15-16 लाख किसान, गरीब काश्तकार, बुनकर, छोटे कारीगर वह लाभान्वित होंगे।

सभापति महोदय, अब बिजली की बात है। सभापति महोदय, बिजली हम बाहर से लेते रहे उसका पैसा देते रहे अब भी पैसा दे रहे हैं। उसका घाटा खाते जा रहे हैं लेकिन योजना बद्ध ढंग से कहीं कोई श्री गणेश हुआ है तो इस वर्ष में हुआ है। चाहे लघु पन बिजली योजना के कारण बने 12 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आगे का लक्ष्य हमारा तो बहुत है। सूरतगढ़ का तापीय बिजली घर, धौलपुर का तापीय बिजली घर, चित्तौड़गढ़ का तापीय बिजली घर बर्सिंगसर का, अन्ता के तापीय बिजली घर कुल मिलाकर देखा जाये तो 2123....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है, स्वीकृत नहीं हुए हैं। आप अच्छी तरह से पढ़े। स्वीकृत होने की उम्मीद है।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैंने आगे कहां कहा। मैंने इतना ही कहा है कि श्री गणेश उत्पादन का हुआ है इस वर्ष। यह वर्ष उत्पादन की श्री गणेश का वर्ष बनेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा इतना जो लक्ष्य है 2123 मेगावाट का थोड़ा कम हो सकता है, उससे इस राजस्थान को कितनी राहत मिलेगी। नई लाइनों की बात है, सब स्टेशन्स की बात है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने कहा कि इस बार 1100 गांवों को बिजली देंगे, विद्युतिकरण करेंगे उसका और खुल्ला भी करने के लिए कह दिया 25 हजार कुओं को बिजली का कनेक्शन देंगे। सभापति महोदय, किसानों को पहला किसानों का ध्यान, गरीबों का ध्यान, गांवों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के अन्दर था हमारे बजट का 60 प्रतिशत गांवों को देंगे और यह बात साबित

(श्री टीकमचन्द कान्त)

हो चुकी है कल के इस बजट में। इस बजट का 60 प्रतिशत ग्रामीणों के लिए है। सभापति महोदय, उसके बाद किसानों की दूसरी चीज जो है वह है लघु सिंचाई और सिंचाई योजना। यह जरूर हमने कह दिया कि बहुत बड़ी योजना अभी हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं, मैं इससे प्रभावित हूं जो छोटी छोटी योजना अधूरी पड़ी हुई हैं उसके कारण किसान तड़पता है हर बार कहता है कि हमारी यह योजना पहले बन जाये, पूरी हो जाये जो छोटी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को उन्होंने सर्व प्रथम बड़ी योजना की बात किये बिना उन्होंने कहाकि छोटी योजनायें जो अधूरी पड़ी हैं उन योजनाओं को पहले पूरा करेंगे। इसके कारण किसान को लाभ होगा। एक लक्ष्य और था इन्दिरा गांधी नहर से 40 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य और 35 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य। किसानों को ध्यान में रखते हुए इस राजस्थान की भूमि को उपजाऊ बनाते हुए, सिंचित करते हुए इसको समृद्ध बनाने की दृष्टि से सिंचित क्षेत्र का विकास, बालू भूमि के लिए जो मुआवजा था उस भूमि के मुआवजे की बात का खुलासा हमने इस बार कर दिया। मुआवजा हम दे देंगे। कुओं के लिए बीमा योजना, पक्की नालियों और सामुदायिक ट्यूबवेल में अनुदान सब योजनाओं को देख कर इस बजट के अन्दर इन सब बातों को देखें तो, अखबार के अन्दर चाहे कांग्रेस वहां ढोल बजाये वह व्यापारियों का बजट है। मैं किसानों की बात कह रहा हूं, मैं ग्रामीणों की बात कह रहा हूं लेकिन कहना क्या है ऋग्वेद का जो मन्त्र माननीय राज्यपाल महोदय पढ़कर चले गये थे यहां उस ऋग्वेद के मन्त्र के अन्दर यही था कि हम आपस में मिल जुल कर बैठ कर सामन्जस्य दिखा कर कुछ करेंगे लेकिन लगता है आप में सामन्जस्य नहीं तो यह नहीं कहते आप इस बजट को पढ़ लेते तो स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में प्रावधान था। 12 सौ नये सेट डेढ़ करोड़ की लागत के इस बजट के अन्दर हैं। 470 करोड़ की लागत की योजना विश्व बैंक की थी। इसी प्रकार से शिक्षा के मामले में पहले कह चुका हूं कि 1958 के अन्दर जिस स्थान पर हम थे दूसरी नम्बर पर आज भी उसी स्थान पर हैं। इसी बजट के अन्दर यह पहले प्रारम्भ किया कि इस बजट के अन्दर 15 राज्यों की तुलना के अन्दर जिस स्थान पर हम हैं वहां से कुछ आगे बढ़ें। शिक्षा के मामले में, हम आगे बढ़ें इसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि इतने लाख बच्चों को हम शिक्षा देंगे। इतने गरीबों को हम पुस्तकें देंगे, इतने लोगों को हम पोषाक देंगे इन सब चीजों के बाद, सभापति महोदय, यह कहा जा सकता है कि यह बजट एक सम्पूर्ण इस राजस्थान के उत्थान का उद्देश्य लेकर बनाया गया है और जिस व्यक्ति ने इस राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक-एक चीज को छूने की कोशिश की है और इस बजट के द्वारा हम प्रगति करें उस उद्देश्य को प्राप्त करें कि हमारा राजस्थान भी अन्य राज्यों की तुलना के अन्दर आगे बढ़ सके इस प्रकार के यह प्रयास हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य थोड़ा समय का ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण बहस

(श्री सभापति)

है बहुत से सदस्यों को भाग लेना है थोड़ा संक्षिप्त में बोलें।

श्री टीकमचन्द कान्त : थोड़ा गरीबों की बात कह दूं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का सम्पूर्णतः ध्यान रखा गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं के साथ 11 हजार अनुसूचित जाति के परिवार इस बजट के अन्दर लाभान्वित किये जायेंगे। इसके साथ-साथ तीस हजार भूखण्ड उन लोगों को देने की बात कही है। 15 हजार भवनों का अनुदान से निर्माण करवाने की बात कही और अन्त्योदय योजना में 7351 पंचायतें, हर समय पांच-पांच अन्त्योदयी जिनका जिम्मा सरकार लेती थी कि हम उनको समृद्ध बनायेंगे, अपने पांवों पर खड़ा करेंगे उस अन्त्योदय योजना की भावना को उस अन्त्योदयी को जिस प्रकार सहानुभूति मिली थी उस अन्त्योदयी योजना के प्रति सरकार और समाज का जिस प्रकार का भाव पैदा हुआ था। यह एकीकृत ग्रामीण विकास क्या चीज थी जिसके अन्दर यह भावना चल गयी समाज की सहानुभूति खतम हो गयी। कार्यक्रम के नाम पर कार्यक्रम रह गया भावना विहीन कार्यक्रम रह गया। इसलिए इस बजट के अन्दर एक संकेत दिया है कि हम वापस अन्त्योदयी योजना प्रारम्भ करेंगे। सभापति महोदय, एक बात और। कर के बारे में बहुत बोला गया। यह एक भाग है बजट का। बजट का दूसरा भाग है कर प्रस्ताव। यह मैं मान सकता हूं रवाना के बारे में मुख्य मंत्री जी ने थोड़ा गड़बड़ किया और वह क्या गड़बड़ किया कि गदहा और खच्चर एक कर दिया। जितने गदहे के पैसे किये, खच्चर के थोड़े बढ़ा देते तो ठीक रहता। मतलब यह है कि गधा और खच्चर एक नहीं करना चाहिए था। वरना आज के समय में तो रवाना नहीं बढ़ेगा तो मेलों का खर्च कैसे चलेगा। सुविधायें कैसे बढ़ेंगी, यह तो आवश्यक है। कर प्रस्तावों के अन्दर साहस तो देखो कि कर घटायें हैं हमने। घटाये किसमें? मोती और रत्न की बात कर रहे थे, इनको मालूम नहीं कि इन पर पलते हुए कारीगरों का क्या हाल है। मैंने मोती और रत्न वाले कारीगरों से पूछा था, पत्थर पर काम करते हुए उन कारीगरों से पूछा था। उन्होंने कहा बजट हमको अच्छा लगा। हमारा धोबी आया हुआ था उसने कहा नील सस्ता हो गया। मुझे भी फायदा है। जयपुर के अन्दर सूरत बनाने की कल्पना हमारा मुख्य मंत्री करे, इसमें क्या बुरी बात हो गई। अगर एक बार यह थोड़ा कर पाने के कारण ज्यादा लोग इस धन्धे में आयें, ज्यादा रोजगार मिले तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो फिर रोजगार बढ़ेगा। फिर लोगों को रोजी मिलेगी। गैर सरकारी योजना के माध्यम से रोजगार बढ़ाना और बेरोजगारी मिटाना इस कर के अन्दर के अन्दर यह सबसे पहला काम है। यहां का धन्धा बाहर नहीं चला जाय, यहां का बिजनेस बाहर नहीं चला जाय, यहां के कच्चे माल पर पैदा होता हुआ सामान हमको लाभ दिये बिना बाहर नहीं चला जाय, यह दृष्टि है। इससे दस्तकार पले, इससे बुनकर पले, इससे हाथ मजदूरी करने वाला व्यक्ति पले। सभापति महोदय, इन कर प्रस्तावों में, यह तो क्रान्तिकारी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

बजट जिन लोगों ने कहा है मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि यह वास्तव में क्रान्तिकारी बजट है। सभापति महोदय, उस क्रान्तिकारी बजट के साथ उन गरीबों की, उन दस्तकारों की उनकी तरफ से भी मैं दुआ देता हूं मुख्य मंत्री महोदय को कि आपने इस बार जो इस प्रकार का बजट बनाया है यह कीतिमान रखा है, इस राजस्थान के अन्दर पुल बांधने की जो संभावनायें आपने तय की है कि राजस्थान आगे बढ़ेगा। मैं भी आशा करता हूं कि आगे बढ़ेगा।

इसी बात के साथ क्योंकि, सभापति महोदय, आपने दो-तीन बार घण्टी बजा दी है, अपनी बात समाप्त करता हूं, इस बजट को एक कीतिमान कहते हुए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं कल बाहर चला जाऊंगा इसलिए मुझे अवसर दे दें, जनता दल को बाद में। (व्यवधान) मेरी व्यक्तिगत कठिनाई है इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : इनके बाद आपको दे देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे कल बाहर जाना है। (व्यवधान) ऐसा है कि डिबेट का तो कायदा यह है कि एक उधर से बोले, एक इधर से बोले, यह किसकी डिबेट हो रही है कि एक बोले और दूसरा उसका समर्थन करे। डिबेट का तो सिद्धांत यह है कि पिंगपोंग की बॉल की तरह। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले जगमाल सिंहजी बोल लें, बाद में बोल लीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : टाइम नहीं रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाइम बढ़ा देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीचन्द जी मेहता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी पार्टी का नम्बर है। श्री जगमाल सिंह जी को बुलाइये। पहले उनका नाम पुकारा है।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंहजी।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, कल राजस्थान की विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत किया उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझसे पहले तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मंत्री, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने एक तालिका पढ़कर यह सिद्ध करनेकी कोशिश की कि 116 दिन की सरकार ने महगाई पर कोई काबू नहीं पाकर महगाई को बेइन्तहा बढाया है। माननीय सभापति महोदय जो सूचियां उन्होंने पेश की उनकी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि तेल सरसों 20 रुपये से 26 रुपये हो गया। वह यह बताना भूल गये,

(श्री जगमालसिंह यादव)

दूसरा उन्होंने बताया चने की दाल के भाव बढ गये, तीसरा उन्होंने बताया मूंग की दाल के रेट्स बढ़े। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, रेट्स बढे, और बढ़े होंगे लेकिन राजस्थान में और हिन्दुस्तान में सत्ता परिवर्तन करते समय माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब और माननीय विश्वनाथ प्रतापसिंह जी और माननीय देवीलाल जी ने किसानों से यह वायदा किया था कि आप जो जिन्स पैदा करते हैं चाहे हमको थोड़ी मंहगाई की मार भी खानी पड़े, लेकिन किसान जो जिन्स पैदा करता है उसके भाव नीचे नहीं आने चाहिए। किसानों का जो शोषण होता है, इन 35-40 सालों में कांग्रेस ने किसानों को कीड़ों और मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस देश के 80 फीसदी तबके की तरफ जो ध्यान नहीं दिया, हमने वायदा किया था, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कि आपकी जिन्सों के भाव नीचे नहीं आने देंगे, आपकी माली हालत को सुधारा जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंहगाई पर नियन्त्रण करने वाले, कपड़ा किसान पैदा नहीं करता (व्यवधान) आपको कोई अधिकार नहीं हैं बीच में टोकने का। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय भूतपूर्व मंत्री महोदय, आपको तो बहुत शालीन होना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनिट, आपको किसानों के नाम पर क्यों चिढ़ हो रही है ? (व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी का समय इतना रिजर्व कर दिया जाय (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है जगमालसिंह जी, मैं तो खुद काश्तकार हूं इसलिए इस बात को मानता हूं, आपकी वह बात मैं मान लेता हूं। आपके कहने से अगर भाव बढ़े होते तो चाय के भाव क्यों बढ़ाये यह बताओ वह कौनसे किसान हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, इसी सन्दर्भ में अर्ज करना चाहता हूं. मेरे साथी जो मेरे दायीं ओर बैठे हैं, (व्यवधान) उस गरीब किसान पर तो नहीं पड़े कम से कम। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं शालीनता से सुनने का माद्दा रखेंगे। आपको मौका मिलेगा, आपकी पार्टी को मौका मिलेगा मेरी बात का जबाब देने के लिए।

तो मैं अर्ज कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, जिस बढ़–चढ़ कर खाद्य सामग्री के रेट्स बताये गये, चाहे वह मिर्ची है, चाहे वह लहसन है, चाहे वह मूंग की दाल है, चाहे वह उड़द की दाल है, चाहे वह चने की दाल है, चाहे वह हल्दी है और चाहे वह सरसों का तेल है मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय द्वारा जिन चीजों के दाम बढ़ना बताया गया यह सब खेती से सम्बन्ध रखती हैं हमारा पहला मेनीफेस्टो है कि इस हिन्दुस्तान में जनता दल और भारतीय जनता दल की सरकार, चाहे वह दिल्ली में बैठी है या

(श्री जगमालसिंह यादव)

चाहे राजस्थान में बैठी है, किसानों को नहीं मरने दिया जायेगा, किसानों का शोषण नहीं होने दिया जायेगा। माननीय सभापति महोदय.... (व्यवधान) आप बैठिये जरा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मुख्य सचेतक हो सकते हैं, मैं सभापति से बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य आप नये-नये आये हैं पहले आप शिष्टाचार सीखिये। (व्यवधान) मेरे को कहने वाले कौन होते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय महुआ से आने वाले सदस्य से मेरा निवेदन है आपको मौका मिलेगा, आपकी पार्टी को मौका मिलेगा। मैं, एक-एक के बारे में माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस के 35 साल के शासन में सरसों के तेल का भाव जो न्यूनतम खरीद मूल्य था वह चार सौ रुपये रखा है। हमारी सरकार ने आते ही, न्यूनतम खरीद मूल्य 600 रुपये किया। किसान को दो सौ रुपये बोरी का फायदा दिया। वहां अगर तेल का भाव सौ रुपये प्रति क्विण्टल बढ़ जाता है तो यह सहन करने काबिल है। हमारे में सहन करने की शक्ति है। जबकि दो सौ रुपये बोरी पर हमको ज्यादा लग रहा है। चने के रेट, माननीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस सरकार रही, उनका खरीद मूल्य जो था, उसको बढ़ाकर हमने डेढ़ सौ और दो सौ बोरी दिया। माननीय सभापति महोदय, गेहूं के भाव की भी तुलना की कि ढाई रुपये किलो गेहूं, मिलता था वह आज सवा तीन सौ रुपये क्विण्टल मिलता है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस किसान होने की बात करती है, किसानों के समर्थन की बात करती है मैं कहता हूं लज्जाजनक बात है 35 सालों में आपने किसानों को जो दिया। आपने 151 से जब भाव बढ़ाया गेहूं का तो 152 रुपया बोरी। एक रुपया आपने किसान को रिलीफ दी। आपने 181 से जब भाव बढ़ाया तो 183 रुपये, दो रुपया बोरी गेहूं का भाव बढ़ाने की बात की।

यह किसानों का शोषण नहीं था? हमारी सरकार ने आते ही पहले साल में 32 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया। और आप समझते हैं कि कांग्रेस के शासन, कांग्रेस के ट्रेड वोट हैं उनको फायदा देना चाहते हो। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार चाहे दिल्ली में सत्तारूढ़ रही हो चाहे वह राजस्थान में नारा देकर आई हो, हमने वादा किया था कि हिन्दुस्तान में जो कृषि पर आधारित लोग हैं, जो 80 फीसदी गांवों में बसते हैं या खेती से जुड़े हुए मजदूर हैं उन सब का हम उद्धार करेंगे उनकी मदद करेंगे। हमारी सरकार उनकी हिमायती रहेगी। माननीय भैरोंसिंह जी ने यह बजट पेश करके यह सिद्ध कर दिया कि माननीय भैरोंसिंह जी अभी गांवों से हटे नहीं है। माननीय भैरोंसिंह जी अभी गांवों का दुःख दर्द भूले नहीं हैं, माननीय भैरोंसिंह जी अभी गरीब का दुःख दर्द भूले नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आने वाला मुख्य मंत्री गाल बजाने वाला होगा, गाल बजाने की आदत आपको 35 साल तक पड़ी है, उसे भूल भी नहीं सकते। माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कल जो बजट पेश किया

(श्री जगमालसिंह यादव)

गया एक बहुत बड़ी किसानों की जो बहुत दुखती हुई नस थी, माननीय भैरोंसिंह जी ने उस पर हाथ डाला है। आप पूरा राजस्थान जहां पानी का स्तर कई सौ फिट नीचे जा चुका है बरसात के न होने से। पूर्वी राजस्थान में जहां 10 और 15 फिट पानी अलवर में नीचे वाटर लेबल था वह आज 100-150 फिट नीचे जा चुका है। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने एक बहुत बड़ी मदद किसानों की है कि कुआ खोदो उसका बीमा होगा, बीमे की आधी राशि किसान दे, आधी राशि सरकार देगी। अगर पानी नहीं लगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। आपने कभी किसानों के दर्द की तरफ देखा है ? आपको वो मतीरे और तरबूज का पता नहीं है, आपको खरबूजे और बैंगन का पता नहीं है। आप बातें करते हैं किसानों के समर्थन की। माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक और निवेदन कर दूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल घोषणा की कि पांच-पांच सात-सात किसान अगर इक्ट्ठा हो जाये तो उनको 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी। आज हालात यह हो गई, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अलवर और भरतपुर और जयपुर का उत्तरी हिस्सा, कुछ झुन्झुनूं का हिस्सा और राजस्थान में जोधपुर का कुछ हिस्सा हो सकता है जो गेहूं आपका सबसे ज्यादा पैदा करता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह जो आपने घोषणा की है अगर इस घोषणा को आपने बहुत जल्दी लागू नहीं किया तो गेहूं का रकबा आपका सिर्फ 10 परसेंट रह जायेगा। गेहूं का रकबा अलवर और भरतपुर केवल उतना गेहूं पैदा कर सकेगा जो अपना जीवन यापन कर सकेगा। पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा जो भुखमरी की स्थिति में है उनको गेहूं नहीं दे सकेंगे। इसलिए सबसे मुख्य बात जो मैं आपसे कहता हूं बजट में कुछ कमियां भी रहती है, बजट में कुछ वायदे भी पूरे नहीं होते हैं लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप अपने सरकार के कृषि अधिकारियों को, बोरिंग करने वाले जो अधिकारी हैं, पाताल तोड़ कुआं बनाने वाले जो अधिकारी हैं, मेहरबानी करके शीघ्र उनको यह निर्देश दे दें कि अलवर और भरतपुर खास तौर से सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले जो जिले हैं उनमें यह पाताल तोड़ कुएं पांच-पांच आदमी, सात-सात आदमी जो मिलकर लेना चाहते हैं उनका काम शीघ्रातिशीघ्र अगर अब चालू करा देंगे तो गेहूं की बिजाई का जब समय आयेगा तो यह ट्यूब वैल तैयार मिलेंगे वरना गेहूं के लिए राजस्थान तरस जायेगा। आपको गेहूं आयात करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, बजट की किसी भी बिन्दु पर आलोचना करना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन जो आशा और अपेक्षा कांग्रेस आज हमसे कर रही है यह भूल गये 35 साल तक कुर्सी इन्होंने सम्भाली है। आज माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी कह रहे थे कि आप तो इधर ही बैठा करते थे हम तो हमेशा उधर बैठा करते थे। जिस तरह का सोच, जिस तरह की कल्चर जिस तरह से कांग्रेस का सोच आज आम आदमी और गरीब किसान के प्रति रहा उसने आपका यह नतीजा किया है और मैं निवेदन करूं भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के नेताओं से अगर आपने सही तरीके से काम किया अगर आपने दुख और तकलीफ उठा-

(श्री जगमालसिंह यादव)

कर काम किया तो मेरी दायीं तरफ बैठने वाले लोगों से उम्मीद करता हूं कि जिन्दगी भर, 35 साल की जगह 350 साल तक आपको उधर बैठना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, बजट में जो अच्छाई थी माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी को चश्मे चढ़ गई बुराई ही बुराई के अक्षर पढ़ने के। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने कह दिया कि मोती पर से टैक्स हटाकर बहुत बड़ी हिमायत की है। मैं नहीं मानता कि जो मोती पर से टैक्स हटाया है वह कोई अच्छी चीज है या कोई बुरी चीज है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन एक चीज जरूर निवेदन करना चाहता हूं। जिन-जिन चीजों पर टैक्स कम किया है उनमें आपका ताम्बा, लोहा, स्पात आम गरीब के काम आने वाली चीज है।

दूसरा, वनस्पति में जो आने वाला खाद है उस पर टैक्स कम किया है यह भी गरीब के काम आने वाली चीज है। तेल रहित जो खल है आम किसानों के पशुओं के काम आती है उस पर टैक्स माफ किया है यह गरीबों की तरफ देखा गया है। तीसरा, महोदय कपड़े की रंगाई राजस्थान में जयपुर विशेषकर सांगानेर में कपड़े की प्रिंटिंग का जो काम होता है जिस पर लाखों मजदूर रोजगार के लिए जुटे हुए हैं उन पर टैक्स कम करके लाखों मजदूरों की दुआ ली है। माननीय सभापति महोदय, छाते पर टैक्स कम करके गरीब आदमी की तरफ ध्यान दिया है। मूंज-बांण पर जुड़ा हुआ किसान जहां बारानी रकबा है जहां कोई खेती करने का साधन नहीं है, पूले के पूले पैदा करने का काम जो गरीब आदमी करता है उस मूंज-बान से जुड़े हुए इस राजस्थान में लाखों करोड़ों मजदूर हैं उन पर टैक्स समाप्त करके आपने गरीब जो गांव में रहने वाला है उस पर बहुत बड़ा अहसान किया है। महोदय, इसी तरह से शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आपने बच्चों की पेन्सिलें, ज्योमैट्री बाक्स, स्याही आदि पर जो टैक्स समाप्त किया है इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इस बजट में, मैं एक निवेदन आपकी मार्फत जरूर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का सत्ता परिवर्तन हुआ हो, चाहे राजस्थान का सत्ता परिवर्तन हुआ हो हमने चाहे वेल्यूएबल पालिटिक्स की बात की हो चाहे हमारे पास नेतृत्व माननीय भैरोंसिहजी शेखावत साहब का रहा हो, चाहे माननीय वी. पी. सिंह जी का रहा हो। माननीय भैरोंसिह जी साहब, आप शायद यह सोचते होंगे कि आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि मैं जिन्दगी भर जनता दल का सदस्य रहा हूं लेकिन ग्रामीण एरिया में जहां आपका एक कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं है, राजस्थान का आम किसान आपको मास लीडर मानते हुए राजस्थान का नेता मानता है। चाहे वह कांग्रेस की सोच का इन्सान है चाहे वह सी. पी. आई., सी.पी. एम. की सोच का इन्सान है, चाहे वह जनता दल की सोच का इन्सान है, वह आपको राजस्थान को एक छत्र नेता देखना चाहता है। आपके हाथ में राजस्थान की अमानत और राजस्थान की अस्मत को सुरक्षित समझता है लेकिन पता नहीं कहां भूल हुई है या माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके

(श्री जगमालसिंह यादव)

रिसोर्सेज कम थे इस बजह से भूल हुई है, मुझे दुःख है, मुझे इस बात का आभाष हो रहा है कि हमने जब चुनाव लड़ा किसी ने सिद्धान्त पर वोट नहीं दी, सिद्धान्तों पर भी वोट किया होगा, केडर पार्टी के लोग सिद्धान्तों पर वोट करते हैं लेकिन आम इन्सान जो वोट करता हैं वह आपने जो प्रोग्राम दिया, माननीय वी. पी. सिंह जी ने, माननीय चौधरी देवीलाल जी ने, पूरे उत्तर भारत में एक नारा दिया था कि किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे

दूसरा हमने नारा दिया था वृद्धा अवस्था पेन्शन देने का। राजस्थान में बसने वाले असहाय जिनके हाथ पैरों ने काम करना बन्द कर दिया उनको पेन्शन देंगे।

तीसरा हमने नारा दिया था बेरोजगार लोगों को भत्ता देंगे। चौथा हमने युवा और छात्रों को सन्तोष दिया था कि आपको बस में यात्रा करने का पास मुहैया कराया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे खेद है इस बजट में कर्जा माफी की बात कही गई है। मैंने पूरा विश्लेषण तो नहीं किया है लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को यह कर्जा माफी की घोषणा हुई जैसे नहीं हुई, उससे कोई रीलिफ नहीं मिलने वाला है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे अपील करता हूं.. (व्यवधान)

आपके ताली बजाने की जरूरत नहीं है आपने तो सोचा ही नहीं इस तरफ। मेरे मुख्य मंत्री ने सोचा तो है, उस तरफ दिशा देने का प्रयास तो है। आपने तो केवल 35 साल में कर्जा फर्जी मांडने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इस लिए सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं चाहे आप हमारे स्कूल बन्द कर दीजिये, चाहे आप राजस्थान की सड़कों का विकास दो साल के लिए बन्द कर दीजिए चाहे आप कूप निर्माण का काम बन्द कर दीजिये, मेरे कहने का अर्थ जो आवश्यक सेवा है उसको छोड़कर जितने विकास के काम बन्द करने पड़े माननीय मुख्य मंत्री जी, आप उस को बंद कर दीजिये लेकिन जनता में हमने जो वायदा किया है उसमें कर्जा माफी करने में हमने इफ एण्ड बट का उपयोग कहीं नहीं किया था। हमने सीधा सा एक स्टेटमेंट दिया था, सत्ता बदलो, कांग्रेस के कुशासन को हटाओ। किसानों आपकी मदद करेंगे, आपके कर्जे माफ करेंगे। जो इसमें नहीं हैं। मुझे खेद हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जितना मैं कांग्रेस का हमदर्द हूं, उससे लाखों, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा आप किसानों के हमदर्द हैं। किसी भी तरीके से अब नहीं, आने वाले बजट में, बजट जब पास हो किसी भी तरह से उस स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं किसानों को जो वादा दिया है उसको राजनीतिक प्रपंच में नहीं फंसा कर हमेशा किसानों के लिए एक ऐसे नेता बन जाओगे जो राजस्थान में न बना है, न आज है, न आगे आने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, वृद्धा अवस्था पेन्शन की तरफ भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केवल 3 करोड़ 32

(श्री जगमालसिंह यादव)

लाख रुपया वृद्धा अवस्था पेन्सन पर बढ़ाया है जो अपर्याप्त हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस राशि को भी बढा कर वह वृद्ध जो आपकी तरफ देख रहा है जो वृद्ध भैरोंसिंह जी को अपना बेटा समझता है, जिनके हाथ और पैर आज चलने बन्द हो गये हैं वह आपसे न्याय की उम्मीद करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा केवल प्रश्न और सवाल है, मैं आपकी सत्तारूढ पार्टी का सदस्य हूं, मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछता हूं कि जो आई. ए. एस. अधिकारी अपनी 21 साल की उम्र में सर्विस जोइन करता है, जो पटवारी 21 साल की उम्र में अपनी सर्विस जोइन करता है, जो सरकारी कर्मचारी 21 साल की उम्र में अपनी सर्विस जोइन करता है और 55, 56, और 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है और ऐश करता है, रिश्वत लेता है, एयर कन्डीशन में सोता हैं, कार में घूमता है, सारी सुख सुविधाओं से लैस है जब वह रिटायर होता है तो उसको मानदेय हम देते हैं दो हजार रुपये महिना। उस किसान ने क्या गुनाह किया है, जो 15 साल और 10 साल की उम्र में खेत पर जुट गया, आपके राजस्थान में अन्न पैदा करने के लिए जुट गया और जब वह 70 साल की उम्र तक आपका काम कर रहा है, 70 साल तक राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, 70 साल तक खेत में पैदा कर रहा है, न उसको बरसात महसूस होती है, न उसे सर्दी महसूस होती है, न उसे गर्मी महसूस होती है वह असहाय जब 70 साल के बाद कमाने के लायक नहीं रहा उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना बेटा समझ कर आपकी तरफ राजस्थान का वृद्ध देख रहा है और उन्होंने इस बजट को बड़े गौर से पढा होगा। इसलिए मेरी आपसे आशा है कि आप उन वृद्धों को भी इस तरह से निराश नहीं करेंगे जिस तरह से उन्होंने आपको बड़े प्यार से यह राजस्थान की सत्ता सौंपी है। अगर आपने वृद्धों को, किसानों को जिस तरह की मदद देने की बात की तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, इस पांच की चिन्ता छोड़ दे, जगमाल सिंह लौटेगा या नहीं लौटेगा, इतने सदस्यों में से कौन लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन भैरोंसिंह जी लौटेगा और लौटता रहेगा, और नहीं लौटेगा तो भैरोंसिंह जी के सिद्धान्त लौटेंगे और भैरोंसिंह जी एक इन्सान नहीं होकर भैरोंसिंह जी एक विचारधारा बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी तो नहीं बजायी है अभी ? इस सत्ता परिवर्तन में हमें जितना योगदान राजनैतिक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी वृद्धा अवस्था में आने वाले हैं।

श्री नत्थीसिंह : इनकी पेन्शन का तो प्रावधान है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, इस सत्ता परिवर्तन में और इस कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचारी....

श्री सम्पतसिंह : आप बात ऐसी कर रहे हैं, सभापति जी तो घण्टी नहीं बजायेंगे मुख्य मंत्री जी बजा देंगे आपकी घण्टी।

श्री जगमालसिंह यादव : मेरा नाम मंत्री की लिस्ट में तो है नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी तो आदत नहीं गई, चक्कर में मत आ जाना।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मुल्क में और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करने का काम जितना राजनीतिक लोगों ने किया है, मैं यह दावे से कहता हूं इन वृद्धों ने किया है। जब गांवों में पार्टी के लिए वोट मांगने हम जाते थे, वह चाहे पार्लियामेंन्ट का इलेक्शन था, चाहे राजस्थान की विधान सभा का इलेक्शन था, वह यही पूछते थे, भैरों बाबा की पार्टी है, यह वही पार्टी है जो कर्जा माफ करेगी, यह वही पार्टी है जो हमको मानदेय पेन्शन देगी। इसलिए माननीय भैरोंसिंह जी, मैं तो अभी चुनाव जीत कर आया हूं, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपने हल्के में जा रहा हूं, मैंने कहा था राजस्थान का बजट पेश हो उस दिन रेडियो सुनना अगर माननीय भैरोंसिंह जी कहीं कलम से लिखना भूल भी गये होंगे तो जब बजट पास होगा तब आप जरूर सुनना, आप को रेडियो पर कुछ न कुछ नई चीज मिलेगी सुनने को। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, वृद्धों ने, किसानों ने जो आपको सहयोग दिया, सत्ता परिवर्तन करने में उससे कम सहयोग आपको छात्रों ने और नौजवान ने नहीं दिया जिनको 21 साल के वोट का अधिकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की दिल्ली की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने दिये। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं उन बेरोजगारों को चाहे सबको न दें लेकिन कुछ ऐसी राजस्थान में मूलभूत आवश्यकता उन लोगों की है जिनके मां-बाप ने उनको पढा दिया, आज भरपेट रोटी खाने को उनके पास नहीं है। ऐसे छात्र जो कमजोर है, जिनको आने जाने के लिये नहीं है, ज्यादा नहीं तो कम से कम टर्म पास जारी करिये ताकि हम इन लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया इनकी बात का जवाब तो दे सकें कि आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ न कुछ तो किया है। इसलिये दोनों बातों पर मेरी आपसे अर्ज है। हां, किया है, राजस्थान जानता है। (व्यवधान) तभी इनाम मिला है आपको। राजस्थान की जनता ने दिया है ना तीन महीने पहले।

माननीय सभापति महोदय, बजट में मुझे एक अभाव और बहुत बड़ा खटका। गरीब लोगों ने हमारी सत्ता परिवर्तन में सबसे बडा योगदान दिया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में बजट में कोई चर्चा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, भारत सरकार जब इस मामले में कोई फैसला कर ले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में पीछे नहीं रहेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आज जिस तरह से सतवाड़ी कांड पर बहस हो रही थी, चाहे मेवात में पानी की समस्या हो, चाहे मेवात में रोजगार की समस्या हो, चाहे चिकित्सालय की समस्या हो, मेवात डवलपमेंट बोर्ड 1985 से 1990 तक मैं सदस्य था तो इस राजस्थान की विधान सभा में सबसे पहले मैंने सुझाव दिया था कि हरियाणा की तर्ज पर मेवात विकास बोर्ड का गठन

(श्री जगमालसिंह यादव)

होना चाहिये। मेव जाति सबसे कमजोर जाति है। मेरे अलवर और भरतपुर इलाके में उनका सोशल कल्चर, उनका आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर बहुत कमजोर है। इसलिये पिछली बार आपने मेरी बात की मदद करते हुए यहां पर ताइद की थी कि मेवात विकास बोर्ड का गठन होना चाहिये। उसका विशिष्ट योजना में अलग से फण्ड होना चाहिये ताकि मेव जाति का हम उत्थान कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल आपको इतना ध्यान दिला रहा हूं बेटे की तरह कि आपकी उम्र ज्यादा है इसलिये कोई छोटी मोटी बात आपके ध्यान में नहीं रहती इसलिये मेवात विकास बोर्ड के लिये इस बार आपने कोई प्रावधान नहीं किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेवात विकास बोर्ड के लिये कोई न कोई फण्ड देकर उस जाति जो अनुसूचित जाति और जनजाति से ज्यादा बढिया स्थिति में नहीं है, उनका उद्धार करने के लिए, बीसियों कांस्टीट्यूएंसी में निर्णायक जिनका राजस्थान में वोट भी है, काफी तादात में यहां बसते हैं, उनका ध्यान रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक-एक मिनिट में दो तीन सुझाव निवेदन करना चाहता हूं। उद्योगों की बाबत, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा। तिजारा विधान सभा क्षेत्र न केवल राजस्थान बल्कि हिन्दुस्तान के औद्योगिक नक्शे पर आने वाले 10 सालों में शायद कलकत्ता, बम्बई और पंजाब में जिस तरह के उद्योग हैं उनसे कहीं आगे निकल जायेगा। हरियाणा को पीछे छोड़ जायेगा। लेकिन एक निवेदन, माननीय मुख्य मंत्री जी, करूं, बढ़िया उद्योग मेरे यहां आये, तिजारा का सबसे बड़ा सौभाग्य है राजस्थान का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन आपको उनको रियायत देने, बिजली देने से पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि जो उद्योग राजस्थान में आ रहा है वह आज हमको कम रिटर्न करें लेकिन लम्बे समय में तो राजस्थान को कुछ न कुछ फायदा हो। अगर हमको उससे कुछ फायदा नहीं हुआ तो 4400 रुपये प्रति बीघा में जमीन लेकर रीको जो शोषण किसानों का कर रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप जब भिवाड़ी गये थे मैंने भी आपसे निवेदन किया था कि राजस्थान में मेरा विधान सभा क्षेत्र पांच ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है। पांचों ओर ,जहां सरकार और व्यापारी उद्योग डालते हैं उनको मुआवजा मिलता है माननीय मुख्य मंत्री जी, सात लाख रुपये प्रति एकड़ और मेरे किसानों को मुआवजा मिलता है 60 हजार रुपया प्रति एकड़। इस तरह का शोषण, आर्थिक में जहां फर्क हो, बगावत करता है वहां के किसानों का ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि समय बढ़ाया जाय या नहीं बढ़ाया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

एक घण्टे के लिए समय बढ़ाया गया।

परिवर्तित आयव्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री जगमाल सिंह यादव : तो मैं निवेदन कर रहा था कि मुआवजा इस तरह का किसानों को मिले कि उनको इस तरह की पीड़ा महसूस नहीं हो कि 15 फीट दूर जो राजस्थान से दूर राजस्थान और शाहजहां की रोड़ है, उसके उधर मुआवजा सात लाख रुपये प्रति एकड़ मिले और इधर 60 हजार रुपया प्रति एकड़ मिले। माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक बहुत बड़ा ++ + भिवाड़ी में है। मैं इण्डिविजुअल किसी पर चार्ज नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन आपको आगाह कर देता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, सहारण पल्स एवं बोर्डस नाम का एक उद्योग भिवाड़ी में स्थापित है। सबसे पहला उद्योग है। 12 एकड़ जमीन है। भिवाड़ी मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन का चेयरमैन है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब यह सबसे पहला उद्योग डला 1974 में माननीय बरकततुल्ला साहब के सामने उसके बाद एक नये पैसे का उत्पादन नहीं किया। आज 12 एकड़ जमीन को प्लाटों के रूप में बेच रहा है। एक तरफ आपके आर. एफ. सी. ने ताला लगाया और दूसरी तरफ का गेट तोड़ कर उसने रास्ता बना लिया। भिवाड़ी के दारूहेड़ा बैंक को जब पता लगा तो उसने ताला लगाया, दूसरे गेट पर तो तीसरी तरफ से तोड़ कर रास्ता बना लिया। 17 लाख रुपया भूमि का बकाया है, 23 लाख रुपया बिजली का बकाया है। आपके रीको से ले लिया था। 70 लाख रुपया उसमें से आज तक एक नया पैसे का चुकता नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या नाम बताया ?

श्री जगमाल सिंह यादव : सहारण पल्स एण्ड बोर्ड।

तो इस तरह का एक उद्योग नहीं, इस तरह के हजारों उद्योग इस भिवाड़ी में भी हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। आइन्दा कम से कम इस तरह के उद्योग जो स्टाक ट्रांसफर एण्ट्री दिल्ली में रखते हैं, मैं एक और आपको आगाह करता हूं, राजस्थान के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, भिवाड़ी में जितने उद्योग हैं तब बड़ी इकाइयां आ रही है, चाहे टाटा की हों, चाहे बिड़ला की हो, चाहे डी. सी. एम. की हो, चाहे श्रीराम फाइबर्स हो, राजस्थान में अगर सबसे बड़ी यूनिट कहीं डल रही है तो वह तिजारा में डल रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद अपने सैल्स टैक्स के अधिकारी को भेज कर आप उनसे मालूम करवाइये कि राजस्थान को आज यह भिवाड़ी के उद्योग क्या दे रहे हैं। जितना माल बनता है, कच्चा माल यहां आता है, उसकी स्टाक ट्रांसफर एण्ट्री होकर सबके दिल्ली में हैड आफिस हैं, सेल्स टैक्स दिल्ली को जाता है, सी. एस. टी. मिलता है, राजस्थान को एक नया पैसा कभी नहीं मिला। मैंने आपको भिवाड़ी के लिए पिछली बार भी कहा था कि इतना बड़ी भिवाड़ी का इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स है, माननीय मुख्यमंत्री

++ + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमालसिंह यादव)

महोदय, वह चुंगी से नहीं डरते, आज चुंगी में जितनी उद्योगों को छूट देना चाहे दे दें, आप राजस्थान के विकास के लिए देंगे। मुझ से ज्यादा सयाने हैं, मुझ से ज्यादा अनुभव है, मुझ से ज्यादा होशियार है आप, मेरी आप की कोई तुलना नहीं है लेकिन इतना नियम जरूर कर दीजिये कि जो ट्रक निकलता है उस ट्रक की एन्ट्री जरूर हो ताकि आपको यह मालूम पड़ जाय कि किस फैक्ट्री से कितना माल गया ताकि एक्साइज ड्यूटी और सैल्स टैक्स की चोरी नहीं हो सके। चूंगी आपका जी चाहे सारी उद्योगों पर माफ कर दीजिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

एक निवेदन मैं बिजली की बाबत आपसे करूंगा। शायद आपका ध्यान अधिकारियों ने उस ओर नहीं दिलाया हो। आपने इस साल घोषणा की है राजस्थान में आने वाले वर्ष 1990-91 में हम 25 हजार कनेक्शन देंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं चूंकि गांव में रहता हूं, डिमाण्ड नोटिस इस बार जितने जारी किये, भिवाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 500 के लगभग डिमाण्ड नोटिस ऐसे हैं जो 31 मार्च से पहले तो जारी हो गये और उनका कनेक्शन नहीं हुआ। वह जो कनेक्शन आप देंगे, 500 तिजारा विधान सभा क्षेत्र में हैं तो दूसरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं कम होंगे, तो तीसरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं ज्यादा होंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप जो 25 हजार कनेक्शन देने की बात करते हैं, यह तो पचास हजार कनेक्शन तो वह पिछले साल के बकाया हैं जिनके डिमाण्ड-नोटिस तो जारी हो गये लेकिन कनेक्शन कम्पलीट नहीं हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 50 हजार नहीं है।

श्री जगमालसिंह यादव : हां यही है। 22 हजार तो यही हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल 22 हजार है।

श्री जगमालसिंह यादव : कितने बचे ? तीन हजार। तो आपका कनेक्शन देने का कोटा राजस्थान का एक साल का केवल तीन हजार हुआ। 25 हजार कनेक्शन का कहां हुआ ? 25 हजार कनेक्शन नहीं देकर आप केवल राजस्थान में तीन हजार कनेक्शन दे पायेंगे। तो यह स्थिति हुई। तो एक साल में तीन हजार कनेक्शन से राजस्थान का घड़ा भर जाएगा ? माननीय मुख्य मंत्री जी, पच्चीस हजार कुओं को तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं, कनेक्शन केवल तीन हजार बनते हैं। (व्यवधान) हां, यही है। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी, इस पर भी आप दुबारा जितना बढ़ सकें उस पर गौर फरमायेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी, एक निवेदन और करूं मैं आपसे। वन पोल में पोल ही पोल है। वन पोल कनेक्शन का सिस्टम है या तो इसको आप बन्द करिये, प्रायोरिटी कीजिये कि 87 तक, 86 तक, 85 तक, 84 तक। राज्य सरकार की जितनी क्षमता है कोई न कोई आप पालिसी बनायें, कोई न कोई ऐसी सूची बनायें जिसमें किसानों का शोषण नहीं हो। इस तरह की पालिसी बनाये ताकि किसानों को फाइल जमा

(श्री जगमालसिंह यादव)

कराते ही यह पता लग जाय, उसको यह गारन्टी हो जाय कि मेरा कनेक्शन दो साल में मिलेगा, तीन साल में मिलेगा, चार साल में मिलेगा इससे पहले नहीं मिलेगा यह वन पोल का जो सिस्टम है उसमें केवल पोल ही पोल है। सभापति महोदय, किसानों को कहा जाता है कि पोल आप ले आइये, तार की कीमत हम लगा देंगे। एक पोल की कीमत 1850 रुपये बिजली बोर्ड मांगता है जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो पोल मेरे भिवाड़ी में साढ़े तीन सौ रुपये में मिल जाता है। इसलिए जिस तरह से बिजली बोर्ड लूट कर रहा है इस पर आप गौर फरमावें।

कहने को तो बहुत कुछ है सभापति महोदय लेकिन इशारा ही काफी है। मैं तो पहली बार सदन में परसों प्रवेश हुआ हूं और बजट के बारे में जो मेरी भावनायें थी माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत अदब से अर्ज कर दिया। आशा और उम्मीद करता हूं कि जनता दल और भा. ज. पा. ने मुल्क में और राजस्थान में जिन नारों पर हुकूमत बदली है उन नारों का इस बजट में अभाव है। उम्मीद करता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री और मंत्रीमण्डल इस बारे में निर्णय लेगा अगर निर्णय नहीं लिया तो निश्चित तौर पर यह कल का बजट मुझे कहते संकोच नहीं है कि आत्मघाती होगा जनतादल के मरने का दिन होगा। जनता दल और भाजपा की हुकूमत आगे आयेगी या नहीं आयेगी, राजस्थान में जब हम अपने विधान सभायी क्षेत्रों में जायेंगे, अगर हमने वृद्धों को पेन्शन नहीं दी और अगर हमने कर्जा माफ नहीं किया तो राजस्थान की विधान सभा के सदस्य, यह कांग्रेस भाइयों की तो मैं जानता नहीं, इनकी तो आदत है हमको तो पिटने की तैयारी नहीं है हम राजस्थान की विधान सभा को छोड़कर जाने को तैयार हैं। +++ इसलिए आशा और उम्मीद करता हूं राजस्थान के मंत्रीमण्डल से कि जिन नारों पर सत्ता बदली है, चाहे आप विकास का काम रोक दो, मेरा रिपीटिशन हो रहा है लेकिन जनता दल और भा. ज. पा के लोगों को जिन्दा रखना चाहते हैं, अगर आप विपक्ष की राजनीति को जिन्दा रखना चाहते हैं, किसानों से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो कर्जा माफी में "इफ एण्ड बट" हटे, वृद्धा अवस्था पेंशन में हमने जो वायदा किया है वह बढ़े। दसों में ज्यादा नहीं तो कम निःशुल्क पास दिये जांय बेरोजगारों को ज्यादा नहीं तो कम रोजगार भत्ता दिया जाय। इसी के साथ मैं अपना बजट भाषण जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान विधान सभा में रखा, उसके समर्थन में बोलता हुआ बैठता हूं। जयहिन्द !

श्री सभापति : माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय सभापति जी, कल जो मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया उसके बारे में पहली बात तो यह है कि इसमें एक भी प्राथमिक शाला नहीं, एक भी उच्च प्राथमिक शाला का प्रावधान नहीं, एक

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भी सैकण्डरी स्कूल नहीं, एक भी आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं, एक भी एलोपैथी का या और कोई अस्पताल नहीं, पशु चिकित्सालय नहीं है। तो इस तरह का बजट आपने पेश किया है। दूसरा यह कि आपने पशुओं पर टैक्स लगाया है – बिक्री कर और उसमें आमदनी होगी 50–60 लाख रुपये। जनता कोई बहुत गहराई से तो सोचती नहीं हैं। दूसरी तरफ आपने उद्योग पति और व्यापारी, पर मैं यह तो नहीं कहता कि माफ नहीं होना चाहिये। उद्योगों की भी तरक्की की जरूरत रहती है लेकिन आम व्यक्ति क्या सोचेगा कि दूकानदारों के और छोटे उद्योग पतियों के तो टैक्स–माफ किये हैं और किसानों पर टैक्स लगाया है। केवल बदनामी है 50–60 लाख रुपये के लिए। एक बात और है टैक्स भी काफी अधिक, बैलों की जोड़ी पर 4 गुना टैक्स कर दिया है। वैसे मैं मानता हूं कि कीमत बहुत बढ़ गई लेकिन बैलों की जोड़ी कितनी बिकने को आती है जो 7–8 हजार रुपये की होगी? आम तौर से अकाल पड़ते हैं तो हमारे क्षेत्र में पशुधन ज्यादा है। वहां छोटे-छोटे बछड़े बिकते हैं कोई 50, कोई 60 में और 20 रुपया आप ले लेंगे क्योंकि यह तो है नहीं कि बछड़ों का और बैलों का अलग-अलग हो। इसके बाद भैंस पर 20 रुपये कर दिये। छोटे पाड़े ज्यादा बिकते हैं जो आम तौर से कटने जाते हैं उन पर भी 20 रुपये कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ आपने एक बदनामी ली है इससे ज्यादा कुछ है नहीं और इसका जनता पर उल्टा असर पड़ेगा।

एक आपने बहुत अच्छा किया जो नए कुएं खुदवायेंगे उनमें अगर किसी के पानी नहीं आता है तो आप आधी रकम देंगे और पानी अगर फैल हो जाता है तो उसको घर से पैसे नहीं देने पड़ेंगे और बीमा कम्पनी रुपये दे देगी लेकिन कुछ एरिया मरूस्थल में ऐसे भी है जहां कुएँ खुद नहीं सकते। जैसे मेरे इलाके में 400 फिट गहरा कोई खोदे तो उसमें कई साल लग जाते हैं, लाखों रुपये लग जाते हैं। कुआ निर्मित हो भी नहीं सकता। पुराने लोग थे वह कुआ बनवा देते थे। वहां केवल ट्यूबवैल होते हैं जिनके बारे में पहले यह था कि जो ट्यूबवैल असफल हो जाता है पानी नहीं निकलता उसे सेन्टर से सब्सिडी मिलती थी जो पिछले साल बन्द हो गई। अब मिलेगी नहीं। इसके मायने यह हुआ कि कोई किसान अगर ट्यूबवैल खुदवाये और उसमें पानी न निकले जो 50–60 हजार रुपया या एक लाख रुपया उसको देना पड़ेगा जो हमारा साधारण काश्तकार दे नहीं सकता। अव्वल तो केन्द्रीय सरकार से आप वापिस जो सब्सिडी ट्यूबवैलों के लिए थी उसको करवाइये और वह नहीं हो तो आप बीमे की भी व्यवस्था उनके लिए लागू करवाइये। यह बहुत जरूरी है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां कुएं निर्मित हो नहीं सकते जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया। पानी बहुत गहरा है, अकाल से सदा वह प्रभावित रहते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि नलकूप अधिक से अधिक खोदे जाय।

सरकार का एक बुनियादी कर्तव्य है वह है न्याय व्यवस्था देने का। आप विचार कीजिये कोई आदमी किसी के मकान पर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कब्जा कर ले या खेत पर कब्जा कर लें तो कानून और अदालतों के जरिए वह कब्जा वापिस दिलाने में कितना समय लगता है यह किसी ने सोचा है ? मैं आपको कह सकता हूं कि किसी के खेत पर अतिक्रमण करके कोई बैठ गया या किसी ने किसी का मकान भी कब्जे कर लिया तो अदालतों में इतने लम्बे मुकदमें चलते हैं। पहली अदालत, दूसरी अदालत उसके बाद हाई कोर्ट उधर जायेंगे तो रेवेन्यू बोर्ड फिर रिट में और चला जाएगा इसलिए जजों की संख्या चाहे मुन्सिफों की हो चाहे असिस्टेन्ट कलक्टर्स की हों, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए की कोई अतिक्रमण हो जाता है या कोई विवाद होता है, चाहे सिविल किस्म का हो, चाहे रेवेन्यू किस्म का उसका फ़ैसला जल्दी से जल्दी हो इसकी हमें तजबीज करनी चाहिए। आपको और हमको अच्छी तरह से याद है कि जब राजस्थान बना था उस वक्त राजस्थान का बजट 15 करोड़ था। वर्तमान में यह 34, साढ़े 34 अरब रुपये का है। प्रशासन तन्त्र बहुत बढ़ गया है और विकास के भी पिछले 40 सालों के अन्दर बहुत काम हुआ है, सड़कें बनी है, स्कूलें बनी है, बिजलीकरण हुआ है, पानी की व्यवस्था हुई है लेकिन अगर इसमें पैसे का दुरुपयोग नहीं होता तो जितनी हमने तरक्की की है उससे डेढ़ी तरक्की हम आसानी से कर सकते थे।

एक मामला चल रहा है डी. आर. डी. ए., जयपुर का जिसमें 3–4 अधिकारी एक करोड़ रुपया खा गए। यह तो केस खुल गया। इस तरह के कितने केस होंगे अकालों के ? हमने अरबों रुपये खर्चा किया है लेकिन क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसे का काफी दुरुपयोग हुआ है। पैसे का दुरुपयोग होने का और कई योजनाओं के फलीभूत नहीं होने का मुख्य कारण यह है जैसा मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी, हमारे प्रशासन तन्त्र के सोचने विचारने का तरीका विदेशी है। चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। बोरोव्ड टेक्नोलाजी के आधार पर यह काम करते हैं। कोई योजना बनानी होती है तो अमेरिका में भू-संरक्षण का कैसे काम हुआ, सिंचाई का और सूखी खेती का कैसे काम हुआ और पशु पालन में क्या हुआ हमेशा उस इस तरीके से विचार करते हैं, नतीजा यह निकलता है कि हमारी, चाहे पेयजल की योजना हो, डेयरी की योजना हो, वन विकास की योजनायें हो। काफी मायने में, सब की सब असफल रही है। आप डेयरी पर ही विचार कीजिए। हमारे डेयरी संयंत्र क्या बनाते हैं ? चीज, मक्खन, पाऊडर, और टोफी वगैरा-वगैरा बनाते हैं जो भारत के एक प्रतिशत लोग भी नहीं खाते। पाऊडर बनाना भी जरूरी है, कई अवसर ऐसे आ जाते हैं जब पाउडर भी बनाना चाहिए। लेकिन केवल संयंत्र पाउडर और विदेशी खाद्यान्न पदार्थ यहीं अगर बनाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जायेगा और वह समय आ गया है कि भारत की डेयरियां अथवा राजस्थान की डेयरियां यह महसूस कर रही हैं कि वर्तमान में, दूध से पाउडर बनाने की लागत प्रति किलो 35 रुपये है, और बाजार में उसके भाव 28 रुपये है और, जिसमें केवल 4–5 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रहे हैं दस लाख तो हमारी क्षमता है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आधा दूध एकत्रित हो रहा है, जिसमें यह पदार्थ पैदा होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है ? मुख्य कारण यह है कि हमारे खाने-पीने की जो आदत है उसके अन्दर हम दूध को काम में लेते हैं, दही को काम में लेते हैं, छाछ को काम में लेते हैं, मक्खन को काम में लेते हैं, घी को काम में लेते हैं, लेकिन हमारे संयंत्र इन चीजों पर जोर नहीं देते हैं और बनाते ही नहीं है। सीधा-साधा तरीका है घी का अनलिमिटेड मार्केट भी हो सकता है। पाउडर का भी अनलिमिटेड मार्केट नहीं है। चीज का अनलिमिटेड मार्केट नहीं है। दूसरी जो खाने की विदेशी चीजें बनाते हैं उसका नहीं है, लेकिन घी का, दूध का, दही का, छाछ का अनलिमिटेड मार्केट है। गांवों के अन्दर भी कमी आ गई है। सीधा साधा सा हिसाब हो, दूध खरीदो उसको ठण्डा कीजिए और जितने पाउडर की फौजों के लिए तथा अन्य के लिए जरूरत होती है उतना उनको दे दें। बाकी मक्खन निकाल कर छाछ के रूप में जो गाड़ियां खाली ले जाना चाहती है वापस ले जा सकती है। लेकिन इस तरह का व्यावहारिक तरीका किसी ने नहीं अपनाया है।

पेयजल की समस्या–पेयजल की समस्या हेतु 1972 में हमने चीफ इंजीनियर को एक कमेटी के समक्ष बुलाया था और उनके बयान लिये। उनसे कहा कि आप तालाबों पर जोर क्यों नहीं देते? तालाब अधिक निर्मित करें पुराने तालाबों की मरम्मत करें, उसकी क्षमता को बढ़ायें। नहीं साहब यह तो पुराना तरीका है। अब तो पाइपों से पानी होना चाहिये, नलकूपों से पानी होना चाहिए। नतीजा यह निकला कि हमारी जो 95 प्रतिशत जो योजनायें है वह भू-जल पर आधारित हैं। भू-जल हमारे यहां पर बहुत कम है और समस्या यह आ गई कि वृक्ष सूख रहे हैं। पेयजल की समस्या का एक ही हल है हम वर्षा के जल को एकत्रित रखें। चाहे भूमि की सतह से ऊपर हो और अब ऐसे भी टेक्नोलोजी आ गई है कि उसको भूमिगत करके रख सकते हैं। लेकिन चूंकि विदेशों के अन्दर आबादी कम थी, वहां पर कमरे-कमरे में पानी होना चाहिये, स्नानगृह में पानी होना चाहिये, रसोई में पानी होना चाहिये। इस तरह की व्यवस्था अप्पन ने यहां पर अपना ली। नतीजा यह निकला कि इस पानी की कमी हो गई। ज्यों-ज्यों योजनायें बनेगी पानी की बराबर कमी आयेगी और जिन तालाबों से, बांधों से, बावड़ियों और दूसरे जितने भी पेयजल के साधन थे, उनको हमने चार साल में बर्बाद किया है। और अरबों रुपयों की लागत से हमको दुबारा इन तालाबों को निर्मित करने पड़ेगें।

इसी तरह से सवाल आता है, वन विकास का तेजी से बढ़ने वाले यूकेलिप्टस हो या एक दो और ले लें, लेकिन राजस्थान में यहां पर वृक्ष, झाड़ियां और घास हैं, उसके लिए मैं आपको कह देता हूं कि किसी तरह से यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो नतीजा यह होगा कि हमारा पशुधन जो इस घास से, इन झाड़ियों से, वृक्षों पर आधारित है, इन वृक्षों के काटे जाने पर, जो ईंधन के लिए कट रहे हैं, बलीते के लिए कट रहे हैं और अन्य कार्य के लिए कट रहे हैं, ये सब वृक्ष समाप्त हो जायेंगे और पशुधन हमारा समाप्त हो जायेगा। हमारा पूरा इलाका उजड़ जायेगा।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हमने विश्वविद्यालय चार-पांच खोल दिये लेकिन क्या विश्वविद्यालय का यही काम है कि जो विज्ञान के फण्डामेंटल्स हैं, या सोशियोलोजी के, पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स की जो, विदेशी पुस्तकें आयें, उनको ही पढ़ें और उन पर ही शोध करें। विश्वविद्यालय जगह-जगह इसलिए खोले जाते हैं कि जो स्थानीय और क्षेत्रीय समस्यायें हैं, उनके बारे में वे अनुसंधान करें, उनके बारे में नई खोजबीन करें। उसके बारे में कई तरह के सुझाव दे सकें। मैं आको दावे के साथ कह सकता हूं कि कितने ही अनुसंधान की पुस्तकें लिखी होगी, कई नौजवानों ने पी. एच. डी. की डिग्री ले ली होगी लेकिन राजस्थान से सम्बन्ध रखने वाले एक भी विषय की पुस्तक आपने नहीं देखी होगी। यहां का भूगोल दूसरे तरीके का है, मारवाड़ के अन्दर हमने बांध बनाये ऊपर बांध बनाये तो सैंकड़ों नीचे कुएं सूख गये। जहां पर बारानी खेती होती थी, वह नाले रोक दिए गये तो बारानी खेती होना बन्द हो गई। कई कुओं में पानी आना बन्द ही हो गया। कौनसी हमारी जियोग्राफी की पाठ्य पुस्तक ऐसी है जिन्होंने यह अध्ययन किया हो कि छोटी नदी या बड़ी नदी का पानी कहां जाता है, उससे कहां सेमज और रबी की फसल होती है कहां उससे कुएं गहरे होते हैं, इन चीजों का अध्ययन हमने किया ही नहीं। परसों जैसा मैंने कहा था, समाज शास्त्र पढ़ाते हैं, साहब, लेकिन कितनी जातियां मैं ऐसी गिना सकता हूं जिनमें आज भी एक डाक्टर भी नहीं है, एक इंजीनियर नहीं है, एक गजेटेड अधिकारी नहीं है, थानेदार नहीं है और उनकी लाखों में संख्या है। उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? समाजशास्त्र हम पढ़ेंगे तो बुनियादी सिद्धांत और कई अंग्रेज एल्पीटन की फलां ढींकरा पढ़कर के समाज शास्त्र में एम. ए. हो गये या हम पी. एच. डी हो गये। लेकिन समाजशास्त्र की स्थानीय समस्यायें क्या हैं, उनके लिए हमने क्या किया है? कितने विषय हैं? जो राजस्थान सरकार के लिए विकास विभाग है; उनकी कितनी समस्यायें हैं? इन अनुसंधान शालाओं को तथा विश्वविद्यालय को लिखा है कि हमारे सामने यह समस्यायें हैं इसके बारे में आप हमको कुछ करके बतलायें।

एक साधारण धारणा है कि जहां पर हरी घास नहीं है, वहां पशुपालन और डेयरी का धन्धा नहीं हो सकता। एक धारणा बना ली गई। हरा घास तो गंगा और यमुना के किनारे सबसे ज्यादा है, बंगलादेश और बंगाल में सबसे ज्यादा हरा-भरा है। वहां बारह मास हरी घास मिलती है। हमारी जो मरुस्थल की गाय है, उसका कद है घोड़ी जितना और जो हरी घास चरती है, उस गाय और भैंस का कद पाड़े और बकरी जितना है। कद केवल हरे चारे से थोड़े ही मिलता है, किसी ने इस बात की जांच की है राजस्थान में? यह कौन से गुण हैं, यह कौनसी वनस्पति है, कौनसी घास है, कौनसे पौधे हैं, कौनसी झाड़ियां हैं जिनके कारण इस तरह का शानदार पशु हमारे यहां पर पैदा होता है। इन बातों पर विचार ही नहीं किया। कहते हैं कि यह डेजर्ट की दी है। परसों मैंने एक प्रश्न पूछा था। मंत्री महोदया का उत्तर आया कि हम राजस्थान के वृक्षों में तीस प्रतिशत तक उन्हीं को लगाते हैं। मुझे वृक्षों का शौक है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मैंने स्थानीय वृक्षों को कहीं भी लगाते हुए नहीं देखा। स्थानीय वृक्षों को लगाते नहीं हैं। ये वृक्ष हरे-भरे नहीं होंगे चाहे लेकिन उनके जो गुण हैं, उनके गुणों के कारण ही हमारे यहां पर इतना शानदार पशुधन है। आप जानते हो कि आप कोई भी वन विकास के अन्दर वृक्ष लगायेंगे, झाड़ियां लगायेंगे लेकिन वह पानी के बगैर कामयाब हो नहीं सकेगी। जंगल कभी सिंचित करके थोड़े ही लगाये जाते हैं। वह तो प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में हमारे यहां वृक्ष, झाड़ियां और घास हो सकते हैं लेकिन उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। केवल यह यूकेलिप्टस लगा रहे हैं। पहले तो कह दिया कि आपको प्रति वृक्ष 200 रुपये मिलेंगे लेकिन यह 20-30 रुपये में भी बिक नहीं रहे हैं और वह सब काम अवरुद्ध होकर रुक गये हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है इन बातों की खोजबीन, इन बातों पर विचार कभी किया ही नहीं।

आप जानते हो, सड़कों के बगैर कोई क्षेत्र उन्नति कर हो नहीं सकता। अंग्रेजी की कहावत है—

"We have roads or we have no roads but we pay for roads. We pay more if we have no roads." आप जानते हो कि आज एक किलोमीटर की डामर सड़क बनाई जाय तो उसकी लागत चार से छह लाख रुपये आती है। प्रत्येक गांव में, मरुस्थल के गांव को चार गांव से जोड़ना होगा चार दिशाओं में। एक गांव के दूसरे गांव के बीच में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस किलोमीटर की दूरी है। कब आप डामर से बनायेंगे। वहां वर्षा अधिक होती नहीं है। लेकिन सड़कों के बारे में हमारी नीति नहीं है। इंजीनियर्स कभी भी जो घरेलू लोग है मरुस्थल के लिए, उसको रिकमण्ड नहीं करते कि साहब यह तो किसी काम की नहीं है। लेकिन यह मैं आपको कह सकता हूं कि सिवाय जो मुख्य सड़कें हैं, जो बड़े शहरों को जोड़ती हैं, तहसील मुख्यालयों को जोड़ती हैं सब डिवीजनल हैड क्वार्टर्स को जोड़ती है उनको तो जरूर डामर की बनाया जाय। लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं उनमें मुड की सड़कों का अधिकांश उपयोग करना चाहिये। लेकिन मुड की सड़कों पर न तो मरम्मत का एक पैसा होता है, अकाल के दिनों में खोल दिया जाता है, कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं—कितनी बुरी ग्रेवल की सड़कें हैं उनकी कोई मरम्मत नहीं है लेकिन फिर भी पश्चिमी राजस्थान का काम, उनके गांवों की सेवा यह टूटी-फूटी सड़कें ही कर रही है, आपकी डामर की सड़कें तो नहीं कर रही है। अकाल की कोई योजना नहीं है। अकाल में कितने काम पहले हुए हैं उसका किसी ने मूल्यांकन नहीं किया, अरबों रुपये खर्च हो गये। हमें आज कौन से काम करने की जरूरत है, मरुस्थल को यदि हम विकसित करना चाहते हैं तो सड़कों की जरूरत है। यह काम आसानी से अकाल में किया जा सकता है लेकिन इसको कभी सिस्टेमेटिक ढंग से किया नहीं। तालाब बहुत शानदार है उनकी खुदाई, उनकी मरम्मत, उनकी नहरें, उनके पानी आने के रास्ते, उन सब को आसानी से अर्थ वर्क के तौर पर किया जा सकता है वह अभी तक किया नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं। मेरे कहने का आशय यह है कि यदि हमने कोई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

व्यावहारिक दृष्टिकोण-चाहे सड़कों के बारे में, चाहे वन विकास के बारे में हो, वन और वनस्पति के बारे में, वन और वनस्पति की खोज किसी ने की नहीं। कोई यह भी नहीं जानता कि मरुस्थल के अन्दर वन्य प्राणी कैसे पनपते हैं जब पानी ही नहीं है ? दो झाड़ियां हैं-एक रोहिड़ा वृक्ष है उसके फल और दूसरा है आक, जिसके पत्तों के कारण वहां पर वन्य प्राणी निभते हैं क्योंकि पानी की कमी वह पूरी करते हैं। लेकिन यह किसे मालूम है ? यह किसी को मालूम नहीं है। जब हम भेड़ पालकों की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने पुस्तकों में यह पढ़ा है कि भेड़ पालन के बड़े-बड़े चारागाह चाहिये और यह घुमक्कड़ है, अगर हमको भेड़ की नस्ल को उन्नत करना है तो हमें घुमक्कड़ जो प्रथा है पशु पालन की, उसको छोड़ना होगा। आप यह समझिये कि राजस्थान में 3-4-करोड़ भेड़ें हैं उसके लिए चारागाह आप कहां से उपलब्ध करवायेंगे जब प्रति व्यक्ति खेती की जमीन ही नहीं है। लेकिन घुमक्कड़ होने में क्या लाभ है इसको किसी ने देखा नहीं। चार करोड़ भेड़ और बकरी, जो पूरे उत्तर भारत के अन्दर फली का टुकड़ा कोई हुआ, कोई टहनी का टुकडा हुआ, कोई सूखा हुआ पत्ता हुआ, इनको चाट-चाट करके और करोड़ों रुपयों का धन पैदा करती है, यह कहा जाय कि मिट्टी से सोना पैदा करती है। लेकिन हमने इस समस्या पर कब गहराई से विचार किया ? तो जब तक इन सब चीजों का हम गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं, जब तक हमारे वैज्ञानिक और यह इन पर लगते नहीं हैं तब तक हो नहीं सकता। राजस्थान नहर का पानी है, अभी यहां इंजीनियरिंग कॉलेज चार-चार हैं लेकिन अभी हम बहाव से अपनी सिचाई करने की पद्धति को पकड़े हुये हैं। बहाव से पानी देना, फ्लो इरिगेशन, यह सौ साल पुरानी टेक्नोलोजी है। यह उस वक्त की टेक्नोलोजी है जब भारत की आबादी पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों को मिल कर बीस करोड़ थी और नदियां पानी से भरी हुई चलती थी। अब इन तीनों देशों के इस महाद्वीप की आबादी सौ करोड़ से आगे बढ़ गई है। एक-एक नदी, नाले को हमने बांध दिया है। पानी उपलब्ध है नहीं। उस परिस्थिति में फ्लो से एक जगह पच्चीस रुपये एकड़ से पिलाई कराओ और दूसरी तरफ हमारे यहां पर एक करोड़ की मरुस्थल में सिचाई करते हैं तो हमको आठ सौ रुपये एकड़ पिलाई आता है। फिर चीजों का भाव तो, चाहे सरसों पैदा करो, चाहे जीरा पैदा करो, चाहे गेहूं पैदा करो, नहर वाली पच्चीस रुपये एकड़ में, हम नौ सौ रुपये एकड़ में, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ? मैं यह भी सुझाव मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी को दूंगा कि जो काश्तकार मरुस्थल में सौ या सवा सौ फीट से अधिक गहराई से पानी निकाल कर कृषि करते हैं उसको आपको कुछ न कुछ अनुदान देना चाहिये। मरुस्थल वालों ने, हमने क्या बिगाड़ा है ? ठीक है देश हित के अन्दर सिचाई सुविधायें हमको बढ़ानी है, हमारी खाद्य समस्याओं को हल करने के लिए बहुत अच्छा किया, उन पर अरबों रुपये खर्च किये। लेकिन उनसे रिटर्न्स कितनी होती है ? अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें यह लिखा था कि भाखड़ा और दूसरी जो नहरें हैं भाखड़ा की नहर की मरम्मत के ऊपर जितना पैसा लगता है वह पैसा भी आबियाना

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सिंचाई करने में वसूल नहीं होता, प्रशासनिक खर्चा तो अलग है। तो एक तरफ तो अरबों रुपये उनके लिए खर्च कर दें, हम मरुस्थल वालों के लिए क्या किया? तो हमको अगर उस तरह की सिंचाई नहीं पोसा सकती, हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। यह मैं मुख्य मंत्रीजी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए नालियों के लिए बड़ा भारी अनुदान दिया है। फव्वारा पद्धति से जो फव्वारा लगायेगा और उस से सिंचाई करेगा, उसको भी बड़ा भारी अनुदान दिया है। यह सही रास्ते में है। लेकिन देर सवेर पानी के सम्बन्ध में, हमें पानी और सिंचाई की विधि, इन दोनों के सम्बन्ध में कोई न कोई विचार करना पड़ेगा। इजरायल पूरे देश में एक पन्द्रह फीट व्यास का पानी का नल है, जोर्डन नदी से पानी लेता है और बून्द-बून्द करके पूरे देश के अन्दर फसले पैदा कर रहा है। उस सत्ताईस या तीस लाख की जनसंख्या के देश का कृषि का निर्यात उतना ही है जितना भारतवर्ष का है। तो यह जो नई विधियां हैं उनके बारे में भी हमको सोच-विचार करना पड़ेगा और पश्चिमी राजस्थान के लिए हमको नई विधियां अपनानी पड़ेगी। खास तौर से राजस्थान नहर का जो अवशेष जल है उसका हम किस तरह से उपयोग करें, उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिये। इसलिए नम्र निवेदन यही है कि जो कोई भी योजना बनाई जाय, कारगार योजनायें हों। जो हमारे यहां के प्राकृतिक साधन हैं उनका बिल्कुल अध्ययन नहीं हुआ है। चाहे हमारे यहां की घास हो, चाहे हमारे यहां की वनस्पति हो, चाहे पेड़-पौधे हों, चाहे हमारी नदियां हों, भूमिगत पानी के श्रोत हो, वह अगर कम हो रहे हैं तो उनमें रिचार्ज किस तरह से किया जा सकता है, यह सब काम हमको हाथ में लेने होंगे और अर्थ वर्क का जहां पर काम है, अकाल में चालीस साल से हम अकाल को भुगत रहे हैं लेकिन कोई स्थाई योजना नहीं बनाई। कौन-से कार्य को हाथ में लिया जाय, इसकी कोई योजना नहीं है। जब अकाल पड़ जाता है तो हम सीमित दायरे में सोचते हैं कि इस गांव के लिए यह अर्थ वर्क का, मिट्टी हटाने का काम हो जाय, इसके लिए यह हो जाय। यह कोई योजनाबद्ध विकास का तरीका नहीं है। हमारे यहां पर अर्थ वर्क से चाहे भूमि के समतल करने का हो, चाहे भूमि के कटाव को रोकने का हो, चाहे खड़ीन बनाने का हो, कई तरह के काम हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन अभी भी ऐसी कोई योजना नहीं होने की वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाये हैं। यह कुछ बजट के बारे में सुझाव थे, यह बुनियादी बातें हैं इनके ऊपर हमको गहराई से विचार करना होगा और यदि हम गहराई से विचार करते हैं तो जितना हम धन खर्च करते हैं उसका सही मायने में हम लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीचन्द जी मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्तमंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है। वह गरीब और गांव को मद्द नजर रखते हुए पेश किया है। इससे गरीबों को, बेरोजगारों को, उद्योगों को और छोटे

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

व्यापारियों को फायदा मिलेगा। जहां तक योजना पर खर्च करने का सवाल है, आज दिन तक राजस्थान की किसी भी सरकार ने 956 करोड़ रुपये योजना पर खर्च नहीं किये हैं। इसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्री को है। जिन्होंने राजस्थान में सर्व प्रथम जो बजट पेश किया है उसमें 950 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पैसा है उसका 60 प्रतिशत खर्च ग्रामीण क्षेत्रों पर किया जायेगा। आज दिन तक जितना पैसा खर्च होता था, अमीरों और शहरों पर खर्च होता था इससे गांव का विकास रुका हुआ था, आज 60 प्रतिशत खर्चा ग्रामीण जनता पर खर्च करने जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से गांवों का विकास होगा।

तीसरी बात यह है कि हमने चुनावों के दौरान जनता को यह विश्वास दिलाया था कि किसानों के 10 हजार तक के कर्जे माफ कर देंगे, अगर सत्ता में हमारी सरकार आई तो। आज सत्ता में आते ही चार महीने के दरम्यान, तीन महीने हुए हैं सरकार को बने और पहला बजट आया है जिसमें 10 हजार के कर्जे माफ करने की घोषणा की है। बजट के अन्दर की गई घोषणा से उन किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। हालांकि ज्यादातर गरीब किसान को यह कर्जा नहीं मिला था उन लोगों को मिला है जिनकी प्रवृत्ति ही कर्जा लेकर नहीं चुकाने की रही है और उनके कर्जे काफी बढ़ गये हैं फिर भी उनको भी 10 हजार रुपये की यह राहत मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है।

इसके साथ-साथ वृद्धावस्था पेंशन को भी मद्धे नजर रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन किसलिए? मारवाड़ में कहते हैं कि 60 वर्ष की उम्र के बाद वृद्धों का कोई सहारा नहीं होता है "जाई को जवांई ले गया, जाया हो गया जुआ, डोकरी और डोकरे हाथों हेड़ा हुआ।" अब इन पढ़े लिखे वर्गों में कौन उस वृद्ध की सहायता करे। इसी बात को मद्धे नजर रखते हुए हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन चाहे वह अमीर भी हो उसको देने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके लिए आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ-साथ सिंचाई पर खर्च करने की योजना बनायी है। आपने भीलवाड़ा और अजमेर के लिए विश्व बैंक से पैसा आने की योजना बनायी पर यह योजना बनायी पर यह योजना बनाते समय आपने नर्बदा कैनाल का पानी जालौर जिले को मिले, गुजरात से आने वाली नर्बदा जालौर जिले को डवलप करेगी जालौर के किसानों को पानी मिलेगा। उस योजना पर आपने विश्व बैंक से पैसा लेने का कोई संकेत नहीं दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि सन् 1977 में नर्बदा कैनाल का काम शुरू हुआ था। सर्वे हुआ था, इंजीनियर्स आ गये थे स्टाफ आ गया था, तीन करोड़ का खर्चा हो गया, पर सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को खटाई में डाल दिया। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के हितों को मद्धे नजर रखते हुए क्योंकि इससे राजस्थान का विकास भी होगा, मरु विकास होगा क्योंकि मेरा इलाका मरुस्थली है। जहां पहले फैंकने से गेहूं होता था, धरती सोना उगलती थी

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

परन्तु आज माइनर इरिगेशन करने से वह इलाका उजाड़ हो गया। उस इलाके को पुनः जीवित करने के लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि नर्बदा कैनाल का काम पुनः हाथ में लेकर के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करके इसको पूरी करें। जनता को विश्वास है कि हम इस कैनाल का काम शुरू करेंगे। इससे जालौर जिले की जनता को फायदा होगा, फेंकने से गेहूं पैदा करती थी वह धरती पुनः जीवित हो सकेगी। 40 साल के कांग्रेस शासन में गेहूं तो पैदा होना दूर रहा, गेहूं तो क्या पैदा होता होगा बबूल भी पैदा नहीं होता और जमीन का सत्यानाश कर दिया है। उस समय की खेती के हिसाब से बिगोड़ी लगाई गई थी आज वह जमीन बंजर हो गई है: इसलिए जमीन की कीमत भी घट गयी है। मगर सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सैटलमेंट द्वारा किसान की जमीन और खेत की उसी हिसाब से बिगोड़ी तय की है। उसमें भी परिवर्तन लाना चाहिये। आज जमीन बंजर हो गई है। जो कीमत पहले आंकी थी उसे आठ गुना बढ़ा दिया तो किसान की कमर टूट जायेगी। इसलिए मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सैटलमेण्ट के द्वारा जो कीमत सांचौर और बाड़मेर की तहसील के लिए बढ़ाई गई है उसको चैन्ज करेंगे क्योंकि वह जमीन अब गेहूं पैदा नहीं करती है।

उसकी तो कीमत भी घटनी चाहिए। इसके साथ-साथ 25 हजार कुओं को विद्युतिकृत करने की बात कही है वह अच्छी बात है। मगर 25 हजार कुओं की संख्या राजस्थान को देखते हुए बहुत ही कम है। कारण क्या है? कई के कनेक्शन आर्डर जारी हो गये, जिनके कनेक्शन आर्डर जारी हो गये, वह कनेक्शन पहले की डेट में जारी हुए थे, उनका पैसा जमा हो जायेगा तो पहले उनको कनेक्शन दिया जायेगा।

इसके साथ-साथ आपने 11 सौ कुओं को विद्युतिकृत करने का इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा है और साथ-साथ जहां विद्युतिकरण गांवों में हो गया है वहां घर कनेक्शन देने के लिए आपने जो योजना इस बजट के अन्दर रखी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

बहुत से गांव विद्युतिकृत हो गये हैं, ऐसे 112 गांव हमारे यहां विद्युतिकृत दिखाये गये हैं मगर वास्तव में 112 गांव विद्युतिकृत नहीं हैं, केवल कागजों में ही दिखाये गये हैं। एक लट्टू लगा दिया उससे विद्युतिकरण नहीं हुआ है। उस कमी को पूरा करने के लिए गांव में घरों में कनेक्शन दिये जाने चाहिए।

इसके साथ-साथ एक नयी योजना किसानों के कुओं के लिए बीमा योजना यह एक बहुत ही सुन्दर किसानों को अवसर दिया गया है जिससे किसान कह सके कि यह सरकार किसान के हितों को समझती है। 40 साल तक किसान के नाम पर वोट लेने वालों ने किसान के हित को नहीं देखा है। आज यह पहली सरकार है जिसने किसान के हित को देखते हुए, हम किसानों के कुओं को गहरा करने के लिए बीमे की योजना चालू की है। इसके लिए यह सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अन्दर यदि पानी नहीं मिले तो जो पैसा खर्च हो

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

गया है वह लौटाया जायेगा। इसके लिए बजट में व्यवस्था की गयी है।

अन्त्योदय योजना हम ने 1977 में लागू की थी पर बाद में बन्द करके ग्रामीण विकास के नाम पर डी डी. पी. और जीवन धारा के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला हुआ। नाम बदल दिया गया क्योंकि अन्त्योदय योजना बनने से तो भैरोंसिंह शेखावत को क्रेडिट जायेगा। इसलिए इस नाम को चैन्ज कर दो। जीवन धारा और डी. डी. पी. के नाम लाखों रुपये का गबन हुआ। अभी चालीस लाख रुपया हम ने सांचौर तहसील के अन्दर पकड़वाया है। पंचायत समिति में डी. डी. पी. के टेंक बने नहीं और पैसे का पेमेण्ट हो गया, जबकि स्वीकृति नहीं थी। 15 लाख रुपये ऐसे लोगों को दे दिये हैं जिसका कोई पता नहीं। उसके पास पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई प्रावधान नहीं उसको कोई भुगतान सूची नहीं दी गयी कि किस-किस को दिया जायेगा। सब खा गये। चालीस लाख की अभी मैंने इन्क्वायरी करायी है। आपको आश्चर्य होगा बिना सैंक्शन के पैसा दे दिया। जैसे बंदर बांट होती है अपने-अपने +++ को पैसा दे दिया। उसका कोई हिसाब नहीं आज तक हिसाब नहीं दिया गया है और एक कर्मचारी वेतन भोगी को 10 लाख रुपया आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दिया आज दिन तक उसने एकाउण्ट नहीं दिया। 22 लाख 64 हजार रुपया पंचायत समिति सांचौर के एक क्लर्क को भुगतान करने के लिए दिया गया और आज दिन तक उसका एकाउण्ट नहीं लिया। हमने कम्पलेण्ट की है, कागज पकड़वाये हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास के नाम पर पुरानी सरकार ने अपने +++ पैसा लुटाया है। जिसका कोई रिजल्ट नहीं।.... (व्यवधान)

अन्त्योदय को इसलिए लागू करना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास के नाम पर आपने जो पैसा खर्च किया उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। हम अन्त्योदाय को वापस लागू करना चाहते हैं, किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं।

जहा तक आपने बजट के अन्दर कहा कि मोती और रत्न पर टैक्स माफ किया। मोती और रत्न में कितने कारीगर काम करते हैं, कितने लोगों को धन्धा मिलता है? आप जयपुर को छोड़िए। सांचौर एक छोटा सा कस्बा है। जिसके अन्दर 25 कारीगर काम कर रहे हैं, तीन सौ लेबर काम करती है आज जगह-जगह लोग इस कच्चे माल को तैयार करते हैं और धन्धा करते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को काम मिलना चाहिए अगर टैक्स माफ किया है तो वास्तव में इस धन्धे को प्रोत्साहन मिलेगा। काम करने वाले को काम मिलेगा, सरकार के पास काम देने को नहीं है इसलिए उद्योग लगाकर उद्योगों के माध्यम से काम दिलाया जाय यह उद्देश्य है।

छोटे व्यापारियों को सैल्स टैक्स में छूट दी है। छोटे होटल हैं, ढाबे हैं जो कच्चा खाना बनाते हैं उस व्यापारी को पहले 1.50 लाख रुपये की छूट थी अब दो लाख की छूट दी है। अब 2 लाख रुपये तक

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)...

रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ-साथ कई चीजों पर टैक्स कम किया गया है। अब माचिस तो गरीब लोगों के काम आने वाली चीज है। शहर में तो शायद माचिस की जरूरत नहीं पड़ती मगर किसानों के चूल्हा जलाओ तो माचिस, बीड़ी पियो तो माचिस चाहिये और इसीलिए माचिस पर आठ पर्सेण्ट का टैक्स था उसको घटाकर छह पर्सेण्ट किया। इससे गरीब जनता को फायदा मिले। जीरा, रायरा, जीरा, इसबगोल इस पर तीन पर्सेण्ट टैक्स था उसको घटाकर ढाई पर्सेण्ट किया गया है। इससे किसानों को क्या फायदा होगा? जो किसान के नाम से माल ले जाकर माल बेचते थे व स्वतः कम टैक्स होने से राजस्थान में माल बेचेंगे। इससे राजस्थान की सरकार को फायदा होगा।

खल, यानि जो तेल से निकलने के बाद खल बचती है। जो खल पशुओं के काम में आती है और प्रायः किसानों के यहां मवेशी होती हैं। खल पर एक पर्सेण्ट टैक्स था उस टैक्स में छूट दी गई है। अब खल पर कोई टैक्स नहीं है।

छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको जो रियायतें दी गई हैं, उससे उद्योग हमारा पनपेगा। राजस्थान में उद्योग क्यों नहीं लगाते हैं? इसका मूल कारण यह है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, हमने सरकार की तरफ से कोई विश्वास 40 साल तक प्राप्त नहीं किया। इससे राजस्थान का व्यापारी कलकत्ता, बोम्बे, मद्रास जाकर व्यापार में पैसा लगाता है। इस बात की हमने कभी उस व्यापारी के दिल में भावना पैदा नहीं की और आज इस सरकार ने इस बजट के अन्दर यह भावना पैदा की है कि उद्योग आप राजस्थान में लगाइये। अब छोटे उद्योगों को हम प्रोत्साहन देंगे और प्रोत्साहन के नाते राजस्थान में उद्योग पनपेगा और उद्योग पनपेगा मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा इससे सरकार की समस्या का समाधान होगा।

तुम्बा और मतीरा। यह भी किसानों के घर पैदा होते हैं। उस पर भी हमने टैक्सों में छूट दी है। तुम्बा तो वो बेचने जायेगा, मतीरा स्टॉक करके रखेगा या उसको बेचेगा। उसके ऊपर पहले तीन पर्सेण्ट टैक्स लगता था।

दूसरा, बकरी की ऊन, जट। बकरी की जट उस पर पांच पर्सेण्ट टैक्स लगता था। ऊन या जट से वह कपड़ा बनाते थे, बोरा या कपड़े वगैरह बनाते थे। उन पर दस पर्सेण्ट टैक्स लगता था। इसलिए कोई बुनकर इस टैक्स की वजह से उसको बुनाता नहीं था क्योंकि दस पर्सेण्ट टैक्स का भय रहता था और जब किसान की बकरी की जट पर भी हमने छूट दे दी तो टैक्स से फ्री हो गया तो अब लोग उद्योगों में उसको लगायेंगे और इससे राजस्थान का उद्योग पनपेगा, किसान के हाथ में काम मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा।

सीमेन्ट पर, अन्तर्राज्जीय सीमेन्ट पर 16 पर्सेन्ट टैक्स था जिसको घटाकर के कम किया गया क्योंकि 16 पर्सेण्ट टैक्स होने से लोग दूसरे प्रान्त में दूसरी दुकान के नाम से माल को ट्रान्सफर कर लेते हैं और ट्रान्सफर से राजस्थान की सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। इसके ऊपर टैक्स था। टैक्स

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

भी कितना ? 16 प्रतिशत टैक्स था। जब हमने देखा हमारी सरकार को यह टैक्स मिल ही नहीं रहा है, माल ट्रान्सफर हो रहा है तो यह राजस्थान की सरकार को घाटा हो रहा है। इसलिए इन्हीं टैक्सों में कटौती कर दी। 16 प्रतिशत के बजाय अब 7 प्रतिशत कर दिया। 9 प्रतिशत टैक्स को कम किया है और इतना सब टैक्सेज को खत्म करने के पश्चात् पहले के कम्पेरिजन देखिए याने राजस्थान में घाटा कितना है ? याने सब प्रकार की जनता को सुविधा, गरीब की उन्नति, गरीब के हितों की रक्षा, गरीबों पर टैक्स कम, गरीबों के काम आने वाली चीजों पर कम और इस सब को देखते हुए ठीक है भाव कुछ बढ़े हैं। यह निश्चित रूप से चुनाव के दिनों के पहले और आज के भावों में कुछ वृद्धि हुई है। कुछ प्रकृति का प्रकोप याने सूखा पड़ गया याने यह लोग सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोपते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी, मगर यह प्रकृति प्रकोप था, प्रकृति याने फेमिन था। अनाज तीन चार महीने में खर्च हो गया है लेबर को खाने का चाहिए। इसलिए भाव तो ऊंचे जायेंगे। पैदा नहीं होगा तो ऊंचे जायेंगे क्योंकि अनाज की जगह तो अनाज ही काम आयेगा। इसलिए जो भाव कुछ बढ़े उसको मैं निश्चित रूप से मानता हूं। यह नहीं है कि भाव नहीं बढ़े लेकिन जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर नहीं है, यह देन आपकी है। पौधा आपका लगाया हुआ हैं। आपकी गलत नीतियों के कारण 40 साल की गलत नीतियों के कारण यह सब जो भाव बढ़े हैं उसका परिणाम राजस्थान की जनता को राजस्थान की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आप एक बीज लगाते हैं। चार महीने के बाद में बीज पैदा होता है तो अभी तो हमको तीन महिने ही हुए हैं सरकार को बनाये। अपने आप भाव ठीक हो जायेंगे। अब भगवान करे बारिश अच्छी हो जायेगी आपको कहने की कोई गुंजायश नहीं रहेगी।

इसकी साथ-साथ में सभापति महोदय, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया हैं आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट प्रस्तुत किया है। ऐसी सूरत में यह धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात फिर दोहराना चाहता हूं हमने जो चुनावों के दरमियान सरकार बनाते वक्त यह वायदे किसानों से किये थे कि उनके हितों की रक्षा करेंगे। उनके कर्जे को माफ करेंगे, उनके हितों का संरक्षण करेंगे। उन्हीं संरक्षणों को इस बजट के अन्दर समाविष्ट किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

(5.46 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : सभापति महोदय, समय तो बहुत कम है फिर भी मैं इसी समय में मेरी बात, मेरे

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

विचार आपके सामने रखूंगा। कल राजस्थान के वित्त मंत्री व मुख्य मंत्री ने अपना बजट भाषण सदन में प्रस्तुत किया। मैं बजट भाषण का स्वागत करता हूं। इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान के गरीबों से संबंधित हैं। जिन लोगों को राहत दी गयी है लेकिन साथ-साथ में सभापति महोदय ऐसे मुद्दे भी है जिसमें गरीबों पर वार भी किया गया है और कहना चाहिये गांव की भाषा में सभापति महोदय, वार ही नहीं किया गया है अपमान भी किया गया है माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में बहुत से ऐसे काम हैं जिन कामों को हिन्दुस्तान की आजादी मिलने के बाद राज्य में चुनी हुयी जो हुकूमत आयी उससे लेकर आज तक बजटों में ऐसी सीरियस कटौती नहीं की गयी जो गांव के गरीब से संबंध रखती है। एक लम्बे अर्से के बाद इस बजट से गांव की प्राइमरी पाठशाला को उड़ा दिया गया। गांव में बसने वाले लोगों के लिये मिडिल स्कूल का जिक्र तक इसमें नहीं है और सभापति महोदय, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल ही नहीं लोगों से हमारा वायदा था सफल बीमा योजना लागू करेंगे। हमारे हाथ में हुकूमत आयेगी। हम फसल का बीमा करेंगे। फसल चाहे बाढ़ से नुकसान हो, ओलावृष्टि से हो, ठंडी हवा से हो, किसान के खेत में जब फसल का नुकसान हो जायेगा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन किसानों की मदद करेगी। यह हमने ईमानदारी से वायदा किया है। साथ ही सभापति महोदय, भूमि का लगान माफ करने में भी हम लोगों ने चुनाव में जनता से वायदा किया। लेकिन बजट में एक लाइन भी इस संबंध मे नहीं रखी गई।

इसके साथ सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में, दूसरे चरण में खालों की जो किश्त उनको माफ करने के लिए सभापति महोदय, पिछले 5 सालों में हम कई दफा जेल में गए है। हमको आज वह दिन याद आ रहे हैं। आज यहां पंडित केदार जी नहीं है, लेकिन आप मेरे गवाह है उस दिनों के कि 5 साल जेल में और आंदोलनों में बिताये हैं। आज खालों की कीमत हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में और राजस्थान में किसी भी जिले में लागू नहीं है। तो हमारे क्षेत्र के किसानों ने कौनसा नुकसान किया? माफ होनी चाहिए और सभापति महोदय, यहां तक आपको पता है हमने चुनाव में भी आपके मुकाबले में जनता से वायदा किया और आज जनता हमको कह रही है कि आपने हमको गुमराह किया, जनता के लोग, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गुमराह ही नहीं किया आपने हमको, बड़ा भारी धोखा भी दिया है, हमको जबाब देना पड़ेगा उन लोगों को।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं आज सुबह बहस चल रही थी अकाल राहत कार्यों की। अगर मैं ईमानदारी और वफादारी से बात करूं और कहना चाहिए सच्चाई से, अर्न्तात्मा से सदन बोलना चाहिए, तो जीरों पर राजस्थान में फेमिन का अकाल राहत कार्य। आप और हम लड़ते हैं जिला एडवाइजरी कमेटी में, आपके सामने मैंने पूछा कलक्टर को कि आप ईमानदारी से बताइए कि यह मामला

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

क्या है, कहीं बजट में कमी तो नहीं है उन्होंने आपके सामने कहा कि मामला यही है मैं अपने घर से चुका दूं क्या ? इसलिए सभापति महोदय, जनता को ऐसी आशा नहीं थी कि हमारी नई सरकार, प्रगतिशील सरकार आयेगी वह ईमानदारी और बफादारी से जनता की सेवा करेंगे हम धोखा नहीं देंगे, लेकिन यह बजट पढ़ने से नेता महोदय कालजा कांप रहा हैं कि हमने जनता से क्या वायदा किया ?

सभापति महोदय, सबसे जरूरी आज के युग में पीने का पानी की हैं। जिस इलाके से हम आए, राजस्थान के पश्चिमी जिले जो हमारे पाकिस्तान से लगने वाले जिले है, गंगानगर, फिरोजपुर के। पंजाब से लेकर बीकानेर जिला, बाड़मेर और जैसलमेर के करीब 620 मील लम्बा हमारा बोर्डर का एरिया है जहां पीने का पानी मिलों तक नहीं है। मुझे दुःख है कि मेरे प्रगतिशील जो सरकार बनने की आशाएं थीं उन आशाओं पर पानी फिर चुका है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, हमारे नेता महोदय इस बात को जानते हैं, अभी मुख्य मंत्री होते तो मैं उनकी बड़ाई जरूर करता, खैर, हमारे दूसरे नम्बर के मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। राजस्थान बनने के बाद सभापति महोदय, हर खेती के मौसम पर किसानों के लिए कृषि विभाग, अच्छी किस्म का बीज खरीद कर किसानों को देता रहा है, लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीज के बारे में पिछले साल और इस साल दोनों सरकारों की लापरवाही रही है। बीज के बारे में जो विश्वासघात किया है वह बात इस प्रान्त के किसानों के साथ खिलवाड़ किया है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं आशा थी गांव में रहने वाली झुग्गी, झोंपड़ियों और ढाणियों में कि कांग्रेसी हुकुमत ने लम्बे अरसे तक हमारी ढाणियों के साथ विश्वासघात किया है और स्कूलें नहीं खोली गई। इस आशा के साथ वोट दिये कि राज में परिवर्तन होगा, नई सरकार लाएगें, हमारे जन प्रतिनिधि सत्ता में आयेंगे, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल खुलेगा, यह आशा गांव के बूढ़े लोगों को थी लेकिन आज प्राइमरी का नाम-निशान इस बजट में नहीं है। न कोई मिडिल, जहां लड़के 300-300 लड़के जो प्राइमरी पाठशाला में बैठे हैं वे किसके घर जायेंगे। मुझे बहुत दुःख है और मुझे इस बात का भी दुःख है कि सत्ता में बैठे हुए लोग मुझे ऐसा लगता है कि वह जनता दल और बी. जे. पी. की सरकार को आप गिराना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं इन लोगों के मुकाबले में। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। यदि हमारी पार्टी वहुत लम्बे अर्से से संघर्ष करने के बाद हम पावर में आए हैं, सत्ता में आये हैं और जिन आशाओं के साथ हम आए हैं उस पर, सभापति महोदय, पानी फेरते जा रहे हैं। लेकिन इस पानी को हम फिरने नहीं देंगे, हम संघर्ष करेंगे।

सभापति महोदय, दवाई के बारे में। हो सकता है बड़े सेठों के टाटा, बिड़ला, डालमियों के तो कुत्तों का इलाज हो सकता हैं। सभापति महोदय, लेकिन गांव में बैठे उस गरीब के दवाई का कोई इन्तजाम नहीं,

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कोई चिकित्सालय नहीं, कोई औषधालय नहीं, कोई डिस्पेन्सरी नहीं। आशा थी कि हिन्दुस्तान की आजादी मिलने के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, सत्ता का हम परिवर्तन करें और मेरे गांव में, मेरे इलाके में, अस्पताल, दवाई का इन्तजाम होगा। परन्तु कोई बजट में आपका नाम-निशान नहीं है, सब गायब है गांव से सम्बन्ध रखने वाली चीजें। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि राजस्थान बना उस वक्त पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने उस वक्त के मुख्य मंत्री श्री मोहन लालजी सुखाड़िया को कहा कि सुखाड़िया जी राजस्थान बन गया देश को आजादी मिल गई, लेकिन देश में गरीबों पर जो कर्जा प्रथा है और बोहरा ने ब्याज दर ब्याज लेकर लोगों को भून डाला है उस बोहरा प्रथा को खत्म करने के लिए कोई न कोई ईलाज ढूंढ़िये। हमारे सदन के सदस्य, आज वह नहीं है दुनिया में चौधरी मोतीलाल जी खाटू। चौधरी मोतीलाल जी खाटू को उस वक्त के समय में विदेशों में भेजा और वह अध्ययन करके आए विदेशों से जिसका नत्थी सिंह जी को पता है। वह अध्ययन करके आए और राजस्थान में आकर उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति लागू करने को कहा। इस हाउस में कॉपरेटिव एक्ट बना।

श्री सभापति : क्या सदन का और समय बढ़ाना है ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभापति महोदय, अगर मेरा भाषण आगे जारी नहीं रहे, तो कल का प्रथम वक्ता मैं रहूंगा। आप व्यवस्था दीजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, श्री चुन्नी लालजी के भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक वर्ष 1990-91 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभापति महोदय, इतना ही नहीं राजस्थान में कॉपरेटिव एक्ट लागू हुआ और कॉपरेटिव एक्ट का कोई जानकार व्यक्ति है चौधरी मोती लालजी के संसार से जाने के बाद तो मुझे बहुत खुशी है कि नत्थी सिंह जी है और नत्थी सिंह जी, इस मंत्री मण्डल में बैठे हो आज कॉपरेटिव सोसाइटियों का कर्जा बीज और तकादे के लिए ग्रामीण को देने का सवाल है साल भर से जीरो पर है एक रत्ती पाई किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति ने गांव के किसी गरीब को दी है ? मुझे बहुत दुख है उसके बाद सभापति महोदय, इतना ही नहीं है, आप देखिये, मैं टैक्सों पर नहीं जाऊंगा। राजस्थान की दुग्ध डेयरी चाहे किसी जिले की हों आज क्या हालत है ? चांटा आपका-महंगा,-दूध-हमारा सस्ता। दिल्ली वाले कहते हैं कि डेयरी का चुनाव

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

होना चाहिये, डेयरी जन-प्रतिनिधियों के हाथ में जानी चाहिए। मेरा चार्जेज है भूतपूर्व सरकार पर और वर्तमान प्रगतिशील जो अपने आप को कहने वाली है उस पर मेरा चार्ज है कि आज तक डेयरियों के चुनाव होकर चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं दिया अपने एजेन्ट +++ बिठाये रखे जो गांव का शोषण कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि बीज खरीदने के लिए कृषि विभाग में राज के पास बहुत बजट है, लेकिन लगता ऐसा है कि यह सरकार किसानों के विरोध में है। अगर किसान को अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, आपकी सरकार तरक्की नहीं करेगी। जिस आदमी के बीज ही अगर गला-सड़ा होगा तो निश्चित रूप से वह कामयाब नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं सभी विषयों को छोड़कर, पिछले साढ़े चार सालों में सत्ता बदलने का जो संघर्ष हमने किया है, नेता महोदय, दो मिनट का समय उस पर लूंगा। सभापतिजी, यहां बैठे राज के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी और लम्बे अरसे तक रहे वित्त मंत्रीजी को भी पता है। मैं साढ़े चार साल पहले गांव-गांव में घूमा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इलाके में नेता महोदय चौधरी देवीलालजी का, वी. पी. सिंह जी का और भैरोंसिंह जी शेखावत का ढाणियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, जो कच्ची बनी हुई हैं, चित्र लगा हुआ है। चौधरी देवीलाल के चित्र पर लोग भगवान कृष्ण मानकर अगरबत्ती भी करते हैं। मुझे खतरा लगता है। कितनी शताब्दियों के बाद यह भगवान कृष्ण का रूप लेकर इस धरती पर आये हैं। हमने लोगों को कहा साढ़े तीन साल पहले, ऐ लोगों! देश में जब परिवर्तन होता है तो भगवान भी कोई ऐसे आदमी को जन्म देता है अवतार के रूप में। तब निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होता है। सभापति महोदय, किसी युग और किसी शताब्दी में जब देश में, समाज में ऐसे मनुष्य, ऐसे राक्षस पैदा हुए तब उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए, आप सब तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि तलवार उठाकर ऐसे राक्षसों को कैसे खतम करूं। अच्छा है, सुदर्शन चक्र घुमाऊं ताकि देश में शान्ति से लोग बसें। उस वक्त, उस युग के सारे राक्षस समाप्त हुए जब भगवान कृष्ण ने चक्र घुमाया। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद का जो युग है, जनता से वोट लेकर हिन्दुस्तान की पार्लियामेण्ट में लगातार लोग गये। राक्षसी रूप में गांव के गरीबों का बजट खाया। पानी का बजट खाया, बिजली का बजट खाया, दवाई का बजट खाया, शिक्षा का बजट खाया और हर तरह का हमारे गांव के विकास का बजट खाया। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, पांच सौ में से मान लीजिए चालीस परिवार, जो राक्षस का रूप धारण करके आनन्द लेने लगे और गांव का पानी, बिजली और विकास का, किसान की तरक्की का मामला है, वह सारे के सारे खा गये और विदेशों में जाकर के अपने खाते खोल दिये। ऐसे राक्षसों को समाप्त करने के लिए, सभापति महोदय, भगवान कृष्ण का इस

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

युग का एक अवतार चौधरी देवीलाल हरियाणा में पैदा हुआ, जिनके बड़ेरे मेरे गांव नोखा से गये थोड़े बरस पहले। उन्होंने नारा दिया, ऐ चुन्नीलाल इन्दलिया ! तू मेरी सेना का एक सिपाही है पश्चिमी राजस्थान का। पूर्व में नत्थी सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, ये जानें। सभापति महोदय, हमने संघर्ष किया साढ़े तीन साल तक गांव-गांव में। जब मैं गांवों में जाता, मीटिंगें करता, आप ताज्जुब करोगे, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को एक बात कहता, कार्यकर्ताओं, दिल्ली के सामने मंच का मुंह होना चाहिए, भाषण देने वाले का। मैं जब भाषण देऊंगा स्टेज पर, मेरे हाथ का इशारा दिल्ली की तरफ होगा, इसलिए मंच का मुंह इस तरह से रखिये आप। सभापति महोदय, साढ़े तीन साल, चार साल के संघर्ष में हमने जनता को नारा दिया कि हम राजीव गांधी जी को बदलेंगे, बदलकर हम वी. पी. सिंह जी को प्रधानमंत्री बनायेंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे किसानों ? दस हजार का कर्जा माफ करेगा आपका, बूढ़ों को पेंशन देंगे। चुनाव की सभा में हमने यह कहा, बुढ़िया ! मर मत जाना, कल प्रगतिशील सरकार हमारी आयेगी, पेंशन मिलेगी और मनीआर्डर का उद्घाटन मैं करूंगा। सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है। मुझे बहुत दुःख है कि जनता से जिस तरह का हमने वायदा किया, हम आज की तारीख में जनता के साथ विश्वासघात करने वालों में सबसे पहले लोग हैं। हम नट नहीं सकते। कहां है कर्जा माफ ? सभापति महोदय, हरिदेवजी जोशी तो कहते थे मगर। कोई भी विषय हो तो उनकी आदत है मगर, और हमारी सरकार है अगर। अगर पल्ले पड़ा तो हम कर्जा पूरा माफ करेंगे। सभापति महोदय, मैं ईमानदारी और वफादारी से कहता हूं, मैं जनता का सिपाही हूं। हमने वायदा यह किया था, नो कण्डिशन। किसी धर्म को मानो, किसी बिरादरी को मानो, दस हजार का कर्जा माफ करेंगे। आज बजट में अगर भी है और मगर भी है।

सभापति महोदय, छोड़िये इन दोनों मुद्दों को। हमने कहा, किसानों ! धरती के नीचे जहां राजस्थान के किसी जिले में मीठा पानी है, उस पानी को हम ऊपर लायेंगे। किसान को एक लाख छः हजार रुपये सहायता के रूप में देंगे। हमने यह भी कहा कि इस दिल्ली की हुकूमत को बदलो, क्योंकि दिल्ली की सरकार दिल्ली में फाइव स्टार होटल बनाने के लिए, नाच घर बनाने के लिए कई करोड़ रुपया दे सकती है। इसकी नीति गलत है, बदलो। बदलकर फाइव स्टार का जो पैसा है वह गांव के किसानों को देंगे, मीठे पानी को ऊपर लायेंगे, खेत हमारा हरा होगा, देश ताकतवर होगा और दुनिया के दूसरे देशों से, जो हमसे नाराज हैं, हम मुकाबला करेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, वादा सारा साफ हो गया। मैं कोई चमचागीरी या किसी की बड़ाई करने के लिए नहीं आया हूं। जनता का वफादार सिपाही होने के नाते बी. जे. पी. और जनता दल के लोगों से अन्तरात्मा से मेरी अपील है, नौजवानों से मेरी अपील है, मेरे मित्रों, प्यारे नौजवान साथियों ! समय रहते अगर इस पार्टी को बचाना है, प्रगतिशील सरकार को मजबूत करना है तो आपको अन्दर संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे,

Page No. 156

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

यदि आप नहीं सुनेंगे बात को, तो हम इस बजट में बगावत करेंगे आप से। हम दबने वाले नहीं हैं, हम बगावत करेंगे। आपको संकेत देंगे। अगर आप नहीं मानोगे तो हिन्दुस्तान की चालीस साल की सरकार को हम नारों से धोखा देकर बदल सकते हैं तो ईमानदारी से भी बदलेंगे। समय आपके हाथ में है, मजबूत हमारी सरकार रहनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, बजट में आपका साथ देंगे। हमारे नेता महोदय, बजट का वह कौनसा बिल होता है पास कराना आपको, उसके पहले–पहले हमको बैठा कर बात कीजिए। हम लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले शख्स हैं। यदि आप हमारी बात नहीं सुनोगे, इस ओर ध्यान नहीं दोगे तो गांव में जब आप जाओगे लोग आपको बढ़ने देंगे कि नहीं बढ़ने देंगे, देख लेना। लोग आपकी तारीख का इन्तजार कर रहे हैं बजट का बिल पास होने की। उसके बाद भैरोंसिंह शेखावत और चौधरी देवीलाल का चित्र लोग झुग्गी और झोपड़ियों से हटाकर अगरबत्ती करना बन्द कर देंगे। समय आपके हाथ में है। आपको क्या जरूरत है डरने की। आप टाटा-बिड़ला और भूतपूर्व नरेशों की जमीनों की तो आप रक्षा कर रहे हो, और जो वायदा किया है जनता के दरबार में, गांव में जाकर बड़ी-बड़ी दो-दो लाख की सभाओं में, उसका ? वादा मुकर होने का नतीजा जनता के राज में बहुत धोखा है। आपको नशे में नहीं रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ जनता के साथ रहना चाहिए। आप अगर नशे में रहोगे, तो सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा, सभापति महोदय, मैं राजस्थान में, जो इस तरह के लोगों को बदलेगा, परिवर्तन करेगा। बी. जे. पी. की मर्जी है। मैं मेरी पार्टी के लोगों को कहता हूं, जनता दल भी सरकार मे शामिल है। अगर हरियाणा में बी. जे. पी. सरकार का साथ देकर, उसमें शामिल होकर वापस जा सकती है तो हम कोई गुलाम हैं क्या ? हम बाहर रहकर बी. जे. पी की सरकार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन खतरा यह है कि हम शामिल हो गये। हम गांव के वो हो गये, जैसे जागीरदारों के वक्त में ठाकुर को गांव को चलाना होता तो गांव के चौधरी को पांच-पचहत्तर रुपये देकर गांव का चौधरी मुकर्रर कर देते और वह चौधरी, नत्थीसिंह जी. मारवाड़ में 200 घरों से बेगार कराता। अगर आपको पिचोतरे का चौधरी रहना है तो आप सरकार के साथ रहिये .. लेकिन भारतीय जनता के साथ आप ईमानदारी के साथ रहो। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ शामिल होने से कमजोर हुई है, जनता दल का सफाया हुआ है, अगर जनता दल को बचाना है तो आप को पुर्नविचार करना चाहिए, सत्ता के साथ नहीं रहना चाहिए, सत्ता को मजबूत बाहर रहकर करना चाहिए और उस पर अंकुश लगाये रखे। सेवा गाते रहोगे तो बी. जे. पी. राजस्थान में मजबूत होगी, जनता दल मजबूत होगा वरना बी. जे. पी. को साफ कर दोगे। थोड़े दिनों में और जनता दल का राजस्थान में नाम नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि जनता दल मजबूत हो तो जनता दल के लोगों समय हाथ में हैं। हमने अपने, नत्थीसिंह जी में तो आपका नाम लूं, घरवालों का ही नाम लेना चाहिए. घर वालों का ही ठीक रहता हैं। यदि ये नहीं करोगे, तो आप जानते हैं। सन् 1941 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ

(श्री चुन्नी लाल इंदलिया)

वोट दिया -"अंग्रेजों भारत छोड़ो"। देश उस वक्त की राज व्यवस्था के साथ संघर्ष का चैलेन्ज दिया हमने, बदले वह राज की व्यवस्था को हमने समाप्त किया, वह समय और आदमी उस वक्त की राज व्यवस्थाओं की गोलियों में शहीद हुआ। आज मुझे दुःख है कि उस वक्त के संघर्ष किये आज बहुत से घरों में हमारे खून के खादी के कपड़े पड़े हैं, लथ-पथाये खून के टांगे हुए पड़े हैं। लेकिन संघर्ष करने वाला जवान, जनता का वफादार होगा वह सरकार की झण्डियां, सरकारी गाड़ी, सरकारी नशा यह नहीं देखेगा वह संघर्ष करेगा।

सभापति महोदय, नेता महोदय ने मुझे इशारा कर दिया है। मेरी पार्टी के लीडर है, पार्टी के लीडर के हुकूम को नहीं मानेंगे तो संघर्ष आगे नहीं कर सकते। इसलिए लीडर का इशारा है कि बस करो। इशारा है कि अब बस करो। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं करके, मैं मेरी पार्टी के लोगों से ही कह सकता हूं कि यह मेरा हक है, अधिकार है कि देखिये आप आठ है तो सात तो पक्का है, पार्टी के लोग मंत्री हैं जब हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो भैरोंसिंह जी +++ काहे रखेंगे आपको मंत्री, आप आठ बैठे रहेंगे, बहुमत आपके खिलाफ हैं। कभी आप परीक्षा करवा लो कल ही मिटिंग बुलवा लो लोगों में, हम कहां रहेंगे, आप कहां रहेंगे। इसलिए वक्त आ गया है, आपने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, आपने पूर्वी राजस्थान में संघर्ष किया है। इसलिये मैं तो आपसे ही अपील करता हूं कि आपका जो दिल है, दिल को ध्यान में रखना, हम दिल के नहीं हैं, न हम सरकार के हैं, हमने जनता से वादा किया है और वायदे के कच्चे धागे में बन्धे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी दोनों पार्टियां, सहयोगी पार्टियां, सरकार प्रगतिशील रहे, मजबूत हमारी सरकार रहे, हुकूमत हमारे हाथ में रहे तो आपको खारा भी खाना पड़ेगा खाली मीठ-मीठा तो गप्प और खारा थूक देओ थप्प। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लगाइये टैक्स टाटा, बिड़ला और डालमिया पर, उनकी बहुत सी जमीनें पड़ी हुई है। एक बाड़ा जयपुर में बता दूं उसको सरकार अपने हाथ में लेकर, उस सम्पत्ति को लीजिये आप और राजस्थान का सारा कर्जा माफ होगा, पेन्शन्स आप 10 साल तक दे सकते हैं लेकिन आपका जो दिमाग है, इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था को पनाह देने का, उनकी रक्षा करने का यह नहीं चलने देंगे हम। अगर किसी को भ्रम हो तो माई का लाल यह मैदान हैं, जनता देखिये किसके साथ है ?

इसलिए हम चाहते हैं कि श्री भैरोंसिह जी शेखावत, राजस्थान की एक सम्पत्ति है, देश के रीढ़ की हड्डी है, वह सम्पत्ति है यदि उस सम्पत्ति को आप कायम रखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में पुनर्विचार करके, सरकारी नशे से बाहर आकर आपको काम करना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, सब पार्टियों में होती है पार्टी बाजी। मुझे एक बात का और खेद है कि मैंने कुओं की जो बात कही, सभापति महोदय, किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा आजादी लड़ने वाला, शहीद होने वाला अगर कोई नौजवान है तो किसान परिवार में पैदा हुआ है। जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने एक बात कही थी, आपको पता है मेरे प्यारे देश के किसानों, हिन्दुस्तान को तत्काल आजादी मिली है, धन का अभाव है, देश की फौज के लिए धन चाहिये, चीन ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने हमला किया, एक गंगानगर जिला है, वहां के किसानों ने पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू को सोने से तोला, उस सोने से हथियार खरीदे। नेफा हो, चाहे लद्दाख हो अगर मुकाबला किया है कोई हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा का तो गांव के किसानों ने किया है, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना, और चाहे वायु सेना हो. गांव में झोंपड़ी में जापा जणने वाली मां के नौजवान हैं जिसने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी और हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए अपने मोर्चे पर खड़े हैं, बर्फीले पहाड़ों में तो वह खड़े हैं, आज उनकी बूढ़ी मां के लिए दवाइयों का इन्तजाम नहीं, उन ढाणियों में आप औषधालय नहीं खोलेंगे।

मैं इतना ही कह कर, सभापति महोदय, जनता से जो वायदा किया है उससे मुकरेगा वह इस कुर्सी पर नहीं रहेगा। जय हिन्द!

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 06 बजकर 16 मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990 की मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

फलौदी तहसील के गांवों को पेयजल

38. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :** क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील फलौदी के नवगठित राजस्व गांव खिदरत मूल ग्राम कानसिंह की सिढ, सोढासर (सोढादडा) मूल गांव कल्याणसिंह की सिढ एवं सहारणपुरा मूल गांव मालमसिंह की सिढ में वर्तमान में विभाग की ओर से कोई पेयजल सुविधा नहीं है और इन बस्तियों के निवासी 8 से 20 कि. मी. दूर से पेयजल प्राप्त करते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नव सृजित राजस्व ग्रामों खिदरत, सोढासर (सोढादडा) एवं सहारणपुरा में विभाग की पेयजल योजना नहीं है। ग्रामवासियों की आवश्यकता पूर्ति टैंकरों द्वारा की जा रही है।

(2) नये राजस्व ग्रामों हेतु पेयजल योजनाएं शीघ्र ही बनाई जाना प्रस्तावित हैं।

नावां तहसील में कृषि कुओं का उर्जीकरण

9. **श्री हरिश्चन्द कुमावत (नावां) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1985 से 15 जून, 1990 तक नावां तहसील क्षेत्र में कितने कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? सूची कृषक का नाम, ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम, खसरा संख्या, रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कुओं के आवेदन-पत्र कब-कब से विचाराधीन थे तथा इन्हें किस तिथि को विद्युत कनेक्शन दिया गया है और यह कनेक्शन किस किस्म का है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील क्षेत्र में अब तक कितने कृषि कनेक्शन लम्बित हैं ? कृषक का नाम, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, रकबा एवं उनकी प्राथमिकता सूची उनके आवेदन की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1985 से 15 जून, 1990 तक नावां तहसील क्षेत्र में आने वाले विद्युत उपखण्ड नावां व कुचामन में क्रमशः 530 एवं 973 कृषि कुये के कनेक्शन दिए गए। उपखण्ड वार दिए गए कनेक्शनों की सूची जिसमें कृषक का नाम, ग्राम का नाम, आवेदन प्राप्त होने की तिथि व वर्षवार तथा श्रेणीवार सूचना प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

160

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

(2) सूचना संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाई गई है।

(3) तहसील क्षेत्र नावां में उपखण्ड नावां व कुचामन में 15.6.1990 को क्रमशः 1459 एवं 2225 आवेदन कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित थे। वरीयता क्रमवार नाम, ग्राम, खसरा नं., आवेदन की तिथि दर्शाते हुए उपखण्ड वार सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

ब्यावर-कोटा बस सेवा

40. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में ब्यावर से कोटा वाया विजयनगर, जहाजपुर, शाहपुरा निगम की सेवाओं से जुड़ा हुआ था?

(2) यदि हां, तो उक्त बसों को उक्त मार्गों से क्यों बन्द किया गया?

(3) अब पुनः उक्त मार्गों पर बसें चलाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सदस्य राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निजी वाहन स्वामियों को निगरानी याचिका पर दिनांक 23-12-89 को स्थागन आदेश द्वारा इस मार्ग पर निगम वाहनों के संचालन पर रोक लगा दिये जाने के कारण बस सेवाओं का संचालन करना पड़ा।

(3) निगम द्वारा सदस्य राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी स्थागन आदेश को खारिज करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। स्थगन आदेश खारिज होने पर इस मार्ग पर निगम वाहनों का पुनः संचालन सम्भव हो सकेगा। अगली सुनवाई दिनांक 2-7-90 को निश्चित है।

सवाई माधोपुर जिले में देशी व विदेशी सुरा के ठेके

41. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई माधोपुर जिले का; देशी व अंग्रेजी शराब का ठेका किस ठेकेदार को वर्ष 1988 से 1990 तक का दिया गया? ठेके की शर्तें व शराब की दर क्या-क्या थी? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है ठेकेदार द्वारा शराब मनमानी दर से बेची जा रही है व दुकानें भी शर्तों से अधिक खोल रखी हैं? यदि हां, तो सरकार ने अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार कब तक उचित कार्यवाही का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले के देशी व अंग्रेजी शराब का ठेका वर्ष 1988-89 व 89-90 में जिन-जिन व्यक्तियों के नाम था, उनको सूची संलग्न है। ठेकों की शर्तों

(श्री चुन्नीलाल)

के लिए लाईसेन्स की शर्तों, वर्ष 1988-89 व 89-90 की प्रतियां संलग्न है। वर्ष 88-89 एवं 89-90 में देशी मदिरा का निर्गम मूल्य निम्न अनुसार था :—

(रु. प्रति बल्कलीटर में)

किस्म		88-89	89-90
(1)	5 यू. पी.	34.62	30.40
(2)	35 यू. पी.	16.92	13.65
(3)	45 यू. पी.	12.53	11.55
(4)	60 यू. पी.	7.56	7.20

विदेशी मदिरा जिस दरों पर ठेकेदारों द्वारा क्रय की जाती है, उस पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है।

(2) अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार मदिरा के विक्रय मूल्यों पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। अतः इस आधार पर ठेकेदारों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अनुज्ञाधारियों ने विभाग द्वारा स्वीकृत एवं शर्तों के अनुसार ही दुकानें खोल रखी हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निवाई तहसील में माडा योजना की क्रियान्विति

42. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माडा योजना तहत निवाई तहसील में किस-किस पंचायत में क्या-क्या योजनायें स्वीकृत की गई थीं ?

(2) यदि नहीं की, तो क्या सरकार इस वर्ष कोई नई योजनायें स्वीकृत करने का इरादा रखती है ?

(3) क्या सरकार माडा क्षेत्र निवासियों के हित में एनीकट की योजनायें स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माडा योजना के तहत तहसील निवाई की पंचायतों में स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माडा क्षेत्रों वाले जिलों में विभिन्न योजनायें स्वीकृत करने के प्रस्ताव हैं। निवाई तहसील के लिए योजनायें टौंक—जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रस्तावित करके स्वीकृत करायेगा तथा क्रियान्वित करेगा।

(3) जी हां। राज्य में माडा क्षेत्र वाले 13 जिलों में वर्ष 1990-91 में इक्कीस एनीकट बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिनके निर्माण पर रुपये 55.50 लाख का व्यय होगा और इन योजनाओं से 525 जनजाति के कृषक लाभान्वित होंगे। एनीकट निर्माण की योजनायें जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। राज्य में माडा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में एनीकट निर्माण के प्रस्ताव संलग्न तालिका परिशिष्ट "ब" के अनुसार हैं, जिनमें टौंक जिले में एक एनीकट निर्माण का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, जिसके लिए रुपये 5 लाख का प्रावधान रखा है और इस योजना से 25 जनजाति के कृषक लाभान्वित होंगे।

परिशिष्ट "अ"

माडा योजनान्तर्गत पं० स० निवाई में ग्राम पंचायत वार स्वीकृत योजनाएं

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	स्वीकृत योजनाएं वर्ष 1979-80 से 1989-90 तक
1	2	3
1.	सुनारा	प्रा. शा. भवन, पेयजल कूप, कुक्कुट पालन, कूप ब्लास्टिंग, चिकित्सा केम्प, आवासीय योजना, अंशपूंजी अनु. सामुदायिक पम्पसेट, कूप मरम्मत, हैण्डपम्प, एनिकट ।
2.	चतुर्भुजपुरा	प्रा. शा. भवन, पेयजल कूप, कूप-ब्लास्टिंग, आवासीय योजना, दुकान हेतु अनुदान, कूप मरम्मत,
3.	सांदेड़ा	कुक्कुट पालन, कूप ब्लास्टिंग, चिकित्सा केम्प, अंशपूजा अनुदान, दुकान हेतु अनुदान, बकरा वितरण, कूप हैण्डपम्प, एनीकट ।
4.	मूंड़िया	प्रा. शा. भवन, पेयजल कूप, कुक्कुट पालन, कूप ब्लास्टिंग, चिकित्सा केम्प, आवासीय योजना, अंशपूंजी अनुदान, दुकान हेतु अनुदान, बकरा वितरण, सामुदायिक पम्पसेट, तालाब मरम्मत कार्य, हैण्डपम्प
5.	चनानी	प्रा. शा. भवन, पेयजल कूप, हैण्डपम्प ।
6.	तुर्किया	प्रा. शा. भवन, पेयजल कूप, कूप ब्लास्टिंग, आवासीय योजना, कूप मरम्मत, हैण्डपम्प ।
7.	दतवास	पेयजल कूप, कूप ब्लास्टिंग, आवासीय योजना, अंशपूंजी अनुदान, दुकान हेतु अनुदान ।
8.	नया गांव	पेयजल कूप, कूप ब्लास्टिंग, हैण्डपम्प ।
9.	दहलोद	पेयजल कूप, हैण्डपम्प ।
10.	पलई	प्रा. शा. भवन, पेयजल कूप, आवासीय योजना, हैण्डपम्प ।

1	2	3
11.	चैनपुरा	पेयजल कूप,
12.	खण्डदेवत	पेयजल कूप, आवासीय योजना, हैंडपम्प
13.	वनस्थली	————
14.	लनवाड़ी	आवासीय योजना।
15.	रजवास	————
16.	पहाड़ी	————
17.	खण्डवा	हैण्डपम्प
18.	गुगलपुरा	हैण्डपम्प

परिशिष्ट "ब"

राज्य के माडा जिले क्षेत्रों के जिलों में एनीकट निर्माण प्रस्ताव

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित राशि (राशि लाखों में)	लक्ष्य एनीकट निर्माण	लाभान्वित व्यक्ति
1	2	3	4	5
1.	अलवर	5.00	2	50
2.	भीलवाड़ा	2.50	1	25
3.	बूंदी	5.00	2	50
4.	चित्तौड़गढ़	5.00	2	50
5.	धौलपुर	2.50	1	25
6.	जयपुर	5.00	2	50
7.	झालावाड़	5.00	2	50
8.	कोटा	5.00	2	50
9.	पाली	2.50	1	25
10.	सिरोही	5.00	2	50
11.	सवाई माधोपुर	2.50	1	25
12.	टौंक	5.00	1	25
13.	उदयपुर	5.50	2	25
	योग—	55.50	21	525

सपोटरा क्षेत्र के औषधालय

43. **श्री प्रभूलाल (सपोटरा)** : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्ष 1989-90 में कितने नये औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र के औषधालयों में से कितने औषधालय पुराने थे, कितनों में स्टाफ कार्यरत है तथा कितने पद रिक्त हुए हैं ? क्या राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1989-90 में केवल एक नवीन खमंड आयुर्वेद औषधालय ग्राम चन्देलीपुरा में स्वीकृत किया गया है ।

(2) वर्ष 1989-90 के पूर्व से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में 18 औषधालय स्वीकृत हैं । इन 18 औषधालयों में स्वीकृत पदों पर पूरा-पूरा स्टाफ पद स्थापित हैं तथा कोई पद रिक्त नहीं है ।

जैसलमेर जिले में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन

45. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में खादी को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामोद्योग को स्वरोजगार योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लघु कुटीर उद्योग विकास में टेलीविजन मरम्मत, मोटर बाइन्डिंग, मोटर डायनुमा, माचिस उद्योग, चूना भट्टा आदि 45 प्रकार के उद्योग शामिल किये गये हैं ? यदि हां, तो इनका प्रशिक्षण कब तक दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां माचिस व चूना उद्योग का प्रशिक्षण पूर्व से ही दिया जा रहा है। टेलिवीजन मरम्मत, मोटर बाइण्डिग आदि के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रशिक्षण कोर्स को मान्य किया गया है। जबकि माचिस उद्योग की ट्रेनिंग खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, बोरीवली (बम्बई) तथा सघन क्षेत्रीय विकास समिति, सेवापुरी (वाराणसी) यू. पी. द्वारा दी जाती है। यह ट्रेनिंग कोर्स वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। प्रत्येक की अवधि 5 माह की है।

चूना भट्टा का प्रशिक्षण (बंद भट्टे) टैक्नीकल एक्सटेन्शन सर्विस सेन्टर मोहोल, जिला शोलापुर तथा टैक्नीकल एक्सटेंशन सर्विस सेन्टर, देहरादून में दी जाती है।—

ग्रामोद्योगों हेतु प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई, को प्रेषित किया गया है, जहां वह विचाराधीन है ।

बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्तियां

46. श्री लक्ष्मीचन्द्र मेहता (सांचौर) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1987 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां तो जालोर जिले में कितने निरीक्षकों के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में डिप्लोमाधारी बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों की संख्या 1000 से भी अधिक है ? यदि हां तो क्या राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों पर बेरोजगार डिप्लोमाधारी निरीक्षकों की नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां जालोर जिले में स्वास्थ्य निरीक्षकों के 21 पद रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी हां स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20-6-90 को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को, भरने अथवा न भरने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों का विवरण

1.	प्राथमिक	स्वास्थ्य	केन्द्र,	धानखा
2.	"	"	"	सूतडी
3.	"	"	"	पांचला
4.	"	"	"	अरणाय
5.	"	"	"	ऊम्मेदावास
6.	"	"	"	ओडवाडा
7.	"	"	"	सेवडी
8.	"	"	"	डूगरी
9.	"	"	"	माडाजुन
10.	"	"	"	जशवन्तपुरा
11.	"	"	"	माडवला
12.	"	"	"	बागोडा
13.	"	"	"	सरत
14.	"	"	"	हरजी
15.	"	"	"	चान्दराई
16.	"	"	"	गुढा बासोतान
17.	"	"	"	करडा
18.	"	"	"	मालवाडा
19.	"	"	"	पाथेडी
20.	"	"	"	पाथेडी
21.	कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर			

अलवर नगर सुधार न्यास की अव्यवस्थित आवासीय कालोनी

47. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अलवर की प्रस्तावित दयानन्द योजना एवं क्रियान्वित हुई एन. ई. बी. योजनाओं में भूमि रूपान्तरण हेतु व्यक्तिशः हजारों अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त योजनाओं में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों योजनाओं में उक्त क्षेत्रों के ले आऊट प्लान तैयार नहीं किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं ले आऊट प्लान तैयार नहीं किये जाने के कारण अलवर नगर में एक नया "स्लम" तैयार हो गया है ?

(4) यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नगर विकास न्यास, अलवर की दयानन्द नगर योजना एवं नोर्थ ईस्ट ब्लाक योजनाओं में भूमी रूपान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये । सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है

(2) दयानन्द नगर योजना का ले आऊट प्लान तैयार नहीं किया गया एन. ई. बी. में रणजीत नगर, सुभाष नगर तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के ले आऊट प्लान तैयार किये गये है तथा कृषि उपज मंडी एवं हाऊसिंग बोर्ड को जमीन अवाप्त कर उपलब्ध कराई गई । शेष क्षेत्र का ले आऊट प्लान तैयार नहीं किया गया है ।

(3) दयानन्द नगर योजना एवं नोर्थ ईस्ट ब्लाक योजनाओं में न्यास द्वारा जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र भिजवाये गये हैं उसमें अनाधिकृत निर्माण हुआ है तथा उस क्षेत्र में नगर नियोजन की दृष्टि से पूर्णतया वांछनीय विकास नहीं हो पाया है ।

(4) तत्कालीन अधिकारीयों द्वारा सन् 1983-84 में भूमि रूपान्तरण विभाग के माध्यम से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत ले आऊट प्लान के अनुमोदन/संशोधन की कार्यवाही कर उसके आधार पर अधिकतर प्रकरणों में निरापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गये । फिर भी इन प्रकरणों की विधिवत् जांच कराकर अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राजगढ़ तहसील (चूरू) के ग्रामों का विद्युतीकरण

48. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादूलपुर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार सन् 1990-

(168)

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

91 में तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम इन्दपुरा, ढढाल लेखू, ढढाल शेरा, लूटाणा, सदासुख, लूटाणा अमीचन्द, लूटाणा पूर्ण, लूटाणा गगनी, लूदी खूबा, लूटाणा लेसडी, राजू, ग्राम गालड़, रेजड़ी, घानोटी छोटी, घानोटी, बडी, चुमकी, रामसराताल, ताम्बाखेड़ी, चुम्बकियागढ़, टुण्डाखेड़ी, रामसराटीबा, भीमसाना सादपुरा, ढाणी बडी, ढाणी छोटी, सरदारपुरा को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) गांवों को विद्युतीकृत घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अनुसार केवल 1100 ग्राम विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है, जिनका पंचायत समितिवार लक्ष्यों का में निर्धारण का कार्य प्रगति पर है । अतः उपरोक्त में से कौन-कौन से गांव इस वर्ष के कार्यक्रम में लिये जा सकेंगे इसके बारे निश्चित रूप से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है ।

(2) ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण मद में आवंटित प्रावधान एवं घोषित लक्ष्यों के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम की जनसंख्या गांव का एनरूट होना एवं उसकी विद्यमान विद्युत प्रणाली से निकटता आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

कोटा एवं बारां से इटावा-मांगरोल बस सेवा

49 श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा तथा बारां से इटावा, खातौली, गुठला, पीपल्दा करवाड़, गैंता, लुहावद तथा मांगरोल तक चलने वाली बसें समय पर तथा पर्याप्त संख्या में नहीं चलने से सवारियों को भारी कठिनाई होती है ? उक्त मार्ग पर वर्तमान में चलने वाली बसों की समय चक्र सारिणी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार इटावा, खातौली, पीपल्दा, गैंता तथा मांगरोल तक और अधिक बसें चलाने की व्यवस्था करेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग प रसंचालित बसों में अव्यवस्था टिकिट नहीं काटने आदि की शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर की जाती रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । यह संभव है कि कुछ बसों के निरस्तीकरण व विलम्ब से प्रस्थान के कारण कुछ असुविधा हुई है । उक्त मार्गो पर वर्तमान में चलने वाली बसों की समय सारणी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पिछले 6 माह में 7 शिकायत जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई है: उनमें से एक पर कोई ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं हुई। बाकी में जांच कार्यवाही चल रही है। जांच पूर्ण होने पर कार्यवाही की जावेगी। शिकायतों वाले मार्गों पर चैकिंग अभियान तेज किया गया।

परिशिष्ट-1

कोटा एवं बॉरा से इटावा, खातौली, गुढ़ला, पीपल्दा, करवाड, गैता, लुहावद तथा मॉगरोल मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की

समय सारिणी

क. सं.	आगार का नाम	मार्ग का नाम	समय सारिणी			
1	2	3	4			
1.	कोटा आगार	कोटा-खातौली	कोटा	खातौली	खातौली	कोटा
			0745	1045	1100	1400
			0830	1230	1300	1700
			1430	1700	1730	2030
			1530	1830	0600	1000
2.	बॉरा आगार	बॉरा-खातौली	बॉरा	खातौली	खातौली	बॉरा
			0600	1000	1115	1515
			0900	1245	1330	1715
			1015	1400	1630	2015
			1400	1800	0730	1130
			1630	2000	0900	1800

1	2	3	4			
3.	बूंदी आगार	बूंदी–ग्वालियर वाया कोटा–इटावा–खातौली	बूंदी	ग्वालियर	ग्वालियद	बूंदी
			0900	4030	1030	2145
			0700	1230 (खातौली)	1500 (खातौली)	2015
			1530	2200 (श्योपुरा)	0530 (श्योपुरा)	1015
4.	कोटा आगार	बॉरा–गुडला	कोटा	गुडला	गुडला	कोटा
			0630	1045	1100	1530
			1100	1600	0730	1200
5.	बॉरा आगार	बॉरा–गुडला	बॉरा	गुडला	गुडला	बॉरा
			0715	1200	1430	1900
6.	कोटा आगार	कोटा–पीपल्दा/करवाड	कोटा	करवाड	करवाड	कोटा
			0700	1030	1115	1445
			1230	1600	1630	2000
			1600	1930	0730	1130
7.	बॉरा आगार	बॉरा–करवाड	बॉरा	करवाड	करवाड	बॉरा
			0800	1130	1200	1530
			1100	1415	1500	1815
			1530	1900	0630	1000
			1700	2030	0815	1200
8.	कोटा आगार	कोटा–गैंता	कोटा	गैंता	गैंता	कोटा
			1045	1400	1430	1800
			1815	1645	1700	2030
			1900	2230	0600	0930

1	2	3	4			
9.	बॉरा आगार	बॉरा-गैंता	बॉरा	गैंता	गैंता	बॉरा
			1315	1700	1730	2030
10.	कोटा आगार	कोटा-गणेशखेडा (लुहावंद)	कोटा	लुहावद (गणेशखेडा)	लुहावद (गणेशखेडा)	कोटा
			1415	1800	0830	1300
11.	कोटा आगार	कोटा—मॉगरोल	कोटा	मॉगरोल	मॉगरोल	कोटा
			1500	1930 (वाया बॉरा)	0630 (वाया बॉरा)	1030
			1700	2030	0645	1100
12.	बॉरा आगार	बॉरा-मॉगरोल	बॉरा	मॉगरोल	मॉगरोल	बॉरा
			0630	0800	0830	0945
			0830	1000	1030	1200
			0930	1100	1130	1245
			1000	1130	1200	1330
			1030	1145	1200	1315
			1200	1315	1330	1445
			1430	1600	1630	1:45
			1800	1930	2000	2115
			20 0	2130	0700	0815
13.	बॉरा आगार	बॉरा-इटावा	बॉरा	इटावा	इटावा	बॉरा
			1730	2030	0630	0900

Page No. 172

(172)

सिरोही क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानें

50. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में राज्य सरकार द्वारा कहां-कहां के लिए शराब की दुकानों हेतु लाइसेन्स किन-किन के नाम जारी किये हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं ? क्या जोयला तहसील शिवगंज, जोगापुरा तहसील शिवगंज, सिरोही आदि में खोली गई दुकानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देश का पालन किया गया है ?

(3) क्या सरकार द्वारा शिवगंज तहसील के मोरली, सरदारपुरा, नयाखेड़ा, बाखेड़ा, जोगापुरा, जोयला, कैलाशनगर, मणादर, केरारपुरा, रोबाडा, केराल, लखमावा, आल्पा, खेजड़िया स्थानों पर शराब की दुकानों के लाइसेन्स जारी किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रही उक्त दुकानों को बन्द करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्व जिला सिरोही के विधानसभा क्षेत्र सिरोही में स्वीकृत शराब की दुकानों की सूची एवं अनुज्ञाधारियों के नामों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) देशी शराब की दुकानों के लोकेशन स्वीकृत किए जाने हेतु निर्देश मुख्य रूप से राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75(2) एवं अनुज्ञापत्र की शर्त सं० 11 में है। नियम 75(2) व शर्त सं० 11 की प्रति परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

शराब दुकान जोगापुरा एवं जोयला के लोकेशन उपरोक्त नियमों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किए गए हैं।

(3) तहसील ग्राम जोगापुरा, मानादर, केशरपुरा, केराल, खेजड़िया, जोयला में शराब की बिक्री के लिए दुकानें लाइसेन्स के तहत स्वीकृत है। अन्य गांवों मोरली, सरदारपुरा, नयाखेड़ा, वासेड़ा, सेवाड़ा, लखमावा, आल्पा में अवैध रूप से शराब बिक्री होने की जानकारी नहीं है। इसकी तुरन्त जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट "क"

राजस्व जिला सिरोही के विधान सभा क्षेत्र सिरोही में स्वीकृत
शराब की दुकानों की सूची वर्ष 1990–91

विदेशी मदिरा	देशी मदिरा	मुख्य दुकानें	देशी मदिरा उप दुकानें	
सिरोही नं० 1	सिरोही नं० 1	सिरोही नं० 2	1. केशरपुरा	2. छावणी
सिरोही नं० 2	3. राजपुरा	4. कालन्द्री	3. जोयला	4. मनादरा
शिवगंज	5. शिवगंज	6. खेजड़िया	5. बराडा	6. उड़
	7. केराल	8. जोगापुरा	7. पाण्डिव	8. डोडुआ
	9. पालडी	10. पोसालिया	9. वेलागिरी	10. कण्डवाड़ा
	11. बरलूट	12. कैलाशनगर	11. सनपुर	12. तंवरी
	13. नारादर	14. गोल	13. जावाल	14. मंडिया
	15. सिलदर	16. जेला	15. मेथीपुरा	16. हनुमान पालडी
	17. मोहब्बतनगर		17. टालियावास सिरोही	
			18. गोयली	19. उचमण
			20. वागसीन	21. रामपुरा
			22. माण्डवा	23. बालदा
			24. मेड़ा	

अनुज्ञाधारियों की सूची :—

1. श्री पवनकुमार जैन पुत्र माधोलाल जैन, कोटा
2. ,, गोपाललाल पुत्र भैरूलाल जयसवाल, बांरा (कोटा)
3. ,, परसराम पुत्र हरिशचन्द्र सिन्धी, कोटा
4. ,, अनिलकुमार पुत्र रामप्रकाश पंजाबी, कोटा
5. ,, पवनकुमार पुत्र पी. एल. तलवार, कोटा
6. ,, सुवालाल पुत्र नन्दकिशोर तिवारी, कोटा
7. ,, पंकज पुत्र पी. एल. तलवार, जोधपुर
8. ,, गुलशन पुत्र आशानन्द तलवार, जोधपुर
9. ,, दर्शन पुत्र कमरदास तलवार, श्रीगंगानगर
10. ,, महेश पुत्र रामदास गुप्ता, नि० लालपुर (इटावा)
11. ,, वेद पुत्र मूलचन्द कक्कड़, जयपुर
12. ,, महेशकुमार पुत्र मुरालाल, उदयपुर
13. ,, दिलीपकुमार पुत्र दौलतराम, ब्यावर
14. ,, अनीलकुमार पुत्र रामप्रतापजी, ब्यावर
15. ,, रताराम पुत्र भोमाजी, गोमती चौराहा, उदयपुर
16. ,, शिवचरण पुत्र हीरालाल, ब्यावर

(174)

परिशिष्ट "ख"

Copy of the Rule 75(2) of Rajasthan Excise Rules, 1956

75(2)–A shop for the retail sale country liquor shall not be located–(a) in close proximity to a (Collegiate euedational institutions), hospital, dispensary or place of worship (or public entertaiment or public resort), or (b) in the nighbourhood of (the factory or a labour or Harijan Colony) Explanation. For the purpose of clause (b) of sub-rule (2) of Rule 75 "Harijan Colony" shall mean a municipal ward in which population of persons belonging to scheduled castes according to the letest census exceeds fifty percent of the total population of that ward).

अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या–11

(क) लाइसेन्सधारी को शराब की दुकान का स्थान अपने हल्के के जिला आबकारी अधिकारी से स्वीकार कराना होगा। बिना ऐसी स्वीकृति के दुकान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदली जा सकेगी। पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी को स्वीकृत स्थान से दुकानें हटवाने का अधिकार होगा। इस प्रकार अन्यत्र दुकान स्थानान्तरित करने पर किसी प्रकार का हर्जाना या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(ख) लाइसेन्सधारी शराब की दुकान अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से 500 मीटर के अन्तर नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लिखित धार्मिक स्थानों पर ही लागू होगा।

(ग) लाइसेन्सधारी शराब की दुकान सिंचाई एवं विकास परियोजनाओं के निर्माण स्थल तथा औद्योगिक संस्थान के स्थान से 2 किलोमीटर के अन्दर दुकान नहीं लगा सकेगा। इसी प्रकार सूती मिलों, कारखानों, मजदूर बस्तियों तथा हरिजन बस्तियों से 500 मीटर के अन्दर दुकान नहीं लगा सकेगा।

(घ) लाइसेन्सधारी राष्ट्रीय राज्य मार्ग के मध्य से 150 मीटर एवं राज्य मार्ग के मध्य से 100 मीटर सड़क के दोनों ओर दुकान नहीं लगा सकेगा। परन्तु नगर–परिषद, नगरपालिका अथवा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ङ) दुकानों की अवस्थिति (लोकेशन) बाबत युक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर व्यय

51. **श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा)** : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत टाडा व माडा योजनाओं पर कितना व्यय प्रस्तावित है ?

(2) उक्त योजनाओं के तहत पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृत धनराशि में से कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ और किस कारण ?

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं हुई है। इस विषय में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। अतः वर्तमान में यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि आठवीं योजना में कितना व्यय किया जाएगा।

(2) छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति में (टाडा, माडा एवं अन्य, कार्यक्रमों में) शेष रही राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(रु. लाखों में)

छठी पंचवर्षीय योजना	आवंटित राशि	व्यय	शेष राशि
(1980-1985)	3305.48	3213.36	92.12

सातवीं पंचवर्षीय योजना	आवंटित राशि	व्यय	शेष राशि
(प्रथम चार वर्ष 1985-86 से 1988-89)	4302.36	4209.80	92.56
अन्तिम वर्ष 1989-90	1429.64	1377.92	51.72

अन्तिम वर्ष की फिगर्स प्रोविजनल फिगर्स है।

पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृत धनराशि व्यय होने से शेष रहने के मुख्य कारण विभिन्न विभागों विषयों में पदों का रिक्त रहना, ऐरियर राशियों का भुगतान नहीं करना, स्टाइपेंड का भुगतान नहीं होना छात्रावासों के पद रिक्त रहना, परिवार कल्याण कार्यक्रम में निसबन्दी के केसेज कम होना, भारत सरकार से धनराशियों का आवंटन वित्तीय वर्ष के अन्त में होना, राज्य सरकार के बजट में प्रावधान अंकित नहीं होना, पूरक मांग से राशि एवं स्वीकृति प्राप्त करने का समय निकल जाना तथा एक पंचवर्षीय योजना के अन्त में बच गई स्वीकृत धन-राशि को अगली पंचवर्षीय योजना में व्यय करने पर प्रतिबन्ध आदि हैं।

औषधालयों की दवाइयों का ब्लेक

52. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में कितने-कितने औषधालय किन-किन स्थानों पर खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या यह भी सही है कि राज्यके औषधालयों में आम जनता को औषध नहीं मिलने व उसका ब्लैक कर दिये जाने की आम शिकायत है ?

(3) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में जो औषधालय हैं, वहां के वैद्य भी दवाइयां ब्लैक कर देते हैं और जनता में वितरण नही करते ? क्या राज्य सरकार उस औषधालय की जांच करवाकर दोषी वैद्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में स्वीकृत किये गये औषधालयों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) औषधालय में यद्यपि कुछ सीमा तक दवाओं की कहीं-कहीं कमी रहती है परन्तु औषधियों को ब्लैक किए जाने की कोई प्रमाणिक शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

पाली जिले के पोषाहार केन्द्र

53. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने पोषाहार केन्द्र कब से चल रहे हैं ? स्थानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त केन्द्रों पर प्रति माह कितने-कितने बालक एवं महिलाएँ लाभान्वित होते हैं ?

(3) क्या उक्त केन्द्रों पर समय पर सामग्री पहुंचाई जाती है ?

(4) प्रति बालक कितनी सामग्री दी जाती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले की बाल विकास परियोजनाओं में 488 आंगनबाडी केन्द्र चल रहे है । वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त केन्द्रों पर प्रति माह औसतन 23,139 बच्चें एवं 4093 महिलाऐं लाभान्वित होते हैं ।

(3) यथा संभव समय पर सामग्री पहुँचाई जाती है ।

(4) केयर की पोषाहार सामग्री की दर प्रति बालक प्रतिदिन 65 ग्राम सी. एस. वी. एवं 8 ग्राम एस. आयल है, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए प्रतिदिन 130 ग्राम सी. एस. एम/सी. एस. वी. एवं 16 ग्राम एस. आयल है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

प्रसाविकाओं की नियुक्ति हेतु पात्रता

54. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवा-रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रसाविकाओं की नियुक्ति हेतु अधीनस्थ सेवा नियमों में दसवीं पास एवं मिडिल पास प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त नियम कबसे लागू हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1990 में प्रारम्भ किये गये प्रशिक्षण के लिए मिडिल पास प्रत्याशियों का चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1990 में प्रारम्भ प्रशिक्षण के लिए किन-किन योग्यता धारी प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया तथा राजस्थानी कितनी लड़कियों का चयन किया गया ?

(4) उनमें राजस्थान के कितने व अन्य राज्यों के कितने प्रशिक्षणार्थी हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार पुनः मिडिल पास अभ्यर्थी को नियुक्ति की पात्र बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में प्रसाविकाओं की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का उद्धरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। उक्त नियमों में संशोधित प्रावधान दिनांक 3-6-82 से लागू किया गया है।

(3) प्रसाविकाओं को प्रशिक्षण राजस्थान नर्सेज मिडवाइव्ज, हैल्थ विजिटर एवं ए. एन. एम. रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा, प्रसाविकाओं के प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास होना अनिवार्य किया हुआ है। राज्य सरकार उक्त प्रावधान मानने के लिए बाध्य है परन्तु पूर्व में राजस्थान की मैट्रिक पास लड़कियों की उपलब्धता नहीं होने के कारण, मिडिल पास प्रत्याशियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। मिडिल पास लड़कियों की तकनीकी ज्ञान को समझने की क्षमता कम होने तथा मैट्रिक पास महिलाओं की उपलब्धता होने एवं स्वास्थ्य एवं नर्सिंग सेवाओं के स्तर में सुधार करने की दृष्टि से वर्ष 1990 से मिडिल पास प्रत्याशियों का चयन बंद कर दिया गया है।

वर्ष 1990 में केवल 10 वीं पास अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। राजस्थान की मूल निवासी 1251 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

(4) कुल चयनित 1465 अभ्यर्थियों में से राजस्थान की 1251 तथा अन्य प्रदेशों की 214 प्रशिक्षणार्थी हैं।

(5) जी नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 54 के भाग (1) की सूचना

1	2	3		4	5	6	7
				GROUP A-I (Health Side) (Combined Male and Female Cadres)			
3.	District Public Health Nurse	50%	50%	1. B. Sc. Nursing from a recognised Institution with one year service, as Health Supervisor (Block) (Female) 2. Health Supervisor (Block) (Female) with Diploma in public Health Nurse from a recognised Institution and 3 years' Service there-after.	Health Supervisor (Block) (Female)	5 years' Service as a Health Supervisor (Block) (Female)	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	Health Supervisor (Block) (Female)	— 100·/.	—	Health Supervisor (Sector) (Female)	5 years' experience tas Health Supervisor (Secor) (Female)	—
3.	Health Supervisor (Scctor) (Female)	— 100·/.	—	Health worker (Female)	7 years' service as Health worker (Female) with 6 months Training in Health Supervisor Course recognised by the Government.	—
4.	(a) Health Worker (Female)	100·/. —	VIII Standard with Auxiliary Nurse midwifery Training/ Health worker Female Course passed	—	—	Note:—(i) The designation of ANM has been changed as Health worker (Female)

Page No. 180

1	2	3	4	5	6	7
						(ii) 25% posts of Health workers Female) (Shall be filled by Nurse Dai till all Nurse Dai with VIII standard are absorbed, thereafter 100% by direct recruitment.

बलेश्वर व गणेश्वर (नीम का थाना) पर्यटन विकास

55. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1987–88 व 1988–89 में नीम का थाना के बलेश्वर व गणेश्वर स्थान का पर्यटन विकास के लिए चयन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्थानों के विकास हेतु अब तक कितना व्यय किया गया है ?

(2) उक्त स्थानों के पर्यटन विकास हेतु भविष्य में सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु वित्तीय साधनों के अभाव में इन स्थानों के विकास हेतु इन वर्षों में वित्तीय प्रावधान करना सम्भव नहीं हो सका था। अतः किसी प्रकार का व्यय नहीं हुआ। इन स्थानों के विकास हेतु वर्ष 1989–90 की वार्षिक योजनान्तर्गत 1.00 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की जाकर योजनानुसार गणेश्वर एवं बलेश्वर का पर्यटक स्थल के रूप में सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य किया जा चुका है।

(2) फिलहाल भविष्य के लिए इन स्थानों के विकास की ओर कोई योजना नहीं है।

बीसलपुर पेयजल योजना

56. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) एवं श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर पेयजल योजना वर्तमान गति से कब तक पूरी होने का लक्ष्य है ?

(2) पूर्व में इसको पूरा करने का कब का लक्ष्य था ?

(3) इस योजना से कौन-कौन से शहरों को कितना-कितना पानी उपलब्ध कराया जाएगा ?

(4) क्या बीसलपुर से आने वाली पाइप लाइन के दोनों ओर के निकटस्थ गांवों व कस्बों को भी इस योजना से भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) बीसलपुर योजना के जलप्रदाय सम्बन्धी कार्यों को वित्तीय वर्ष 1992–93 के अन्त तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

(2) पूर्व में इसे मार्च 1991 तक पूरा करने का लक्ष्य था।

(3) इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः अजमेर को 850, ब्यावर को 160, किशनगढ़ को 140, नसीराबाद एवं एम०ई०एस० को 120 तथा केकड़ी एवं सरवाड़ को 50 लाख लीटर प्रतिदिन जल उपलब्ध कराया जावेगा।

(4) जी हां, भविष्य में पाइप लाईन के निकट स्थित कस्बों एवं ग्रामों को इस योजना से लाभान्वित किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

भिनाय क्षेत्र में विद्युतिकरण

57. श्री सांवरलाल (भिनाय) :–क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय के कौन-कौन से गांव विद्युतिकरण योजना में शामिल नहीं हैं ?

(2) इन्हें कब तक विद्युतिकृत करने की भविष्य में योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय के सारे ग्राम विद्युतिकरण योजना में शामिल है।

(2) विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र भिनाय के शेष 17 ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में योजनामद में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

चूरू नगर का बस स्टेण्ड

58. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :–क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड उपयुक्त स्थान पर नहीं है ? यदि हां, तो बस स्टेण्ड बनाने में सरकार के सामने क्या दुविधा है ?

(2) क्या यह सही है कि सड़क के किनारे पर बस स्टेण्ड होने से वहां आये दिन गम्भीर दुर्घटनाएं होती हैं, एवं यात्रियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त बस स्टेण्ड कब तक बना दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बस स्टेण्ड हेतु काफी समय पूर्व से भूमि का अधिग्रहण सैनिक बस्ती के पास किया जा चुका है ? यदि हां, तो बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ तथा अब कब तक हो जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि चूरू तहसील में निगम द्वारा ग्रामीण बस सेवा बहुत कम प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो सरकार चूरू-सरदार शहर वाया पुलासर, चूरू-खण्डवा, चूरू-धांधू ग्रामीण सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) प्रदेश में कितने जिला मुख्यालय हैं जहां राज्य पथ परिवहन निगम के बस डिपो नहीं हैं ? चूरू जिला मुख्यालय के स्थान पर परिवहन निगम का डिपो सरदार शहर क्यों रखा गया है ?

(6) क्या सरकार चूरू जिला मुख्यालय पर बस डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ! यह सही है कि चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड उपयुक्त स्थान पर नहीं है। उपयुक्त स्थान पर स्टेण्ड बनाने के लिए

(श्री चुन्नी लाल इंदलिया)

सम्मावित व्यय का तकमीना तैयार कराया जा रहा है। पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर नये बस स्टेण्ट का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

(2) जी, वर्तमान बस स्टेण्ड सड़क के किनारे स्थित होने के कारण यात्रियों को असुविधा अवश्य होती है लेकिन निगम वाहनों से वहां कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है।

(3) जी हां। यह सही है कि भूमि का अधिग्रहण सैनिक बस्ती के पास किया जा चुका है। नये बस स्टेण्ड का निर्माण सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं हो पाया है। पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य सम्भव होगा।

(4) जी नहीं। यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है व साधनों के अभाव में इस मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

(5) प्रदेश में वर्तमान में निम्न जिला मुख्यालय ऐसे हैं, जहां पर निगम के बस डिपो स्थापित नहीं हैं :—1. जैसलमेर, 2. पाली, 3. सवाई माधोपुर, 4. चूरू। प्रारम्भ में चूरू जिले के जो मार्ग राष्ट्रीयकृत हुये थे उनमें से अधिकांश मार्ग सरदार शहर के समीपस्थ थे, अतः संचालनिक दृष्टि से उस समय सरदार शहर में ही निगम का डिपो खोला गया था।

(6) जी हां। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चूरू में आगार एवं कार्यशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय

59. श्री अमीनखां (शिव) :–क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने आयुर्वेद व यूनानी औषधालय हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में से कितनों में वैद्य या हकीम नहीं हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वैद्यों व हकीमों के रिक्त स्थानों को भरना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में कुल 3628 औषधालय संचालित हैं। जिलेवार संख्या सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। राज्य सरकार एवं विभाग की ओर से आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों के पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षित बेरोजगार

60. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) श्री रतनलाल (सहाड़ा) क्या :-नियोजन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में पिछले दस वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु पंजीकरण करवाया ?

(2) इनमें से कितने उच्च प्राथमिक से अधिस्नातक तक परीक्षा उत्तीर्ण तकनीकी योग्यता सम्पन्न व विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त हैं ? पंजीकृत श्रेणीवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने-कितने को, श्रेणीवार, रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(4) शेष बचे हुए बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले दस वर्षों में 11,78,206 शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु पंजीकरण करवाया।

(2) इनमें से 10,19,598 मैट्रिक से कम, 3,77,378 मैट्रिक, 4,55,251 हायर सैकण्डरी, 3,09,376 स्नातक, 36201 अधिस्नातक थे। 25445 आई०टी०आई० के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त थे। पंजीकृत श्रेणीवार संख्या की सूची निम्न प्रकार है:-

श्रेणी	संख्या
मैट्रिक	377378
हायर सैकण्डरी	455251
स्नातक	309376
स्नातकोत्तर	36201
आई०टी०आई०	25445

(3) उक्त बेरोजगारों में से 1,67,422 को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया। श्रेणीवार रोजगार पर लगे व्यक्तियों में 66,093 मैट्रिक से कम, 13,429 मैट्रिक, 40,243 हायर सैकण्डरी, 43106 स्नातक व 4551 अधिस्नातक थे।

(4) इन बेरोजगारों के लिए रिक्त स्थानों पर नाम सम्प्रेषित करने के अलावा स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा व्यावसायिक मार्ग-दर्शन एवं रोजगार मेलों का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाता है।

वैर तहसील में सड़क निर्माण

61. श्री रामप्रसाद (वैर) :-क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 व वर्ष 1985 में तहसील वैर के अधिकांश गांवों की सड़कें मन्जूर हो चुकी थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त मन्जूर शुदा सड़कों पर सरकार कब तक कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1980-81 में 8 सड़कें व 1985 में 2 सड़कें कुल 10 सड़कों के कार्य स्वीकृत हुए थे।

(2) इन सभी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं 10 में से 4 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका, 5 सड़कों का कार्य प्रगति पर है तथा एक सड़क की स्वीकृति निष्क्रिय हो चुकी है। सूची संलग्न है।

बैर तहसील में 1980–81 एवं 1984–85 में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि. मी.	स्वीकृति दिनांक	राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	मई, 1990 तक व्यय (लाखों में)	कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	बजट प्रस्ताव 1990–91
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वर्ष 1980–81 में स्वीकृत सड़कें							
1.	मूसावर से रणधीरगढ	4.60	21-10-1980	8.00	जुलाई, 1985	8.67	पूर्ण	—
2.	हलेना से नदबई	13.00	21-10-1980	20.00	अक्टूबर, 1986	23.85	पूर्ण	—
3.	मूसावर से नयागांव	4.00	21-10-1980	10.00	मार्च, 1987	9.12	पूर्ण	—
4.	मूसावर से देवली	3.80	2 -10-1980	10.00	मई, 1989	8.76	पूर्ण	—
5.	बैर से हलेना	12.00	21-10-1980	23.60	—	23.26	दिसम्बर, 90	1.00
6.	वल्लभगढ से हतौडी	5.00	21-10-1980	10.24	—	5.22	मार्च, 1991	4.00
7.	हलेना से खेडली	15.00	21-10-1980	17.35	—	18.99	मार्च, 1991	1.00
8.	जगजीवनपुरा से टुंडपुरा	1.60	26-06-1981	3.00	—	—	—	कार्य शुरू नहीं हुआ एवं 1982 से बजट में प्रावधान नहीं है
	वर्ष 1984–85 में स्वीकृत सड़कें							
9.	मूसावर से इटामडा	2.25	14-06-1984	4.50	—	1.22	मार्च, 1991	2.25
10.	रणधीरगढ से पालनहेडा	1.50	14-06-1984	3.00	—	0.03	अक्टूबर, 1990	1.00

186

राणा सांगा समाधि-स्थल बसवा (जयपुर)

62. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1979-80 में बसवा स्थित राणा सांगा समाधि स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो उक्त स्थल को अब तक पर्यटक स्थल नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं । विभाग में किसी स्थान विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

आई. सी. डी. एस. की दुर्घटनाग्रस्त जीप

63. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवराय पाटन):—क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह जुलाई 1985 में आई. सी. डी. एस. की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त होकर चकनाचूर हो गयी थी ? यदि हां, तो इस हादसा का समय, दिनांक, स्थान एवं कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या दुर्घटना स्थल सी. डी. पी. ओ. अलवर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता था ? यदि नहीं, तो किन कारणों से गाड़ी चूरू जिले में पहुंची ? क्या बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के सरकारी वाहन बाहर गया ? यदि हां, तो क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस दुर्घटना से हुए नुकसान के लिये तत्कालीन सी. डी. पी. ओ. अलवर जिम्मेदार थी ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या जीप की क्षतिपूर्ति के लिये उनसे राशि की वसूली की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । आई. सी. डी. एस. अलवर की जीप संख्या आर. एन. एच. 4394 दिनांक 13.7.85 को रात के करीब 11 बजे सादूलपुर लुहारू रेलवे लाईन हमीरवास के पास ग्राम भोजाण पर रेल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई । विवरण सदन की पटल पर रख दिया है ।

(2) जी नहीं । जीप के ड्राईवर द्वारा अनाधिकृत रूप से चूरू जिले में ले जाई गई । जी हां । अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी । क्योंकि वाहन चालक द्वारा स्वयं ही अनाधिकृत रूप से कार्य किया गया था । जिसके विरूद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । जी नहीं, क्योंकि परियोजना अधिकारी का कोई दोष नहीं पाया गया ।

जयपुर एस. एम. एस. अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के आपरेशन

64. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) एवं **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना):-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामकरणसिंह)

(1) गत वर्ष जयपुर में कितने व्यक्तियों को दुर्घटना के बाद एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया गया ?

(2) इनमें से कितने मरीजों को तुरन्त आपरेशन की जरूरत रही ? इनमें से कितने मरीजों का तुरन्त आपरेशन किया गया तथा कितनों का विलम्ब से आपरेशन हुआ और क्यों ?

(3) विलम्ब से किये गये आपरेशनों में कितने मरीजों के इन्फेक्शन हो जाने के कारण हाथ या पैर काटने पड़े ?

(4) यदि विलम्ब से आपरेशन के कारण हुए इन्फेक्शन से मरीजों को अपंग होना पड़ा तो क्या विलम्ब से आपरेशन करने वाले डाक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार भविष्य में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का तुरन्त सही आपरेशन हो इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

(6) क्या सरकार की जानकारी में है कि एस. एम. एस. अस्पताल में आजकल जरूरी आपरेशन के लिये रूई व पट्टी तक मरीजों को लानी पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिये क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 1989 (जनवरी–89 से दिसम्बर–89) में दुर्घटना के बाद एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर में कुल 5062 भर्ती हुए है।

(2) मरीजों का आपरेशन चिकित्सकों के विवेक व बीमार की स्थिति पर निर्भर करता है। जिन मरीजों को तुरन्त आपरेशन की आवश्यकता हो उनका तुरन्त आपरेशन किया गया है।

(3) गत वर्ष दुर्घटना के कारण भर्ती हुए मरीजों का विलम्ब से आपरेशन के कारण हाथ या पैर काटने का कोई केस नहीं है।

(4) इसकी आवश्यकता ही नहीं थी।

(5) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का सही और समय पर ही आपरेशन किया जाता है।

(6) अन्तरंग विभागों में भर्ती मरीजों की रोजमर्रा की देखभाल, आपरेशनों की अधिकता एवं दुर्घटना जनित आकस्मिक आपरेशनों की मांग के कारण जब कभी आवश्यक गाज, बेण्डेज, काटन आदि की आवश्यकता होती है तो एकमात्र विकल्प यही रहता है कि मरीज के सम्बन्धियों को यह सामान लाने को कहा जाता है।

बालोतरा के आवंटियों को जमा राशि की वापसी

65. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा स्थित आवासन मण्डल के अनेक आवंटियों ने नियमानुसार अपनी जमा राशि वापिस चाही है ? ऐसे कुल कितने मामले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक कुल कितने मामलों में राशि लौटायी जा चुकी है और अब

(श्री चम्पालाल बोंठिया)

कितने मामले राशि वापिस लौटाने हेतु लम्बित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिन आवंटियों ने नियमानुसार अपनी जमाराशि वापिस चाही है उनसे रकम भरपायी की रसीदें बोर्ड द्वारा वापिस ले ली गई है ? ऐसे आवंटियों को सरकार कब तक उनकी जमा रकम आंवटन रद्द करने पर वापिस लौटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के मकानों के लिए बालोतरा में भूमि अवाप्ति में अधिक राशि का भुगतान किया गया, भवन निर्माण के स्थान का चयन गलत किया गया, घटिया निर्माण कार्य कराया गया एवं अलाटमेंट के लिए जब प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे उस समय जो सुविधायें दिये जाने का वादा किया गया था, बाद में उन सुविधाओं में कटौती कर दी गई जिसके कारण ही उपरोक्त स्थिति पैदा हुई ? सरकार उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ऐसे कुल 211 मामले हैं। सूची परिशिष्ठ 'अ' सदन की पटल पर रख दी गई हैं।

(2) अब तक 61 आवंटियों को नियमानुसार राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। 148 मामले लम्बित है।

(3) जी, हां। मकानों का निर्माण आवेदकों के पंजीकरण कराने के पश्चात् योजना बनाकर किया गया था इसलिये मकान निर्माण के पश्चात् जमा राशि लौटाने पर मण्डल को नुकसान होता। संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 28, 29–5–90 में निर्णय लिया गया कि आवंटियों को नोटिस दिया जावें कि वे आवश्यक शेष राशि जमा कराकर मकान का कब्जा ले लें, अन्यथा उन्हें आवंटित मकान नीलाम कर दिये जावेंगे और यदि नीलामी से प्राप्त राशि निर्माण लागत से कम आई तो मण्डल को होने वाले नुकसान की भरपाई आवेदकों की जमा राशि से समायोजित कर ली जावेगी एवं शेष राशि यदि कोई हो तो लोटा दी जावेगी। ऐसी स्थिति में जमा रकम लौटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(4) जी, नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सूरतगढ़ तहसील के गांवों का विद्युतिकरण

66. श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़):– क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसील सूरतगढ़ के मोकलसर, देईदासपुरा, मालेर आदि पंचायतों के तहत आने वाले गांवो का विद्युतिकरण करने हेतु सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया गया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त ग्राम कब तक विद्युतिकृत करवा दिये जायेंगे ?

(3) यदि नहीं, तो सरकार कब तक सर्वे करवाकर विद्युतिकरण की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) अब तक सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र का जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें मालेर ग्राम पंचायत के 7 ग्राम विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में स्वीकृत हैं। मोकलसर एवं देईदासपुरा पंचायत क्षेत्रों के ग्रामों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

(2) मालेर ग्राम पंचायत के 7 स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य सरकार द्वारा घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमानुसार किया जा सकेगा।

(3) सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 100 ग्राम विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में स्वीकृत हैं। इन ग्रामों के विद्युतीकृत होने पर इस क्षेत्र के बाकी ग्रामों के सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा सकेगी।

जयपुर–दौसा मार्ग पर बस सेवा

67. **श्री हजारीलाल (खेतड़ी) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद):–क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर–दौसा मार्ग पर कितनी साधारण बस सेवायें संचालित की जा रही हैं? वाहन व समयवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इन बसों में स्थानीय बस स्टेण्डों से सवारियां ली जा रही है?

उत्तर

निगम द्वारा जयपुर से दौसा मार्ग पर वर्तमान में 32 नियमित परिचक्र एवं 6 अतिरिक्त परिचक्र, कुल 38 परिचक्र साधारण बस सेवाओं के रूप में दैनिक संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी बसों में मार्ग के बीच में स्थित स्थानीय बस स्टेण्डों से सवारियां ली जा रही हैं। उक्त वाहनों का समयवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–1)

(190)

परिशिष्ट-1.

जयपुर से दौसा मार्ग पर संचालित साधारण बस सेवाओं की समय सारिणी जो मार्ग में स्थित बस स्टेण्डों से सवारियां लेती/उतारती हैं।

क्र. सं.	घाटगेट से प्रस्थान	दौसा पहुँच	क्र सं.	दौसा से प्रस्थान	घाटगेट पहुँच
1	2	3	1	2	3
1.	0730	0915	1.	0630	0800
2.	0930	1115	2.	0700	0830
3.	1015	1200	3.	0800	0930
4.	1115	1300	4.	0815	0945
5.	1145	1330	5.	0830	1000
6.	1215	1400	6.	0855	1015
7.	1245	1415	7.	0915	1045
8.	1345	1530	8.	1030	1200
9.	1430	1615	9.	1130	1300
10.	1500	1645	10.	1200	1330
11.	1545	1700	11.	1345	1515
12.	1615	1800	12.	1430	1600
13.	1715	1900	13.	1515	1630
14.	1810	1955	14.	1600	1730
15.	1900	2015	15.	1645	1800
16.	2000	2130	16.	1745	1915
17.	कोई निश्चित समय		17.	कोई निश्चित समय नहीं यात्री	
18.	नहीं यात्री उपलब्धता		18.	उपलब्धता के अनुसार अति-	
19.	के अनुसार अतिरिक्त परिचक्रों के रूप में संचालित।		19.	रिक्त परिचक्रों के रूप में संचालित।	

राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड की डिग्रियां

68. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना):–क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्रियों में डी. एच.एम.एस. (नयी) योग्यता भारत सरकार की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है ?

(2) यदि हां, तो बोर्ड किस आधार पर डिप्लोमाधारी चिकित्सकों का पंजीकरण कर रहा है ?

(3) मान्यता प्राप्त योग्यता न होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा उक्त योग्यताधारी कितने चिकित्सकों की नियुक्ति राज्य सेवा में की गई व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड द्वारा प्रदत्त डी. एच. एम. एस. केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद अधिनियम 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हैं।

(2) डी. एच. एम. एस. डिप्लोमा केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1973 की द्वितीय सूची में सम्मिलित होने के फलस्वरुप इस योग्यताधारियों के पंजीकरण बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं।

(3) किसी भी ऐसे चिकित्सक की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है जो मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखता हो।

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

परिशिष्ट "क"

अकाल राहत जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र सं.	नाम श्रमिकरण	कुल स्वीकृत कार्य 31-5-90 तक		तहसीलवार स्वीकृत कार्य एवं प्रस्तावित श्रमिक संख्या													
				बाड़मेर		शिव		चौहटन		सिवाना		पचपदरा		गुड़ामालानी		बायतु	
		कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक	कार्य	श्रमिक
1.	सा. नि. वि., बाड़मेर	7	970	4	800	3	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	,, ,, बालोतरा	26	5080	—	—	—	—	—	—	11	2130	11	2010	—	—	4	940
3.	भू-सरक्षण विभाग	18	1300	3	190	6	300	—	—	—	—	9	900	—	—	—	—
4.	सिंचाई विभाग	8	1980	—	—	1	400	—	—	3	900	2	400	2	280	—	—
5.	कृषि विपणन बोर्ड	1	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	200	—	—
6.	राजस्व एजेन्सी	1500	900	125	1250	73	730	654	6540	67	670	110	1100	471	4710	—	—
	योग :–	1560	4620	132	2240	83	1600	654	6540	81	3700	132	4410	474	5190	4	940

ह०

जिला कलक्टर (सहायता)

बाड़मेर

प्रपत्र "ख"

तहसीलवार स्वीकृत कार्य, चालु कार्य एवं कार्यरत श्रमिकों/अनु. जाति/जनजाति का विवरण

तहसील	स्वीकृत कार्य	चालू कार्य	कार्यरत श्रमिक	अनु. जाति/ जनजाति श्रमिक
जैसलमेर	234	191	3759	459
पोकरण	109	74	2441	321
योग :–	343	245	6200	780

परिशिष्ट "ग"

अकाल राहत जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत किये गये कार्यों में से चालू किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम अभिकरण	कुल स्वीकृत कार्य	तहसीलवार चालू कार्यों का विवरण							योग चालू कार्य
			बाड़मेर	शिव	चौहटन	सिवाना	पचपदरा	गुडामालानी	बायतु	
1.	सा. नि. वि., बाड़मेर	7	4	3	–	–	–	–	–	7
2.	सा. नि. वि., बालोतरा	26	–	–	–	8	9	–	–	17
3.	भू संरक्षण विभाग	18	1	6	–	–	8	–	2	17
4.	सिंचाई विभाग	8	–	1	–	3	2	2	–	8
5.	राजस्व एजेन्सी	1500	–	51	491	17	30	406	–	995
6.	कृषि विपणन बोर्ड	1	–	–	–	–	–	1	–	1
	योग :—	1560	5	61	491	28	49	409	2	1045

ह०
जिला कलक्टर (सहायता)
बाड़मेर

प्रपत्र "घ"

तहसीलवार स्वीकृत कार्य, चालू कार्य एवं कार्यरत श्रमिकों/अनु. जाति/जनजाति का विवरण

तहसील	स्वीकृत कार्य	चालू कार्य	कार्यरत श्रमिक	अनु. जाति/जनजाति श्रमिक
जैसलमेर	234	171	3759	459
पोकरण	109	74	2441	321
योग :–	343	245	6200	780

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु 03)

क्रमांक प. 5 (31) प्र. सु. 3/88 जयपुर, दिनांक 29 सितम्बर, 1988

—: आज्ञा :—

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के लिये राज्य स्तर पर निम्नानुसार एक स्थाई अन्तर्विभागीय समन्वय समिति के गठन की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	मंत्री, महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।	सदस्य
3.	शासन सचिव, शिक्षा विभाग ।	सदस्य
4.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।	सदस्य
5.	शासन सचिव, कृषि विभाग ।	सदस्य
6.	विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग ।	सदस्य
7.	मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर	सदस्य
9.	अध्यक्ष बाल कल्याण राज्य परिषद् (Scale Councel for Child Welfore) जयपुर	सदस्य
10.	दो गैर सरकारी सदस्य (Non officials) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
11.	निदेशक, महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग ।	सदस्य सचिव

इस समिति का प्रशासनिक विभाग, महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग होगा ।

आज्ञा से

हस्ताक्षर

(वी. पी. सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त सदस्य (महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग के माध्यम से)
2. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
3. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ।
5. निदेशक, महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग को उनके पत्र क्रमांक 420/पीए/डी डब्लू सी एन/दिनांक 22-9-88 के क्रम में आज्ञा की 25 प्रतियां सदस्यों के विवरण हेतु संलग्न कर भेजी जाती है ।
6. प्रशासनिक सुधार (अनु. 7) विभाग को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
7. रक्षित पत्रावली/पत्रा. सं. प. 13 (5) डब्लू.सी एन/88-89

ह.
अनुभागाधिकारी

नोट :—समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार कृपया महिला, बच्चे एवं पोषाहार विभाग से ही करें ।

परिशिष्ट "क"
(राशि लाखों में)

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची

(तहसील फागी के अपूर्ण अकाल राहत कार्यों का विवरण)

क.सं.	कार्य का नाम	तहसील	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अनुमानित आवश्यक धन राशि			स्वीकृति का क्र० व दिनांक	
			श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग		
1.	मंडावरी	फागी	1.20	0.80	2.00	1.10	0.65	1.75	2.00	6.00	8.00	3326-48	23-7-87
2.	निमेडा	,,	1.40	0.60	2.00	5.03	8.60	13.63	2.50	7.50	10.00	2052	10-287
3.	मंडोर	,,	1.20	0.80	2.00	1.29	1.70	2.89	2.00	6.00	8.00	3326-48	23-7-87
4.	जावड	,,	3.00	1.00	4.00	2.42	0.67	3.09	2.50	7.50	10.00	17558	22-9-87
5.	लदाना	,,	3.00	1.00	4.00	4.19	4.03	8.22	2.00	6.00	8.00	8098	19-10-87
6.	छापरी	,,	3.00	1.00	4.00	1.72	0.33	2.05	1.50	4.50	6.00	8098	19-10-87
			12.80	5.20	18.00	15.75	15.98	31.73	12.50	3750	50.00		

ह.
अधिशाषी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड प्रथम, जयपुर

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

विधान सभा केकड़ी क्षेत्र के प्रभाव ग्रस्त गांवों की सूची

क्र.सं.	तहसील	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गांव का नाम
1	2	3	4	5
1.	सरवाड़	नगर परिषद सीमा	—	सरवाड़
2.	"	अराई	रामपाली	अजगरी
3.	"	"	"	डोराई
4.	"	"	"	सूरजपुरा
5.	"	"	"	प्रतापपुरा
6.	"	"	"	चण्डाली
7.	"	"	"	गुन्दाली
8.	"	"	"	रामपाली
9.	"	"	"	बीलियां
10.	"	"	सूपां	श्यामपुरा
11.	"	"	"	गोपालपुरा
12.	"	"	"	कल्याणीपुरा
13.	"	"	"	जालियां
14.	"	"	"	खेड़ी
15.	"	"	भगवानपुरा	भगवानपुरा
16.	"	"	"	चकवा
17.	"	"	"	ताजपुरा
18.	"	"	"	ईरनिया
19.	"	"	"	जगपुरा
20.	"	"	"	चकवी
21.	"	"	"	मीयां

(200)

1	2	3	4	5
22.	सरवाड़	नगर परिषद् सीमा अटाई	भगवानपुरा	छापरी
23.	केकड़ी	भिनाय	केरोंट	केरोंट
24.	,,	,,	बड़गांव	बड़गांव
25.	,,	,,	,,	केरिया खुर्द
26.	,,	,,	,,	रघुनाथपुरा
27.	,,	,,	बूबकिया	बूबकिया
28.	,,	,,	,,	सोलखुर्द
29.	,,	,,	,,	रेगा
30.	,,	,,	,,	पीपलिया

ह.

कलक्टर (सहायता),
अजमेर

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्वीकृत किये गये अकाल जवाहर–रोजगार योजनान्तर्गत कार्यों की सूची

क्र.सं.	तहसील	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों)
1.	सरवाड़	अराई	रामपाली	रामपाली	सार्व. पनघट को गहरा कराना	0.04
2.	,,	,,	,,	अजगरी	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
3.	,,	,,	,,	बीलिया	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
4.	,,	,,	,,	,,	सार्व. तालाब, बीलिया	0.50
5.	,,	,,	,,	चण्डाली	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
6.	,,	,,	सूपा	गोपालपुरा	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
7.	,,	,,	,,	जालियां	गोपालसागर, जालियां	1.00
8.	,,	,,	,,	,,	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
9.	,,	,,	,,	खेड़ी	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
10.	,,	,,	भगवानपुरा	भगवानपुरा	भवानी सागर	1.00
11.	,,	,,	,,	,,	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
12.	,,	,,	,,	चकवा	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
13.	,,	,,	,,	ताजपुरा	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
14.	,,	,,	,,	चकवी	सार्व. तालाब, चकवी	0.50
15.	केकड़ी	भिनाय	केरोंट	केरोंट-नांदसी	केरोंट-नांदसी सड़क	1.00
16.	,,	,,	,,	केरोंट	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.04
17.	,,	,,	बड़गांव	बड़गांव	बड़ा तालाब, बड़गांव	0.40
18.	,,	,,	,,	रघुनाथपुरा	सार्व. कुएं को गहरा कराना	0.40
19.	,,	,,	बूबकिया	बूबकिया	बड़ा तालाब	0.27
20.	,,	,,	,,	रेण	रेण घाटी के राममालिया सड़क	1.08
21.	,,	,,	,,	,,	रेण एनिकट	1.00
22.	,,	,,	,,	सोलखुर्द	नया तालाब, सोलखुर्द	0.25
					योग	7.48

ह.
कलक्टर (सहायता)
अजमेर

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूच

कार्यालय नगर न्यास विकास, अलवर

अध्यक्ष एवं सचिव के निवास एवं कार्यालय के टेलीफोन पर वर्षवार व्यय का विवरण।

वर्ष 1987–88 टेलीफोन संख्या

			22497	22295	22422
क्र.सं.	वाउचर संख्या	दिनांक	अध्यक्ष एवं सचिव कार्यालय	अध्यक्ष निवास	सचिव निवास
1	2	3	4	5	6
1.	255	22-4-87	—	5922–20	3847-60
2.	592	14-5-87	8488-10	—	—
3.	1040	25-6-87	—	—	4406-00
4.	1042	25-6-87	—	4408-00	—
5.	1061	26-6-87	4480	—	—
6.	1271	15-7-87	—	—	4256-60
7.	1272	,,	—	3318-40	—
8.	1756	25-8-87	—	—	3548-00
9.	1760	,,	—	3944-00	—
10.	1912	29-9-87	4225-00	—	—
11.	2241	30-10-87	—	—	3667-00
12.	2242	,,	—	7740-00	—
13.	2288	4-11-87	3391-00	—	—
14.	2667	19-12-87	—	—	5408-00
15.	2672	,,	—	7116-00	—
16.	2713	22-12-87	2563-00	—	—
17.	3350	25-2-88	—	1419-00	—
18.	3351	,,	2069-00	—	—
19.	3352	,,	—	—	7746-00
		कुल योग	25,216-16	28,467-60	32,879-20

ह.

निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं

सचिव, नगर विकास न्यास,

अलवर

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

वर्ष 1988-89 टेलीफोन संख्या

क्र. सं.	वाउचर सं.	दिनांक	22497 अध्यक्ष एवं सचिव	22295 अध्यक्ष निवास	22422 सचिव निवास
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	284	26.4.88	—	—	763–50
2.	286	,,	—	2096–50	—
3.	288	,,	3869–50	—	—
4.	805	29·6·88	—	—	2923–00
5.	855	4·7·88	2973–00	—	—
6.	856	,,	—	—	—
7.	1496	9·9·88	—	—	2782–00
8.	1705	6·10·88	—	13040–00	—
9.	2026	3·11·88	—	—	314–00
10.	2027	,,	7325–00	—	—
11.	2028	,,	—	5944–00	—
12.	2171	17·11·88	—	—	3130–00
13.	2569	26·12·88	—	600–00	—
14.	2676	4·1·89	6228–00	—	—
15.	2678	,,	—	5353–00	—
16.	2679	,,	—	—	1892–00
17.	2891	18·2·89	7469–00	—	—
18.	3009	2·3·89	—	—	1728–00
19.	3348	28·3·89	—	4530–00	
		कुल योग :–	27,864–50	33,710–50	13,532–50

ह०

निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव नगर विकास न्यास,
अलवर

२०४

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

वर्ष 1989–90

क्र. सं. 1.	वाउचर सं. 2.	दिनांक 3.	22497 अध्यक्ष एवं सचिव कार्यालय 4.	22295 अध्यक्ष निवास 5.	22422 सचिव निवास 6,
1.	283	26·4·89	—	—	1632–00
2.	285	,,	—	3764–00	—
3.	672	25·5·89	6992–00	—	—
4.	1130	26·6·89	4902–00	—	—
5.	1133	26·6·89	—	3000–00	—
6.	1280	6·7·89	—	3500–00	—
7.	1961	11·9·89	—	14049–00	—
8.	1965	,,	—	—	8075–00
9.	2581	1·11·89	6405–00	—	—
10.	2583	,,	—	8065–00	—
11.	2902	6·12·89	4808–00	—	—
12.	3193	4·1·90	—	—	4452–00
13.	3293	10·1·90	5128–00	—	—
14.	8294	,,	—	4250–00	—
15.	3965	7·3·90	9673–00	—	—
16.	2967	,,	—	—	2763–00
17.	3977	,,	—	—	5918–00
18.	3984	8·3·90	—	4008–08	—
		कुल योग:—	37,908–00	40,636–00	22,840–00

वृहत-योगः—

वर्ष 1987–88	25,216–10	28,467–60	32,879–50
,, 1988–89	27,864–50	33,710–50	13,532–50
,, 1989–90	37,908–00	40,636–00	22,840–00
	90,988–60	1,02,814–10	69,251–70

निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव नगर विकास न्यास,
अलवर

परिशिष्ठ-7

अतरांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक–एम-19 (37) न वि आ/87 दिनांक 14.3.89

आदेश

यत: राज्य सरकार का समाधान हो गया है, महाराजा श्री गजसिंह जोधपुर की भूमि जो नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आने वाली जोधपुर के नगरीय संकुलन में स्थित है उसको विक्रय हेतु उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के उपबन्धों से छूट दिया जाना लोकहित में समीचीन है।

अत: नगर (अधिकतम सीमा एवं विनिमयन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा आदेश देती है कि भूमि जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अध्याय-3 के उपबन्धों से छूट दी जाती है :—

(1) यह कि भूमि का उपयोग सिनेमा प्रयोजनार्थ ही किया जावेगा।

(2) यह कि भूमि के बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उससे सर्वप्रथम आयकर विभाग की बकाया राशि जमा करायी जायेगी।

(3) राज्य सरकार की बकाया देनदारी (जो भी हो) का भुगतान किया जावेगा।

(4) बेचान की प्रक्रिया में जिला कलेक्टर जोधपुर अथवा उनका प्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहेगा।

(5) यह कि छूट आदेश की किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा (20) (2) के तहत छूट आदेश वापिस ले सकेगी।

भूमि का विवरण जिसकी छूट दी गयी

भूमि धारी का नाम	भूमि जहां स्थित है	धारित भूमि का क्षेत्रफल	भूमि जिसकी छूट दी गयी
महाराजा श्री गजसिंह जोधपुर।	ओलम्पिक सिनेमा, जोधपुर	7,204 वर्गमीटर मय भवन के	7,204 वर्गमीटर मय भवन के।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.

(पी. डी. पालीवाल)

उपशासन सचिव

206

प्रतिलिपि :—

(1) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर। कृपया इस आदेश को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करावें।

(2) जिला कलक्टर, जोधपुर।

(3) निदेशक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान जयपुर।

(4) सक्षम अधिकारी, नगर भूमि सीमा विभाग, जोधपुर।

(5) सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर।

(6) सहायक आयुक्त, आयकर विभाग, सेन्टर सर्किल जोधपुर।

(7) महाराजा श्री गजसिंह, जोधपुर उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर।

(8) रक्षित पत्रावली।

ह०

उपविधि परामर्शी

राजस्थान-सरकार

कार्यालय अति. निदेशक एवं सक्षम अधिकारी, जोधपुर मुख्या. बीकानेर

क्रमांक :—अति/सीलिंग/जो./31 दिनांक 19-4-89

मैनेजिंग डाइरेक्टर,
जोधान रियल एस्टेट डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.
जोधपुर (राज.)

विषय :—जवाहरखाना भवन जोधपुर के हस्तांतरण बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-4-89 के सन्दर्भ में जवाहर खाना भवन का मौका निरिक्षण किया गया । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमें भी एवं मौका के निरीक्षण से स्पष्ट है कि इस सम्पत्ति में कोई खुली भूमि नहीं है । इसका कुल क्षेत्रफल 836 वर्ग मीटर है और उस पर पूरे पर भवन बना हुआ है । इस सम्बन्ध में अधिवक्ता श्री नन्दलाल बिस्सा द्वारा की गई बहस सुनी गई । पूर्णतया निर्मित भवन नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावी नहीं हैं । अतः इस कार्यालय का पूर्ण पत्र क्रमांक 1650 दि. 24-3-89 विचाराधीन, पूर्णतया निर्मित सम्पत्ति जवाहर खानें पर लागू नही होगा । चूंकि धारा27 (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 934 द्वारा निरस्त की जा चुकी है । अतः उक्त निर्णय सहित ए. आई. आर. 1982 एम पी 49 के प्रकाश में जवाहरखाने की पूर्ण निर्मित सम्पत्ति जिसका 836 व. मीटर क्षेत्रफल हैं, को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है ।

ह./-

अति. निदेशक एवं सक्षम अधिकारी
नगर भूमि सीमा विभाग, बीकानेर/जोधपुर
मुख्या. बीकानेर ।

२०८

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From :
The Addl. Secy to Government,
Public, Works Department,
Rajasthan,
JAIPUR.

To :
The Chief Engineer (Road-I),
P.W.D., Rajasthan,
JAIPUR.

No. F. 2 (37) PW)/AS/89

Dated 21.10.1989.

Sup :—Sanction for construction new road works in Rajasthan under Minimum-Needs. Programme during the year 1989-90

Sir,

I am directed to convey administrative & financial sanction of the Governer for construction of new road work in various districts of Rajasthan at an estimated cost of Rs. 459.60 lacs as per details contained in the enclosed statement under Minimum Needs programme.

The expenditure will be charged to the Budget Head "5054-Capital Outlay on Roads & Bridges S-04-Distt. & Other Roads 010-Minimum Needs Programme (1) Distt. Roads (Plan)", and expenditure shall be restricted within the over-all plan ceiling of road sector during the year 1989-90 and subsequent years,

This issues with the concurrence of Planning & Finance (Exp.III) Departments vide their I. D. No. 721 dt. 7.10.1989 and 3080 dated 21.10.1989 respectively.

Your faithfully

Encl :—As above

A. K. JAIN
DY. SECY. (WORKS) P.W.D.

Extract copy to enclosure of letter No.F.2(37) PW/AS/89/dated 21.10.89.

S. No.	Name of Road	Length in K.M.	Estimated Cost in lacs.	Job No.
28	M/L Barisadri to Dungla (SH.15).	6.5	15.00	250/5054/MNP/P/89-90

(210)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार	जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार	डामर सड़क से गांव को जोड़ने के लिये सड़क की लम्बाई किमी.	डामर सड़क से गांव को जोड़ने के लिये सड़क की अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1		2	3	4	5
1.	पप्तासर	640	979	21	31.50
2.	बनियावास	357	386	23	34.50
3.	परालिया धामट	188	272	14	21.00
4.	मंडावास	14	147	5	7.50
5.	चक चारणान	187	250	10	20.00
6.	बगिया चारणान	8	10	10	20.00
7.	गोलिया बिंदा	65	124	10	20.00
8.	बामसीन	37	104	3	6.00
9.	सोमावास	8	60	3	6.00
10.	वरिया वरेचा	382	544	7	14.00
11.	रेवाड़ा ग्रासियान	28	77	3	6.00
12.	ग्राकली	99	272	9	18.00
13.	मोहनपुरा	339	535	10	20.00
14.	मिन्डाकुग्रा	293	338	6	12.00
15.	नीम्बाखेड़ा	19	26	5	10.00
16.	ग्रसरावा चौहान	478	694	2	4.00
17.	हलिया	101	182	10	20.00
18.	धरमसर	236	328	8	12.00
19	बागलोप	283	368	2	4.00
20.	घड़ोई सोढ़ा	—	—	1	2.00
					ग्राबादी विहीन गांव
21.	ग्रलचेरी	—	—	3	6.00

1	2	3	4	5	6
22.	सीतली	141	185	4	6.00
23.	मेकरना	167	193	7	14.00
24.	झालामलिया	169	297	11	16.50
25.	चक उतरनी	57	94	22	33.00
26.	मालदेता	198	285	17	25.50
27.	चक सन्तरा	247	337	20	30.00
28.	चैनपुरा	423	497	24	36.00
29.	लेगों की ढाणी	94	128	12	18.00
30.	सूतलों	149	185	5	10.00
31.	झूड़	462	547	10	20.00
				295	503.50

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या को 64 सूची

परिशिष्ट "क"

इस निर्माण कार्य में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कोष में 25, 000/= रु. पच्चीस हजार रुपयों का सहयोग मिला बकाया राशि चंदे से एकत्रित की गई 1000/= रु. एक हजार से ऊपर का दान देने वालों की नामावली निम्न प्रकार है :—

5001 रु. श्री नारायण दत्तजी व्यास

5001 रु. श्री प्रमृत भाई मेहता

2000 रु. श्रीमती चिमनी बाई

1501 रु. श्रीमती मोहन बाई,

1551 रु. हाजी मु० इष्याागजजी

1000 रु. राणावत सा. कर्णसिंह जी

1501 रु. श्री परशुराम स्वर्णकार

1001 रु. श्री विजय सिंह पोखरणा

1001 रु. श्री मोहन लाल हीरालाल लखारा

1001 रु. श्री मांगी लाल जी पोखरणा

1001 रु. श्री फतहरामजी चौधरी

3000 रु. श्री नरेन्द्र कुमार जी महेन्द्र कुमार जी मानावत

1001 रु. श्री ललित कुमार जी गोराजी

200 रु. पी. एस. लूंकड़ चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई

2001 रु. श्री मेगराज जी दक

1001 रु. श्री शान्ति चन्द बाबेल

लोक कला मण्डल, उदयपुर का कार्यक्रम रखा गया उससे 7625/= रु. का सहयोग मिला। बकाया राशि 11/,-21/-,51/-, 101/- रु. से रुपया 1000/= तक दानदाताओं से प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया गया।

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची :—

राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाएं

1. जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा संचालित पुस्तकालय तथा पत्रकार कक्ष का उपयोग ।
2. पत्रकार सम्मेलनों एवं अन्य राजकीय समारोहों में जहाँ के लिये उन्हें निमंत्रण भेजा जाए उपस्थिति ।
3. टेलीफोन उपलब्ध कराने की यथावश्यकता सिफारिश ।
4. विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल को यात्रा सुविधा ।
5. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना सामग्री, फोटोज, प्रकाशन आदि उपलब्ध कराना ।
6. मंत्री एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं फोटोग्राफ आदि लेना ।
7. कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर घूमने की सुविधा की सिफारिश ।
8. राजस्थान पथ परिवहन निगम की साधारण, डीलक्स एवं सुपर डीलक्स एवं सुपर डीलक्स बसों में निः शुल्क यात्रा करने की सुविधा ।
9. डाक बंगलों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा ।
10. राजस्थान आवासन मंडल के मकानों के लिये ढाई प्रतिशत का विशेष कोटे में से आवंटन ।
11. रियायती दरों पर केवल राजधानी के मुख्यालय पर स्थित अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेल यात्रा की सुविधा ।
12. पत्रकारों के कल्याण के लिये "पत्रकार कल्याण कोष" की स्थापना की हुई है ।

214

परिशिष्ट-12

अतरांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

सीवरेज योजना के वर्षवार खर्चे का विवरण

अनुमानित लागत : 148 लाख

तकनीकी स्वीकृति की लागत : 133 लाख

वर्ष	खर्च की गई धनराशि (लाखों में)
मार्च 81 तक	62.84
81-82	13.23
82-83	21.76
83-84	21.84
84-85	19.30
85-86	0.66
86-87	(.66
	140.29

प्रपत्र 'ब'

अइडा सीवरेज योजना जोधपुर

कुल अनुमानित लागत 332.64 लाख

रीस्ट्रक्चरड लागत 170.00 लाख

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाखों में)
80-81	3.64
81-82	17.922
82-83	22.201
83-84	22.186
84-85	39.581
85-86	39.20
86-87	24.266
87-88	19.616
88-89	9.324
89.90	1.480
	199.416

प्रपत्र 'स'

JODHPUR SEWERAGE SCHEME
GENERAL ABSTRACT OF COST

(1)	Cost of outfall sewers	2638700.00
(2)	Cost of main & Branch Sewer	1365358.00
(3)	Cost of Treatment Plant.	5300000.00
(4)	Cost of T & P.	350000.00
	Total :	10154058.00
	Add 25% praice escalation (icnluding present tender premium of 15% and price-rise of 7% every year during construction except on items 3 and 4)	1126014.00
	Total :	11280072.00
	Add 4 1/2% cont. & W. C. Estt.	496000.00
	Total :	11776072.00
	Prorta charges of 14%.	1548640.00
	Total :	13809412.00
	Interest charges during Project execution.	1500000.00
	Total :	14809412.00
	Total cost of the project.	
	SAY : Rs.	1.48 Lacs.

२१७

2 प्रपत्र 'श'

STATEMENT SHOWING ESTIMATED AND ACTUAL COST OF SEWERAGS

S. No.	Particulars	Original cost in lach	Restructered cost in lacs.	Expenditure up to March 90 in lacs.
1-	La teral Sewer	74.790	62.10	72.825
2-	Main Sewer.	24.582	17.70	31.038
3-	W. C. Connection.	125.612	76.50	83.963
4-	Ancillary work.	23.107	7.30	5.975
5-	Land Acquisition Works.	14.652	0.20	0.210
6-	Tools and Plant.	27.705	6.20	2.531
7-	Disposal works.	6.528	——	——
8-	Out fall Sewer.	35.267	——	——
9-	Miscellancous works (Treatment plant)	0.378	——	2.874
	Total :	332.639	170.00	199,416

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची :–

नगरपालिका सुमेरपुर व तखतगढ के कर्मचारियों जिनके विरुद्ध जांच विचाराधीन है में प्रगति का ब्यौरा :—

नाम नगरपालिका	नाम कर्मचारी जिनके विरुद्ध जांच विचाराधीन है	जांच हेतु की गई कार्यवाही की प्रगति की विवरण व दिनांक
1	2	3
सुमेरपुर	1. श्री मोतीराम व. लि.	(1) एक मामले में निदेशालय द्वारा जांच कराई गई जांच उप निदेशक क्षेत्रिय जोधपुर के कार्यालय में विचाराधीन है (2) जांच हेतु मूल पत्रावली (कागजात) दिनांक 10-3-89 क्षेत्रिय उप निदेशक जोधपुर को भेजे हुये हैं
	2. श्री मोहमद हनिफ (नाका गार्ड) 3. श्री शिवलाल सफाई कर्मचारी	आरोप पत्र तैयार किया गया। आरोप पत्र दिनांक: 6-3-89 को जारी किये गये एवं जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।
	4. श्री दूलाराम सफाई कर्मचारी	आरोप पत्र दिनांक: 6-3-89 को जारी किये गये एवं जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।
	5. श्री कूकाराम च. श्रे. क.	वाद मुन्सिफ कोर्ट सुमेरपुर में विचाराधीन है।

1	2	3
	6. श्री हीरालाल सफाई कर्मचारी	आरोप पत्र दिनांक: 6-10-89 को जारी किये गये। जांच अधिकारी जांच कर रहा है, कर्मचारी द्वारा जबाव हेतु समय मांगा गया है।
तखतगढ	1. श्री लाल सिंह सहायक राजस्व निरी.	प्राथमिक जांच दिनांक 20-1-87 को की गई व आरोप पत्र तैयार किया गया।
	2. श्री अकाराम नाकेदार	जांच अधिकारी की जांच से सहमत होकर अध्यक्ष ने दोषी कर्मचारी को दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव के दण्ड प्रस्तावित किया जाकर कारण बताओं नोटिस दिनांक 15-1-86 को जारी किया गया।
	3. श्री हरिलाल नाकेदार	आरोप पत्र दिनांक 19-12-89 को दिया गया जांच जेर तजविज है।
	4. श्री राजाराम मोहरिर	आरोप पत्र दि. 6-1-90 को जारी किया गया जांच प्रगति पर है।
	5. श्री सैंसमल सोनी कनिष्ठ लिपिक	जांच अधिकारी की रिपोर्ट दि. 28-4-90 को हो चुकी है, अंतिम निर्णय हेतु विचाराधीन है।

2. दोषी पाये गये कर्मचारीयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही विवरण

नाम नगरपालिका	नाम कर्मचारी जांच में दोषी पाया गया	नगरपालिका द्वारा जांच के बाद की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
सुमेरपुर	1. श्री मदनलाल नाकागार्ड	चेतावनी दी गई।
	2. श्री सत्तारखां नाकेदार	चेतावनी दी गई।
	3. श्री मांगीलाल मोहर्रिर	चेतावनी दी गई।
	4. श्री अर्जुन सिंह नाकागार्ड	चेतावनी दी गई।
	5. श्री गोपाल सिंह नाकागार्ड	बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई।
	6. श्री कनक माडा नाकेदार	बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई।
	7. श्री प्रताप राम आर्य नाकेदार	नाकेदार के पद से सब नाकेदार पद पर पदानवत किया गया।
	8. श्री जैसाराम नाकागार्ड	25.00 रु. का आर्थिक दण्ड दिया।
	9. श्री मोहनलाल नाकागार्ड	बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई।
	10. श्री खीम सिंह सबनाकेदार	बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई।
	11. श्री बंशीलाल सफाई कर्मचारी	मामला न्यायालय में पेश किया गया जिसमें 20/- रु. का आर्थिक दण्ड दिया गया।
	12. श्री मदनलाल सफाई कर्मचारी	बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई।
	13. श्री मीठालाल सफाई कर्मचारी	25/- का आर्थिक दण्ड दिया गया एवं हिदायत दी गई।
तख्तगढ	1. श्री शफी मोहमद नाकेदार	एक वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के माह मार्च 90 तक

विद्युतीकृत ग्रामों की सूची ।

क्र. स. ग्राम का नाम		कोड नं.	विद्युतीकरण का दिनांक	क्र. स. ग्राम का नाम		कोड सं.	विद्युतीकरण का दिनांक
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	गोलिया	16/2/244	3/1/89	26.	मन्डावाला	294	3/87
2.	धानवा	245	31/1/86	27.	साडा	295	31/3/83
3.	भाटा	246	31/3/84	28.	तुकिया	305	31/1/90
4.	जूना मीणा खेड़ी	247	31/3/84	29.	खखा	296	31/3/85
5.	माल खाड़ी	256	28/2/89	30.	लोलावा	299	31/3/89
6.	पीपला खुर्द	257	31/3/83	31.	फुलेरी	300	28/2/90
7.	निम्बाली	258	,,	32.	गोलट्या जीवराज	301	31/1/90
8.	खेड़ा महेचान	248	31/3/84	33.	पादरी खुर्द	16/5/1	27/1/89
9.	चन्दा की ढाणी	249	3/87	34.	मूथी	2	28/2/86
10.	गलानदी	251	28/2/89	35.	थापन	3	31/3/85
11.	धाकन	243	17/1/82	36.	इन्दराना	4	,,
12.	करना	223	31/3/88	37.	बालियाना	5	31/3/88
13.	भूखा भगतसिंह	288	28/2/89	38.	सिनेर	6	,,
14.	भारोका	218	31/3/83	39.	नाल	7	28/2/84
15.	बावड़ी खुर्द	219	,,	40.	गुडा	8	,,
16.	गारली किरपलान	220	31/3/83	41.	थान माता हिंगलाज	9	31/3/85
17.	गढी चारनान	227	,,	42.	पादरडी कलां	10	31/10/71
18.	दन्दाली	224	31/3/88	43.	कुसीप	11	31/3/72
19.	इवारी मानजी	230	31/3/88	44.	खोखरलाई	12	29/4/81
20.	लोहिरा	229	31/3/88	45.	खेड़ा खिन्दवडा	13	29/9/82
21.	सिन्दरी चारनान	240	31/3/82	56.	कुम्पावास	14	,,
22.	सिन्दरी चलेरी	259	29/3/79	47.	लाल लालना	15	,,
23.	गडेसरा	255	31/3/83	48.	जेटान्तरी	16	8/11/66
24.	पीपला कलां	292	31/3/83	49.	सिलोर	17	,,
25.	दरगुडा	293	12/86	50.	देवलियाली	18	13/3/79

1	2	3	4	1	2	3	4
51.	सामदरी	19	3/1/67	84.	कोखी	52	3/87
52.	मोखन्डी	20	30/11/81	85.	मुवारी	53	31/3/89
53.	रेनी देसीपुरा	21	25/3/79	86.	सेला	54	30/11/83
54.	मानवास	22	31/9/82	87.	तलवाडा	55	31/1/83
55.	मालरों का वाड़ा	23	29/9/82	88.	जिनपुर	56	30/11/81
56.	खेजरयाली	24	31/3/89	89.	मागी	57	,,
57.	गिराड का धाना	25	28/5/89	90.	धीरन	58	,,
58.	चिरडिया	26	31/3/85	91.	मागवा	59	31/1/83
59.	मियों का वाडा	27	,,	92.	दयाला	60	31/12/83
60.	पातों का वाडा	28	,,	93.	काथरी	61	,,
61.	दूदों का वाडा	29	29/10/82	94.	रामनिया	62	30/3/67
62.	चारनोन का वाडा	30	,,	95.	मोकलसर	63	30/3/65
63.	कोटरी	31	31/10/81	96.	लुदरादा	64	15/3/67
64.	बुरड	32	30/3/79	97.	बालु	65	31/12/83
65.	टिगराटी	33	31/3/79	98.	बिजालिया	66	31/3/71
66.	करमावास	34	24/3/67	99.	फुलन	67	31/12/83
67.	सूली	35	30/4/81	100.	खेडा सुनार	68	,,
68.	बामसीन	36	27/2/87	101.	भूटी	69	28/2/80
69.	देवरा	37	31/3/70	102.	सावरदा	70	31/3/88
70.	मांगला	38	29/3/69	103.	सेवली	71	2/87
71.	मेली	39	31/10/71	104.	काया का बाडा	72	31/3/88
72.	दाँतला	40	22/1/80	105.	भावों का बाडा	73	31/3/86
73.	भरजीयाना	41	31/3/71	106.	लालीया	74	31/10/81
74.	देवन्डी	42	20/2/65	107.	खरन्टीया	75	,,
75.	मावरी	43	,,	108.	मथ खरन्टीया	76	30/11/81
76.	गोलिया	44	12/9/71	109.	गोडों का वाडा	77	31/12/83
77.	पीपलोन	45	,,	110.	रामपुरा	78	,,
78.	गूँगरोट	46	31/10/71	111.	समूजा	79	30/11/81
79.	कुन्डल	47	3/87	112.	धीधारा	80	31/9/82
80.	घरना	48	28/2/89	113.	मजल	81	31/10/81
81.	मिथोरा	49	28/3/88	114.	रातडी	82	20/8/80
82.	पादरू	50	28/3/80	115.	भरथान्तरी	83	31/3/83
83.	पाऊ	51	3/87	116.	चियाली	84	2/87

1	2	3	4	1	2	3	4
117.	राखी	85	31/1/84	120.	खोडाप	88	31/1/84
118.	मोतीसरा	86	,,	121.	सरवाडी	89	31/3/86
119.	डावली	87	,,				

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के माह मार्च 90 के अन्त में विद्युतीकरण हेतु शेष स्वीकृत ग्रामों की सूची ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं	क्र. स.	ग्राम का नाम	कोड नं
1.	बामनी	16/2/241	7.	मानवास	236
2.	लूना कला	252	8.	भूखा थानसिंह	227
3.	धन गांव	253	9.	अमजार	222
4.	अमरपुरा	254	10.	सिकन्दरी पनाबेड	237
5.	अरनियाली	250	11.	नकोरा	239
6.	ढन्ड	242	12.	गंगाली	225